मध्यप्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

चतुर्दश विधान सभा तृतीय सत्र

जून-जुलाई, 2014 सत्र

शुक्रवार, दिनांक 18 जुलाई, 2014

(27 आषाढ़, शक संवत् 1936)

[खण्ड- 3] [अंक- 15]

मध्यप्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 18 जुलाई, 2014

(27 आषाढ़, शक संवत् 1936)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.32 बजे समवेत हुई.

{ अध्यक्ष महोदय (डॉ.सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.}

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

स्वास्थ्य केन्द्रों पर रिक्त पदों की पूर्ति

1. (*क्र. 3763) श्री नारायण सिंह पंवार : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले के विधान सभा क्षेत्र ब्यावरा के अंतर्गत सिविल अस्पताल ब्यावरा, प्राथमिक उप स्वास्थ्य केन्द्र सुबलिया एवं समस्त उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर कौन-कौन से पद स्वीकृत हैं, कितने पद किन-किन कारणों से, कब से रिक्त हैं? (ख) क्या यह सही है कि उपरोक्त स्वास्थ्य केन्द्रों पर लंबे समय से पदों की पूर्ति नहीं होने से सामान्य स्वास्थ्य सुविधाएं आमजन को नहीं मिल पा रही है? यदि हां, तो क्या शासन शीघ्र रिक्त पदों की पूर्ति करेगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्रा) : (क) प्रश्न भाग की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है. (ख) जी नहीं, उपरोक्त स्वास्थ्य केन्द्रों पर पदों की पूर्ति नहीं होने की दशा में संविदा एवं निकट के स्वास्थ्य केन्द्र पर पदस्थ स्टाफ से आमजन को आवश्यक स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराई जा रही हैं. विभाग के अधीन पदोन्नति द्वारा एवं लोक सेवा आयोग तथा व्यापम के माध्यम से सीधी भर्ती के पदों को भरने की कार्यवाही निरंतर जारी हैं. वर्ष 2013 में लोक सेवा आयोग के माध्यम से चिकित्सा अधिकारियों के 825 पदों की पूर्ति की गई है. वर्ष 2014 में चिकित्सा अधिकारियों के शेष 1271 रिक्त पदों की पूर्ति हेतु लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 9-6-2014 को विज्ञापन जारी किया गया है. पैरामेडिकल के 900 पदों क्रमशः (लेब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर नेत्र सहायक एवं फार्मासिस्ट ग्रेड-2) के पदों की पूर्ति हेतु व्यापम के माध्यम से कार्यवाही प्रचलित है. तदानुसार रिक्त पदों की पूर्ति की प्रक्रिया निरंतर जारी है.

श्री नारायण सिंह पंवार-- अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न पर माननीय मंत्रीजी का जो उत्तर प्राप्त हुआ है उसके अनुसार परिशिष्ट में जानकारी दी गई है. माननीय मंत्रीजी ने स्वयं स्वीकार किया है

कि विधानसभा क्षेत्र ब्यावरा के जितने भी हास्पिटल हैं चाहे सिविल अस्पताल ब्यावरा हो, या सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सुठालिया हो समेत सभी अन्य अस्पतालों में स्टाफ की बेहद कमी है. सभी विषयों के बड़े डॉक्टर्स के पद तथा विषय विशेषज्ञों के पद रिक्त हैं. मेरा अनुरोध है कि परिशिष्ट में दी गई जानकारी के अनुसार रिक्त पदों की पूर्ति कब तक की जावेगी?

डॉ नरोत्तम मिश्रा-- अध्यक्ष महोदय,सम्मानित सदस्य का कहना सही है. प्रदेश में और उनके क्षेत्र में डॉक्टरों की कमी है. अभी हमने तात्कालिक रुप से उनके क्षेत्र में दो डॉक्टर पदस्थ कर दिये हैं. परसों की आदेश निकाला है. हमने राजगढ़ जिले में पिछले 2 साल में 90 नर्स और 39 डॉक्टर पदस्थ किये हैं. उसके बाद भी कमी है. सरकार ने पीएससी के द्वारा भर्ती विज्ञापित कर दी हैं. जैसे ही भर्ती होती हम पहली प्राथमिकता सम्मानित सदस्य के स्थान को देंगे.

श्री नारायण सिंह पंवार-- अध्यक्ष महोदय, प्रश्नांश 'ख' के संबंध में निवेदन है कि ब्यावरा 60 हजार की आबादी का बड़ा शहर है और उसके आसपास लगभग 100 गांव हैं. मेरे यहां विशेष रुप से एमडी डॉक्टर नहीं है, महिला रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ नहीं है. मुझे सूचना मिली है कि माननीय मंत्रीजी निश्चेतना के डॉक्टर को पदस्थ किया है. लेकिन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सुठालिया जो दूरस्थ गांव है, उसमें वर्तमान में एक भी डॉक्टर नहीं है केवल 3 नर्से और 2 वार्ड बॉय काम कर रहे हैं. इसलिए सुठालिया में डॉक्टरों की बहुत जरुरत है. दूसरा, मेरे क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सुठालिया, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लखनवास, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नापानेरा, टोडी में डॉक्टर नहीं हैं और उप स्वास्थ्य केन्द्र सेमलापार,भंवास में पिछले 5 साल से महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के जो अटैचमेंट कर रखे हैं. क्या इनके अटैचमेंट समाप्त किये जायेंगे. जो स्थान रिक्त हैं वहां कम से कम एक एक डॉक्टर अनिवार्य रुप से पदस्थ करने की कृपा करेंगे?

डॉ. नरोत्तम मिश्रा - अध्यक्ष महोदय, सम्मानीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि निश्चेतना में अभी हमने 2-3 दिन पहले ही सतीष कुमार अहिरवार और बाल रोग में नेरकी मिनारे को पदस्थ

कर दिया है. जहां तक उन्होंने उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर पद खाली होने के बारे में बताया है तो हमारी जो 1271 की नयी भर्ती है, जैसे ही उसमें आते जाएंगे, वहां हम प्राथमिकता देंगे.

श्री नारायण सिंह पंवार - अध्यक्ष महोदय, मेरे यहां पर ट्रामा सेंटर की अत्यंत आवश्यकता है, दो नेशनल हाईवे के संगम पर बेहद दुर्घटनाएं होती हैं, इसलिए अनिवार्य रूप से एक ट्रामा सेंटर ब्यावरा को दिया जाय, ऐसा मेरा माननीय मंत्री महोदय से आग्रह है.

प्रश्न संख्या 2 - (अनुपस्थित)

इंदौर शहर के चिकित्सालयों में सोनोग्राफी मशीनें

3. (*क्र. 2214) श्रीमती मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इन्दौर जिले के शासकीय चिकित्सालयों में कहां-कहां सोनोग्राफी मशीनें उपलब्ध हैं? (ख) क्या दानदाताओं द्वारा भी सोनाग्राफी मशीनें शासकीय चिकित्सालयों को दी गई है? यदि हाँ, तो कहाँ-कहाँ? (ग) इंदौर जिले में कहाँ-कहाँ सोनोग्राफी मशीन खराब पड़ी है किन्तु उन्हें सुधारने की कोई कार्यवाही नहीं की गई है? क्या वे शासन द्वारा क्रय की गई है अथवा दानदाता द्वारा दी गई है? (घ) क्या दानदाता द्वारा दी गई मशीनों को शासन नहीं सुधरवा सकता है? यदि हाँ तो क्या दानदाता हतोत्साहित नहीं होगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्रा) : (क) इन्दौर जिले के शासकीय चिकित्सालयों जिला चिकित्सालय, माँगीलाल चूरिया, प्रसूतिगृह नन्दानगर, सिविल अस्पताल संयोगितागंज में सोनोग्राफी मशीन उपलब्ध है. इसके अतिरिक्त चिकित्सा शिक्षा के अन्तर्गत एम. वाय. हॉस्पिटल में भी मशीन उपलब्ध है. (ख) जी हाँ, दानदाताओं द्वारा केवल सिविल हॉस्पिटल संयोगितागंज इन्दौर में मशीन दी गई है. (ग) सिविल हॉस्पिटल संयोगितागंज इन्दौर में सोनोग्राफी मशीन खराब पडी है जो कि सुधरने योग्य नहीं है. यह शासन द्वारा क्रय नहीं की गई है. इसके अतिरिक्त चिकित्सा शिक्षा के अन्तर्गत एम. वाय. हॉस्पिटल इन्दौर में एक मशीन सुधरवाने की कार्यवाही की जा रही है तथा दो मशीनों के अपलेखन की कार्यवाही की जाना है. उक्त मशीन शासन द्वारा क्रय की गई है. (घ) दानदाताओं द्वारा दी गई मशीन को खराब होने पर शासकीय खर्च पर सुधरवाया जा सकता है.

श्रीमती मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ - अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न जो सिविल हास्पिटल संयोगिता गंज और एमवाय हास्पिटल की खराब पड़ी सोनोग्राफी मशीन के संदर्भ में है. माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न (ग) के उत्तर में बताया है कि मशीन सुधरने योग्य नहीं है तो यह मशीन कब से खराब है और अभी तक किसी प्रकार की वैकल्पिक व्यवस्था की गई है क्या?

डॉ. नरोत्तम मिश्रा - अध्यक्ष महोदय, सम्मानीत सदस्या का ठीक कहना है, लम्बे समय से मशीन खराब है और हम नयी मशीन 15 अगस्त 2014 तक उनको दे देंगे.

श्रीमती मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ - अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि नयी मशीन लगाने की कोई राशि मंजूर है यदि है तो कब तक मशीन लगाई जावेगी?

डॉ. नरोत्तम मिश्रा - अध्यक्ष महोदय, 15 अगस्त, 2014 तक मशीन लगा देंगे.

श्रीमती मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ - अध्यक्ष महोदय, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के लोग बड़ी संख्या में सरकारी अस्पताल में लोग जाते हैं और प्रायवेट अस्पताल में वे आर्थिक स्थिति की वजह से जा नहीं पाते हैं, इसलिए उस मशीन को जल्दी से जल्दी लगाया जावे.

अध्यक्ष महोदय - उन्होंने आश्वस्त कर दिया है.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा - जी, अध्यक्ष महोदय.

शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में शौचालयों के निर्माण में अलग-अलग मापदण्ड अपनाना

4. (*क्र. 2230) श्री विश्वास सारंग : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत विगत तीन वर्षों में भोपाल जिले के शासकीय स्कूलों में शौचालयों का निर्माण कराया गया है? यदि हां, तो क्या शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों के लिये अलग-अलग बजट और मापदण्ड अपनाये गये हैं? ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में स्थित स्कूलों में कितनी-कितनी राशि से शौचालयों का निर्माण कराया गया है? (ख) क्या यह सच है कि ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में छात्राओं के लिये निर्मित शौचालयों को भी ऊपर से ओपन रखा गया है? क्यों? कारण दें?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारसचंद्र जैन) : (क) जी हां. जी हां. शेषांश विवरण निम्नानुसार है :—

क्रमांक	शौचालय का प्रकार	ग्रामीण क्षेत्र	शहरी क्षेत्र
1	बालक	53110/-	50052/-
2	बालिका	57960/-	54902/-

(ख) जी नहीं. ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में निर्मित शौचालयों में शौचालय की छत को सीमेंट क्रांकीट से कवर रखा गया है एवं मूत्रालय (युरेनल) के ऊपर लोहे की जॉली का प्रावधान है. शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

श्री विश्वास सारंग- अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपने जवाब में स्पष्ट दर्शाया है कि शहरी क्षेत्रों में जो निर्माण हुआ है और ग्रामीण क्षेत्र में जो निर्माण हुआ है, उसमें राशि में अंतर है. मुझे निश्चित मालूम है कि माननीय मंत्री जी

बोलेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में अलग से कोई डिवाईस लगाई गई है परन्तु मेरा प्रश्न है कि शहरी क्षेत्र में क्यों नहीं लगाई गई? क्या आगे आप इसे लगाने की व्यवस्था करेंगे?

राज्यमंत्री, स्कूल शिक्षा (श्री दीपक जोशी) - माननीय अध्यक्ष महोदय, दोनों कार्य शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में अलग-अलग एजेंसियों द्वारा कराए जाते हैं. माननीय सदस्य का जो प्रश्न है कि शहरी क्षेत्र में क्यों यह नहीं लगाई जाती क्योंकि शहरी क्षेत्र के हिसाब से इसकी आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए हम इसको इसमें सम्मलित नहीं करते हैं.

श्री विश्वास सारंग- अध्यक्ष महोदय, वह क्या चीज है, यह तो बता दें?

श्री दीपक जोशी - यह फोर्स लिफ्ट पंप है.

श्री विश्वास सारंग- अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में क्योंकि हैंड पंप या नलकूप से पानी ऊपर चढ़ाया जाता है, इसलिए लगाया जाता है. परन्तु शहरी क्षेत्र में भी बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहां पर पानी सप्लाई अभी भी ट्यूबवेल से ही है. वहां पर भी इनको लगाया जाय. दूसरा, प्रश्न (ख) में जो उत्तर दिया गया है कि जो भी यूरिनल हैं, यूरिनल के ऊपर कवर नहीं किया गया है, खासकर जो गर्ल्स के यूरिनल हैं, वहां पर आसपास बड़े-बड़े मंजिल के मकान रहते हैं, उसमें मेरा ऐसा निवेदन है कि उसकी व्यवस्था जरूर की जाय क्योंकि उत्तर में भी यह स्पष्ट बताया गया है कि वे ओपन हैं, उस पर केवल जाली लगाई गई है. मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या भविष्य में ऐसे यूरिनल जो ओपन हैं उस पर छत डालने की व्यवस्था की जाएगी?

श्री दीपक जोशी- अध्यक्ष महोदय, चूंकि शहरी क्षेत्र में पर्याप्त पानी होता है, इसलिए पंप की व्यवस्था अभी तक नहीं की गई थी. लेकिन माननीय सदस्य ने ध्यान आकर्षित किया है अगर यह चीज पाई जाती है तो निश्चित रूप से आगे हम इस पर विचार कर लेंगे.

अध्यक्ष महोदय - वे छत के बारे में भी कह रहे हैं.

श्री दीपक जोशी- अध्यक्ष महोदय, छत चूंकि जो हमारा शेड्यूल है उसके अनुसार बनाई जाती है. लेकिन मैंने दोनों बातों के लिए कहा कि माननीय सदस्य ने जो ध्यान आकर्षित किया है तो इसको तय करके निर्धारित मापदंड के अनुसार अगर इसमें कोई परिवर्तन करना पड़ा तो हम कर देंगे.

श्री विश्वास सारंग- अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद.

प्रश्न संख्या 5- (अनुपस्थित)

निर्धन वर्ग के बच्चों को निजी स्कूलों में शासकीय व्यय पर शिक्षण

6. (*क्र. 3030) श्री शैलेन्द्र पटेल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म. प्र. सरकार ने किसी मेधावी छात्र को विगत दो वर्ष में शिक्षा हेतु विदेश पहुंचाया है? नाम की सूची प्रदान करें? (ख) क्या माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस संदर्भ में कोई घोषणा की थी कि अब गरीब के बच्चे को बड़े प्राईवेट स्कूल में सरकारी खर्च पर पढ़ाया जाएगा अथवा विभाग द्वारा इस संबंध में कोई कार्य योजना तैयार की गई है? अवगत कराएं?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारसचन्द्र जैन) -

क) आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के लिए विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग के इच्छुक विद्यार्थियों से विज्ञापन जारी किया जाकर पात्रता एवं अहर्ता के आधार पर साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाता है । चयन उपरान्त विदेश में उच्च शिक्षा हेतु विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है । वर्ष 2012–13 के आठ व वर्ष 2013–14 चौदह उम्मीदवारों का चयन किया गया है । शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

(ख) निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों को गैर अनुदान प्राप्त प्रायवेट स्कूलों में कक्षा 1 या प्री–स्कूल की प्रथम प्रवेशित कक्षा में न्यूनतम 25 प्रतिशत निःशुल्क प्रवेश का प्रावधान है। प्रथम प्रवेशित कक्षा में दर्ज ये बच्चे कक्षा 8 तक निःशुल्क अध्ययन करेंगे। अधिनियम के इस प्रावधान के क्रियान्वयन हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा समय–समय पर इस बात पर जोर दिया है कि प्रदेश के गरीब बच्चे अधिकाधिक संख्या में इसका लाभ ले सकें । प्रदेश में वर्षवार प्रवेशित बच्चों तथा राज्य शासन द्वारा इन पर किये गये व्यय की जानकारी निम्नानुसार है–

क.	वर्ष	निःशुल्क ॲध्ययनरत बच्चे	राज्य शासन द्वारा फीस प्रतिपूर्ति हेतु जिलों को जारी की गई राशि
1	2011–12	1.37 लाख	रू.30.16 करोड़
2	2012–13	2.75 लाख	रू.82.40 करोड़
3	2013–14	4.23 लाख	रू. 73.69 करोड़ (प्रथम किश्त) प्रायवेट स्कूलों को भुगतान की कार्यवाही प्रचलन में है।

श्री शैलेन्द्र पटेल - अध्यक्ष महोदय, जो मैंने प्रश्न पूछा था कि क्या मध्यप्रदेश सरकार ने किसी मेधावी छात्र को विगत दो वर्ष में शिक्षा हेतु विदेश पहुंचाया है? नाम की सूची प्रदान करें. पहले तो मुझे 'जी नहीं' का उत्तर मिला. उसके बाद आज सुबह ही मुझे संशोधित उत्तर प्राप्त हुआ है और संशोधित उत्तर में मुझे कोई सूची प्राप्त नहीं हुई है कि कौन-कौन से मेधावी छात्रों को विदेश पहुंचाया है? दूसरा प्रश्न था कि क्या माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस संदर्भ में कोई घोषणा की थी कि अब गरीब के बच्चे को बड़े प्रायवेट स्कूल में सरकारी खर्च पर पढ़ाया जाएगा अथवा विभाग द्वारा इस संबंध में कोई कार्य योजना तैयार की गई . जो मुझे उत्तर प्राप्त हुआ उसमें RTE के हवाले

के अंतर्गत, जो केन्द्र सरकार ने कानून बनाया था उसके अंतर्गत जो बच्चे स्कूल में गए उन्हीं का उल्लेख है. मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुसार अभी तक एक भी बच्चा स्कूल नहीं भेजा गया.इसके बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है.

श्री दीपक जोशी- अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पूछा कि क्या मध्यप्रदेश मेधावी छात्रों को विगत दो वर्षों में भेजा गया. चूंकि यह प्रावधान स्कूल शिक्षा विभाग में नहीं है. उच्च शिक्षा विभाग के माध्यम से किया जाता है तो उच्च शिक्षा विभाग के माध्यम से जो जानकारी हमारे पास उपलब्ध थी वो हमने माननीय सदस्य को प्रदत्त कर दी है. साथ ही उन्होने मुख्यमंत्री जी की घोषणा का कहा है . तो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा यही की थी कि गरीब बच्चे भी प्रायवेट स्कूलों में पढ़ेंगे. चूंकि सरकार नियमों पर चलती है, जो केन्द्र सरकार से हमारे पास नियम आया था उसी के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी और उसी के तहत हमने लाखों विद्यार्थियों का प्रायवेट स्कूलों में प्रवेश कराया,उनकी फीस जरूर मध्यप्रदेश सरकार द्वारा दी जाती है.

श्री शैलेन्द्र पटेल—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो उत्तर मिला उसमें आदिम जाति कल्याण विभाग और अनुसूचित जाति कल्याण विभाग वर्ष 2012 में 8, और वर्ष 2013-14 में 14 बच्चों को विदेश भेजने की छात्रवृत्ती दी. इसमें कहीं भी पिछड़ा वर्ग या अल्पसंख्यक विभाग के...

अध्यक्ष महोदय—ये उच्च शिक्षा से संबंधित से , वे कह रहे हैं. पर उन्होंने आपको जानकारी दे दी.

श्री शैलेन्द्र पटेल—लेकिन जानकारी अधूरी है.

अध्यक्ष महोदय—मंत्री जी क्या आपके पास डिटेल में जानकारी है?

श्री दीपक जोशी – माननीय सदस्य कहेंगे तो हम उनको ये सूची उपलब्ध करवा देंगे.

श्री शैलेन्द्र पटेल- मेरा एक छोटा सा प्रश्न ये है कि राईट टू एजूकेशन के अंतर्गत तो ये बच्चे पूरे देश में भेजे जा रहे हैं क्या प्रदेश में इसके अलावा, मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुरूप किसी

मेधावी निर्धन सामान्य वर्ग के बच्चों को भी विदेश या बड़े प्रायवेट स्कूलों में दाखिला दिलवाया गया है?

श्री दीपक जोशी- माननीय अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी की घोषणा कि परिप्रेक्ष्य में नहीं थी. लेकिन अगर सदस्य कहते हैं तो उनका विचार हम मुख्यमंत्री जी को अवगत करा देंगे. भविष्य में अगर हो सकता है तो करने का प्रावधान करेंगे.

आयुष विंग एवं पंचकर्म केन्द्र निर्माण हेतु भूखण्ड का आवंटन

7. (*क्र. 2912) **श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या भिण्ड जिले में जिला आयुष अधिकारी द्वारा जिला अस्पताल परिसर में 10 हजार वर्ग फीट जमीन आयुष विंग एवं पंचकर्म केन्द्र निर्माण हेतु की स्वीकृति चाही गई है? यदि हाँ, तो कहाँ पर जमीन आवंटित की गई? (ख) प्रश्नांश ''क'' में वर्णित भवन निर्माण के लिये कितनी राशि का बजट प्रस्तावित किया गया है? किस निर्माण एजेंसी के द्वारा निर्माण करवाया जायेगा? प्रश्नांश दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई है? वर्तमान में कहाँ पर संचालित है? (ग) जिला अस्पताल भिण्ड परिसर में पुरानी नर्सिंग हास्टल बिल्डिंग किन कारणों से अनुपयोगी है? इसका कब निर्माण करवाया गया है? किस निर्माण एजेंसी से निर्माण हुआ? कितना व्यय किया गया है? इसको उपयोग में क्यों नहीं लिया गया? शासन की धनराशि के अपव्यय के लिये कौन जिम्मेदार हैं? (घ) जिला अस्पताल परिसर भिण्ड में निर्मित नर्सिंग हास्टल बिल्डिंग को खण्डहर बताने का क्या आधार है? राइट ऑफ करने के लिये किस स्तर के अधिकारियों से जाँच करवाई गई है? लोक निर्माण के किन यंत्री, उपयंत्री ने अनुपयोगी घोषित की है?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्रा) : (क) जी हां. किन्तु जो भूमि आवंटित हुई वह 72×98=7056 वर्ग फुट जिला चिकित्सालय परिसर में है. (ख) रुपये 81.00 लाख का प्रस्ताव सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला भिण्ड के पत्र दिनांक 7-3-2013 द्वारा प्रस्तावित किया गया. जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' पर है. निर्माण एजेंसी का निर्धारण अभी नहीं किया गया है. प्राप्त प्रस्ताव भारत सरकार को स्वीकृति हेतु संचालनालय पत्र दिनांक 28-3-2013 द्वारा प्रेषित किया गया. जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' पर है. भारत सरकार से स्वीकृति अपेक्षित है. वर्तमान में जिला चिकित्सालय में संचालित है. (ग) जिला अस्पताल भिण्ड के परिसर में वर्किंग वूमेन हॉस्टल का निर्माण नगर पालिका भिण्ड के द्वारा 8-6-1983 को कार्यादेश जारी कर ठेकेदार श्री रामचरन लाल बढ़ेलिया से करवाया गया. इस कार्य में रुपये 5,25,498/- का व्यय किया गया है. उक्त कार्य को कार्यादेश दिनांक से 10 माह की अवधि में ठेकेदार को पूर्ण करना था जो न किये जाने व कार्य में समय-समय पर व्यवधान कर विलम्ब किए जाने एवं इस बीच भाव भारी मात्रा में बढ़ जाने से ठेकेदार द्वारा वर्तमान रेटों पर कार्य न करने के कारण कार्य पूर्ण न होने से भवन को उपयोग में नहीं लिया गया. उक्त कार्य हेतु केन्द्रीय शासन से रुपये 3,87,852/- रुपये की आर्थिक सहायता प्राप्त हुई थी जिसका सम्पूर्ण उपयोग किया गया है. (घ) वर्किंग वूमेन हॉस्टल का निर्माण कार्य पूर्ण ही नहीं किया गया है. अतः खण्डहर या राइट ऑफ करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है. अपूर्ण निर्माण कार्य होने के कारण भवन का उपयोग नहीं किया गया है. अतः अनुपयोगी घोषित करने संबंधी प्रश्न ही नहीं उठता है.

श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह- मेरे प्रश्न (ख) के दिये गये उत्तर से मैं संतुष्ट नहीं हूं. आयुष अधिकारी का कार्यालय कलेक्टरेट भवन में है. इनकी दवाईयों का भंडार भी कलेक्टरेट भवन के जनसंपर्क कार्यालय के सामने है. आयुष अधिकारी ने जो उत्तर दिया है उसमें बताया गया है कि जिला चिकित्सालय में यह कार्यालय चल रहा है. जबकि कार्यालय और उसका भंडार कलेक्टरेट में चल रहा है. दूसरा प्रश्न हमारा यह था कि वर्किंग वूमेन हॉस्टल का निर्माण कार्य आदेश जो वर्ष 1983 में जारी हुआ था उसे दस माह में पूर्ण होना था. आज 25-30 साल हो गए हैं, कार्य पूर्ण नहीं

हुआ है. उसके जवाब में आया है कि उपयोगी है. जबकि वह खण्डहर हो चुका है. एक तो मेरा प्रश्न यह है कि जो आयुष अधिकारी ने कार्यालय की गलत जानकारी दी है , कार्यालय कलेक्टरेट में चल रहा है और वे कह रहे हैं कि जिला अस्पताल में चल रहा है. उसका भण्डार भी वहीं है तो जिन अधिकारियों ने गलत जानकारी दी है उस मामले में मंत्री जी क्या कार्यवाही करेंगे.?

डॉ.नरोत्तम मिश्रा- अध्यक्ष जी, जांच करवा लेते हैं ,दोनों में से कौन सी बात सत्य है और जहां तक सम्मानित सदस्य ने सवाल किया है वो बिल्डिंग अपूर्ण है. जो बिल्डिंग पूर्ण है ही नहीं तो उसे राईट ऑफ या खण्डहर कैसे कहेंगे. 28 साल पुराना मामला है,काम हुआ ही नहीं. उसी समय नहीं बन पाया. उस समय उसकी राशि ही नहीं आ पायी थी.

श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह—अध्यक्ष महोदय, इसमें हमारा निवेदन यह था कि एक तो जो आयुष अधिकारी ने गलत जानकारी दी उसके खिलाफ तो कार्यवाही हो जाए.

डॉ.नरोत्तम मिश्रा—जांच करवा लेते हैं और गलती अगर होगी तो हम निश्चित कार्यवाही करेंगे.

श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह—दूसरा हमारा निवेदन यह है कि जिला चिकित्सालय भिंड में जो मूल रूप है वह उसका धीमे धीमे खतम होता चला जा रहा है. तो जब मूल रूप खतम हो जाएगा, अस्पताल का नक्शा ही खतम हो जाएगा. तो हमारा निवेदन यह है कि अस्पताल जो पुराने बने हुए हैं उनका कोई एक नक्शा बना है, इंजीनियरों द्वारा पास किया गया है , जितनी भी बिल्डिंगें बनाई जायें वे एक आर्किटेक्ट से या इंजीनियरों के द्वारा पूरा नक्शा तैयार करके ही बिल्डिंग बनाई जाएं. क्योंकि मूल रूप खतम होता चला जा रहा है.

अध्यक्ष महोदय—मंत्री जी क्या आप कोई आश्वासन देंगे?

डॉ.नरोत्तम मिश्रा- अध्यक्ष जी, सुझाव अच्छा है ,ध्यान रखेंगे.

श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह – धन्यवाद.

प्रश्न संख्या—(8)—

अध्यापक संवर्ग एवं शिक्षक संवर्ग से पदोन्नति

8. (*क्र. 3211) श्री मुरलीधर पाटीदार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शाजापुर जिले में अध्यापक वर्ग-1, 2 एवं तीन के तथा शिक्षक, सहायक शिक्षक तथा व्याख्याताओं के कुल कितने पद स्वीकृत हैं, तथा कितने पद भरे हुए हैं? (ख) कितने पद अध्यापक संवर्ग से पदोन्नति से भरे जाने हैं एवं कितने शिक्षक संवर्ग से? (ग) क्या शाजापुर जिले में पदोन्नति से भरे जाने वाले अधिकांश पद रिक्त हैं? यदि हाँ, तो इनकी पूर्ति पदोन्नति द्वारा कब तक कर दी जावेगी? (घ) लंबे समय से पदोन्नति नहीं होने हेतु जिम्मेदार कौन है?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारसचंद्र जैन) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "एक" पर है. (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "दो" पर है. (ग) प्रश्नांकित जिले में पदोन्नति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है. पदोन्नति कार्यवाही एक सतत् प्रक्रिया है. अत: समय-सीमा बताना संभव नहीं है. (घ) पदोन्नति की कार्यवाही एक सतत् प्रक्रिया है. शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

श्री मुरलीधर पाटीदार—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी का जो जवाब आया है, उसमें मैंने शाजापुर जिले में अध्यापक संवर्ग और शिक्षक संवर्ग की पदोन्नति की जानकारी मांगी थी, जवाब में जो अध्यापक संवर्ग है, उसमें स्वीकृत पद 543 हैं और 280 खाली हैं. इसी प्रकार शिक्षक संवर्ग में 668 स्वीकृत हैं और 425 खाली हैं. मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन हैं कि 50 प्रतिशत से ज्यादा पद दोनों संवर्गों में खाली हैं, तो क्या वास्तव में इससे छात्रों की पढ़ाई का नुकसान नहीं हो रहा है? उस विषय की पढ़ाई को कौन पढ़ाता है, क्या पदोन्नति के कुछ नियम निर्धारित नहीं हैं, जिसमें उनकी वरिष्ठता की कोई डेट निर्धारित हो, डी.पी.सी. की कोई डेट निर्धारित हो? और अगर निर्धारित है तो क्या जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, उन पर कार्यवाही नहीं होनी चाहिए?

राज्यमंत्री, स्कूल शिक्षा (श्री दीपक जोशी)—माननीय अध्यक्ष महोदय, अध्यापक संवर्ग और शिक्षक संवर्ग के पदोन्नति की जाने की कार्यवाही प्रचलन में है. इसके लिए समयबद्ध योजना जारी कर दी गई है और 31 अक्टुबर 2014 तक सभी संवर्गों की पदोन्नति पूर्ण कर ली जाएगी.

श्री मुरलीधर पाटीदार--माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से एक और निवेदन है कि इसमें वरिष्ठ अध्यापक की पदोन्नति का कोई उल्लेख ही नहीं है. इनकी पदोन्नति 17-18 साल के बाद भी उसके कोई नियम ही नहीं बन पाए हैं, कोई नियम बनेंगे, अगर बनेंगे तो कब तक उसका पालन होगा?

श्री दीपक जोशी—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य स्वयं शिक्षक रहे हैं और शिक्षकों के नेतृत्वकर्ता रहे हैं, इसलिए इनको ध्यान में रखते हुए हमने फैसला लिया है कि इस बार जो हमारी पदोन्नति होगी, उस पदोन्नति में 25 परसेन्ट पदों को जो कि वरिष्ठ अध्यापकों के होंगे, उनको सम्मिलित करके ही पदोन्नति करेंगे.

श्री मुरलीधर पाटीदार—धन्यवाद मंत्री जी.

प्रश्न संख्या—(9)—

कवर जाति को जाति प्रमाण-पत्र दिया जाना

9. (*क्र. 2820) श्री रामपाल सिंह : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शहडोल जिले के जयसिंहनगर, सोहागपुर, ब्यौहारी, जैतपुर अनुविभाग अन्तर्गत कवर जाति स्थानीय बोली भाषा में कमर को अनुसूचित जनजाति के प्रमाण-पत्र पूर्व में प्रदाय किये गये हैं? (ख) क्या कुछ वर्षों पूर्व इस जाति को जाति प्रमाण-पत्र कवर व कमर में विसंगति पाने के कारण प्रदाय करना बन्द कर दिया गया था? (ग) क्या आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान म. प्र. शासन के पत्र क्रमांक/रां अन्य/3-23/07/8518, दिनांक 18-9-2007 द्वारा स्थानीय स्तर पर जाँच में यह पाया गया कि समुदाय की वास्तविक जाति कवर की पुष्टि हुई हैं, तदानुसार पत्र क्रमांक स/अन्य/3-23/08/1379, दिनांक 29-01-2008 के द्वारा कलेक्टर, शहडोल को जाति प्रमाण जारी करने हेतु लेख किया गया हैं? (घ) क्या कवर स्थानीय बोली में कमर जाति के लोगों को वर्तमान में अनुसूचित जनजाति का प्रमाण-पत्र दिया जा रहा है? नहीं तो क्यों?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) अनुविभाग जयसिंहनगर एवं ब्यौहारी में प्रश्नांकित जाति प्रमाण-पत्र पूर्व में प्रदाय नहीं किये गये हैं. अनुविभाग जैतपुर एवं सोहागपुर में कंवर जाति के प्रमाण-पत्र प्रदाय किये गये हैं. (ख) जी हां. (ग) जी नहीं. प्रश्नांकित पत्र दिनांक 29-1-2008 जारी नहीं हुआ है. (घ) जी नहीं. पुराने अभिलेख में कमर जाति उल्लेख होने के कारण जाति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया है. म. प्र., सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक 1/1907/1/ह.आ.से., दिनांक 31 जनवरी, 1978 द्वारा जारी सूची में कमर जाति को शामिल नहीं किया गया है.

श्री रामपाल सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न कमर जाति के जाति प्रमाण पत्र को लेकर था, जवाब में कहा गया कि विभाग जयसिंह नगर एवं ब्यौहारी में जाति प्रमाण पत्र पूर्व में प्रदान नहीं किया गया है. जैतपुर और सोहागपुर में प्रदाय किया गया है, जबकि जयसिंह नगर और ब्यौहारी में पूर्व में प्रदान किए गए हैं. दूसरा प्रश्न था कि क्या कुछ वर्षों पूर्व इस जाति को जाति प्रमाण पत्र कमर और कमर में विसंगति पाने के कारण बंद कर दिया गया था, उत्तर में आया है कि जी हां. जबकि (क) प्रश्न के उत्तर आया है कि पूर्व में जारी किया गया है. मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या आदिम जाति अनुसंधान विकास संस्थान, मध्यप्रदेश शासन भोपाल ने कलेक्टर शहडोल को लिखा है कि वास्तविक जाति कंवर की पुष्टि हेतु जिन्हें स्थानीय बोली में कमर के नाम पर जाना जाता है, उन्हें जाति प्रमाण पत्र जारी करने संबंधी कार्यवाही की जाना उचित

होगा. परंतु आज तक प्रमाण पत्र कमर जाति का जारी नहीं किया जा रहा है. माननीय मंत्री जी बताएं.

श्री ज्ञान सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूंगा कि इसमें जिस तरह से माननीय सदस्य ने आशंका व्यक्त की है, पूरा अविभाजित मध्यप्रदेश जिसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल था, मैं जानता हूं. कंवर जाति के लोग आदिवासी वर्ग में आते चूंकि क और र के बीच में म शब्द आ जाने से हमारा टी.आई.आर. जो संस्थान है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में यह बात कही है कि कमर और कंवर की बोली, भाषा एक पाई जाती है, लेकिन राज्य शासन अपनी सीमा से बंधा हुआ है. मैं माननीय सदस्य को अवगत् कराना चाहूंगा कि आपकी जो समस्या है, वह पूरे प्रदेश की और मैं स्वयं इस समस्या से वाकिफ हूं. मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि बहुत जल्दी इसके प्रस्ताव को भारत सरकार को भेजा जाकर म शब्द को हटाकर इन्हें कंवर में जोड़े जाने की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी.

श्री रामपाल सिंह-- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि चूंकि जाति प्रमाण-पत्र के न बनने से कितने कमर जाति के युवाओं का भविष्य बर्बाद होता है चूंकि कमर और कवर, स्थानीय बोली में उसको कमर कहा जाता है और उनके भूमि अभिलेख में भी देखा जाए तो कमर है जबकि पूर्व में कवर जाति का प्रमाणपत्र बना हुआ है. कई प्रमाणपत्र जारी किये गए हैं विगत कुछ वर्षों में तो मैं चाहूंगा कि इसमें ऐसा प्रयास किया जाए ताकि इनका जाति प्रमाणपत्र बनने लगे जिससे आगे आने वाले समय में इस समाज को भी एक लाभ मिले.

श्री ज्ञान सिंह—माननीय अध्यक्ष जी, मैं बिलकुल माननीय सदस्य की बात से सहमत हूँ और बहुत जल्दी प्रयास किया जाएगा ताकि इस समाज के होनहार नौजवानों को जाति प्रमाण पत्र बनाने में जो कठिनाइयां आती हैं वह सुलभता से उनको प्राप्त हो सके.

श्री रामपाल सिंह—धन्यवाद.

जिला आयुष अधिकारियों के रिक्त पदों पर प्रभार

10. (*क्र. 3037) श्रीमती ममता मीना : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश में लगभग 90 प्रतिशत जिलों में जिला आयुष अधिकारियों के पद लम्बे समय से रिक्त हैं? उक्त कितने पद स्वीकृत हैं? कितने भरे हैं एवं कितने रिक्त हैं? (ख) क्या जिला आयुष अधिकारियों के पद रिक्त बने रहने से जिलों में प्रभारी व्यवस्था ही बनी रहती है और जिलों में कार्य लंबित बने रहते हैं? (ग) क्या जिला आयुष अधिकारियों के रिक्त पदों पर प्रदेशस्तर की वरिष्ठता अनुसार प्रभार नहीं दिया जाना चाहिए ताकि जिलों में कार्य लंबित न रहे? (घ) यदि प्रदेशस्तर के वरिष्ठों से जिला आयुष अधिकारियों के रिक्त पदों पर प्रभार दिया जाना चाहिए तो प्रदेश की वरिष्ठता अनुसार प्रभार कब तक दे दिया जावेगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी नहीं. जिला आयुष अधिकारियों के 51 पद स्वीकृत हैं. जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर है. (ख) प्रभारी जिला आयुष अधिकारियों को समस्त नियमित कार्यों के अधिकार हैं. जिलों में कार्य लंबित रहने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता. (ग) प्रशासनिक कार्य सुविधा की दृष्टि से सामान्यत: जिले में उपलब्ध अधिकारियों में से प्रभार सौंपा जाता है. जिलों में कार्य लंबित नहीं रहता है. (घ) प्रश्नांश ''ख'' एवं ''ग'' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

श्रीमती ममता मीना—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से यह निवेदन है कि मेरे प्रश्न क का जो उत्तर आया है वह गलत है जिसकी वजह से पूरा प्रश्न ही गलत हो गया है. माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी तो गुना से लोकसभा का चुनाव लड़े हैं इसलिए मैं माननीय अध्यक्ष महोदय,आपसे और मंत्री जी से संरक्षण चाहूंगी. मैंन अपने प्रश्न (क) में यह पूछा था कि क्या मध्यप्रदेश में लगभग 90 प्रतिशत जिलों में जिला आयुष अधिकारियों के पद लम्बे समय से रिक्त हैं? उक्त कितने पद स्वीकृत हैं? कितने भरे हैं एवं कितने रिक्त हैं? इसमें माननीय मंत्री जी जो उत्तर आया है पद कोई रिक्त नहीं हैं जबकि पद 51 स्वीकृत है और पीछे दिये गए परिशिष्ट में जो लिस्ट लगी है उसमें 45 जिलों में प्रभारी हैं, मात्र 6 जिलों में जिला आयुष अधिकारी पदस्थ हैं तो इसप्रकार मेरे पहले प्रश्न का ही उत्तर गलत हो गया तो माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगी कि मेरे पहले प्रश्न(क) को ही स्पष्ट कर दें?

डॉ. नरोत्तम मिश्रा—माननीय अध्यक्ष महोदय, बहन ठीक कह रही है, जो उत्तर है वह थोड़ा पढ़ने में, पद स्वीकृत का जो उन्होंने पूछा है, कहा है कि यह 51 पद स्वीकृत है. यह सच है कि अधिकांश जिलों में प्रभारी नियुक्त हैं. यह सच है कि आपने जो पढ़ा है उसमें 7 पद रेग्युलर से भरे हुए हैं.

श्रीमती ममता मीना-- अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि वरिष्ठता के आधार पर जिलों में जिला आयुष अधिकारी पदस्थ करें क्योंकि नीचे जो जूनियर लोग होते हैं उनको जिला अधिकारी का पद दे दिया जाता है और वरिष्ठता के आधार पर उनको अगर नियुक्ति नहीं दी जाती तो

इसके कारण से जो कार्य होना चाहिए वह कार्य नहीं हो पाता. साथ मैं मैं माननीय मंत्री जी से एक प्रश्न और करना चाहूंगी क्योंकि मैंने डाक्टर्स की कमी वाला प्रश्न लगाया था , वह मेरा आ नहीं पाया तो हमारे चाचौड़ा विधानसभा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है वहां बीएमओ बैठते हैं, अभी वहां पर कोई भी डाक्टर नहीं है, न बीएमओ है, न कोई महिला डाक्टर है. हमारे यहां उप स्वास्थ्य केन्द्र तेलीगांव है वहां पर भी डाक्टर्स नहीं है. मंत्री जी से निवेदन है कि यह चाचौड़ा का और जो जो बीनागंज प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है उनमें भी डाक्टर और बीएमओ की पदस्थापना करें.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा—माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्मानित सदस्या का पहला प्रश्न आयुष विभाग से है दूसरा प्रश्न जो आपने अनुमति दी, वह स्वास्थ्य विभाग से है

अध्यक्ष महोदय-- उन्होंने बिना अनुमति के पूछ लिया.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा—अध्यक्ष जी, हमने पीएससी को 711 डाक्टरों की भर्ती के लिए दे दिया है जैसे ही वे आयुष में हो जाते हैं रेग्यूलर हम पदस्थ कर देंगे. डीपीसी भी हमारी जून 2014 में आयोजित की गयी थी उसकी वरिष्ठता सूची भी हमने जुन 2013 की स्थिति के निर्देश के हिसाब से जो बैठक हमारी स्थगित हुई थी वह तीन माह के अन्दर हम करके कर देंगे. जहां तक स्वास्थ्य विभाग का प्रश्न है जो हमारी नयी भर्ती के लिए 1271 पद निकाले है उसमें आते ही मैं सम्मानित सदस्या के यहां पहले ही पदस्थ कर दूंगा.

प्रश्न संख्या-11 (अनुपस्थित)

महिदपुर क्षेत्र में स्कूलों में निर्माण कार्यों की स्वीकृति

12. (*क्र. 3914) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महिदपुर वि. स. क्षेत्र में दिनांक 1-1-2011 से 15-6-2014 तक स्वीकृत स्कूल भवन बाऊँड्रीवाल, अतिरिक्त कक्ष, किचन शेड की स्वीकृति दिनांक, लागत कार्य पूर्णता अवधि बताएं? वर्षवार, ग्रामवार, स्थानवार बताएं? (ख) उपरोक्तानुसार निर्माण स्थलों का चयन किस आधार पर किया जाता हैं? इसके मापदण्डों का उल्लेख करें? जो स्थल निर्धारित मापदण्डों एवं मानकों के प्रतिकूल है उनकी सूची देवें? उन पर शासन क्या कार्यवाही करेगा? (ग) प्रश्न ''क'' अनुसार जो निर्माण अपूर्ण हैं उनकी सूची देवें? उनमें आहरित राशि, कार्य मूल्यांकन प्रतिशत सहित बताएं? इन्हें कब तक पूर्ण किया जायेगा? समय-सीमा बताएं? (घ) उपरोक्त कार्यों में विलंब एवं उनके गुणवत्ताहीन होने की अनदेखी करने वाले अधिकारियों पर शासन क्या कार्यवाही करेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारसचंद्र जैन) : (क) हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूलों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''एक'' अनुसार एवं प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''दो'' अनुसार. (ख) शासकीय हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन के लिये क्रमशः न्यूनतम 4000 एवं 5600 वर्ग फिट भूमि होना चाहिए. उक्त भूमि में से न्यूनतम क्रमशः 2000 एवं 2600 वर्गफिट निर्मित तथा शेष खुली भूमि होने का मापदण्ड होने का निर्धारित है. उक्त मापदण्डों के आधार पर निर्माण स्थल का चयन संबंधित संस्था प्रधान अथवा एस. एम. डी. सी./एस. एम. सी. द्वारा किया जाता है. स्थल निर्धारण के बाद भूमि आवंटन की प्रक्रिया संबंधित एस डी. एम. के माध्यम से कलेक्टर द्वारा की जाती है. महिदपुर विधान सभा क्षेत्र में ऐसे निर्माण स्थल नहीं है, जो निर्धारित मापदण्डों के विपरीत हों. प्राथमिक विद्यालय जिस स्थान पर खोला गया तथा प्राथमिक विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय में उन्नत होने पर उस स्थान पर नवीन भवन का निर्माण स्वीकृत किया जाता है. तथा अतिरिक्त कक्षों हेतु जिले के डायस डाटा व कक्ष छात्र संख्या के अनुसार स्वीकृति की गई है. शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता. (ग) हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूल की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''एक'' में समाहित है. प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''तीन'' अनुसार. प्रश्नाधीन क्षेत्र की शालाओं को पूर्ण किया जाना बजट की उपलब्धता पर निर्भर करेगा. समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है. (घ) हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूल के निर्माण कार्यों की समय-समय पर मॉनिटरिंग की जाती है. यह एक सतत् प्रक्रिया है. विलंब एवं गुणवत्ताहीन होने पर विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाती है. प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के निर्माण कार्यों के संबंध में अनुविभाग अधिकारी (राजस्व) एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा कार्यवाही की जा रही है.

श्री बहादुर सिंह चौहान-- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न शिक्षा विभाग के निर्माण कार्यों को लेकर है कुल 149 निर्माण कार्य हैं, उसमें से पीआईयू, आरईएस,एलएयूएन औऱ पंचायतें इन निर्माण कार्यों के लिए 4 एजेसिंयाँ नियुक्त की गई है. माननीय अध्यक्ष महोदय, जो कार्य 2009 में स्वीकृत हुआ है उसमें अधिकांश कार्य अभी तक प्रारंभ भी नहीं हुए हैं मेरा मंत्री जी से प्रश्न है कि जो कार्य स्वीकृत होने के उपरांत आज तक प्रारंभ नहीं हुए हैं और 2009 से आज पांच वर्ष हो गये हैं तो इसके लिए उत्तरदाई अधिकारियों पर मंत्री जी भोपाल लेवल के अधिकारी को नियुक्त करके उसकी जांच करवा लेंगे क्या.

राज्यमंत्री, स्कूल शिक्षा(श्री दीपक जोशी)-- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ पर हाईस्कूल, हायर सेकेंडरी के निर्माण के लिए पीडब्ल्यूडी या अन्य

एजेंसियां जो प्रदेश में कार्यरत होती हैं,उनसे काम करवाते हैं और माध्यमिक और प्राथमिक शालाओं के लिए स्थानीय एजेंसी, ग्राम पंचायत या आरईएस के माध्यम से कार्य करवाया जाता है चूंकि बहुत सी जगह स्थान उपलब्ध नहीं होने के कारण या स्थान का विवाद होने के कारण बहुत से काम हम निर्धारित समय पर शुरु नहीं कर पाते लेकिन जैसी सदस्य की भावना है और वह चाहते हैं कि उनके कामों की हम भोपाल स्तर पर जांच करवायें, तो मेरा कहना है कि हम भोपाल से एक अधिकारी को भेज देंगे और इनके कामों का आंकलन करने के बाद जो काम रुके हैं उनको शीघ्र शुरु करवाने का कार्य करेंगे.

श्री बहादुर सिंह चौहान--- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे शीघ्र अतिशीघ्र का उत्तर नहीं चाहिये. मेरा मंत्रीजी से आग्रह है कि 149 कार्य हैं और इससे मेरे क्षेत्र के लगभग 122 गांव जुड़े हुए हैं और उनमें जो कार्य प्रारंभ नहीं हुए हैं आप उनको 18 माह में इसके अलावा जो कार्य 50 परसेंट हो गया उसको 12 माह में एवं जो कार्य 75 परसेंट हो गये हैं उनको 6 माह में क्या मंत्री जी पूर्ण करवा लेंगे.

श्री दीपक जोशी--- माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसी कि माननीय सदस्य की भावना है उसके अनुरूप मैंने पहले ही कहा है कि यदि कोई कानूनी अड़चन नहीं आई तो निर्धारित समयसीमा जो माननीय सदस्य ने बताई है उसमें हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे कि निर्माण कार्य हो जाए.

भोपाल जिले में आयुष विभाग के चिकित्सालयों में रिक्त पदों की पूर्ति

13. (*क्र. 3967) श्री विष्णु खत्री : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल जिले में कितने आयुष विभाग के चिकित्सालय एवं डिस्पेन्सरियाँ कहां-कहां पर हैं? (ख) इन चिकित्सालयों में कितने चिकित्सक सहित अन्य कौन-कौनसा प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ग का स्टॉफ कबसे पदस्थ है? (ग) इन चिकित्सालयों के संचालन हेतु विभाग द्वारा कितनी धनराशि कर्मचारियों के वेतन एवं मरीजों के इलाज पर खर्च की जाती है? पृथक्-पृथक् बतायें एवं इस वित्त वर्ष 2014-15 में कितनी धनराशि भोपाल जिले पर उक्त मद में व्यय हेतु रखी गई है? पूर्णत: बतायें?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) भोपाल जिले में 5 आयुष चिकित्सालय एवं 25 आयुष औषधालय संचालित हैं. (ख) 1. चिकित्सक सहित प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ग के औषधालयों/चिकित्सालयों में पदस्थ स्टॉफ की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' पर है, 2. शासकीय स्वशासी आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, भोपाल में पदस्थ स्टॉफ की प्राप्त जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' पर है, 3. शासकीय पं. उद्दव दास मेहता स्मृति आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सालय, भोपाल में पदस्थ स्टाफ की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''स'' पर है. (ग) भोपाल जिले के आयुष चिकित्सालयों, औषधालयों के संचालन हेतु वर्ष 2013-14 में अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन हेतु रुपये 13,01,35,696.00 तथा मरीजों के इलाज पर औषधियों पर राशि रुपये 2,34,63,832/-की राशि व्यय की गई है. इस प्रकार वित्त वर्ष 2014-15 में माह जून 2014 तक वेतन मद में रुपये 3,38,95,529/- का व्यय हुआ तथा मरीजों के इलाज हेतु औषधि मद में राशि रुपये 74,65,348/- की राशि दिनांक 31-7-2014 तक भोपाल जिले के लिये व्यय हेतु रखी गई है.

श्री विष्णु खत्री-- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी का ध्यानाकृष्ट करना चाहता हूं और आश्वासन भी चाहता हूं. मेरे विधानसभा क्षेत्र में कलारा आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी का पद विगत 3 वर्षों से रिक्त है ऐसे ही ललरिया में यूनानी चिकित्सा अधिकारी का पद 4 वर्षों से रिक्त है और बैरसिया विधानसभा का जो मुख्यालय है बैरसिया, वहाँ पर आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी अभी भी नहीं है तो क्या मंत्री जी आश्वस्त करेंगे कि इन स्थानों पर जो पद रिक्त हैं, यह शीघ्र भरे जाएंगे और बैरसिया में आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी की स्थापना होगी.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा-- माननीय अध्यक्ष महोदय, पीएससी से अभी हमको यूनानी चिकित्सक मिल गये हैं तो यूनानी चिकित्सक का जैसा सम्मानित सदस्य ने कहा है उसको हम तत्काल कर देंगे. जहाँ तक आयुर्वेद के चिकित्सक की बात की है तो अभी हमारे आयुर्वेद के चिकित्सक जब पीएससी से भरे जाएंगे तब हम उस पद को भर देंगे. जहाँ तक नये चिकित्सालय भवन के खोलने का सवाल है तो हम 118 भवन स्वीकृत करने वाले हैं उसमें माननीय सदस्य के प्रस्ताव को शामिल कर लेंगे.

श्री विष्णु खत्री-- माननीय अध्यक्ष महोदय, बैरसिया में आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी केवल तीन हैं और उसमें भी कई वर्षों से पद खाली हैं मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि कलारा को तो आप जल्द से जल्द भरे.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा--- जी हाँ अध्यक्ष महोदय.

वन विभाग एवं राजस्व विभाग की सीमाबंधी नहीं होने संबंधी

14. (*क्र. 2941) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा (श्रीमती इमरती देवी) : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है ग्राम खजूरिया चक, खैरोदा चक, ऑक्सी चक, काछीबरखेड़ा, मथाना, जाकलोन, हारूखेड़ी, तहसील मुंगावली, जिला अशोकनगर में वन विभाग तथा राजस्व विभाग की सीमाबंधी नहीं होने से वहां के आदिवासी और दलित को जो तीन पीढ़ियों से वहां काबिज हैं, उनके वन भूमि पर अधिकार-पत्र नहीं मिल रहे हैं? यदि हां, तो इस संबंध में विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है? (ख) उपरोक्त संबंध में एकता परिषद् ने दिनांक 23-12-2013 को जो आवेदन दिया उस पर क्या कार्यवाही हुई?

आदिम जाति कल्याण मंत्री(श्री ज्ञान सिंह)—

क) जी नहीं। ग्राम खजूरिया चक, खैरोदा चक, आक्सी चक, जाखलोन एवं काछीबरखे[illegible] से प्राप्त 226 दावों में से 18 पात्र वन अधिकार पत्र दिये गये, जबकि ग्राम मथाना के 22 एवं हारूखेड़ी 150 दावें कब्जा संबंधी साक्ष्य के अभाव में अमान्य किये गये। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

ख) एकता परिषद् का ज्ञापन दिनांक 23.12.2013 प्राप्त होना नही पाया गया है। उपलब्ध होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा-- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि 226 में से 18 दावे जब स्वीकार हुए हैं और हारूखेड़ी ग्राम में 173 दावों को अमान्य किया गया है. मेरा आप से अनुरोध है कि एकता परिषद् जो कि ट्रायबल्स में काम करने वाला एक कमीटेड एनजीओ है. यह आदिवासी अपने अधिकार के लिए लड़ नहीं सकते तो अगर उन्होंने आपके अधिकारियों को आवेदन दिए तो क्या आपके अधिकारियों ने उनको बुलाकर कन्विंस किया कि वे दावे क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं और पूरे मुंगावली क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में आदिवासी हैं. मुझे टोटल नंबर बताइये कि कितने दावे आदिवासियों ने किए और आपने कितने रिजेक्ट किए क्योंकि यह केन्द्र का एक्ट है और इसमें वन के अधिकारी बिल्कुल उनके लिए सहानुभूति नहीं रखते. वे समझते हैं हमारा एंपायर जा रहा है तो बेचारे आदिवासी, जो सैकड़ों पुश्तों से उन जमीनों पर रह रहे हैं उनके दावे अकारण अमान्य कर रहे हैं और फिर किसी को उत्तर भी नहीं दे रहे हैं, उनको ऑन्सरेबल तो होना चाहिए.

श्री ज्ञान सिंह-- माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य जी ने प्रश्न के माध्यम से जो जानकारी चाही है, अध्यक्ष महोदय, सही साक्ष्य न पाए जाने के कारण, जैसा कि प्रश्न के उत्तर में यह बात स्पष्ट है. मैं उनकी भावनाओं का बहुत आदर करता हूँ कि आदिवासी गरीब, दलित वर्गों से जुड़ा हुआ उनका विषय है. अध्यक्ष महोदय, मैं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, छानबीन की हमारी निरंतर प्रक्रिया जारी है, कोई भी हमारा पात्र आदिवासी भाई जो 2005 से पहले, जो शासकीय वन भूमि पर काबिज है, वह छूटने न पाए, हमारे प्रयास निरंतर जारी हैं. मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करना चाहूँगा कि 23 अन्य जिलों की भाँति 23 और 24 जुलाई को आपके गुना अशोक नगर में, जिला प्रशासन की ओर से इन संबंधित गाँवों में एक टीम जाएगी और वहाँ सबको बुला करके और जो वन समिति के हमारे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष हैं, जो स्थानीय होते हैं और सदस्य अधिकतर जो आदिवासी समुदाय के होते हैं उनके बीच में बैठक लेकर के जिस तरह से अभी हमारे विभाग की ओर से निर्देश हुआ है, छानबीन करके, हमारे विभाग का प्रयास होगा कि ऐसा कोई वंचित परिवार वनाधिकार की भूमि का प्रमाण पत्र पाने से छूट न जाए.

श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा-- अध्यक्ष महोदय, मुझे यह नहीं बताया गया कि मुंगावली में टोटल कितने आवेदन प्राप्त हुए और कितने दावे आपने रिजेक्ट किए और जो आप जा रहे हैं तो गाँव गाँव में जाकर पूछेंगे, क्योंकि आदिवासियों में, अगर आप एक जगह बुला रहे हैं तो उनका प्रचार करना बहुत जरूरी है ताकि सब लोग आकर अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकें और एकता परिषद् जो एक कमीटेड के रूप में आदिवासियों के वकील के रूप में काम कर रही है, क्या इस एकता परिषद् के लोगों को आप बुलाएँगे.

अध्यक्ष महोदय-- क्या एकता परिषद् वालो को बुलाएँगे.

श्री ज्ञान सिंह-- अध्यक्ष जी, समय समय पर एकता परिषद् का जो एक एनजीओ है, अभी कल भी एक कार्यक्रम राजधानी में हुआ, वहाँ भी जाना था लेकिन स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण से

नहीं जा सका. हम उनको भी, हम चाहेंगे कि गरीब तबके के लोगों को, जितनी उनके मन में पीड़ा है, और उनको सहयोग करने को आए, और हम उनको बुलाएँगे, वह रहें और कोई पात्र छूटने न पाए. हम अवश्य आएँगे, और हम संदेश देना चाहते हैं कि कोई भी परिषद् हो, हमारे विभाग की जो नीति-रीति है, उनसे वे वाकिफ हों और गले से गले मिलकर, कदमताल मिला करके सरकारी योजनाओं का, विशेषकर वनाधिकार के पट्टे दिलाने में वे सहयोग कर सकें.

पदोन्नतियों के संबंध में

15. (*क्र. 3665) श्री चम्पालाल देवड़ा : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि आदेश दिनांक 17-7-2009 द्वारा उपायुक्त से अपर संचालक के पद पर पदोन्नतियां की गई हैं जिनमें दिनांक 2-8-2007 से अपर संचालक के पद पर वरिष्ठता भी दी गई है? (ख) क्या यह सही है कि इन्हीं अधिकारियों में से किसी अधिकारी को पूर्व में सहायक आयुक्त के पद से उपायुक्त के पद पर दिनांक 9-1-2007 को पदोन्नति देकर दिनांक 26-10-2002 से वरिष्ठता दी गई थी? (ग) क्या यह सही है कि इन पदोन्नतियों में सम्मिलित तत्कालीन सहायक आयुक्त के विरुद्ध वर्ष 1998 में बस्तर जिले में शिक्षा कर्मी भर्ती में किए गए भ्रष्टाचार/गबन के विरुद्ध एन्टी करप्शन ब्यूरो, जगदलपुर द्वारा अपराध क्र. 111/1998 दर्ज किया गया था जिसमें एल. आई. पी. सी. की धारा क्र. 120(बी) तथा 13(1) डी एवं 13 (बी) प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, 1988 की धारा लगाई गई थी? (घ) यदि हां, तो किन परिस्थितियों में विभाग द्वारा इन्हें उपर्युक्त पदोन्नतियां दी गई हैं? इनके लिये कौन विभागीय अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं, तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) से (ग) जी हां. (घ) नियमानुसार कार्यवाही की गई है. शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है.

श्री चम्पालाल देवड़ा—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के **क** और **ख** में यह स्वीकार किया गया है कि उनके द्वारा उल्लेखित तिथियों में संबंधित अधिकारी को पदोन्नतियां दी गई हैं और **ग** में विभाग द्वारा स्वयं यह स्वीकार किया गया है कि इनके विरुद्ध 721 शिक्षककर्मियों की भर्ती के घोटाले में वर्ष 1998 में एन्टी करप्शन ब्यूरो, जगदलपुर (छत्तीसगढ़) द्वारा धारा 1988 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है.

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूँ कि संबंधित प्रकरण में दिनांक 22.04.2010 को अभियोजन की स्वीकृति दी गई थी तथा सितंबर 2005 में विभाग द्वारा अभिमत दिया गया था, वह अभिमत क्या दिया गया था ? अभियोजन की स्वीकृति की स्थिति में

भी उक्त अधिकारी को पदोन्नति क्यों दी गई इसके लिये कौन अधिकारी दोषी है, इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ?

श्री ज्ञान सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूंगा कि वास्तव में घटना घटित हुई यह सत्य है और उनके मन में जो शंका है उसके बारे में बताना चाहूंगा कि चालान प्रस्तुत हुआ 10.5.2012 को. अभियोजन स्वीकृति पर 21.1.2013 को न्यायालय से विधि विभाग द्वारा अभियोजन स्वीकृत हुआ 22.4.2010 को. 24.2.2007 को वरिष्ठता के आधार पर प्रमोशन दिया गया, अपर संचालक 17.7.2009 को बनाया गया. प्रमोशन वरिष्ठता के आधार पर किया गया था. अपराध पंजीबद्ध होने के बाद में इस तरह की कोई कार्यवाही नहीं की गई है.

श्री चम्पालाल देवड़ा— अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि क्या जो अपराध क्रमांक 111/1988 दर्ज हुआ था उसमें संबंधित अधिकारी को दोषमुक्त कर दिया गया था ? विभाग ने किस नियम के तहत उनको दोषमुक्त किया ?

अध्यक्ष महोदय—मंत्रीजी का कहना है कि जांच के बाद चालान 2012 में प्रस्तुत हुआ उसके पहले उनका प्रमोशन हो गया था.

श्री ज्ञान सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस घटनाक्रम के पूर्व ही 26.10.2002 को और 2.8.2007 को उन्हें प्रमोशन दिया गया था.

श्री चम्पालाल देवड़ा—माननीय अध्यक्ष महोदय, जब मंत्रीजी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि अपराध घटित हुआ है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, प्रकरण दर्ज हुआ है तो ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को फिर पदोन्नति दे देना. एक पदोन्नति तो दी गई उसके बाद फिर एक और पदोन्नति दी गई. आपका संरक्षण चाहूंगा आदिवासियों से जुड़ा हुआ मामला है. क्या ऐसे अधिकारी की जो पदोन्नति की गई है उसे निरस्त करेंगे और निलंबन की कार्यवाही फिर से करेंगे क्या ?

अध्यक्ष महोदय—2007 में पदोन्नति दे दी गई थी और 2010 में प्रासीक्यूशन की अनुमति दी, 2012 में चालान पुट अप हुआ है अर्थात् बहुत पहले प्रमोशन कर दिया गया था, फिर भी मंत्रीजी इसमें कुछ कहना चाहें तो कहें. माननीय मंत्रीजी, सदस्य यह पूछ रहे हैं कि उस अधिकारी को रिवर्ट करेंगे क्या ?

श्री ज्ञान सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, संबंधित अधिकारी के विरुद्ध माननीय न्यायालय में चालान दिनांक 10.5.2012 को प्रस्तुत किया गया है इसके पश्चात् संबंधित अधिकारी को कोई पदोन्नति नहीं दी गई है. इस प्रकार पदोन्नति की कार्यवाही प्रावधान अनुसार की गई. अत: कोई अधिकारी दोषी नहीं है.

श्री रामनिवास रावत:- माननीय अध्यक्ष महोदय, कार्यवाही होने के बाद, उस अधिकारी के खिलाफ चालान प्रस्तुत होने के बाद वह उसी पद पर बना रहेगा। उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं करेंगे। फिर उसेआर्थिक मामलों के काम देते रहेंगे। यह कितनी गंभीर बात है। यह तो भ्रष्टाचार का मामला है। आपने पदोन्नति दे दी यह तो ठीक है।

श्री गौरीशंकर शेजवार :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से रावत जी से निवेदन है कि आप थोड़ा नरम बोला करें और आपके जो एक्शन वगैरह हैं ऐसा लगता है कि घातक हों। आप थोड़े नरम रहें।

अध्यक्ष महोदय:- माननीय मंत्री जी उत्तर दे दें कि चालान प्रस्तुत होने के बाद में क्या कार्यवाही करेंगे।

श्री ज्ञान सिंह :-माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पर उच्चतम न्यायालय का स्थगन है, इस पर हम कोई कार्यवाही नहीं कर सकते हैं।

प्रश्न क्रमांक 16 :-

शालेय खेल दल प्रबंधक की नियुक्ति

16. (*क्र. 3104) श्री अनिल फिरोजिया : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राष्ट्रीय स्तर पर शालेय खेल प्रतियोगिताओं हेतु म. प्र. शालेय दल के खिलाडियों को भेजने हेतु, दल के साथ कितने और कौन अधिकारी जाते हैं? (ख) क्या दल के साथ प्रबंधक नियुक्त किया जाता है? (ग) क्या उसके लिये कोई मापदण्ड निर्धारित है? क्या प्रबंधक नियुक्ति के समय मापदण्डों का पालन किया जाता है? (घ) सत्र, 2011-12 से आज तक कितने प्रबंधकों की नियुक्ति की गई? क्या उनमें निर्धारित मापदण्डों का पालन किया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारसचंद्र जैन) : (क) स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया द्वारा निर्धारित संख्या अनुसार कोच, मैनेजर एवं एक दल प्रमुख भेजा जाता है. (ख) जी हां. (ग) जी हां. जी हां. (घ) 282 प्रबंधकों की नियुक्ति की गई. अपरिहार्य कारणों को छोड़कर मापदण्डों का पालन किया गया. शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

श्री अनिल फिरोजिया :-माननीय अध्यक्ष महोदय,मैं आपके माध्यम से स्कूल शिक्षा मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि राष्ट्रीय स्तर पर शालेश खेल हेतु मध्यप्रदेश शालेय दल के खिला्डियों को भेजने हेतु दल के साथ कितने एवं कौन कौन से अधिकारी जाते हैं और क्या दल के साथ प्रबंधक नियुक्त किया जाता है क्या उनके लिये कोई मापदंड निर्धारित है, क्या उनकी नियुक्ति के समय मापदण्डों का पालन किया जाता है। सत्र 2011-12 से आज तक कितने प्रबंधकों से कितनी नियुक्ति की गयी क्या उनमें निर्धारित मापदण्डों का पालन किया गया है। यदि नहीं तो क्यों ?

अध्यक्ष महोदय:- आपने प्रश्न पढ़ दिया उस पर कोई प्रतिउत्तर नहीं किया है।

श्री अनिल फिरोजिया:- अध्यक्ष महोदय, मेरे पास जो मंत्री जी का उत्तर आया है। उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं, उसमें मंत्री जी ने यह बोला है कि स्कूल गेम फेडरेशन आफ इंडिया द्वारा निर्धारित संख्या अनुसार कोच, मैनेजर एवं एक दल प्रमुख भेजा जाता है। 282 लोगों की नियुक्ति की गयी है, अपरिहार्य कारणों को छोड़कर मापदण्डों का पालन किया गया है। शेंषाग का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। मैं इससे असमत हूं। मैं यह पूछना चाह रहा था कि शैक्षणिक सत्र 2011-12 में मध्यप्रदेश शालेय जिमनाष्टिक दल के प्रमुख दल के रूप में विकासखण्ड जिला शिक्षा अधिकारी को मध्यप्रदेश दल का प्रमुख बनाकर आयुक्त लोक शिक्षण निर्देशानुसार भेजा गया। इसमें मेरा यह कहना है कि मापदण्डों का पालन नहीं होता है और जिन प्रबंधकों को जो भेजा जाता है, उसमें नये जो प्रशिक्षु प्रबंधक हैं उनको भेजा जाता है।

अध्यक्ष महोदय:- उनका यह कहना है कि मापदण्डों का पालन नहीं किया जाता है।

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग (श्री दीपक जोशी):- माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि निर्धारित मापदण्डों का पालन नहीं किया जाता है, बहुत सी बार यह होता है कि जिनको दल प्रमुख का प्रबंधक बनाते हैं। उनको स्वास्थ्य के कारण से या अन्य किसी कारण से छुट्टी मिलती है तो उनके स्थान पर हम हमारे निर्धारित मापदण्ड के अनुसार ही या तो फिर जिले के क्रीड़ा अधिकारी या व्यायाम शिक्षक को इसमें अवश्य सम्मिलित करते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- यह अपरिहार्य कारणों से होता है।

श्री अनिल फिरोजिया :- अध्यक्ष जी मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं । आपका संरक्षण चाहूंगा। क्योंकि मेरे को जो जानकारी मिल रही है, मैं भी एक खिलाड़ी हूं और वर्षों से देखता आ रहा हूं, मेरा इसमें एक स्पेसिफिक प्रश्न यह है कि प्रशिक्षु प्रबंधक होते हैं, उनको भेजा जाता है और भोपाल में अधिकारियों द्वारा सेटिंग की जाती है। 20-20 प्रतिशत बुलाकर लिया जाता है और उनको भेजा जाता है।

अध्यक्ष महोदय :- आप मंत्री जी की जानकारी में ला दीजिये।

श्री अनिल फिरोजिया:- अध्यक्ष महोदय, मैं इसकी जांच करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- आप मंत्री जी की जानकारी में ला दीजिये, उसको देख लेंगे।

गुणवत्ताविहीन निर्माण की शिकायत पर कार्यवाही

17. (*क्र. 3013) श्रीमती ललिता यादव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र छतरपुर में जिला शिक्षा केन्द्र द्वारा वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 में किन-किन स्कूलों में निर्माण कार्य कराये गये? स्कूल का नाम, स्वीकृत एवं व्यय की गई राशि, कार्य की स्थिति पृथक्-पृथक् बतायें? और कार्य किसके द्वारा किया गया? (ख) प्रश्नांश "क" के प्रकाश में निर्माण कार्य गुणवत्ताविहीन होने की कितनी शिकायतें विभाग को प्राप्त हुई? शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई? (ग) क्या यह सही है कि जिला शिक्षा केन्द्र में पदस्थ जिला परियोजना समन्वयक श्री संतोष कुमार शर्मा के खिलाफ प्राप्त शिकायतों पर हटाने के लिये तत्कालीन कलेक्टर श्री राजेश बहुगुणा ने शासन को पत्र भेजा था? और उस पर शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी बताएं?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारसचंद्र जैन) : (क) विधानसभा क्षेत्र छतरपुर में जिला शिक्षा केन्द्र द्वारा वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15 में जिन-जिन स्कूलों में निर्माण कार्य कराये गये हैं, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है. (ख) प्रश्नांश "क" के संदर्भ में निर्माण कार्य गुणवत्ता विहीन होने की कोई भी शिकायत जिला शिक्षा केन्द्र छतरपुर को प्राप्त नहीं हुई है. अतः शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता. (ग) जी हां. प्रकरण में श्री संतोष कुमार शर्मा की सेवाएं मूल विभाग में वापिस किये जाने की कार्यवाही प्रचलित है.

श्रीमती ललिता यादव – माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के ग के उत्तर में बताया गया है कि परियोजना समन्यवक को मूल विभाग में वापसी की कार्यवाही की जा रही है. जब तीन वर्ष से यह कार्यवाही प्रचलन में है तो क्यों न माननीय मंत्री जी आज ही जिला शिक्षा केंद्र के परियोजना समन्वयक संतोष कुमार को वापसी के आदेश करेंगे क्या ?

श्री पारस जैन - माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने 15.7.2014 को इनकी सेवाएं मूल विभाग शिक्षा विभाग को वापस कर दी हैं.

श्रीमती ललिता यादव – माननीय मंत्री जी धन्यवाद. इसके साथ मेरे प्रश्न क के उत्तर में मुझे बताया गया है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में कराए गए निर्माण कार्यों में शिकायते नहीं आई हैं. सैकडों शिकायतें जिला शिक्षा केंद्र छतरपुर पहुंची हैं. आप समझ सकते हैं कि जब जिला के तत्कालीन कलेक्टर ने संतोष कुमार को हटाने के आदेश किये हों तो शिकायतें कौन बताएगा माननीय मंत्री जी मेरा निवेदन है कि किसी भी विभाग से आप निर्माण कार्यों की जांच करा लें.

श्री पारस जैन - माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि सदस्य कोई स्पेसिफिक बात बताते हैं तो हम यहां से मुख्य अभियंता को भेजकर उसकी जांच करवा लेंगे.

प्रा. शाला भवन एवं माध्यमिक शाला भवनों की जानकारी

18. (*क्र. 3576) श्री ओमकार सिंह मरकाम : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र डिण्डोरी में कुल कितने प्रा. शाला एवं मा. शाला संचालित हैं? (ख) प्रश्नांश ''क'' अनुसार विगत दो वर्ष में सभी प्रा. शाला एवं मा. शालाओं के लिये कब-कब भवन बनाया गया? भवन निर्माण का वर्ष, स्वीकृत राशि, निर्माण एजेंसी व्यय राशि वर्तमान में भौतिक स्थिति शालावार बतावें?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारसचंद्र जैन) : (क) विधान सभा क्षेत्र डिण्डोरी में कुल 675 प्राथमिक शाला एवं 195 माध्यमिक शाला संचालित है. (ख) जानकारी †संलग्न परिशिष्ट अनुसार है.

श्री ओमकार सिंह मरकाम - माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि डिण्डौरी जिले में 675 प्राथमिक शाला और 195 माध्यमिक शालाएं हैं. मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इन शालाओं में क्या उपयुक्त आपके भवन हैं ? उन शालाओं में क्या पानी की उपयुक्त व्यवस्था है क्या उन शालाओं में उपयुक्त शौचालय की व्यवस्था है क्या उन शालाओं में आपके उपयुक्त जो मध्याह्न भोजन बनाया जाता है उसका किचन शेड है ?

अध्यक्ष महोदय - आपने इसमें जो पूछा है भौतिक स्थिति का यह परिशिष्ट में है.

श्री ओमकार सिंह मरकाम - माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने हमारे जिले की प्राथमिक शाला और माध्यमिक शालाओं की संख्या बताई है.

अध्यक्ष महोदय - उसका ख देखिये. आपने भौतिक स्थिति पूछी है.

श्री ओमकार सिंह मरकाम - माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने विस्तार से इसलिये कहा कि माननीय मंत्री जी गहराई तक नहीं जाते हैं. वहां प्राथमिक शाला,माध्यमिक शालाओं में बिल्डिंग,पानी की व्यवस्था,शौचालय अनिवार्य है. मंत्री जी के पास जानकारी है तो बताएं अन्यथा न बताएं.

श्री पारस जैन - माननीय अध्यक्ष महोदय,प्राथमिक शाला, माध्यमिक शाला भवन निर्माण की ऐजेंसी ग्राम पंचायत के माध्यम से होती है. इनके पास कोई शिकायत है सामान्य व्यवस्था है जहां व्यवस्थाएं नहीं हैं वहां शासन की स्वीकृति प्राप्त होने पर व्यवस्थाएं की जाती हैं.

अध्यक्ष महोदय - कोई स्पेसिफिक शालाएं हों जहां यह व्यवस्थाएं नहीं हैं तो आप बता दीजिये.

श्री ओमकार सिंह मरकाम - माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का मैं संरक्षण चाहूंगा और आपका सहयोग करने को हम तैयार हैं. डिण्डौरी जिले में डिण्डौरी विधान सभा क्षेत्र में जितनी प्राथमिक,माध्यमिक शालाएं हैं उस पर जो संबंधित जो बी.आर.सी.,बी.ए.सी.,सी.एस.ई. और आपके बी.ओ. और टी.पी.सी. होते हैं क्या आप उन लोगों को समय देकर हमारे साथ सभी स्कूलों का दौरा करेंगे. क्या आपके यो अधिकारी मेरे दौरे के साथ उपलब्ध रहकर कहां-कहां क्या कमी है उसमें क्या कर सकते हैं तो क्या आप उनको यह निर्देश देंगे.

श्री पारस जैन - माननीय अध्यक्ष महोदय, डिण्डौरी कलेक्टर इस ओर विशेष ध्यान देकर उनकी समीक्षा कर रहे हैं और न्यायालय में प्रकरण भी चल रहे हैं और आपकी भावनाओं के हिसाब से हम उन व्यवस्थाओं को बरसात के बाद सब काम हम तुरंत कराने की कोशिश करेंगे.

श्री ओमकार सिंह मरकाम—मेरा एक और प्रश्न है माननीय मंत्री जी आपने कह दिया कि कलेक्टर ध्यान दे रहे हैं मैं आपका साथी भाई हूं विधायक हूं क्या जनप्रतिनिधियों पर लगातार अविश्वास करेंगे.

अध्यक्ष महोदय—यह कोई प्रश्न नहीं है. माननीय सदस्य जी आप सहयोग करें अन्य सदस्यों के प्रश्न भी महत्वपूर्ण हैं.

श्री ओमकार सिंह मरकाम—माननीय अध्यक्ष महोदय, जांच कराने में क्या दिक्कत हो रही है बता दें. यह बी.आर.सी.बी.ए.सी, सी.एस.ई, बी.ओ. और टी.पी.सी होते हैं उनसे जांच नहीं करवा रहे हैं.

अध्यक्ष महोदय—मंत्री जी कह रहे हैं कि समीक्षाएं चल रही हैं. नहीं आपके प्रश्न हो गये हैं स्पेसिफिक हो तो बता दीजिये वह तैयार हैं उसके लिये.

श्री ओमकार सिंह मरकाम—अध्यक्ष महोदय, डिंडोरी में पानी के दिनों में रेस्ट हाऊस के नीचे पानी भरा रहता है आप बरसात के बाद जांच करेंगे तो वहां पर पानी सूख जाता है. आज पानी ही नहीं गिरा था तो किसी गांव में कीचड़ ही नहीं हो रहा था.

श्री ओमकार सिंह मरकाम—माननीय अध्यक्ष महोदय, आप जांच कराने में क्यों डर रहे हैं.

अध्यक्ष महोदय—यह उचित नहीं है वह समीक्षा करवा रहे हैं.

श्री ओमकार सिंह मरकाम—अध्यक्ष महोदय, मेरी उपस्थिति में जांच करवा दें.

अध्यक्ष महोदय, कोई जरूरी नहीं. दूसरे सदस्यों के भी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं यह कोई बात है क्या आपके दो तीन प्रश्न आ चुके हैं.

श्री रामनिवास रावत—अध्यक्ष महोदय, यह जो कह रहे हैं उनके यहां पर जांच कराने में क्या हो रहा है.

अध्यक्ष महोदय—समीक्षा कलेक्टर कर रहे हैं अब उस पर फिर से जांच तो फिर जांच पर जांच, आखिरकार उनको भी तो सहयोग करना चाहिये स्पेसिफिक कुछ बता नहीं रहे हैं. उन्होंने जो प्रश्न पूछा है उसकी जानकारी परिशिष्ट में है.

श्री रामनिवास रावत—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो पर्टीकुलर प्वाईंट पर आवेदन दें.

अध्यक्ष महोदय—मंत्री जी कह रहे हैं कि आवेदन दें स्पेसिफिक बता दें. दो तीन बार मैं भी बोल चुका हूं.

श्री रामनिवास रावत—अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी को लिखकर के दे दें इसकी जांच करवा लेंगे.

अध्यक्ष महोदय—वह लिखकर देने को तैयार नहीं हैं ना. माननीय मंत्री जी यदि माननीय सदस्य कोई स्पेसिफिक बताईयेंगे तो क्या आप उसको दिखवा लेंगे.

श्री पारस जैन—माननीय अध्यक्ष महोदय, बराबर उसको दिखवा लेंगे और उसकी जांच भी करवा देंगे.

अध्यक्ष महोदय—अब तो हो गया आपका जवाब. अब जो माननीय सदस्य बोलेंगे इनका नहीं लिखा जायेगा.

श्री ओमकार सिंह मरकाम—(xxx)

<u>अ. जा./अ.ज.जा. के बेरोजगार व्यक्तियों को शासन द्वारा वाहन उपलब्ध कराया जाना</u>

19. (*क्र. 3583) श्रीमती ऊषा चौधरी : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म. प्र. शासन द्वारा अ. जा./अ. ज. जा. के बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम मर्यादित भोपाल द्वारा वाहन उपलब्ध कराने का प्रावधान है? (ख) यदि हां, तो वर्तमान में विभाग द्वारा इन वर्गों के व्यक्तियों को अनुदान के रूप में कितने प्रतिशत की छूट दी जाती हैं? योजनावार बतायें? क्या उक्त छूट का प्रतिशत पर्याप्त है? (ग) यदि पर्याप्त नहीं है, तो क्या रानी दुर्गावती योजना एवं जिला अन्त्यावसायी योजना द्वारा दिये जाने वाले वाहनों एवं अन्य योजनाओं में 50 प्रतिशत की छूट का प्रावधान शासन स्तर पर विचाराधीन है? (घ) यदि हां, तो क्या इन वर्गों के उत्थान हेतु प्रश्नांश ''ग'' में सुझाये गये 50 प्रतिशत की छूट लागू की जावेगी? यदि हां, तो कब तक? समय-सीमा बताएं?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) जी नहीं. वाहन उपलब्ध कराने का कोई प्रावधान नहीं है. (ख) प्रश्नांश ''क'' के संबंध में प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

(ग) : जी नहीं।

(घ): शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

श्रीमती ऊषा चौधरी—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से ने मेरे प्रश्न के उत्तर में बताया है कि आदिम जाति कल्याण मंत्री द्वारा वाहन उपलब्ध कराने का कोई ऐसा प्रावधान नहीं है. अगर प्रावधान नहीं है तो सतना जिले में रानी दुर्गावत्ती योजना, अंत्यव्यवसायी योजना के तहत कई वाहन अनुसूचित जाति, जनजाति बेरोजगार व्यक्तियों को उपलब्ध हमेशा करवाये गये हैं, लेकिन अंत्यव्यवसायी ने पिछले 10 साल से यह योजना बंद थी 2012-13 में यह योजना चालू हुई, फिर पुनः बंद हो गई. क्या फिर से इनको वाहन उपलब्ध कराएंगे. इसकी छूट की जो व्यवस्था थी 30 प्रतिशत थी मैंने प्रश्न पूछा था कि क्या 50 प्रतिशत की योजना का प्रावधान है क्या.

अध्यक्ष महोदय—क्या फिर से योजना प्रारंभ करेंगे. वैसे उत्तर में साफ आ गया है कि कोई प्रावधान वाहन देने का नहीं है.

श्रीमती ऊषा चौधरी—अध्यक्ष महोदय, गलत उत्तर दिया है.

श्री ज्ञानसिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने अपने प्रश्न के माध्यम से जो जानकारी चाही है यह अलग अलग योजनाओं से संबंधित हैं. रानी दुर्गावत्ती अलग, टंट्या भील अलग और जिसके बारे में जानना चाहती हैं वाहन देने की कोई व्यवस्था नहीं है मुख्यमंत्री आर्थिक विकास योजना के माध्यम से वर्ष 2013-14 से यह योजना लागू है. अधिकतम राशि ऐसे चुने हुए हमारे शिक्षित बेरोजगार 25 लाख अधिकतम अनुदान की राशि 30 हजार 30 लाख इसमें वाहन का प्रावधान नहीं है.

प्रश्न संख्या (20)--

शासकीय उ. मा. वि. गन्धर्वपुरी व हाई स्कूल तालोद के भवन निर्माण बावत्

20. (*क्र. 1586) श्री राजेन्द्र फूलचन्द वर्मा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सोनकच्छ विधान सभा में कितने विद्यालय अन्य संस्थाओं में संचालित है? (ख) क्या शासकीय हाई स्कूल तालोद व शा. उ. मा. वि. गन्धर्वपुरी अन्य संस्थाओं में संचालित हो रहे हैं, तो क्यों विभाग द्वारा उनका भवन निर्माण क्यों नहीं हो पाया है? प्रकरण किस स्तर पर लंबित है, और क्यों लंबित है? उसका निराकरण कब तक हो पायेगा? (ग) शासकीय हाई स्कूल तालोद व शासकीय उ. मा. वि. गन्धर्वपुरी के भवन निर्माण के कोई प्रस्ताव बनाये जायेंगे या नहीं, यदि नहीं तो क्यों नहीं?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारसचंद्र जैन) : (क) सोनकच्छ विधान सभा अंतर्गत कुल 6 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं 8 हाईस्कूल अन्य शासकीय शालाओं के भवन में संचालित है. (ख) जी हां. शासकीय हाई स्कूल तालोद के लिये राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत चार कक्ष स्वीकृत किये गये है, भवन निर्माण बजट उपलब्धता पर निर्भर करेगा. शासकीय उ. मा. वि. गन्धर्वपुरी के लिये वर्ष 2007-08 में राज्य आयोजना मद से भवन स्वीकृत हुआ था, किन्तु भूमि उपलब्ध न होने भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ न होकर लंबित है, कार्य प्रारंभ हेतु समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है. (ग) प्रश्नांश "ख" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी--माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो 2007-08 में बजट स्वीकृत हुआ था, उसके बाद में भी 2 गांव में हाई स्कूल भवन तालोद में और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गन्धर्वपुरी में यहां पर भवन नहीं है, तो क्या माननीय मंत्री जी यहां पर भवन बनवा देंगे ? मतलब 2007-08 में स्वीकृत है, आज तक भवन नहीं बना है, इसलिये मैं चाहता हूं कि भवन की स्वीकृति प्रदान करें.

श्री पारस चन्द्र जैन--माननीय अध्यक्ष महोदय, गन्धर्वपुरी की बात कर रहे हैं, लेकिन वहां जगह ही उपलब्ध नहीं है, मैं विधायक जी से कहना चाहता हूं कि आप भी जगह के लिये कोशिश करें, हमने भी लिखा है कलेक्टर साहब भी उसके लिये कोशिश कर रहे हैं. यदि वहां जगह नहीं है, तो दूसरी जगह ले लें, तो हमारे पास राशि पड़ी है, वहां हम बनवा देंगे.

श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी--नहीं, यदि एक जगह वह भूमि नहीं है, तो दूसरी जगह भी भूमि नहीं है क्या, गन्धर्वपुरी में भी मतलब बनाने का है या तो यह बजट वहां पर स्वीकृत कर दें, तो वहां बन जाये और नहीं तो शासकीय भमि वहां पर है, उस पर अतिक्रमण है उसको हटवा कर बनवा दें.

श्री पारस चन्द्र जैन--माननीय अध्यक्ष महोदय, गन्धर्वपुरी की मैं बात कर रहा हूं, आप देखिये गन्धर्वपुरी में वहां जगह ही नहीं है. या तो जगह यह दिला दें या कलेक्टर साहब ने भी इसमें

कोशिश करी है, जगह मिल जायेगी, तो यह दूसरी जगह यदि प्रस्तावत कर दें, तो हम उस बीच में विचार कर लेंगे, हमको क्या दिक्कत है ?

अध्यक्ष महोदय--अब आ गया आपका, जगह उपलब्ध हो जायेगी, तो कर देंगे. आप कह रहे हैं अतिक्रमण है, तो आप उनको जानकारी दे दीजिये.

श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी--अध्यक्ष महोदय, 2 जगह भवन नहीं है राशि परिवर्तित कर दें.

एक माननीय सदस्य--माननीय अध्यक्ष जी, उस राशि को दूसरे स्थान पर परिवर्तित कर दें एक और हाई स्कूल है.

श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी--राशि परिवर्तित कर दें.

अध्यक्ष महोदय--उस राशि को दूसरी जगह स्थानांतरित करेंगे क्या जगह नहीं होने से यहां नहीं बन पा रहा है ?

श्री पारस चन्द्र जैन--माननीय अध्यक्ष महोदय, यह हमको बता देंगे, तो हम उस पर परीक्षण करा लेंगे और करवा देंगे, हमें क्या दिक्कत है.

अध्यक्ष महोदय--आप बतला दीजिये, परीक्षण करा लेंगे.

प्रश्न संख्या (21)--(अनुपस्थित).

प्रश्न संख्या (22)--....

ब्लेक बोर्ड रंगाई-पुताई कार्य में अनियमितता

22. (*क्र. 1559) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत 5 वर्षों में ब्लेक बोर्ड के रंगाई-पुताई कार्य हेतु जबलपुर संभाग में किस-किस को तथा कितनी राशि के ठेके दिये गये? (ख) क्या यह सही है कि ब्लेक बोर्ड की रंगाई पुताई हेतु अलग-अलग स्कूलों से भी अलग से बिल निकलवा लिये गये? जबलपुर संभाग के जिलेवार स्कूलों के नाम तथा इस हेतु निकाली गयी राशि की स्कूलों के नाम सहित संपूर्ण जानकारी दें? (ग) क्या इस संबंध में लोकायुक्त की कोई जाँच चल रही है? यदि हां तो लोकायुक्त द्वारा विभाग से मांगे गए प्रपत्रों की विस्तृत जानकारी दें?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारसचंद्र जैन) :-

(क) संभाग अतर्गत विभिन्न जिलो में प्रश्नाधीन कार्य कराने वाले शासकीय हाई / हायर सेकेण्ड्री स्कूलो की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट–''एक'' एवं ''दो'' अनुसार है।

(ख) जी नही। शेषांश की जानकारी पुस्तकालय में परिशिष्ट–''एक'' एवं ''दो'' अनुसार है।

(ग) जी हॉं। जानकारी पुस्तकालय में परिशिष्ट–''तीन'' अनुसार है।

सुश्री हिना लिखीराम कावरे--माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न ब्लेक बोर्ड रंगाई-पुताई कार्य में अनियमितता के संबंध में था, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि ब्लेक बोर्ड पर हरा रंग लगवाने के निर्णय के पीछे क्या कोई वैज्ञानिक आधार है, ऐसा करने का निर्णय क्या शासन स्तर पर लिया गया था या विभागीय स्तर पर लिया गया था या एस.एम.डी .सी. के द्वारा लिया गया था तथा कब लिया गया था ?

श्री पारसचन्द्र जैन--माननीय अध्यक्ष महोदय, 22 नंबर का ही प्रश्न है न ?

अध्यक्ष महोदय--हां, 22 नंबर.

श्री पारसचन्द्र जैन--अध्यक्ष महोदय, यह प्रकरण लोकायुक्त में चल रहा है और लोकायुक्त से निर्णय होने के बाद हम इसमें जो भी होगी, कार्यवाही करेंगे अध्यक्ष महोदय.

सुश्री हिना लिखीराम कावरे--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि क्या लोकायुक्त में मामला विभाग ने दिया है या किसी व्यक्त विशेष ने यह मामला लोकायुक्त में दिया है ?

श्री पारसचन्द्र जैन--माननीय अध्यक्ष महोदय, लोकायुक्त में यह प्रकरण गया है. अब लोकायुक्त इसमें जो निर्णय लेगा, हम उसको अमल करेंगे.

अध्यक्ष महोदय--विभाग नहीं देता, व्यक्तियों को ही शिकायत होती है.

श्री पारसचन्द्र जैन--शिकायत के आधार पर ही.

अध्यक्ष महोदय--व्यक्तियों को ही शिकायत होती है, विभाग थोड़ी देता है लोकायुक्त को.

सुश्री हिना लिखीराम कावरे--जी माननीय अध्यक्ष महोदय.

अध्यक्ष महोदय--नहीं, विभाग नहीं देता न, खुद की जांच खुद कैसे करायेगा ?

सुश्री हिना लिखीराम कावरे--माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा अन्त में एक बहुत ही इम्पार्टेंट कोश्चन है. (व्यवधान).

श्री रामनिवास रावत--अध्यक्ष महोदय, असल में करोड़ों के भ्रष्टाचार का मामला है और विभाग की जानकारी में आया है..(व्यवधान).

अध्यक्ष महोदय--नहीं, यह कोई विषय नहीं है. लोकायुक्त में जांच चल रही है, उसमें तो चर्चा होनी ही नहीं चाहिये.

सुश्री हिना लिखीराम कावरे--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मानती हूं कि लोकायुक्त जांच कर रहा है, माननीय मंत्री जी ने जो थोड़ा-बहुत उत्तर दिया है, वह भी क्यों दिया है ? वह सीधे-सीधे मुझे बोल सकते थे कि लोकायुक्त की जांच चल रही है प्रकरण के बारे में हम बाद में बतायेंगे.

अध्यक्ष महोदय--नहीं, अब उन्होंने जितना संभव हो सका, उतना दे दिया, तो कोई गल्ति तो नहीं की. (व्यवधान).

सुश्री हिना लिखीराम कावरे--माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि संभव है, तो मैं माननीय मंत्री जी से एक प्रश्न और पूछना चाहती हूं.

अध्यक्ष महोदय--जितना संभव हुआ, उन्होंने उतना उत्तर दे दिया. अब वह नहीं देते, तो आप कहते टाल रहे हैं.

सुश्री हिना लिखीराम कावरे--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहूंगी.

अध्यक्ष महोदय--नहीं, यह उचित नहीं है. कृपा करके आप बैठें. आप खुद समझ रही हैं अभी यह प्रश्न उचित नहीं है. अब आप बैठें, अन्य माननीय सदस्यों के भी प्रश्न हैं. (व्यवधान).

सुश्री हिना लिखीराम कावरे--माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर आप अनुमति दें तो एक अंतिम प्रश्न मैं पूछना चाहती हूं (व्यवधान).

अध्यक्ष महोदय--आपके प्रश्न का उत्तर आ चुका है वैसे.

सुश्री हिना लिखीराम कावरे--अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न तो सुन लीजिये.

अध्यक्ष महोदय--नहीं, नहीं सुनना आपका प्रश्न. आपके प्रश्न का उत्तर आ चुका है प्रश्न संख्या 23....(व्यवधान).

विधि विभाग द्वारा प्रासीक्यूशन की अनुमति के बावजूद पदोन्नति दी जाना

23. (*क्र. 3892) श्री जालम सिंह पटेल (मुन्ना भैया) : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि मध्यप्रदेश शासन, विधि विभाग द्वारा तत्कालीन सहायक आयुक्त द्वारा शिक्षा कर्मी भर्ती में किए गए भ्रष्टाचार/गबन के विरुद्ध एन्टी करप्शन ब्यूरो जगदलपुर द्वारा दर्ज अपराध क्र. 111/1998 में अपचारी अधिकारी के विरुद्ध दिनांक 27-4-2010 को प्रासीक्यूशन की अनुमति दी गई थी? (ख) क्या यह भी सही है कि आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा इस आपराधिक प्रकरण में नवम्बर 2004 में विधि विभाग को अपना अभिमत भी दिया गया था? (ग) यदि हां, तो आपराधिक प्रकरण लंबित होते हुए तथा विधि विभाग द्वारा प्राक्सीक्यूशन की अनुमति की स्थिति होते हुए भी अपचारी सहायक आयुक्त को उपायुक्त एवं अपर संचालक के पद पर पदोन्नतियां देने हेतु शासन एवं लोक सेवा आयोग से तथ्यों को छिपाते हुए पदोन्नति दिए जाने हेतु विभाग के कौन अधिकारी दोषी हैं तथा इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जावेंगी?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) जी नहीं. दिनांक 22-4-2010 को अभियोजन स्वीकृति दी गयी थी. (ख) जी नहीं. सितम्बर 2005 में विभाग द्वारा अभिमत दिया गया था. (ग) कार्यवाही नियमानुसार की गयी है. प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

..(व्यवधान)..

श्री जालम सिंह पटेल -- (व्यवधान के मध्य) ..अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ के सभी अधिकारी निलंबित हो चुके हैं. तो क्या संबंधित अधिकारी को भी निलंबित किया जायेगा. ..

अध्यक्ष महोदय -- वैसे आपके प्रश्न का उत्तर आ चुका है.

सुश्री हिना लिखीराम कावरे -- अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न तो सुन लीजिये.

अध्यक्ष महोदय -- नहीं सुनना है आपका प्रश्न. जालम सिंह जी, आपके प्रश्न का उत्तर आ चुका है प्रश्न संख्या 15 में.

..(व्यवधान)..

श्री जालम सिंह पटेल -- बाकी अधिकारी निलंबित हो चुके हैं. सिर्फ यह अधिकारी बचा है. इसको क्या निलंबित किया जायेगा.

..(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय -- प्रश्नकाल समाप्त.

(प्रश्नकाल समाप्त)

..(व्यवधान)..

श्री रामनिवास रावत (विजयपुर)-- अध्यक्ष महोदय, व्यापम की पुस्तक में विधान सभा के कागज किस तरह से पहुंचे. मैंने इस पर विशेषाधकार भंग की सूचना दी है, कृपया इस पर चर्चा कराई जाय. इसको चर्चा के लिये लिया जाय. मैंने विशेषाधिकार भंग की सूचना दी है.

संसदीय कार्य मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्रा) -- अध्यक्ष महोदय, यह अध्यक्ष के विशेषाधिकार के खिलाफ है. क्या इस तरह से कोई सूचना सदस्य विशेषाधिकार भंग की दे सकता है.

श्री रामनिवास रावत -- अध्यक्ष महोदय, यह अध्यक्ष के विशेषाधिकार के विरुद्ध नहीं है.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा -- अध्यक्ष महोदय, जो आपके क्षेत्राधिकार में आता हो, उसके संबंध में क्या इस तरह से कभी कोई सूचना दी जा सकती है.

श्री रामनिवास रावत -- अध्यक्ष महोदय, हां बिलकुल दी जा सकती है. पहले भी दी गयी हैं.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा -- मैं अध्यक्ष जी से पूछ रहा हूं.

श्री रामनिवास रावत -- अध्यक्ष महोदय, और विशेषाधिकार समितियों ने इस पर व्यापक विचार भी किया है और प्रतिवेदन भी आये हैं.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा -- अध्यक्ष महोदय, आज तक पहले कभी नहीं दी गयी है और न कभी विचार हुआ है और न कभी प्रतिवेदन आया है इस तरह का.

श्री रामनिवास रावत -- अध्यक्ष महोदय, हमने सूचना दी है.

अध्यक्ष महोदय -- आपने जो सूचना दी है, वह मेरे पास है. मै उसका परीक्षण कर रहा हूं और परीक्षणोपरांत उस पर व्यवस्था दूंगा.

श्री रामनिवास रावत -- अध्यक्ष महोदय, उस पर चर्चा कराई जाय.

अध्यक्ष महोदय -- चर्चा नहीं करायेंगे.

श्री रामनिवास रावत -- अध्यक्ष महोदय, इससे पहले दो विशेषाधिकार भंग की सूचननायें आई हैं. आपने चर्चा के लिये ग्राह्य कीं. हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि हमने स्थगन दिया, आपने स्थगन ग्राह्य नहीं किया. कह दिया कि इन नियमों के तहत है. इसी विधान सभा में पुस्तक के प्रकाशन पर स्थगन आया है और यही लोग लेकर आये हैं. यह मैं तारीख भी बता दूं 25.11.2002 को. .

डॉ. नरोत्तम मिश्रा -- अध्यक्ष महोदय, हमें भी सुन लें यह 25.11.2002 पर.

श्री रामनिवास रावत -- अध्यक्ष महोदय, और आप भी उसमें स्थगनकर्ता थे.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा -- अध्यक्ष महोदय, एक मिनट मुझे भी सुन लें. हमारे पक्ष को सुन लें.

श्री रामनिवास रावत -- अध्यक्ष महोदय,हमने विशेषाधिकार भंग की सूचना दी है. नियम प्रक्रिया के तहत दी है.

अध्यक्ष महोदय -- आप बैठ जाइये, उनकी सुन लीजिये.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा -- अध्यक्ष महोदय, इन्होंने नवम्बर,2002 का...

श्री रामनिवास रावत -- अध्यक्ष महोदय, मैं विशेषाधिकार भंग की सूचनना की बात कर रहा हूं.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा -- अध्यक्ष महोदय, आपने उल्लेख किया है, उसकी बात मैं कह रहा हूं.

श्री रामनिवास रावत -- अध्यक्ष महोदय, उल्लेख किया है, वह तो ग्राह्य नहीं किया आपने.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा -- रावत जी, आप कह दीजिये कि मैंने गलत कहा है, मैं नहीं बोलूंगा. आप बोल दीजिये. यह जो नवम्बर 2002 का स्थगन है, वह स्थगन मेरे हाथ में है और यह स्थगन वह है, जिसके कार्यक्रम का आयोजन उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री जी ने कराया था. वह भगवान राम, सीता, और कृष्ण के अपमानजनक कृत्य के थे. उसमें सरकार की ओर से 10 लाख रुपये खर्च किये गय थे. यह अकारण जिस विषय पर स्थगन में चर्चा हो चुकी है व्यापम की, उस विषय को अकारण को , उस विषय का कोई औचित्य नहीं है, उस विषय पर बार बार चर्चा करके सदन के समय को जाया कर रहे हैं.

श्री रामनिवास रावत -- अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात कर रहा हूं कि पुस्तक मुख्यमंत्री जी के सामने बंटी है. ..

अध्यक्ष महोदय -- आप इसको देख लें. यह आपका मेरे सामने रखा है. इसी का मैं हवाला दे रहा हूं आपको.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा -- अध्यक्ष महोदय, प्रदेश की जनता का राजनैतिक उपयोग किया जा रहा है. (कागज दिखाते हुए) मेरे पास सारे के सारे उद्धरण हैं. ..

अध्यक्ष महोदय -- मंत्री जी, एक मिनट आप बैठ जायें. अभी इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है.

परिवहन मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह) -- अध्यक्ष जी, विपक्ष के पास इसके अलावा कोई काम नहीं है. आज प्रदेश में कई काम हैं, बस हर दिन एक टॉपिक पर खड़े हो जाते हैं और सदन को नहीं चलने देना चाहते हैं. आज प्रदेश में सूखा पड़ा हुआ है, अवर्षा की स्थिति है, उस पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं.

..(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय -- आप कृपया करके बैठ जायें. मेरी व्यवस्था सुन लें.

....व्यवधान....

अध्यक्ष महोदय -- कृपा करके आप मेरी बात सुन लें. अभी वह विषय नहीं है सामने, विषय दूसरा है. आप कृपा करके बैठ जायें. आपसे अनुरोध है कि आपका विशेषाधिकार कृपा करके आप देख लें 271(1)..

श्री आरिफ अकील -- अध्यक्ष जी पढ़ दीजिये.

अध्यक्ष महोदय-- इन्होंने जो लिखा है उसकी एक लाइन पढ़ रहा हूं. इन्होंने जो लिखा है. (श्री आरिफ अकील के खड़े होने पर) आप नियम और प्रक्रिया की किताब को उठी लीजिये, एक मिनिट में समझ में आ जायेगा. विधानसभा नियम प्रक्रिया के 271(क) का भी इसमें उल्लेख किया गया है कि इसका उल्लंघन है. आपने यह लिखा है.

श्री रामनिवास रावत- जी हां.

अध्यक्ष महोदय-- यह मेरे क्षेत्राधिकार का मामला है. चूंकि यह मेरे क्षेत्राधिकार का मामला है क्योंकि आपने नियम प्रक्रिया 271(क) का आधार लिया है तो इस पर क्या आप मुझे परीक्षण नहीं कराने देंगे. और अभी चर्चा करायेंगे. जब आपने मेरे क्षेत्राधिकार का मामला उठाया है उसमें तो क्या मुझको उसका परीक्षण करने का, विचार करने का अवसर नहीं देंगे.

....व्यवधान....

डॉ. नरोत्तम मिश्रा -- अध्यक्ष महोदय, यह किसान की चिंता नहीं कर रहे हैं. किताब लेकर के आ गये.

राज्य मंत्री, संसदीय कार्य (श्री लाल सिंह आर्य)-- अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश में अवर्षा की स्थिति है किसानों में हा हा कार मचा हुआ है, विपक्ष उस पर चर्चा करने को तैयार नहीं है, रोज रोज नया मामला लेकर के आ जाते हैं.

....व्यवधान....

परिवहन मंत्री(श्री भूपेन्द्र सिंह)-- (xx).

....व्यवधान....

नेता प्रतिपक्ष(श्री सत्यदेव कटारे) -- मैं अपनी बात कहना चाहता हूं. (अध्यक्ष द्वारा अनुमति देने पर) पहले आप मंत्रियों को तो शांत करें. तब मैं अपनी बात कहूं.

श्री भूपेन्द्र सिंह -- क्या इस तरह से विधानसभा चलायेंगे, विकास की बात नहीं, किसान परेशान है, इनको विकास से मतलब नहीं है. (xx).

...व्यवधान...

डॉ. नरोत्तम मिश्रा - अध्यक्ष महोदय, विपक्ष ने हाउस की क्या स्थिति कर दी है.

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्य श्री सुंदरलाल तिवारी यह कहते हुये गर्भगृह मे आ गये कि विपक्ष के लोगों के माइक बंद कर दिये गये हैं)

....व्यवधान....

अध्यक्ष महोदय-- माइक सब जगह के चालू हैं. तिवारी जी कृपया अपने स्थान पर जाये और अपनी बात कहें.

(माननीय अध्यक्ष महोदय की समझाईश पर सदस्य श्री सुंदरलाल तिवारी वापस अपने स्थान पर गये)

(xx) : विलोपित

श्री भूपेन्द्र सिंह -- बार बार तिवारी जी गर्भ गृह में आ जाते हैं. तिवारी जी का रवैया ठीक नहीं है.

...व्यवधान...

डॉ. नरोत्तम मिश्रा -- विकास पर कोई बात नहीं, व्यापम की एक किताब को लेकर के रोज खड़े हो जाते हैं.

अध्यक्ष महोदय-- मेरा दोनों तरफ के सदस्यों के यह अनुरोध है कि कृपया व्यवस्था बनाये रखें. दोनों तरफ के सदस्यों से मेरा अनुरोध है.

....व्यवधान....

श्री लाल सिंह आर्य -- अध्यक्ष महोदय, आपके आदेशों का उल्लंघन कर रहे हैं.

अध्यक्ष महोदय-- मेरा सभी से यह अनुरोध है कि मैंने इस पर अपनी बात कह दी है कि इस पर उचित समय पर अपनी व्यवस्था बाद में दूंगा और इस पर अब कोई प्रश्न उठाने का कोई विषय नहीं उठता है. चूंकि आपने नियम प्रक्रियाओं का हवाला दिया है तो इसका परीक्षण कराना आवश्यक है.

श्री भूपेन्द्र सिंह -- न किसान की समस्या पर बात करना चाहते, न विकास पर बात करना चाहते है, इतना गैर जिम्मेदाराना विपक्ष आज तक विधानसभा में हमने नहीं देखा है.

....व्यवधान....

श्री लाल सिंह आर्य -- विधानसभा में विकास की बात नहीं करना चाहते केवल विधान सभा का समय खराब करने के लिये आते हैं.

श्री सत्यदेव कटारे-- आप इन मंत्रियों को बैठायें तो मैं अपनी बात कहूं.

अध्यक्ष महोदय-- आपके यहां से भी तो सब लोग खड़े हैं.सभी बैठ जायें नेता प्रतिपक्ष को बोलने दें.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा -- अध्यक्ष जी फिर हमको भी सुन लें.

अध्यक्ष महोदय-- आपके (नेता प्रतिपक्ष) बोलने के बाद में संसदीय कार्य मंत्री बोलेंगे.

श्री सत्यदेव कटारे -- तो उनकी व्याख्या हम पहले सुन लें. मैं बाद में बोल लूंगा.

अध्यक्ष महोदय-- आप बोलिये .

श्री सत्यदेव कटारे -- पहले आप संसदीय कार्य़ मंत्री को सुन लें.

अध्यक्ष महोदय-- मैंने जो बात कही, उसके बाद आप बोलने के लिये खड़े हुये थे, उनकी कहां से बात आ गई. मैंने जो आपसे कहा आप उस पर बोलने के लिये खड़े हुये थे कि चूंकि नियम प्रक्रिया का आपने हवाला दिया और इसलिये यह अब मेरे क्षेत्राधिकार से संबंधित हो गया है और इसलिये इस पर अब व्यवस्था परीक्षणोपरान्त दी जायेगी. इस पर कोई आपत्ति हो तो बतायें वैसे तो इस व्यवस्था पर आपत्ती दी नहीं जाती, इसलिये कृपा करके अपनी बात मर्यादाओं में सीमित शब्दों में कहें.

श्री सत्यदेव कटारे-- अध्यक्ष महोदय, हम अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं. सबमीशन दे सकते हैं. हम व्यवस्था पर आपत्ति व्यक्त नहीं कर रहे हैं. अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह था कि सामान्यतौर पर जो परम्परा रही है और पिछले दो विशेषाधिकारों में मैं देख चुका हूं. जब कोई विशेषाधिकार आता है. आप उसको सदन के समक्ष रखते हैं. सदन की उस पर राय लेते हैं. हमारे

दल के सदस्यों की भी यही इच्छा है, यही निवेदन है कि आप सदन के सामने रख दें और सदन की राय ले लें. उसके बाद जो परीक्षण करना है आप करते रहिये.

अध्यक्ष महोदय-- ठीक है. आपकी बात आ गई. लेकिन मैंने जो कहा उसका उत्तर आपने नहीं दिया. (व्यवधान)

श्री रामनिवास रावत-- अध्यक्ष महोदय,मेरा भी निवेदन सुन लें. विशेषाधिकार भंग की सूचना मैंने दी है. मैं आपकी व्यवस्था नकार नहीं रहा हूं. लेकिन मेरा भी निवेदन सुन लें.

अध्यक्ष महोदय--आपकी बात पहले सुन ली थी और आपकी बात पर मैंने अपनी बात कह दी थी कि उस पर विचार कर लेंगे. शून्यकाल की सूचनाएं.

श्री रामनिवास रावत-- अध्यक्ष महोदय, मेरा भी निवेदन सुन लें. मैंने यह पत्र भी लगाये हैं. मैंने यह कहा है कि सभा के किसी भी....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :-

शून्यकाल

नियम 267-क के अधीन लम्बित सूचनाओं में से २० सूचनाएं नियम 267-क (2) को शिथिल कर आज सदन में लिये जाने की अनुज्ञा मैने प्रदान की है यह सूचनाएं संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेंगी. इन सभी सूचनाओं को उत्तर के लिये संबंधित विभागों को भेजा जाएगा.

मैं समझता हूं सदन इससे सहमत है.

अब में सूचना देने वाले सदस्यों के नाम पुकारूंगा.

क्रं.	सदस्य का
1	श्री सोहनलाल बाल्मीक
2	श्री रामनिवास रावत
3	श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार
4	श्री कमलेश्वर पटेल
5	श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल
6	श्री सूबेदार सिंह रजौधा
7	श्री ओंकार सिंह मरकाम
8	श्रीमती शीला त्यागी
9	डॉ. गोविंद सिंह
10	श्री उमंग सिंघार
11	श्री दुर्गालाल विजय
12	श्री नीलेश अवस्थी
13	श्री ओमप्रकाश धुर्वे
14	श्री कैलाश चावला
15	श्री अनिल फिरोजिया
16	श्री निशंक कुमार जैन
17	श्री सत्यप्रकाश सखवार
18	श्री संजय शाह मकड़ाई
19	श्री सुखेन्द्र सिंह बन्ना
20	श्री सुन्दरलाल तिवारी

बहिर्गमन

(श्री रामनिवास रावत, सदस्य द्वारा प्रेषित कथित विशेषाधिकार भंग की सूचना पर चर्चा न कराये जाने के विरोध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया.)

ध्यान आकर्षण

अध्यक्ष महोदय:- आज की कार्यसूची में 12 ध्यान आकर्षण सूचनाओं को उनके विषय की गंभीरता और महत्व को देखते हुये सम्मिलित किया गया है। विधान सभा नियमावली के नियम 138 (3) को शिथिल करके यह प्रक्रिया निर्धारित की गई है कि इनमें से क्रमश: प्रथम 4 ध्यान आकर्षण सूचनाओं को संबंधित सदस्यों के द्वारा सदन में पढ़ी जाने के पश्चात् संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जावेगा तथा उनके संबंध में सदस्यों द्वारा नियमानुसार प्रश्न पूछे जा सकेंगे। उसके बाद ही अन्य सूचनाओं के संबंध में प्रक्रिया यह होगी कि वे सूचनाएं सभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेंगी तथा उनके संबंध में लिखित वक्तव्य संबंधित मंत्री द्वारा पटल पर रखा माना जावेगा। लिखित वक्तव्य की एक-एक प्रति सूचना देने वाले सदस्यों को दी जावेगी। उपस्थित सदस्यों की सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्री का वक्तव्य कार्यवाही में मुद्रित किया जावेगा।

मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत है।

पहले क्रमांक- (1) से (4) तक की सूचनाएं ली जावेंगी।

सदन ने सहमति प्रदान की.

पं.रमेश दुबे-- अध्यक्ष महोदय, मैंने एक ध्यानाकर्षण दिया है. मेरे क्षेत्र में खाद की काफी कमी है. निवेदन है कि मेरा ध्यानाकर्षण लिया जाये. पूरे क्षेत्र में लंबे समय से खाद की कमी है. (व्यवधान)

श्री सुन्दर लाल तिवारी-- अध्यक्ष महोदय, एक ध्यानाकर्षण हमने भी दिया था. (व्यवधान)

श्री आरिफ अकील-- अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन सुन लें.

अध्यक्ष महोदय-- ध्यानाकर्षण प्रारंभ हो गया है. अब कोई निवेदन नहीं होगा.

पं रमेश दुबे-- अध्यक्ष महोदय, पूरे क्षेत्र में खाद की बहुत कमी है. किसान परेशान है.

अध्यक्ष महोदय-- शून्यकाल समाप्त हो गया है. अब कोई विषय नहीं आयेगा. कार्यवाही आगे बढ़ गई है.

श्री आरिफ अकील-- अध्यक्ष महोदय, मेरी बात सुन तो लीजिए.

अध्यक्ष महोदय-- आप कक्ष में आकर बात कर लीजिए.

श्री आरिफ अकील-- मैं कक्ष में नहीं आऊंगा.

अध्यक्ष महोदय-- आप कक्ष में मत आईये. जो आपने कहा है मैं उसको देख लूंगा.

श्री आरिफ अकील-- अभी देख लीजिए.

अध्यक्ष महोदय-- नहीं अभी नहीं देखेंगे.(व्यवधान) जिनको पुकारा है उनकी बात सुनेंगे. (व्यवधान) बीच में कुछ भी करेंगे.यह कोई बात है? जब चाहे तब कोई बोले. प्रतिपक्ष के नेताजी, बीच में जब चाहे तब सुन लें ! ध्यानाकर्षण प्रारंभ हो गया है.

श्री आरिफ अकील-- ध्यानाकर्षण की ही बात कर रहे हैं.

अध्यक्ष महोदय-- आपका ध्यानाकर्षण नहीं है.

श्री सत्यदेव कटारे-- अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य यह कहना चाह रहे हैं कि आपने चार ध्यानाकर्षण के लिए नियम शिथिल किये हैं तो नियम शिथिल करके पांचवां ध्यानाकर्षण भी ले लें,

यह निवेदन है. आप उनको सुन लेते और उसके बाद आप अपनी व्यवस्था दे देते. आरिफ अकील जी का निवेदन है कि जब 4 ध्यानाकर्षण के लिए नियम शिथिल किये हैं तो और दो ध्यानाकर्षण के लिए नियम शिथिल कर लेते

अध्यक्ष महोदय-- पहले चार ध्यानाकर्षण होने दीजिए. जो नियम शिथिल हो गया है उसके बाद देखेंगे. (व्यवधान)

श्री सत्यदेव कटारे-- उनका वही आपत्ति है.

अध्यक्ष महोदय-- वे बोलते कम हैं, लड़ते ज्यादा हैं. श्री केदारनाथ शुक्ल अपना ध्यानाकर्षण की सूचना पढ़ें.

श्री रामनिवास रावत-- अध्यक्ष महोदय, तिवारी जी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है. वह सुन लें.

श्री केदारनाथ शुक्ल(सीधी)--

अध्यक्ष महोदय,

मेरी ध्यान आकर्षण की सूचना का विषय इस प्रकार है:-

सीधी पुलिस द्वारा आए-दिन निर्दोश नागरिकों के साथ मार-पीट पुलिस अधीक्षक के संरक्षण में की जाती है । दिनांक 15 जुलाई को सीधी नगर के कॉलेज के पास सेमरिया तरफ से सीधी आ रही मैजिक के ड्रायवर/मालिक नारायण पांडे को अवैध वसूली हेतु पुलिस के 4-5 सिपाहियों ने रोका, मैजिक गाड़ी को किनारे लगाकर रोकते ही उसके ऊपर पुलिस के लोग टूट पडे और पीटते हुए घायल कर दिया तथा पकड़कर ट्रेफिक थाने ले गए । ट्रेफिक इंचार्ज ने उसे देखते ही पुनः पीटना शुरू कर दिया और उसके भाई को भी जो खबर पाकर वहां आया था, पीटा । बुरी तरह से घायल की ओर से जब परिजनों ने रिपोर्ट लिखानी चाही तो रिपोर्ट नहीं लिखी गई माइक-1 (एस.पी.सीधी) ने नारायण पांडे पर उल्टा मुकदमा कायम करने का आदेश दिया है । नारायण पांडे अस्पताल में भर्ती है उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई उल्टा उसे ही मुलजिम बना दिया गया है । सीधी पुलिस आए दिन पुलिस अधीक्षक के संरक्षण में अवैध एवं अनियमित रूप से लोगों को हिरासत में लेकर वसूली, मारपीट तथा मानमानी करती है । इससे जनता में आक्रोश व्याप्त है.

श्री आरिफ अकील - मेरे शहर के लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है. जब 4 ध्यान आकर्षण का जवाब बुला रहे हैं तो 5 का भी आ जाने दीजिए.

श्री सुंदरलाल तिवारी - मेरा व्यवस्था का प्रश्न है.

अध्यक्ष महोदय - विभागों को इसके लिए सूचित किया जाता है, पहले 4 ध्यान आकर्षण के बारे में ही सूचित किया गया है, इसलिए अब कैसे ध्यान आकर्षण उठाएंगे? आपका उत्तर आ जाएगा.

श्री रामनिवास रावत - अगली दिनांक को ले लें.

श्री आरिफ अकील - सोमवार को इसको चर्चा के लिए ले लें.

अध्यक्ष महोदय - अब यहां कुछ नहीं होगा.

श्री आरिफ अकील - मैं वहां आऊंगा नहीं, आप कुछ भी कहो मैं वहां नहीं आने वाला.

श्री सुंदरलाल तिवारी - मेरा व्यवस्था का प्रश्न है.

अध्यक्ष महोदय - अब बीच में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है. ध्यान आकर्षण प्रारंभ हो गया है.

श्री सुंदरलाल तिवारी - ध्यान आकर्षण के संबंध में ही निवेदन करना चाहता हूं.

अध्यक्ष महोदय - क्या प्रक्रिया चल रही है, जिस पर आप व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं?

श्री सुंदरलाल तिवारी - अध्यक्ष महोदय, नियम 56 के संबंध में है.

अध्यक्ष महोदय - माननीय मंत्री जी, अपना जवाब पढ़े. (व्यवधान)..उनकी बात आ गई है वे चाहते हैं कि पांचवें नम्बर का ध्यान आकर्षण लिया जाय, वह संभव नहीं है.

श्री आरिफ अकील - आप सोमवार को ले लेना.

अध्यक्ष महोदय - अगले के लिए बाद में बात कर लेंगे.

श्री सत्यदेव कटारे - उनके रोजा है, उनका गला बैठा हुआ है, वैसे ही उनसे बोला नहीं जा रहा है.

अध्यक्ष महोदय - उनका गला कभी बैठता ही नहीं है.

श्री सत्यदेव कटारे - अध्यक्ष महोदय, उनकी बात को आप थोड़ा मान लें. आपने 4 ध्यान आकर्षण के लिए नियम शिथिल किये, आप उदार आदमी हैं आप पांचवें के लिए भी शिथिल कर देते. आप कर देते हैं, आपको अधिकार है.

श्री रामनिवास रावत - इसलिए आप कृपा करें.

अध्यक्ष महोदय - आप आ जाएंगे कक्ष में और इस बारे में बात कर लेंगे.

श्री सत्यदेव कटारे- इसके बाद आप ले लें.

अध्यक्ष महोदय - नहीं, इसके बाद नहीं. आप बात कर लीजिए कक्ष में, आपको तो आने में एतराज नहीं है?

श्री सत्यदेव कटारे - नहीं, किसी को एतराज नहीं है.

श्री रामनिवास रावत - मैं तो आ जाऊंगा.

अध्यक्ष महोदय - ठीक है. माननीय मंत्री जी..(व्यवधान)..

श्री सुंदरलाल तिवारी - नियम 56 का मैंने उल्लेख किया है..

अध्यक्ष महोदय - आप बैठ जाएं, ध्यान आकर्षण चल रहा है.

(व्यवधान)..

श्री आरिफ अकील –(xx) , पिछली बार आपने ज्यादा ध्यान आकर्षण लिये थे, इस बार कैलाश भाई के कहने से, जबकि आप 5 ध्यान आकर्षण ले सकते थे, आपने 4 ध्यान आकर्षण लिये,(xx).

अध्यक्ष महोदय - इसे विलोपित करें. यह बिल्कुल उचित नहीं है. (व्यवधान)..आपके सारे विषय लिये जाते हैं, सभी सदस्यों के महत्वपूर्ण विषय लिये जाते हैं.

श्री कैलाश विजयवर्गीय - अध्यक्ष महोदय, यह घोर आपत्तिजनक है. इस प्रकार आसंदी पर आरोप लगाना यह संसदीय परम्परा नहीं है. आप माननीय सदस्य को प्रताड़ित कीजिए.

(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय - यह उचित नहीं है, आप कृपया करके बैठ जाएं.

श्री कैलाश विजयवर्गीय - अध्यक्ष महोदय, यह आसंदी पर आरोप है.

अध्यक्ष महोदय - उनकी आदत है, कोई दिक्कत नहीं है.

(व्यवधान)..

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया - यह आसंदी का अपमान है, उनका यह आरोप निराधार है.

(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय - आप लोग ध्यान आकर्षण चलने देना चाहते हैं कि नहीं?

श्री सुंदरलाल तिवारी - अध्यक्ष महोदय, चलने देना चाहते हैं.

अध्यक्ष महोदय - चलने देना चाहते हैं तो सारी बात उनकी कर ली. आपने व्यवस्था का प्रश्न उठा लिया तो आप लोग चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, आपके सदस्य मार्को जी का भी अगला ध्यान आकर्षण है.

श्री आरिफ अकील –(xx).

अध्यक्ष महोदय -(नेता प्रतिपक्ष श्री सत्यदेव कटारे एवं सदस्य श्री रामनिवास रावत की ओर देखते हुए) आपसे कहा है कि उनके बारे में आप कक्ष में बात कर लें, माननीय नेता जी और आपसे अनुरोध है कि उनको समझाएं.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया - ऐसे तो मेरा ध्यान आकर्षण भी छठवें नम्बर पर है.

(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय - आप वहीं आइए, वहीं बात करेंगे. यहां निवेदन कर लीजिए वहां बात कर लेंगे. अब आप कृपा करके बैठ जाएं. आपकी बात सब आ गई, आपने जो कुछ कहना था वह कह लिया.

श्री आरिफ अकील -मैंने कहा कि आप व्यवस्था दो (व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय - नहीं, आप कोई जबर्दस्ती नहीं कर सकते. आप बैठ जाइए. श्री आरिफ अकील जो कुछ बोलेंगे वह लिखा नहीं जाएगा.

श्री आरिफ अकील - (XXX)

श्री रामनिवास रावत - माननीय सदस्य के रोजे चल रहे हैं.

अध्यक्ष महोदय - रोजे चल रहे हैं, इसलिए मैं ज्यादा जोर से नहीं बोल रहा हूं. माननीय मंत्री जी कृपया अपना उत्तर पढ़ें. इसलिए मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूं, उनके रोजे चल रहे हैं, इसलिए विनम्रता से अनुरोध कर रहा हूं.

श्री आरिफ अकील - (XXX)

अध्यक्ष महोदय - बिल्कुल नहीं दबाया जा रहा है.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा - विपक्षी सदस्यों का आप ध्यान आकर्षण लेते हैं, आप अगर नहीं लें तो नाजायज फायदा है और ले लेते हैं तो कोई आपत्ति नहीं है. (व्यवधान)..यह किस तरह का बड़ा आपत्तिजनक आचरण है?

(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय - अब उन पर नियंत्रण कौन करे? वे किसी के नियंत्रण में नहीं हैं. वे उनके दल के नेता के नियंत्रण में नहीं हैं.

(XXX) आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया.

श्री बाबूलाल गौर- अध्यक्ष महोदय., (व्यवघान)

प्राप्त जानकारी के अनुसार स्कूलों द्वारा संचालित वाहनों में ओव्हर लोडिंग के संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर के आदेशानुसार सीधी पुलिस द्वारा पहले स्कूल संचालकों की मीटिंग लेकर समझाइस दी गई । तत्पश्चात स्कूलों में लगे ओव्हर लोडेड सवारी वाहनों पर कार्यवाही प्रारंभ की गई । इसी दौरान दिनांक 15.07.2014 को करीब 12 बजे दिन को मैजिक वाहन नम्वर एम.पी.53–टी.ए.0533 का चालक नारायण पाण्डेय वाहन में 14–15 लोगों को बैठाकर काफी तेज गति से वाहन चलाकर लाया जिसे ड्यूटी पर तैनात वर्दीधारी पुलिस कर्मियों द्वारा हाथ दिखाकर रोकने का प्रयास करने पर उसने वाहन नहीं रोका और वाहन को ओव्हर टेक कर भगा ले गया तथा आगे जाकर यात्रियों से भरे आटो क्रमांक एम.पी.53–आर.0194 को जोर से टक्कर मार दी जिससे आटो क्षतिग्रस्त हो गया और यात्रियों की जान जोखिम में पड़ गई । इसके पश्चात नारायण पाण्डेय अपना मैजिक वाहन लेकर भागा जिसे मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने दौड़ कर पकड़ा। इसी क्रम में नारायण पाण्डेय के साथ मारपीट की घटना हुई ।

इस संबंध में मैजिक चालक नारायण पाण्डेय द्वारा पुलिस अधीक्षक सीधी के समक्ष मारपीट की मौखिक शिकायत करने पर उसका मेडीकल परीक्षण कराया गया । नारायण पाण्डेय के साथ मारपीट करने वाले पुलिस कर्मियों आरक्षक 29 मधुराज सिंह यातायात सीधी, नव आरक्षक 448 संजीव चन्देल, नव आरक्षक 208 नवीन द्विवेदी, नव आरक्षक 118 हेमन्त जाधव को दिनांक 15.07.2014 को ही तत्काल प्रभाव से निलंबित कर घटना की जांच श्री आर.एम.त्रिपाठी उप पुलिस अधीक्षक सीधी को सौंपी गई है ।

आटो क्रमांक एम.पी.53–आर.0194 के चालक अशोक कुमार चौबे के द्वारा थाना कोतवाली सीधी में दिनांक 15.07.2014 को रिपोर्ट किये जाने पर अप.क. 622/2014 धारा 279 भा.द.वि. का अपराध मैजिक नम्बर एम.पी.53–टी.ए.0533 के चालक नारायण पाण्डेय के विरूद्ध पंजीबद्ध कर विवेचना में है ।

यह कहना सत्य नहीं है कि सीधी पुलिस आये दिन पुलिस अधीक्षक के संरक्षण में अवैध व अनियमित रूप से लोगों को हिरासत में लेकर वसूली, मारपीट तथा मनमानी करती है । सत्य यह है कि माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर के निर्देश के पालन में सीधी जिले में चलने वाले ओव्हर लोड वाहनों के विरूद्ध कार्यवाही की गई है ।

जन जीवन सामान्य है ।

डॉ. नरोत्तम मिश्रा- अध्यक्ष महोदय,उपस्थित सदस्यों का आप ध्यानाकर्षण लेते हैं ये किस तरह का माननीय सदस्य का आचरण है (व्यवधान)अध्यक्ष महोदय, ये आपकी उदारता और महानता है कि आप अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं. यह आपकी उदारता और महानता है. मेरा कहना है कि वे आपकी उदारता और महानता का नाजायज फायदा उठा रहे हैं. (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय—पवित्र महिना चल रहा है, आप बैठ जाएं.

बहिर्गमन

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यो द्वारा ध्यानाकर्षण पर चर्चा कराये जाने की मांग करते हुए सदन से बहिर्गमन.

श्री आरिफ अकील-मेरा ध्यानाकर्षण नहीं लिया जा रहा है, इसलिए मैं बहिर्गमन करता हूं.

श्री सत्यदेव कटारे- अध्यक्ष महोदय, आप उनकी बात सुन नहीं रहे हैं तो हम लोग बहिर्गमन करते हैं.

(नेता प्रतिपक्ष श्री सत्यदेव कटारे के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा ध्यानाकर्षण पर चर्चा कराये जाने की मांग करते हुए सदन से बहिर्गमन किया गया)

अध्यक्ष महोदय—केदारनाथ शुक्ल जी, आप प्रश्न करें.

श्री लाल सिंह आर्य—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा हस्तक्षेप नहीं कर रहा हूं ,लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं ,कभी सदने में ऐसा विपक्ष की तरफ से नहीं हुआ है जहां केवल ध्यानाकर्षण लाने के लिए बहिर्गमन हो. मध्यप्रदेश की जनता के हित में बहिर्गमन होता हो तो समझ में आता . कोई समस्या होती तो उसका बहिर्गमन होता. इतना लापरवाह विपक्ष पहली बार देखा है, इसकी जितनी निन्दा की जाय कम है.

अध्यक्ष महोदय—उनके विवेक पर छोड़ा है.

श्री केदारनाथ शुक्ल- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश का हवाला केवल बात को भटकाने के लिए किया गया है. आज सीधी पुलिस की हालत यह है कि चाहे ट्रक हो,बस हो, कोई भी वाहन हो. केवल सीधी का एस.पी. मोटर व्हीकल एक्ट को प्रधानता देता है और लोग सीधी की सड़कों को बचा करके निकलते हैं कि सीधी से न निकलें. लगातार लोगों को खदेड़ खदेड़ कर मारा पीटा जा रहा है. गांव में पुलिस का आतंक फैला हुआ है और ऐसी परिस्थिति

में जिसकी ये बात की गई है. ये आदमी रीवा मेडिकल कॉलेज में भर्ती है. नारायण पाँडे मेडिकल कॉलेज में भर्ती है, मरणासन्न है. उसकी ओर से मुकदमा दर्ज नहीं किया गया. चार लोगों को ससपेण्ड कर दिया. लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं किया. उस ट्रैफिक इंचार्ज के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया जिसने सरेआम मारपीट की और उल्टा उसके खिलाफ जो मारा गया है,जो मेडिकल कॉलेज में भर्ती है ,उसके खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज कर दिया गया है. अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि जिस प्रभारी की पिटाई से चालक नारायण पाण्डे मरणासन्न है , रीवा मेडिकल कॉलेज में भर्ती है. क्या ट्रैफिक प्रभारी को निलंबित कर उसके और अन्य दोषियों के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी?

श्री बाबूलाल गौर- पर्याप्त कार्यवाही कर दी गई है,अब इसकी आवश्यकता नहीं है.

श्री केदारनाथ शुक्ल – माननीय अध्यक्ष महोदय, वह व्यक्ति मरणासन्न है ,मेडिकल कॉलेज में भर्ती है. उसको जिसने मारा उसके खिलाफ कोई कार्यवाही न हो , उल्टा उसके खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज कर दिया जाए. हमने पहले ही ध्यानाकर्षण में आशंका व्यक्त की है कि उसके खिलाफ एस.पी. ने फर्जी मुकदमा दर्ज किया. उसको सुन नहीं रहे थे. भा.ज.पा. के जिलाध्यक्ष के.के. तिवारी उसको लेकर के एस.पी. के यहां गए. बोले ये देखिये आपके लोगों ने मारा है. आपके ट्रैफिक प्रभारी ने मारा है.तब जाकर के उसको ले जाकर अस्पताल में भर्ती कराया गया और एस.पी. की शह पर ट्राफिक प्रभारी लगातार इस तरह की मारपीट कर रहा है.

अध्यक्ष महोदय—आपका उत्तर उन्होंने दे दिया कि आवश्यकता नहीं है.

श्री केदारनाथ शुक्ल—उत्तर तो दे दिया, लेकिन मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि मंत्री जी कृपया सदाशयता बरतें और वस्तुस्थिति का अवलोकन करें. क्या उसकी पोस्ट मार्टम रिपोर्ट आ जाएगी, तब उसके खिलाफ आप मुकदमा कायम करेंगे.?

श्री बाबूलाल गौर—अध्यक्ष महोदय वह मरा नहीं, जिंदा है. पोस्ट मार्टम का सवाल कहां पैदा होता है.

श्री केदारनाथ शुक्ल—अध्यक्ष महोदय, वह मरणासन्न है, मेडीकल कालेज में भर्ती है.

श्री बाबूलाल गौर—अध्यक्ष महोदय, वह मरणासन्न नहीं है.

श्री केदारनाथ शुक्ल—मेडीकल कालेज में भर्ती है. सीधी के डाक्टरों ने उसको रीवा मेडीकल कालेज में रिफर कर दिया है, वह मरणासन्न है. मेरा मंत्रीजी से निवेदन है कि उसको वहां से हटाएं और उसकी जांच कराएं.

अध्यक्ष महोदय—आपकी बात और आपक आग्रह आ गया है.

श्री शंकरलाल तिवारी—अध्यक्ष महोदय, आपके आसंदी पर बैठे रहने से हम लोग बहुत संरक्षित हैं. यह उत्तर जो शासन का आया है, यह मनगढ़ंत लगता है. हाई कोर्ट को भी नहीं छोड़ा गया और हाईकोर्ट की आड़ ली गई कि उसके निर्देश जो छात्रों के मामले में आए हैं, उसके आधार पर उस वाहन को रोका गया. वस्तुस्थिति में यह लिखा गया है कि 15 लोग बैठे थे. कहीं नहीं लिखा गया कि छात्र बैठे थे. हाईकोर्ट की आड़ में उस वाहन को लूटा गया. मैं पड़ौसी जिले सतना का हूं, इसलिए मैंने इसमें जानकारी लेकर दस्तखत भी किए. सतना से सीधी का व्यवसायिक रिश्ता है, बहुत तगड़ा है और प्रतिदिन मेरे यहां से सैकड़ों यात्री वाहन और ट्रक वहां से जाते हैं और वहां लूट पुलिस वालों के द्वारा मची हुई है. वहां खुलेआम वसूली होती है. ट्रक और वाहर रोककर खड़े कर लिए जाते हैं, उनकी जब तक वसूली नहीं मिल जाती, तब तक वह वाहन दो दिन वहां खड़े रहते हैं. मैं आपसे विनती करना चाहता हू कि यह पुलिसिया उत्तर है, जो बदनाम है हम लोग जानते हैं कि विधानसभा में यह पुलिसिया उत्तर है. इसमें चार लोगों को सस्पेंड किया गया है, अगर वाहन गलत चला रहा था तो चालानी कार्यवाही या अन्य कार्यवाही होनी चाहिए थी. विभाग ने मारपीट स्वीकार की है और जब मारपीट स्वीकार की है तो वह किस अधिकार के अंदर आपने की है? वाहन

खरीदना, चलाना, व्यवसाय करने का सबको हक है. मेरा निवेदन है कि जैसा कि उसके साथ पुलिस ने मारपीट की, जिसे आपने कुबूल किया है तो मारपीट का अधिकार पुलिस के पास नहीं था. पुलिस ने इसी कारण 4 लोगों को मुअत्तिल किया है, परंतु यातायात सूबेदार को नहीं किया. चोर की मां मजा करे और छोटे छोटे माल ढोने वालों को आप सिर्फ हटाकर या सस्पेड कर दें

अध्यक्ष महोदय—आपका प्रश्न क्या है?

श्री शंकरलाल तिवारी—अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि माननीय मंत्री हम सबके वरिष्ठ हैं. इतनी बड़ी बात नहीं है, वह मरणासन्न स्थिति में है. वह गंभीर रूप से घायल है, सीधी में लूट चल रही है, वाहनों के साथ, इसलिए यातायात प्रभारी को सस्पेंड करें और पुलिस अधीक्षक को भी वहां से हटाएं. इस घटना की उच्चस्तरीय जांच कराएं. क्योंकि आटो एक्सीडेन्ट जो दिखाया है, वह पुलिस ने फर्जी और अपने बचाव में और शिव नारायण पांडे को यहां पर अपराधी दर्शाने के लिए दिखाया है. इस तरह के कूट रचित जवाब जो विधानसभा में आ रहे हैं और मंत्री उसे पढ़ रहे हैं, इस पर भी कहीं न कहीं गंभीरता से विचार होना चाहिए?

श्री बाबूलाल गौर—अध्यक्ष महोदय, माननीय उच्च न्यायालय में रिट क्रमांक 2510/2012 प्रस्तुत की गई थी और उसके अनुसार हाइकोर्ट ने सख्त निर्देश दिए हैं कि बच्चों को स्कूल से ले जाने की जो व्यवस्था है, उसकी रक्षा की जाए अब ओवर लोडिंग की चेकिंग होती है. उसने चेकिंग के समय गाड़ी रोकी नहीं और आगे बढ़कर एक आटो से उसकी टक्कर हो गई, उसका वाहन उलट गया. घटना की रिपोर्ट हुई, घटना में इन्होंने पुलिस पर आरोप लगाया तो चार पुलिस सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया गया, पुलिस अधीक्षक से जांच हो रही है. अगर कोई बात जांच में सामने आती है, तो कार्यवाही की जाएगी.

श्री शंकरलाल तिवारी—यह जांच भोपाल के उच्चाधिकारियों से कराई जाए. यातायात सूबेदार वसूली करके एस.पी. को दे रहा है, तो एस.पी. उसकी क्या जांच करेंगे?

अध्यक्ष महोदय—गिरीश गौतम जी को पूछने दीजिए.

श्री गिरीश गौतम(देवतालाब)— माननीय अध्यक्ष जी, इसमें जो उत्तर आया है उसी में से दो तीन बातें निकलकर के आती हैं. एक तो उत्तर यह आया कि 14-15 लोगों को बैठाकर, दूसरा जब जाकर के टक्कर मारा तो यात्रियों से भरे आटो को जोर से टक्कर मार दी, क्षतिग्रस्त हो गया, यात्रियों की जान जोखिम में आ गई तो क्या इस तरह की मेडीकल रिपोर्ट है. यदि किसी को चोट लगी है, जान जोखिम में पड़ी तो उसका मेडीकल कराना चाहिए. इसमें मेरा दूसरा निवेदन यह है कि यदि नारायण पाण्डे को,आपने यह माना कि उसको चोट लगी है, आपके उत्तर में आया है कि मेडीकल परीक्षण कराया गया.नारायण पाण्डे के साथ मारपीट करने वाले पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया तो आपने स्वीकार कर लिया कि मारपीट किया तो इसमें मामला क्यों नहीं कायम किया? इसमें मामला कायम करना चाहिए, यह तो बचाव का माध्यम हो गया और हाई कोर्ट ने कहीं नहीं कहा कि लेकर के लाठी पीटो सबको. क्या हाईकोई का इस तरह का कोई आदेश है? जिस रिट पिटीशन की बात कर रहे हैं तो मैं जानना यह चाहता हूँ, मेरा सीधा प्रश्न यह है कि क्या इसमें मामला कायम करेंगे जो मारपीट की बात आपने स्वत: स्वीकार की है और ट्रेफिक इन्चार्ज को हटाकर भोपाल से किसी उच्च अधिकारी को भेजकर के सारे मामले की जांच करायेंगे?

श्री बाबूलाल गौर—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो आपत्ति की है तो वह नारायण पाण्डे मरणासन्न में नहीं है.

श्री गिरीश गौतम-- तो मे़डीकल रिपोर्ट पेश करिये.

श्री बाबूलाल गौर-- हम मेडीकल रिपोर्ट पेश कर देंगे, आप देख लेना.

श्री गिरीश गौतम—अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया.

श्री शंकरलाल तिवारी-- किसी के भी प्रश्न का जवाब नहीं आया(XX).

श्री केदारनाथ शुक्ला-- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी जिस तरह से उपेक्षा कर रहे हैं,इस तरह सेअच्छा नहीं है. यहां भोपाल से किसी उच्च अधिकारी को भेजकर जांच करवा ली जाए.

अध्यक्ष महोदय—उन्होंने उत्तर दे दिया.

श्री केदारनाथ शुक्ला—उत्तर तो दे दिया लेकिन उत्तर से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं. हम मंत्री जी से एक बार विनती कर रहे हैं कि यहां भोपाल से किसी उच्च अधिकारी को भेजकर के जांच करवा लें.

(XX) : विलोपित

श्री बाबूलाल गौर—अध्यक्ष महोदय, हम माननीय सदस्यों को बतायेंगे कि भोपाल से उच्च अधिकारी को भेज के जांच करा देंगे.(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय—जो आपने कहा वह मान लिया उन्होंने. (व्यवधान) कृपा करके बैठ जाएं,आपको बहुत समय दिया माननीय गिरीश जी,आप सभी वरिष्ठ सदस्य हैं.

श्री शंकरलाल तिवारी-- यातायात प्रभारी को हटाने में क्या दिक्कत है? (व्यवधान)

श्री गिरीश गौतम—जब मारपीट स्वीकर कर ली है तो मामला क्यों नहीं कायम कर रहे हैं. (व्यवधान)

श्री शंकरलाल तिवारी—माननीय अध्यक्ष जी, मदद करिये. यातायात प्रभारी को हटाने में कौन सी ज्वेलरी टूटी जा रही है.

अध्यक्ष महोदय—यह बात ठीक नहीं है. विलोपित कर दें.

श्री केदारनाथ शुक्ला—उसको वहां से हटवा के जांच करवा दीजिए.

अध्यक्ष महोदय—जांच जल्दी करवा लेंगे. आपका आग्रह आ गया है. मंत्री जी विचार कर लेंगे.

श्री गिरीश गौतम- माननीय अध्यक्ष जी, जब मारपीट की बात स्वीकार कर ली तो मामला क्यों नहीं कायम किया, इसका मंत्री जी ने हमको जवाब ही नहीं दिया.

अध्यक्ष महोदय—वह फिर से जांच करवा रहे हैं.

श्री गिरीश गौतम-- जांच तो दूसरे विषय की होगी. मारपीट खुद स्वीकार किया इसमें मामला क्यों नहीं कायम कर रहे हैं? इसका जवाब ही नहीं दिया.

अध्यक्ष महोदय-- सभी मुद्दों पर जांच हो जाएगी. उसके बिन्दु तय कर लेंगे. आपको भी जानकारी हो जाएगी.

(2)अमरकंटक स्थित नर्मदा के उदगम स्थल में प्रदूषित जल छोड़ा जाना

श्री फुन्देलाल सिंह मार्को(पुष्पराजगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय,

मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के उद्‌गम स्थल अमरकंटक में वर्षभर मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश के नागरिक जो कि मां नर्मदा की पूजा करते हैं, दर्शन एवं स्नान के लिये आते हैं। मॉ नर्मदा की ख्याति को सुनकर देश विदेश के पर्यटक भी भारी संख्या में अमरकंटक पहुंचते हैं। विशेष पर्व एवं त्यौहारों पर तो लाखों पर्यटक एकत्रित होते हैं जो मॉ नर्मदा के उद्‌गम स्थल अमरकंटक कुण्ड में स्नान करने की इच्छा से यहां पहुंचते है, किन्तु मॉ नर्मदा के चारों तरफ की पहाड़ियों पर काफी संख्या में आबादी बस गई है तथा मेला स्थल पर सीवेज की उचित व्यवस्था नहीं होने से वर्ष भर सीवेज का जल मॉ नर्मदा के जल में मिलने से भीषण प्रदूषण बढ़ने लगा है और श्रद्धा एवं आस्था का उद्‌गम स्थल अमरकंटक एवं प्रदेश की जीवन रेखा भीषण रूप से प्रदूषित हो रही है, विगत 10 वर्ष से अमरकंटक पहुंचने वाले यात्रियों, श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों हेतु पर्याप्त आवास एवं ठहरने के प्रबंध एवं प्रसाधन के पानी के निकास का पर्याप्त प्रबंध नहीं है। इतना ही नहीं मॉ नर्मदा के किनारे बसे ग्रामों, मजरों, टोलों एवं मेलों के प्रदूषित जल को मॉ नर्मदा के जल में प्रवाहित होने से रोकने की कोई व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई है। नर्मदा के जल में लगातार प्रदूषण बढ़ने एवं सरकार द्वारा इसे रोकने के उपाय नहीं किए जाने के कारण समूचे क्षेत्र के निवासियों में शासन एवं प्रशासन के प्रति रोष व्याप्त है।

आवास एवं पर्यावरण मंत्री(श्री कैलाश विजयवर्गीय)—माननीय अध्यक्ष महोदय,

यह सही है कि मध्यप्रदेश की जीवनरेखा माँ नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक में वर्षभर मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ सहित देश-विदेश के पर्यटक-श्रद्धालु स्नान पूजा आदि के लिये एकत्रित होते हैं । विशेष त्यौहारों जैसे नर्मदा जयंती, महा शिवरात्रि आदि पर मेलों के दौरान श्रद्धालुओं की संख्या कई हजारों में हो जाती है। मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अमरकंटक में जल गुणवत्ता मापन का कार्य सतत् रूप से वार्षिक मॉनिटरिंग पैकेज के अनुसार किया जाता है जिसमें नर्मदा उद्गम कुण्ड में जल गुणवत्ता भारतीय मानक :: 2296,1982 के अनुसार मेलों को छोड़कर सामान्यतः बेस्ट डेजिंगनेटेड यूज की श्रेणी ए में तथा तीर्थ कोट कुण्ड, रामघाट, पुष्कर डेम, कपिलधारा में जल गुणवत्ता सामान्यतः बी श्रेणी में पाई गई है । मेले के दौरान जल गुणवत्ता उदगम कुंड से लेकर कपिल धारा तक लगभग ''बी'' श्रेणी में रहती है । जो कपिल धारा के डाउन स्ट्रीम में आगे जाकर नदी की स्वयं शुद्ध करने की क्षमता के कारण पुनः ए श्रेणी में आ जाती है । उल्लेखनीय है कि आउटडोर स्नान के लिये बी श्रेणी की गुणवत्ता अनुकूल मानी गई है। अमरकंटक पर नर्मदा नदी में प्रदूषण के मुख्य कारणों में जल ग्रहण क्षेत्र में उत्पन्न होने वाला घरेलू जल-मल, पूजन सामग्री के अवशेष, मूर्ती विसर्जन, मुण्डन संस्कार का अपशिष्ठ, खुले में शौच, स्नान एवं वस्त्र धुलाई में साबुन का प्रयोग व मेले के समय नगरीय ठोस अपशिष्ठ आदि का नदी में मिलना है। मेलों के दौरान नगर परिषद अमरकंटक द्वारा साफ-सफाई, कुण्ड के जल का फिल्टर प्लान्ट लगाकर उपचार तथा प्रसाधन की व्यवस्थायें की जाती हैं। गत मेले

के दौरान पॉच सुलभ काम्पलेक्स, चार स्थानों में 50 सीटर अस्थाई शौचालय का निर्माण, मेला स्थल एवं मंदिर के समीप दो 08 सीटर मोबाईल टॉयलेट की व्यवस्था की गई थी। उक्त के साथ-साथ महा शिवरात्रि मेले के दौरान नारियल के अवशेष लगभग 02 टन पूजन सामग्री का संग्रहण कर निष्पादन ट्रेंचिंग ग्राउण्ड में किया गया है । अमरकंटक में यात्रियों, श्रद्धालुओं एवं ठहरने के लिये लगभग 20 आश्रम तथा नगर परिषद की तरफ से पर्यटक धर्मशाला रेवा, पारिवारिक धर्मशाला, माँ नर्मदा के समीप शेड एवं लगभग एक लाख तीर्थ यात्रियों के ठहरने हेतु टेन्ट, कनात आदि की व्यवस्था की गई थी । इसके साथ ही सामुदायिक भवन का निर्माण, दो रैन बसेरे का निर्माण भी कराया जा रहा है जो पूर्णता के निकट है । कल्याणिका स्कूल में घरेलु दूषित जलमल शोधन संयंत्र की स्थापना, तीर्थ कुण्ड के जल उपचार हेतु फिल्ट्रेशन प्लान्ट, रामघाट के जल में घुलित ऑक्सीजन संबंधी सुधार करने के लिये फाउन्टेन की स्थापना, रामघाट के समीप पार्क का निर्माण इत्यादि कार्यवाही कराई गई । अमरकंटक में महाशिवरात्रि एवं नर्मदा जयंती के दौरान जल/वायु गुणवत्ता मापन,ध्वनि स्तर मापन,जन-रैली का आयोजन,घाटों की साफ सफाई हेतु श्रम दान,पोलीथीन के उपयोग पर रोक आदि कार्य कराये गये । नगर परिषद अमरकंटक द्वारा डोर-टू-डोर घरेलू कचरा संग्रहण व्यवस्था प्रारंभ की गई है । उद्योगों की कारपोरेट सोशल रिस्पोंसबिलिटी के अन्तर्गत औद्योगिक सहयोग से सम्पूर्ण नदी किनारे में लगभग 32 लाख वृक्षों के रोपण की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त की गई, जिसमें अमरकंटक एवं आस-पास का क्षेत्र भी शामिल है । म.प्र. शासन द्वारा सम्पूर्ण नर्मदा नदी के प्रदूषण नियंत्रण हेतु अन्तर विभागीय समन्वय समिति व नर्मदा प्रोजेक्ट सेल का गठन किया गया है । मॉ नर्मदा जो कि मध्यप्रदेश में लगभग 1069 किलोमीटर बहती है,के संरक्षण हेतु एवं प्रदूषण नियंत्रण हेतु राज्य सरकार कटिबद्ध है । इसके लिये नर्मदा के किनारे स्थित 53 शहरों की एक विस्तृत कार्य योजना जिसकी लागत लगभग रूपये 1300 करोड़ है,भारत सरकार के सहयोग से क्रियान्वित कराया जाना प्रस्तावित है। साथ ही राज्य सरकार द्वारा अभी तक विभिन्न स्त्रोतों से नर्मदा के किनारे के शहरों में प्रदूषण नियंत्रण एवं संरक्षण हेतु रूपये 466 करोड़ की राशि के कार्य स्वीकृत किये जाकर क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में है । मॉ नर्मदा का संरक्षण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है । यह कहना सही नहीं है कि नदी के जल में गंदगी बढ़ती जा रही है व अमरकंटक सहित समूचे क्षेत्र के निवासियों में शासन तथा प्रशासन के प्रति रोष तथा आक्रोश जैसी स्थिति है ।

श्री फुन्देलाल सिंह मार्को--- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि अमरकंटक नगर पंचायत में जो लोग बसे हैं और घर घर में टंकियाँ बनाकर उन्होंने रखी हैं, गन्दा पानी वह बहाते हैं जो बहकर नर्मदा जी में ही जा रहा है . उसके लिए अन्य नालियाँ नहीं बनी हैं चूंकि यहाँ मेरा निवेदन है कि यह लाखों करोड़ों लोगों की आस्था का स्थान है और माँ नर्मदा का उद्गम स्थल है मेरा सदन के माध्यम से निवेदन है कि एक बढ़िया टीम बना दी जाए. माननीय मंत्री जी, चूँकि महाशिवरात्रि में पर्यावरण विभाग के साथ मैं भी रहा हूँ और वहाँ जिस तरीके से गंदगी फैलती है और वहाँ मिल रही है इसको हम लोगों ने प्रत्यक्ष देखा है इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक बढ़िया, पर्यावरण विभाग या जो भी उससे और संरक्षण के विभाग हैं उनकी एक बढ़िया टीम बनाकर के और वहाँ स्थल पर जाकर के, जो यहाँ लिख करके बता रहे हैं, पढ़ रहे हैं वह वहाँ वास्तव में है कि नहीं है. टीम जाकर के इसकी जाँच करे और वास्तविक स्थिति देखे कि वहाँ स्थल पर किस किस चीज की आवश्यकता है. वहाँ अमरकंटक में पहुँच करके और स्थल में पहुँच करके वहाँ एक प्लान बनाया जाए ताकि वह गंदा पानी जो शहर से बहकर के वहाँ मिल रहा है उसकी हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है. चाहे हम कितना भी बताएँ इसलिए मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि एक टीम बना दें और अमरकंटक में वहाँ भेज दें, वहाँ रुक करके पूरे अमरकंटक के उद्गम स्थल से लगे हुए पूरे शहर का निरीक्षण करे कि पानी कहाँ बह रहा है उसकी व्यवस्था करें.

अध्यक्ष महोदय-- आपकी बात आ गई.

श्री कैलाश विजयवर्गीय-- अध्यक्ष जी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के बहुत साफ निर्देश हैं, मुझे यह कहते हुए भी गर्व है कि देश में सबसे कम प्रदूषित नदी कोई है तो वह नर्मदा जी है और वह इसीलिए है कि सरकार उसके प्रति हमेशा चिंतित रहती है. जिस प्रकार मैंने अपने उत्तर में बताया है कि लगभग 500 करोड़ रुपये के काम अभी चल भी रहे हैं पर आगे हमने 1300 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट भी बनाया है जिसमें हमने अमरकंटक के विभिन्न क्षेत्रों को

भी सम्मिलित किया है और मुझे मालूम है कि जब हमारी टीम वहाँ पर जाती है तब माननीय विधायक जी काफी सहयोग भी प्रदान करते हैं. आप स्पेसिफिक, आप वहाँ पर क्या चाहते हैं, मुझे लिखकर दे दीजिए. आपके सुझावों को भी हम सम्मिलित कर लेंगे. सरकार इसके प्रति बहुत चिंतित है और आपके अलावा भी कोई माननीय सदस्य, नर्मदा जी के प्रदूषण को रोकने के लिए किसी भी प्रकार का सुझाव देना चाहे दे. नर्मदा प्रदूषित न हो इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है और मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें निर्देश भी इस प्रकार का दिया है और मैंने पिछली बार भी अपने बजट भाषण के दौरान कहा था कि केन्द्रीय मंत्री माननीय उमा भारती जी ने भी मुझे फोन करके कहा है कि नर्मदा जी के लिए कितने भी पैसे की आवश्यकता हो, केन्द्र सरकार से हम देंगे इसलिए माननीय विधायक जी आप भी अगर वहाँ पर कुछ सुझाव देना चाहें तो लिखित में दे दीजिए. हम नर्मदा जी की प्रदूषण मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध हैं.

श्री फून्देलाल सिंह मार्को-- अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न और करना चाहता हूँ.

अध्यक्ष महोदय-- अब आपकी सब बात तो आ गई. प्वाईंटेड बात करिए भाषण नहीं देंगे.

श्री फुन्देलाल सिंह मार्को-- भाषण बिल्कुल नहीं दूंगा. अध्यक्ष जी, मैं यह चाहता हूँ कि यहाँ से दूर बैठ करके हम वहाँ अमरकंटक.....

अध्यक्ष महोदय-- वह टीम भेजने को तैयार हैं.

श्री फुन्देलाल सिंह मार्को-- वहाँ टीम भेज दें और हम चाहते हैं कि उस टीम में हमें भी शामिल कर लिया जाए.

अध्यक्ष महोदय-- हाँ आपके सहयोग का उन्होंने कह दिया है कि आपका सहयोग मिलता रहता है आगे भी मिलेगा.

श्री फुन्देलाल सिंह मार्को-- इसके लिए धन्यवाद.

सिवनी जिले में अवैध मत्स्याखेट होना

श्री दिनेश राय "मुनमुन" (सिवनी)

अध्यक्ष महोदय,

मेरी ध्यान आकर्षण की सूचना का विषय इस प्रकार है:-

सिवनी जिला मुख्यालय व ग्रामीण अंचलों में इन दिनों मत्स्याखेट पर प्रतिबंध बेअसर साबित हो रहा है। यहां के प्रमुख तालाबों में धड़ल्ले से मछलियां मारी जा रही हैं तथा बाजार में खुलेआम बिक्री हो रही है, बावजूद इसके मत्स्य विभाग कुंभकरणीय नींद में सोया हुआ है। हर बार वर्षा ॠतु के प्रारंभ में 15 जून से 15 अगस्त दो माह के लिए मत्स्याखेट पर प्रतिबंध लगाया जाता है, क्योंकि यह समय मछलियों के प्रजनन का होता है जिसके मद्देनजर 15 जून को जिला प्रशासन ने समूचे जिले भर में मत्स्याखेट पर प्रतिबंध के आदेश दिये हैं तथा दोषियों पर कार्यवाही की बात भी कही, किन्तु सिवनी शहर एवं आस पास के ग्रामीण अंचलों में मछलियों का धड़ल्ले से शिकार हो रहा है। मछुआरों द्वारा बकायदा तालाब में जाल फैलाकर शिकार कर बाजारों में बेचा भी जा रहा है। बावजूद इसके मत्स्य विभाग कार्यवाही से गुरेज कर रहा है। मछलियों के निरंतर शिकार से उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

खनिज साधन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले)—माननीय अध्यक्ष महोदय,

यह कहना सही नहीं है कि सिवनी जिला मुख्यालय एवं ग्रामीण क्षेत्रों मे मत्स्याखेट पर प्रतिबंध बेअसर हो रहा है तथा प्रमुख तालाबों में धड़ल्ले से मछली मारी जा रहीं है एवं बाजार में अनाप–सनाप दामो में बिक्री की जा रही है । म0प्र0 नदीय मत्स्योद्योग नियम 1972 की धारा 3 उपधारा (2) दो के अन्तर्गत 16 जून से 15 अगस्त की अवधि में मत्स्याखेट निषेध है। तद्‌नुसार कलेक्टर सिवनी के द्वारा उक्त्‌ आशय की विज्ञप्ति जारी की गई है ।

यह उल्लेखनीय है कि म0 प्र0 शासन मछली पालन विभाग के ज्ञापन क्रमांक ई–17–2/84/36 भोपाल दिनांक 23.07.1987 के अनुसार छोटे तालाब या अन्य स्त्रोत जिनका कोई संबंध किसी नदी से नही है और जिन्हें निर्दिष्ट जल की परिभाषा के अंतर्गत नही लाया गया है के लिए उक्त नियम लागू नही होता। अतः ऐसे निर्दिष्ट जल क्षेत्र के अतिरिक्त जलक्षेत्र से मछली आखेट एवं मत्स्य विक्रय पर प्रतिबंध प्रभावी नहीं है।

यह भी सही नहीं है कि मत्स्य विभाग निष्क्रिय है जबकि अवैधानिक मत्स्याखेट की रोकथाम के प्रयासों से जिले में अवैधानिक मत्स्याखेट के सात प्रकरणो पर कार्यवाही की गई है कार्यवाही के दौरान 294 किलो ग्राम मछली जप्त की गई जिसकी नीलामी से प्राप्त राशि रूपये 6500/–(छः हजार पांच सौ) मात्र शासकीय मद में जमा की गई है ।

सिवनी जिले में मछली जल की रानी संकट में फंसी होने जैसी स्थिति नहीं है क्योंकि जिले के समस्त जल स्त्रोत मे प्रतिवर्ष मत्स्यबीज संचयन किया जा रहा है जिससे मत्स्योत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की स्थिति नहीं है। जिले के मत्स्योत्पादन में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रहीं है । उपरोक्त स्थिति से यह स्पष्ट है कि मान्‌नीय विधायक की ध्यानाकर्षण सूचना क्रमांक–263 ग्राह्‌य योग्य नहीं है ।

श्री दिनेश राय—माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपने 294 किलो मछली जप्त की है. भीमगढ़ डेम से सैंकड़ों क्विंटल मछली अभी भी मार्केट में आ रही है. तीन क्विंटल मछली आपने पकड़ी है उससे साबित हो रहा है कि आपका विभाग कितनी कमजोरी से वहां काम कर रहा है. तीन क्विंटल तो एक-एक गांव में, एक-एक मार्केट में बिक रही है. हमारे जिले में जेवनारा, बरघाट व एक लखनादौन में नर्सरी है. हमारे जिले में अच्छी किस्म की मछली मिले और उनके प्रमाणित स्पान मिलें जिस प्रकार से कृषि विभाग से गेहूं और सोयाबीन के प्रमाणित बीज मिलते हैं. लेकिन जब हम मछली के बच्चे लेते हैं और तालाब में डालते हैं और 6 माह या साल भर बाद जब उन्हें निकालते हैं तब पता चलता है कि विभाग ने हमको ठग लिया है. अत: जब मछली के बच्चे दें तो उनकी गारंटी दें कि जो बच्चे दिये गये हैं वे ही बच्चे हमको तालाब में मिलेंगे.

अध्यक्ष महोदय—आपके ध्यानाकर्षण में यह विषय कहां है ?

श्री दिनेश राय—इसी से संबंधित है, मैं जवाब चाहता हूँ यदि मिल जाये तो, अब कुछ है नहीं लगा दिया था, आप मंत्रीजी को थोड़ा सा बोल दें. मंत्रीजी जवाब दे दें.

अध्यक्ष महोदय—माननीय सदस्य कह रहे हैं कि क्या अच्छा बीज उपलब्ध करायेंगे ताकि नस्ल और किस्म अच्छी हो सके.

सुश्री कुसुम सिंह महदेले—माननीय अध्यक्ष महोदय, अच्छे से अच्छा बीज उपलब्ध करायेंगे और बेन गंगा नदी पर एशिया का सबसे बड़ा डेम है यह मुझे पता है और हम वहां बीज उत्पादन भी करेंगे और आपको बढ़िया मछली खिलायेंगे.

श्री दिनेश राय—धन्यवाद.

अध्यक्ष महोदय—नहीं, वे नहीं खाते हैं.

ग्वालियर जिले में रेत का अवैध उत्खनन किया जाना

श्री प्रदीप अग्रवाल (सेवढ़ा) (डॉ. गोविन्द सिंह)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यान आकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है--

दतिया, भिण्ड एवं ग्वालियर जिले में अवैध रेत उत्खनन का कार्य जोरों से चल रहा है। शिकायत के बावजूद विभाग द्वारा इस पर कोई रोक नहीं लगायी जा रही है जिससे सरकार को प्रतिवर्ष करोड़ों रू. की हानि हो रही है।जिन नम्बरों की लीज स्वीकृत की गयी है उनसे रेत न उठाकर दूसरी जगहों से रेत उठाई जा रही है। वाहन क्षमता से अधिक रेत भरकर ले जा रहे है । खनिज से जितना राजस्व हमें एक वर्ष में मिलता है उससे कहीं अधिक राशि हम ओव्हर लोडिंग के कारण सड़कों की मरम्मत में लगा देते है। भिण्ड जिले की मटियाली बुर्जर्ग एवं डुबका से प्रतिदिन लगभग 200 ट्रक एवं 300- 400 ट्रेक्टर ट्राली रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है । गोहद तहसील की पत्थर खदान डांग पहाड़ एवं बिरखड़ी व कीतरपुरा पर खनिज माफियाओं द्वारा बिना अनुमति के क्रेसर लगाकर 200-300 ट्रक खण्डा, गिट्टी का अवैध उत्खनन किया जा रहा है । लगातार शिकायत करने के बाद भी प्रशासन द्वारा अवैध रेत उत्खनन पर रोक नहीं लगायी जा रही है जिसके कारण से जनता में आक्रोश व्याप्त है।

मंत्री, खनिज साधन विभाग (श्री राजेन्द्र शुक्ल) :-

यह कहना सही नहीं है कि दतिया, भिण्ड एवं ग्वालियर जिले में अवैध रेत उत्खनन का कार्य जोरो से चल रहा है। वास्तविक स्थिति यह है कि प्रश्नाधीन जिलों में स्वीकृत क्षेत्रों में ही गौण खनिज का उत्खनन कार्य नियमानुसार किया जा रहा है। अवैध उत्खनन के संबंध में विभाग को शिकायत प्राप्त होने पर तत्काल नियमानुसार अवैध उत्खननकर्ता पर कार्यवाही की जाती है। जिन नम्बरों पर लीज स्वीकृत की गई है उसी क्षेत्र से रेत एवं अन्य गौण खनिजों का नियमानुसार खनन कार्य किया जाता है। वाहन क्षमता से अधिक रेत भरकर ले जाया जाना पाये जाने पर नियमानुसार संबंधित विभाग द्वारा कार्यवाही की जाती है। सड़कों पर न केवल खनिज के वाहनों का आवागमन होता है अपितु अन्य वाहनों का भी आवागमन होता है। अतः यह कहना सही नहीं है कि केवल खनिज की ओवर लोडिंग से सड़कों की क्षति हो रही है। उपरोक्त जिलों में रेत की खदानें स्वीकृत हैं, जिनसे रायल्टी राशि प्राप्त होती है। वित्तीय वर्ष 2013-14 में रेत खनिज से दतिया जिले में रूपये 2.66 करोड़, भिण्ड जिले में रूपये 3.64 करोड़ तथा ग्वालियर जिले में रूपये 2.06 करोड़ शासन को प्राप्त हुआ है। इन जिलों में मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम द्वारा रायल्टी राशि के बराबर समतुल्य राशि भी अतिरिक्त रूप से जमा की जाती है। अतः करोड़ों रूपये राजस्व की हानि का आक्षेप सही नहीं है।

भिण्ड जिले की मटियावली बुजुर्ग एवं डुबका में स्थित खदानों का दिनांक 14.06.2014, 19.06.2014 एवं 29.06.2014 को निरीक्षण किये जाने पर प्रश्नाधीन दोनों खदानों के आस-पास रेत के डम्प मात्रा 11,105 घनमीटर जब्त किया गया है एवं नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। मटियावली बुजुर्ग एवं डुबका में स्थित खदानों से किसी भी ट्रक अथवा ट्रेक्टर-ट्राली द्वारा रेत का अवैध परिवहन नहीं किया जा रहा है। खदानों का सीमांकन माह फरवरी 2013 में राजस्व विभाग द्वारा किया गया था एवं वर्ष 2014 में भिण्ड जिले की समस्त रेत खदानों का सीमांकन पुनः करवाया गया है। किसी भी सीमांकन प्रतिवेदन में स्वीकृत क्षेत्र के बाहर उत्खनन होना नहीं पाया गया है।

प्रश्नाधीन तीनों जिलों में खनिजों के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पाये जाने पर शासन द्वारा प्रभावी कार्यवाही की गई है। फलस्वरूप वर्ष 2013-14 में अवैध उत्खनन/परिवहन के भिण्ड जिले में 347 प्रकरण, ग्वालियर जिले में 183 प्रकरण एवं जिला दतिया में 148 प्रकरण दर्ज किये गये है। उपरोक्त प्रकरणों में से निराकृत किये गये प्रकरणों में भिण्ड जिले के अंतर्गत रूपये 1.00 करोड़, ग्वालियर जिले में 40.86 लाख एवं दतिया जिले में रूपये 38.21 लाख अर्थदण्ड के रूप में वसूल किये जाकर शासकीय कोष में जमा कराये गये है।

यह कहना सही नहीं है कि गोहद तहसील की पत्थर खदान ग्राम डांग पहाड़, कीरतपुरा एवं बिरखड़ी पर खनिज माफियाओं द्वारा बिना अनुमति के क्रेशर लगाकर 200-300 ट्रक खण्डा, गिट्टी का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। वस्तुस्थिति यह है कि डांग पहाड़ पर श्री अहिवरन सिंह को 4 हे. क्षेत्र पर, श्री केदारसिंह को 4 हे. क्षेत्र पर एवं श्री किशनपाल सिंह तोमर को 3 हे. क्षेत्र पर नियमानुसार कुल 3 उत्खनिपट्टा स्वीकृत किये गये है, जिन पर क्रेशर स्थापित है। ग्राम बिरखड़ी व ग्राम कीरतपुरा में कोई उत्खनिपट्टा स्वीकृत नहीं है। ग्राम कीरतपुरा में निजी भूमि पर ओरियंटल कम्पनी के द्वारा क्रेशर स्थापित किया गया है। ओरियंटल कम्पनी द्वारा उक्त तीन पट्टेदारों से पत्थर खरीदकर गिट्टी बनाई जाती है। निरीक्षण दिनांक 29.06.2014 को उक्त तीनों खदानों के बाहर सर्वे क्र. 4 रकबा 197 हेक्टेयर, जो नगरपालिका गोहद को आरक्षित् है, पर 2-3 फीट के कुछ गड्डे पाये गये थे, इन गड्डों में निरीक्षण के समय कोई उत्खनन कार्य होना नहीं पाया गया।

भिण्ड जिले के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गोहद ने स्वयं मौके पर जांच कर दिनांक 03.02.2014 को कलेक्टर भिण्ड को लिखे पत्र में बताया कि गोहद में क्रेशर धारियों द्वारा बिना अनुमति के ब्लास्टिंग करने, क्रेशरों द्वारा प्रदूषण बोर्ड की शर्तो का उल्लंघन करने, बिना रायल्टी के परिवहन करने, बिना सीमा चिन्ह/मुनारे लगाये, आबादी से 500 मीटर कम दूरी पर क्रेशर स्थापित करने, पत्थर खुदाई से सैकड़ों फुट गड्डे होने के कारण लीज निरस्त करने का अनुरोध किया था। कलेक्टर भिण्ड ने अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गोहद के पत्र प्राप्त होते ही कार्यालयीन आदेश क्रमांक 3593 दिनांक 06.03.2014 द्वारा तत्काल सभी खदानें बंद किये जाने के आदेश प्रदान किये थे।

एस.डी.एम. गोहद, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत गोहद, तहसीलदार गोहद के संयुक्त प्रतिवेदन अनुसार पट्टेधारियों द्वारा शर्तो (कमियों) की पूर्ति की जाने पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गोहद के पत्र दिनांक 30.04.2014 के आधार पर कलेक्टर के आदेश क्रमांक 6737 दिनांक 23.05.2014 द्वारा 12 क्रेशर पत्थर खदानों को नियमानुसार संचालन की अनुमति प्रदान की गई है। जिला योजना समिति में ध्यानाकर्षण सूचनाकर्ता माननीय विधायक डॉ. गोविन्द सिंह जी द्वारा पत्थर खदानों के संबंध में पुन: जांच कराने हेतु कलेक्टर भिण्ड से चर्चा की गई। पुन: जांच की कार्यवाही प्रचलन में है। जांचोपरांत दोषी पाये जाने वाले पट्टाधारी व क्रेशर मालिकों के विरूद्ध विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। उपरोक्त स्थिति से स्पष्ट है कि जनता में आक्रोश व्याप्त होने जैसी स्थिति नहीं है।

श्री प्रदीप अग्रवाल – माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सत्य है कि पिछले वर्षों में राजस्व से खनिज से हमें राजस्व की उल्लेखनीय वृद्धि हुई हैं और हमारे सरकार के प्रयास भी सराहनीय रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी स्थानीय प्रशासन द्वारा रोक न लगाये जाने के कारण लगातार ओवरलोडिंग हो रही है जिससे हमारी सड़कों भी नुकसान हो रहा है और रा राजस्व का भी नुकसान हो रहा है तो मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस ओवरलोडिंग को रोका जाए

और उससे जो राजस्व प्राप्त होता है वह पुन: उन्हीं खराब सड़कों मे लगाया जाए जिससे हमारे क्षेत्र की जनता में जो आक्रोष है वह खत्म हो और आने जाने का मार्ग भी सुगम हो.

श्री राजेन्द्र शुक्ल – माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता ओवरलोडिंग को लेकर जायज है और इसीलिये खनिज विभाग समय-समय पर आदेश जारी करने का काम करता है जहां तक ओवरलोडिंग का काम है. दि.13.2.2008 को यह आदेश जारी किया था जिसमें यह उल्लेख था कि रेत खदानों से रेत परिवहन करने वाले वाहनों में रेत की मात्रा संबंधित वाहन की पंजीयन पुस्तिका में दर्ज वाहन की परिवहन क्षमता के अनुरूप ही हो. यह सुनिश्चित किया जाए. किसी भी वाहन की निर्धारित वाहन क्ष क्षमता से अधिक मात्रा का परिपत्र जारी न हो . यह सुनिश्चित किया जाए. निगम द्वारा इस शासन आदेश का परिपालन करते हुए ही वाहन की क्षमता अनुसार ही परिपत्र जारी किये जा रहे हैं. माननीय सदस्य ने जैसी अपेक्षा की है फिर से हम निर्देश जारी करेंगे और जिले की जो हमारी टास्क फोर्स है. जो कलेक्टर,डी.एफ.ओ.,फारेस्ट,रेवेन्यू के लोग रहते हैं पुलिस के लोग रहते हैं वे सख्ती से इस बात को देखें कि ज्यादा लोड लेकर वाहन वहां रेत तो लेकर न चल सकें.

श्री भारतसिंह कुशवाह - माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो अवैध उत्खनन को लेकर यह ध्यानाकर्षण है उसमें मेरा कहना है कि शासन के ऐसे कोई आदेश हैं कि निजी भूमि स्वामियों को सरकार उत्खनन हेतु पट्टा देगी तो उत्खनन हेतु पट्टा देने का ऐसा आदेश है तो विभाग द्वारा ऐसा कोई आदेश जारी हुआ है कि जो निगम कार्पोरेशन की खदानें हैं उनकी सीमा से 10 कि.मी. के अंदर किसी प्रकार की कोई परमीशन या उत्खनन पट्टा न दिया जाए तो ऐसा क्यों ?

श्री राजेन्द्र शुक्ल – माननीय अध्यक्ष महोदय, यह ध्यानाकर्षण से सीधे उद्भूत तो नहीं होता है लेकिन जैसा माननीय सदस्य ने जानना चाहा है इससे संबंधित आदेश जो निकले हैं वह उपलब्ध करा दिये जाएंगे.

श्री घनश्याम पिरोनिया - माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र भाण्डेर में सरसई,धमना,सालोन-ए,सालोन-बी,बेरछ,बरऊघाट,शक्तिघाट,रिपटाघाट और बरकीराय. इन क्षेत्रों में अवैध रूप से और लाईन लगाकर ट्रक,ट्रालियों से वहां अवैध छ उत्खनन हो रहा है रेत भरी जा रही है. अनेक बार दतिया के माननीय कलेक्टर महोदय और खनिज अधिकारी श्री उदेनिया, इन लोगों को दूरभाष के माध्यम से और सूचना के माध्यम से भी वहां कोई उचित कार्यवाही नहीं हो रही है और उसके कारण सरकार का जो राजस्व का घाटा है और हमारी जो खनिज संपदा है वह जोसमाज विरोधी तत्व ले जाने में सफल हो रहे हैं मैं निवेदन करूंगा कि वहां पनडुब्बी के माध्यम से रेत का उत्खनन हो रहा है वहां एक वंशकार समाज का दस वर्ष का बालक गड्ढे में नहाने गया था और दबकर मर गया. इस दिशा में कार्यवाही करें और जहां लीज देना हैलीज दें लेकिन अवैध उत्खनन का कारोबार जो हो रहा है वह रोका जाए और अगर इसमें कोई अधिकारी संलिप्त हैं क्योंकि बिना उनके संरक्षण के यह नहीं हो सकता है मैं ऐसा आश्वासन उनसे चाहूंगा.

श्री राजेन्द्र शुक्ल—माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन खदानों का उल्लेख माननीय सदस्य ने किया है कलेक्टर ने उसकी नीलामी की थी, लेकिन सीआ की कमेटी का गठन न हो पाने के कारण उन खदानों में वैधानिक रूप से काम शुरू नहीं हो पाया था, लेकिन जैसा आपने बताया कि कुछ लोग उसका फायदा उठाकर अवैध तरीके से रेत उठाने का काम करते हैं उसके लिये जो दतिया जिले की टीम है उसने समय समय पर कार्यवाही की है जिससे 38 लाख रूपये की वसूली भी हुई है, उसके बाद भी लगातार हमारी कोशिश होगी कि तत्काल उसकी फिर से नीलामी हो जाये, सीआ की कमेटी का गठन हो जाये, वहां पर पर्यावरण की स्वीकृति होकर के खदाने शुरू हो जायें और जब

तक यह खदाने शुरू नहीं होतीं तो उस पर हम और विजीलेंस बढ़ाएंगे जिससे कि अवैध उत्खन्न की संभावना कम हो जाये.

श्री घनश्याम पिरोनियां—अध्यक्ष महोदय, 2 वर्षों के केवल 243 प्रकरण दर्ज हुए यह गंभीर बात है.

अध्यक्ष महोदय—सारी बातें आ गई हैं, स्पेसिफिक तो कुछ थान नहीं, फिर भी आपकी बात आ गई है. नियंत्रण करने के लिये उन्होंने कह दिया है.

अध्यक्ष महोदय:- अब, मैं कार्यसूची के पद 2 के उप पद (5) से (12) तक सूचना देने वाले सदस्यों के नाम पुकारूंगा, संबंधित सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई तथा संबंधित मंत्री द्वारा उन पर वक्तव्य पढ़े माने जायेंगे-

5 श्री आरिफ अकील

6 श्री यशपाल सिंह सिसोदिया

7 सर्वश्री दिनेश राय "मुनमुन", सचिन यादव

8 श्री यशपाल सिंह सिसोदिया

9 श्री हर्ष यादव

10 सर्वश्री निशंक कुमार जैन, हरदीप सिंह डंग, जयवर्धन सिंह

11 डॉ. मोहन यादव

12 डॉ. रामकिशोर दोगने

याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय—आज की कार्यसूची में सम्मिलित सभी याचिकाएं प्रस्तुत की हुई मानी जायेंगी.

वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों पर चर्चा (क्रमशः)

अध्यक्ष महोदय—माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि कृपया संक्षिप्त में अपने क्षेत्र की बात करके समाप्त करेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि बहुत माननीय सदस्यों के नाम हैं आज दोनों विभागों की मांगों पर चर्चा कराना है.

श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा (मुंगावली)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 8, ज, 35 तथा 58 का विरोध करता हूं कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूं. मध्यप्रदेश में पटवारियों के स्वीकृत पद 11 हजार 622 हैं. उन पदों के विरूद्ध 9 हजार 576 पटवारी हैं यानि कि 246 पद रिक्त हैं. रेवेन्यू इंस्पेक्टर के 2 हजार 161 पद हैं उनमें से 1803 भरे हैं, 163 रिक्त हैं सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख स्वीकृत पद 280, भरे 179 रिक्त 101 पद, इसी प्रकार अधीक्षक भू-अभिलेख के 64 पद रिक्त हैं. इन रिक्त पदों के कारण अभी जो औलावृष्टि हुई है उसमें एक एक पटवारी के पास कई हल्के होने के कारण फसलों का सही आंकलन नहीं हो पाया.

2.35 बजे {उपाध्यक्ष महोदय (डॉ.राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए}

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खाली फसलों का सही आंकलन हुआ है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन पटवारी तथा आर.आई.की कमी तो है ही, लेकिन आप उनसे सिटीजन चार्टर लागू नहीं कर पाये सिटीजन चार्टर में पर्टीकुलर टाईम पर किसान को खसरा-खतौनी, नक्शा, नामांतरण, सीमांकन करना होता है वह आप इफेक्टिवली लागू नहीं कर पाये, क्योंकि आपमें विल पॉवर नहीं था, आपने सख्ती नहीं की. आप लोक सेवा गारंटी अधिनियम लेकर के आये उसका भी वही हश्र हुआ लोक सेवा गारंटी अधिनियम के बावजूद भी किसानों के सीमांकन पारिवारिक बंटवारे, खसरा, खतौनी, नक्शे उनको नहीं मिलते हैं इसमें किसान मारे मारे घूमते हैं, पटवारी

उनकी चिन्ता नहीं करते हैं. पटवारियों के रिश्वत का रेट भी बढ़ गया है अब तो भूमि की कीमत का प्रतिशत मांगने लग गये हैं अब जो पटवारी पकड़ा जाता है उसके पास में पांच-दस करोड़ रूपये मिलते हैं. मैं अच्छे पटवारियों की वकालत करूंगा कि जो अच्छे पटवारी हैं वह किसानों का ध्यान रखते हैं उनकी मैं आलोचना नहीं करूंगा, लेकिन जो भ्रष्ट पटवारी हैं वह आपके कंट्रोल में नहीं हैं उनको आप निलंबित करेंगे वह वापस से बहाल हो जायेंगे उनका ट्रांसफर करेंगे तो अन्य जगहों पर जाकर के लोगों को परेशान करेंगे. उनका एक इलाज है उनके पास में पैसा इतना होता है कि वह जिले में नीचे से ऊपर तक रिश्वत लेकर अपने खिलाफ शिकायतों को रद्दी की टोकरी में डलवा देते हैं. दो तरीके हैं एक तो आप किसानों को टेलीफोन नंबर दीजिये जिस पर शिकायत कर सकें और उनको रंगे हाथों पकड़ा जा सके उसका प्रचार-प्रसार जबरदस्त करिये उस टेलीफोन नंबर का, हर किसान के पास उक्त टेलीफोन नंबर होना चाहिये कि अगर आपसे पटवारी-आर.आई.पैसा मांगे, नायब तहसीलदार पैसा मांगे तो आप इस नंबर पर खबर करो उसको आप रंगे हाथ पकड़वा दीजिये. नंबर दो अच्छे पटवारियों ने जिन्होंने खराब कमाई नहीं की है उनकी बात नहीं करता, लेकिन जो बुरे, भ्रष्ट पटवारी हैं उनके पति-पत्नी, बच्चे, भाई, साले उनकी 20 साल की प्रापर्टी का हिसाब मांग लीजिये उनसे कहिये कि आप प्रापर्टी का हिसाब दें 20 साल में उन्होंने कितनी जमीन ली, कितने मकान खरीदे, कितनी चल-अचल सम्पत्ति खरीदी इससे उनके मन में डर रहेगा और खराब पटवारियों को पकड़ा जा सकेगा. लोकायुक्त पटवारियों को पकड़ रहे हैं ठीक हैं, लेकिन जो खराब पटवारी हैं उनके दो इलाज हैं यह डायरी में लिख लीजिये इसको आप लागू कर देंगे तो बहुत बड़ा भला किसानों का करेंगे. आपने खसरा खतौनी, नक्शे का कम्प्यूटराईजेशन करा दीजिये उसको पटवारी के पास में जाने की जरूरत ही खत्म कर दीजिये, यह आप क्यों नहीं करते हैं, मेरी समझ में नहीं आता है, लेकिन कम्प्यूटराईजेशन में भी बड़ी सावधानी की जरूरत है. विजयपुर में यह शिकायत है कि कम्प्यूटराईजेशन में कई किसानों के खेत हैं उनको सरकार में लिख दिये हैं, क्यों

रावत जी आपके यहां पर भी लिख दिये हैं ना सरकारी अब वह किसान मारे-मारे फिर रहे हैं, क्योंकि आप कम्प्यूटर में गार्बेज फीड करेंगे तो गार्बेज ही निकलेगा इसीलिये कम्प्यूटराईजेशन बहुत सावधानी से होना चाहिये. एक बात और कहना चाहता हूं कि खेत पर जाने का रास्ता पटवारी रिकार्ड में माप कर दीजिये सारे झगड़े किसानों के उसी में होते हैं जिनके खेत आगे होते हैं उनको पीछे जाने नहीं देते उनकी जमीन की कीमत कम हो जाती है आप मेहरबानी करके पटवारी रिकार्ड में खेतों पर जाने के रास्ते ओरिजनल राईट है उसका उसकी माप कर दीजिये. दूसरा खेल के मैदान में समस्त भूमि जहां पर उपलब्ध है वह आप ईयर मार्क कर दीजिये पटवारी रिकार्ड में प्रत्येक गांव में खेल विभाग में कई बार इसका सरक्यूलर जारी कर किये हैं कलेक्टर ने, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं होती है. आप राजस्व विभाग की तरफ से एक आदेश जारी करिये कि जो अतिरिक्त भूमि है वह भू-माफिया से भी बचेगी इनक्रोचमेन्ट से भी बचेगी, सरकारी भूमि है उसका सद्पयोग भी होगा. सेटिलेमेंट आपका जो है वह मेरे विधान सभा क्षेत्र जावरा में सेटिलमेन्ट हुआ जो सेटिलमेन्ट के लिये जो कर्मचारी आये उन्होंने पैसे लेकर के इतनी बेईमानी की कि इन्होंने किसी का खेत कहां लिख दिया और किसी का खेत कहां पर, मैंने शिकायत की 2 साल में इसके बहुत प्रश्न किये उसमें कुछ सुधार भी हुआ है, लेकिन जिन लोगों ने बेईमानी की थी उन लोगों को सजा नहीं मिली और न ही उनको आइडेंटीफाइ किया कि वह कहां गये हैं जिन्होंने सेटिलमेन्ट में बेईमानी की है उनको सजा मिलनी चाहिये, क्योंकि सेटिलमेन्ट गलत करके जाता है उसमें किसान आपस में लड़ते रहते हैं, मुकदमेबाजी करते रहते हैं. दूसरा राजस्व बोर्ड को पनिशमेन्ट बना रखा है राजस्व बोर्ड में आपको अच्छे अधिकारी नियुक्त करना चाहिये राजस्व न्यायालय में, लेकिन उसका दुरूपयोग हो रहा है या तो आप खराब अधिकारी जिनकी सीआर खराब है उसको वहां पर डाल देते हैं या आप जिससे नाराज हैं वहां पर भेज देते हैं उससे क्या होता है कि कई लोग राजस्व बोर्ड में जाकर सरकारी भूमि, मेरे यहां जावरा में प्रीमियर ऑयल मिल की भूमि है उसको राजस्व बोर्ड

में जाकर किसी तरह से नकली कागज पेश करके अपने नाम से करवा लिया फिर हाईकोर्ट से आदेश ले लिया कि इस आदेश का पालन किया जाये. राजस्व बोर्ड के बारे में मुझसे ज्यादा आपको जानकारी होगी, क्योंकि आप विभाग के मंत्री हैं तो मेरा आपसे अनुरोध है कि राजस्व बोर्ड में अच्छे अधिकारियों को रखें सरकारी जमीन की हेराफेरी में राजस्व बोर्ड सहयोग न करे इसकी आपको व्यवस्था करनी चाहिये. दूसरा मध्यप्रदेश में जीनिंग फैक्ट्रीरी की जितनी भी जमीने हैं वह सब भू-माफिया खा गया है ऑफटरआल जीनिंग फैक्ट्री की जमीन लीज पर आपने दी थी मेरे यहां पर पिपोदा में, पिपलिया मंडी में, ताल में, आलोक में, मैं जावरा की बात नहीं कर रहा हूं प्रत्येक स्थान पर आपको जीनिंग फैक्ट्री का डिटेले मंगवाना चाहिये और इसके बाद यह देखना चाहिये भू-माफिया उसको किस प्रकार से खा गया उसकी बिल्डिंग भी बन गई हो तो आप उसको बुल्डोर से हटवा दीजिये और जब अपने कब्जे में लीजिये, भू-माफिया उस पर निगाह टिकाये हुए हैं. भू-माफिया तो बहुत ही पॉवरफुल है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिवपुरी में कहा था कि भू-माफिया मुझे हटाना चाहता है. हमारे गृहमंत्री जी कहते हैं कि भू-माफिया के कारण बहुत सारे क्राईम्स हो रहे हैं, यह बात सही है कि भू-माफिया आपके विभाग के अंदर ही पल रहा है इसलिये आपको डंडा चलाना पड़ेगा, यह मेरा आपसे अनुरोध है. इनवेस्टमेन्ट मीट जितनी भी हुई हैं उनमें जितनी भी जमीनें हैं, कई भू-माफियाओं ने एम.ओ.यू.साईन कर दिये जमीने ले लीं उनके करार का पालन नहीं किया, कोई इंडस्ट्रीज नहीं लाये उनसे आप जमीन वापस नहीं ले पाये मेहरबानी करके आप उद्योगमंत्री जी से तालमेल करिये और जितनी जमीने भू-माफियाओं ने एम.ओ.यू के मार्फत से हासिल की हैं उनसे आप वापस लीजिये.

उपाध्यक्ष महोदय—डंडा चलाने के लिये रामपाल जी से कह रहे हैं और बुल्डोजर चलाने के लिये गौर साहब से क्यों नहीं कहा आपने.

श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा—दोनों को चलाना चाहिये.बुल्डोजर आप भी चला सकते हैं भू माफिया में,जितना उन्होंने जमीनें प्लाट काटे हैं आवास में, उन सब पर बुल्डोजर चलाइये आप. जेट्रोफा के नाम से सैकड़ों एकड़ जमीन लोगों ने ले ली है, जेट्रोफा प्लान्टेशन फेल हो गया है और वह जमीन उनसे आप वापस लीजिये. देखिये, कितनी जमीन है ? झाबुआ में 2 हजार हेक्टेयर मैसर्स इंडियन आइल कारपोरेशन, मैसर्स मिशन बायो फ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड मुंबई को 2 हजार हेक्टेयर झाबुआ में, फिर झाबुआ में 2 हजार हेक्टेयर मैसर्स डेंजी एग्रोटेक प्रायवेट लिमिटेड मुंबई को झाबुआ में, फिर **1** हजार **5** हेक्टेयर नेचुरल्स मेरठ को मुरैना में, फिर मुरैना में **2000** हेक्टेयर, फिर मुरैना में **2000** एकड़, एक गुड़गांव की कंपनी को मुरैना में **968** हेक्टेयर और मेरे क्षेत्र अशोकनगर जिले में **2000** हेक्टेयर सोया इंडस्ट्रीज को दिया है, फिर **2000** हेक्टेयर इन्दौर को बड़वानी में, फिर बड़वानी में **2000** हेक्टेयर और फिर छतरपुर में **2000** हेक्टेयर इतनी सारी जमीनें जेट्रोफा प्लांटेशन के नाम पर ले ली हैं और वह उनके कब्जे में है, वापिस लीजिये, जेट्रोफा प्लान्टेशन फेल हुआ है और अगर सफल हुआ है, तो मत लीजिये मेरा आपसे यही अनुरोध है इसी तरह से पवन ऊर्जा के नाम से भी बहुत जमीनें हड़पी हैं जहां पवन ऊर्जा लगाई है और जरूरत से ज्यादा ली है, तो वह भी वापिस करिये आप. मुंगावलि के पास में क्रिमिनल ट्राइब्स हैं काफी मोगिया, उनको बसाने के लिये **14** बसाहटें हुई थीं, उनका रिकार्ड बिल्कुल अव्यवस्थित था हमने बहुत कोशिश की, तो **14** बसाहटों का रिकार्ड मिल गया लेकिन **3** बसाहटों क आप लिख लीजिये, उनका रिकार्ड अभी तक नहीं मिला है. माधोपुर, कमलापुर और चिंकूपुर, उसके कारण वह न तो लोन ले सकते हैं, न सरकारी सुविधा लेते हैं किसान और मारे मारे घूमते हैं और एस.सी.एस.टी. के लोग हैं, तो मेहरबानी करके आप इनका रिकार्ड उपलब्ध कराइये, इन तीनों का मैंने इसीलिये विधान सभा प्रश्न भी किया है. मंत्री जी, आपको एक प्रतिनिधि मंडल मिला था पीपल्यामंडी का, उन्होंने कहा था कि सी.एम. ने घोषणा की है वहां पर सब तहसील की, तो मेहरबानी करके उसकी आप जल्दी घोषणा

करिये इसी प्रकार झाबुआ का एक प्रतिनिधि मंडल आपको मिला था, जिनके पास बिल्डिंग है लेकिन उनके आसपास की जमीन गलती से नजूल में लिख दी गई है, तो वह उस जमीन को वापिस लेने के लिये अपन ने विभिन्न समाजों के नाम से बहुत मामूली पैसों पर कई जमीनें दी हैं, मेहरबानी करके एक कैबिनेट नोट बनाइये, बिल्डिंग उनकी है तो आसपास की जमीन भी उनको मिलना चाहिये, वह नई जमीन नहीं मांग रहे हैं. ओला वृष्टि के बारे में अब कहूंगा.

डॉ. गौरीशंकर शैजवार-- वैसे महेन्द्र सिंह जी बड़े ज्ञान की बातें करते हैं और उनका भाषण तथ्यात्मक भी रहता है, लेकिन आज तो ऐसा लग रहा है जैसे कि वह कोआर्डिनेटर हों या डिक्टेट कर रहे हों.

श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा--मैं तो निवेदन कर रहा हूं और सुझाव दे रहा हूं.

उपाध्यक्ष महोदय--आज उनके बयां करने का अंदाज थोड़ा सा दूसरा है.

डॉ. गौरीशंकर शैजवार--धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय, आपने मेरा समर्थन किया.

श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा--मुझे भू माफियों के प्रति बहुत ही आक्रोश है और जिस प्रकार से विभाग सख्ती नहीं कर रहा है, उसके प्रति भी आक्रोश है और वह मैं व्यक्त कर रहा हूं. उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे यह अनुरोध है कि हमारे यहां ओला पड़ा,पूरे प्रदेश में कई जगह ओला पड़ा, पाला पड़ा, अतिवृष्टि हुई मेरे अशोक नगर जिले में चने की फसल हुई नहीं, उसका अफलन हो गया क्योंकि उसको धूप नहीं मिली, लगातार पानी बरसते रहा. उन किसानों को राहत नहीं मिली, किसानों ने आंदोलन किये हैं, गुना में भी किये हैं और अशोकनगर में भी किये हैं, हमारे विधायक साथी गोपाल सिंह जी चंदेरी बैठे हुए हैं, यह भी उस आंदोलन में शामिल हुए. वहां जब किसान बोलते हैं, प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव जी आये हुए हैं, मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि हमारे अनुरोध पर उन्होंने एक कमेटी बनाई एडीशनल कलेक्टर और फिर उसमें एम.एल.ए. को भी रखा है गोपाल सिंह जी को रखा है और जिला पंचायत अध्यक्ष को कि यह आकलन करेगी कि किन किन किसानों

का पटवारियों ने सही आकलन नहीं किया है और उनको मुआवजा मिलेगा, उस कमेटी की बैठक एक भी नहीं हुई है और जिसमें गोपाल जी को नहीं बुलाया गया है और जब किसान तहसीलदार के कार्यालय में गये, उन्होंने यह भी आदेश दिया था कि डोंडी पिटवाइये, उन्होंने यह भी आदेश दिया था कि ऑन लाइन करिये किन किसानों को मुआवजा मिला है, ताकि जिनको नहीं मिला है, वह कम से कम आवेदन कर सकें, पर वह भी नहीं हुआ, तो जब किसान तहसीलदार के पास गये, कि साहब, आप लिस्ट तो बता दीजिये, पटवारी नहीं बता रहे हैं, कौन- कौन से किसानों को मिला है बता दीजिये, ताकि जिनको नहीं मिला है, वह आवेदन कर सकें, तो तहसीलदार उनको कहता है कि गेट आउट, तहसीलदार उनको कहता है साले, गोली मार देंगे यह टेप है इनके पास. यह आपसे कल मिलने गये थे, आप मिले नहीं, यह आपसे मिलेंगे उस किसान को लेकर, तो यदि हमारे अधिकारी-कर्मचारी एक तो किसानों की फसल बरबाद हुई, उसके बाद अगर वह लिस्ट लेने जाता है, तो उससे इस तरह का व्यवहार करते हैं, वह जनता के सर्वेन्ट हैं, हमारे किसान के सामने उनको हाथ जोड़कर खड़ा होना चाहिये कि बताइये आपको क्या तकलीफ है ? यह एटीट्यूड होना चाहिये, उसकी बजाये वह अधिकारी बारबार साले शब्द का उपयोग कर रहा है, गेट आउट कह रहा है, यह भी कह रहा है कि गोली मार दो बदमाशों को, तो मैं यह कहना चाहता हूं कि किसानों को बदमाश कहना, यह गोपाल सिंह जी आपको टेप देंगे. आपने अभी एक प्रश्न के उत्तर में एक्शन लिया है, सस्पेंड किया है, तो मेरा आपसे यह अनुरोध है कि वह टेप देखें और उसके बाद सख्त एक्शन लेने का कष्ट करें. एक बात का और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस बात को इन्श्योर करें मंत्री जी कि जिन किसानों को मुआवजा नहीं मिला है, पटवारी की गलती के कारण, पटवारी ने आकलन नहीं किया है, चंदेरी तहसील के 150 गांव में एक पैसा नहीं मिला है, सिर्फ 18 गांवों को मिला है, अशोक नगर जिले में सबसे बड़ा अन्याय जहां कि सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, आप इसको लिखवा लीजिये, तो यदि यह सब किसान आंदोलन और आक्रोश करें, तो जब तक आप इसको लॉजिकल कन्क्लूजन पर नहीं ले

जायेंगे, आप मेहरबानी करके अशोकनगर जिले में यह इन्श्योर करिये डोंडी पीटकर, मैंने कलेक्टर को चिट्ठी लिखी कि आप इस कमेटी का प्रचार-प्रसार करिये, डोंडी पीटिये और लोगों को खबर करिये ताकि जिनके साथ अन्याय हुआ है, वह लोग आपके पास आ सकें, मैंने एक झोला भर कर एप्लीकेशन्स उनको दी हैं, मैंने खुद दौरा करके एकत्रित की हैं, तो आपसे अनुरोध है कि उन सब किसानों के साथ न्याय होना चाहिये. अगर आपने गुना, कलेक्टर ने कह दिया कि हमने देख लिया है, सब लोगों को मिल गया है, यह एटीट्यूड ठीक नहीं है क्योंकि जितने भी आवेदन आये हैं, उसमें बहुत समय लगेगा. आप एक स्पशल टीम भेज दीजिये अशोक नगर और वह स्पेशल टीम वहां पर जांच करे और जिन गरीबों को वास्तव में चने के अफलन के कारण या ओले के कारण नुकसान हुआ है और बच गये हैं, उनकी लिस्ट बनाइये, भले ही उसके लिये आपको वित्त मंत्री जी को अलग से बजट के लिये अनुरोध करना पड़े. एक समय जब था जब ओलावृष्टि के लिये हमारे मुख्मंत्री हड़ताल पर बैठे थे केन्द्र सरकार के विरूद्ध कि हमको पैसा नहीं मिल रहा है. मेरा आपसे अनुरोध है कि अब वह हड़ताल पर क्यों नहीं बैठ रहे हैं कि केन्द्र पैसा नहीं दे रहा है, आप भी उनके साथ भूख हड़ताल पर बैठिये. आप वहां न बैठें, लेकिन मेहरबानी करके इन किसानों के साथ न्याय करिये.

श्री रामपाल सिंह--दिल्ली में आपकी सरकार थी, इसलिये बैठना पड़ा था, अब जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको भी साथ देना था, आपने साथ नहीं दिया.

श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा--अब हम आपका साथ देंगे, आप बैठिये तो सही अगर नहीं मिलता है तो और बजट आपके पास कम है तो केन्द्र से लाइये जरा, यही अनुरोध है.पिछली बार आपको बैठना पड़ा था, इस बार नहीं बैठना पड़ेगा, आप मांगेंगे और वह दे देंगे ऐसा मुझे विश्वास है.

उपाध्यक्ष महोदय--अब समाप्त करें.

श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा--वह पैसा लायें और मेहरबानी करके बजट प्रोवीजन करवाइये वित्त मंत्री जी से इसमें आप विशेष ध्यान दें और मेरे जिले के और अन्य जगहों पर जहां पर

ओलापीड़ित किसानों के साथ अन्याय हुआ है, उसको दूर करें आप और पटवारियों के आतंक से मुक्ति दिलवाइये.

श्री दुर्गालाल विजय (श्योपुर)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय राजस्व मंत्री जी द्वारा राजस्व विभाग से संबंधित मांगों के समर्थन में खड़ा हुआ हूं और मांगों का समर्थन करता हूं. जैसा अभी उल्लेख हुआ, वास्तव में राजस्व विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है और इसमें भूमि से संबंधित भूमि प्रबंधन का, भूमि के नियोजन करने का, किसानों के खेतों पर जाने के रास्ते का प्रावधान करने का, नजूल की भूमि सुरक्षित करने का, सिंचाई के लिये लोग अपने खेतों में पानी संचालित करा सकें, इसका प्रबंध करने का और निस्तारी अधिकारों का उपयोग ठीक से हो सके, इसका भी प्रबंध करने का काम राजस्व विभाग की तरफ से किया जाता है और विशेषकर के किसानों के भू अधिकार अभिलेख को ठीक तरीके से रखना, सुरक्षित रखना, खसरा, खतौनी, नक्शा उन्हें समय पर उपलब्ध हो सके और उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप किसान उन खसरा खतौनी और नक्शे का ठीक से उपयोग कर सकें, इसके लिये उनको ठीक से संरक्षित रख कर और किसानों को उपलब्ध कराना, इसके साथ साथ ईश्वर न करे, यदि कोई प्राकृतिक आपदा आ जाये, तो ऐसे प्राकृतिक आपदा के समय किसानों को राहत प्रदान करने क काम भी इस राजस्व विभाग के माध्यम से किया जाता है. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मध्यप्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को और राजस्व विभाग के मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं. बहुत सारी कठिनाइयां हैं, जो किसानों के सामने लंबे समय से चली आ रही थीं, उन कठिनाइयों का निवारण करने की दृष्टि से बहुत सारे निर्णय आपके द्वारा किये गये और वह निर्णय करने के कारण से नीचे स्तर पर उसका बदलाव किसानों को परिलक्षित हुआ है और उसके कई लाभ भी किसानों को प्राप्त हुए हैं. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहला काम जो राजस्व विभाग ने किया है, वह मजरा टोले जो वर्षों से राजस्व ग्राम बनने की प्रतीक्षा में थे, राजस्व ग्राम नहीं हो पाने के कारण से उन मजरे टोलों में

राजस्व ग्राम के लिये जो आवश्यकताएं होती हैं, उनकी पूर्ति करने का काम संभव नहीं हो पाता था. कई ऐसे मजरे टोले, जिनकी जनसंख्या 200 से अधिक है, ऐसे मजरे टोले, जो राजस्व ग्राम से 2 किलोमीटर की दूरी पर हैं, उनमें प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री सड़क नहीं बनाई जा सकती और कई ऐसे कार्य, जिनके अंदर यह शर्तें निर्धारित हैं कि ये कार्य राजस्व ग्राम में ही सम्पन्न किये जा सकते हैं, इसके कारण से उन मजरे टोलों के लोग उससे वंचित हो जाते थे. मैं मंत्री जी एवं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जिस प्रकार की घोषणा की थी, उसके अंतर्गत त्वरित गति से इस कार्य को आगे बढ़ाया गया है. इसमें लगभग 647 मजरे टोलों को चिह्नित किया गया था और 647 मजरे टोले ये 42 जिलों में विभाग ने चिह्नित किये. चिह्नित करने के बाद इन्हें राजस्व ग्राम का दर्जा देने के लिये भू-अधिकार अभिलेख बनाने के लिये आदेशित किया. यह बताते हुए प्रसन्नता है और विभाग ने जिस गति से काम किया है, उसके अनुरुप अक्टूबर,2014 तक 550 मजरे टोलों को राजस्व ग्राम का दर्जा प्राप्त हो जायेगा, जो 97 बचे हुए गांव है, उनको मार्च,2015 तक पूरा करने का जो लक्ष्य हमारी सरकार ने लिया है, हमारे मंत्री जी ने लिया है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं. यह सब मजरे टोले जब गांव का स्वरुप ले लेंगे, इनके भू-अधिकार और पूरे अभिलेख सुनिश्चित हो जायेंगे तो निश्चित रुप से उनकी दैनिक कामकाज में कठिनाइयां दूर होंगी और ऐसे लाभ जो राजस्व ग्राम को प्राप्त होते हैं, वह भी उनको ठीक तरीके से प्राप्त हो सकेंगे. मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार एवं विभाग ने बंदोबस्त के रिकार्ड को ठीक करने का काम किया है. इसको डिजिटलाइजेशन जो नई तकनीक है, उस नई तकनीक के अनुरुप लाने का काम करने की दृष्टि से यह काम तेज गति से चल रहा है. इसमें एक और इन्होंने जो नया प्रयोग कया है, वास्तव में सराहनीय है. नई तकनीक से सर्वे कार्य प्रारंभ करने का विभाग ने निर्णय किया है और इसमें बहुत सारे जो सर्वे के और सीमांकन के प्रकरण लंबित रहते थे, उनको एक मशीन के माध्यम से करने का काम विभाग की

ओर से संचालित किया गया है. इसके कारण से समय की बहुत बचत हो रही है. समय की बचत के साथ साथ किसानों को उसका लाभ भी प्राप्त हो रहा है.

मैं मंत्री जी को सुझाव के साथ निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो नई तकनीक आई है, इस नई तकनीक का पटवारी और राजस्व निरीक्षक को ठीक तरीके से प्रशिक्षण देने की आश्यकता है. कई पटवारी और आरआई इसके संबंध में ठीक तरह से समझ नहीं पाने के कारण से उस मशीन की तकनीक में कहीं न कही दिक्कत आती है. उसके कारण से वह सर्वे ठीक से नहीं हो पाता है. कम्प्यूटराइज्ड नकलें देने का और किसानों को जो उनका रिकार्ड है, नकल तो कम्प्यूटर से दी जा रही है. लेकिन पुराना जो रिकार्ड है. उसको भी कम्प्यूटराइज्ड करने का काम विभाग की ओर से किया जा रहा है. यह महत्वपूर्ण काम है. अगर यह ठीक तरीके से कम्प्यूटराइज्ड हो जायेगा तो किसानों को यह नकलें इन्टरनेट और क्योस्क के माध्यम से प्राप्त हो सकेगी. कोई भी किसान, आज कल किसानों के लड़के भी, नौजवान पढ़े लिखे हैं. आईटी के सेक्टर में भी अच्छे जानकार हैं. गांव गांव में फेसबुक और यह चल रहे हैं. इसके कारण से इसका लाभ ठीक तरह से कसानों को प्राप्त होगा. जब रिकार्ड हम हमारे प्रदेश का ऑन लाइन आ जायेगा, इसके लिये विभाग और हमारे मंत्री जी ठीक तरीके से प्रयत्न कर रहे हैं. मैं यह निवेदन करना चाहता हूंकि सरकार ने और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण काम किये हैं. विशेष करके कार्य को सम्पादित करने के लिये पटवारी, राजस्व निरीक्षक, तहसीलदार और जो भी राजस्व का अमला लगा रहता है,उनके कार्य करने का कोई स्थान नहीं होता. ठीक तरीके से बैठने की जगह नहीं होती, उसके लिये लगातार मांग की जाती रही है और गांव के लोग भी कहते हैं कि स्थान बन जाय, जहां पर कार्यालय हो. यह लोग ठीक से बैठें, समय पर मिल सकें, कहीं तलाशना नहीं पड़े. इसके लिये राजस्व विभाग ने विशेष प्रबंध किया है. इनके पटवारी, राजस्व निरीक्षक और भू अभिलेख अधीक्षक इन सभी के लिये कार्यालय और भवन बनाने की दृष्टि से न केवल कार्यालय

बल्कि आवास भी बनाने की दृष्टि से वर्ष 2013-14 में 3990 करोड़ की राशि अनुमोदित की थी और 2014-15 में यह राशि बढ़ाकर 6150 करोड़ रुपये की गयी है. इससे निश्चित रुप से इनके कार्यालय और आवास बनेंगे, उसी स्थान पर जहां पदस्थ रह सकेंगे. तो इसका बहुत ठीक तरीके से लाभ मिलेगा. केवल इतना ही नहीं वाहन जो अस्थाई रुप से इनको किराये पर लेने के लिये कहा गया था. वह जब समय समाप्त हो जाता था, तो फिर उनको काम करने में कठनाई आती थी, इस कठिनाई को दूर करने की दृष्टि से विभाग की ओर से स्थाई आदेश स्थाई रुप से वाहन अपने पास रखने के लिये निरन्तर कार्य करने की दृष्टि से और आवागमन की दृष्टि से लोगों को ठीक तरीके से काम करने का मौका मिले, इसके लिये स्थाई आदेश जारी किये गये हैं. प्राकृतिक आपदा की दृष्टि से अभी काफी कुछ कहा गया है. मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं कि मध्यप्रदेश में भाजपा की सरकार आने के बाद पिछले 10 वर्षों में प्राकृतिक आपदा की दृष्टि से जितनी संवेदनशीलता सरकार ने एवं मुख्यमंत्री जी दिखाई है, वह पिछले वर्षों में देखने को नहीं मिलती थी. पूरा परिवर्तन किया गया है और कई बार ऐसी परिस्थिति विद्यमान हुई, जब राहत की बड़ी भारी आवश्यकता किसानों को थी, लेकिन बारम्बार कहने के बाद यूपीए की केन्द्र सरकार ने समय पर राहत राशि उपलब्ध नहीं कराई. आलोचना की दृष्टि से मैं कोई बात नहीं करना चाहता. लेकिन वास्तविक तथ्यों के आधार पर कहना चाहता हूं कि हमारे िस प्रदेश के अन्दर जब प्राकृतिक आपदा आई और ओला,पाला के कारण से रबी की फसल बहुत अधिक नष्ट हो गयी थी, उस समय प्रदेश की सरकार की ओर से यह बत केन्द्र सरकार को बताई गयी कि फसलें बुरी तरह प्रभावित हुई हैं, नष्ट हुई हैं. 575 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता की मांग की गयी थी और जो सर्वे दल आया, तो 388 करोड़ रुपये उन्होंने स्वीकृत भी किये. लेकिन राशि केवल 262 करोड़ रुपये प्रदान की गयी, लेकिन किसानों की भरपाई करने की दृष्टि से बहुत आवश्यक था कि पूरे किसानों को पैसा दिया जाय. मैं मुख्यमंत्री जी एवं हमारे राजस्व मंत्री जी को

धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने सरकारी खजाने से, मध्यप्रदेश के खजाने से 660 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई. केवल इतना ही नहीं 2014 में जब ओलावृष्टि हुई. तो उस असामयिक ओलावृष्टि के अंदर भी इसी प्रकार की स्थिति निर्मित हुई. सरकार की ओर से 2131 करोड़ रुपये राहत राशि प्रदेश की सरकार ने वितरित की. उपाध्यक्ष महोदय, दो सुझाव देना चाहता हूं. ऐसे भी बहुत सारे काम सरकार की ओर से किये गये हैं. अगर किसी को जहरीला कीड़ा काट ले, बिजली गिर जाय, अन्यथा उसको इस प्रकार की प्राकृतिक आपदा आ जाय, तो बहुत सारे प्रबंध प्रदेश की सरकार ने किये हैं और प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री जी ने इसमें बहुत राशि भी बढ़ाई है और समय पर देने का निर्णय किया है. मैं दो तीन सुझाव..

उपाध्यक्ष महोदय -- अब दो सुझाव आपने कहे थे एक कह दिया और एक और दे दीजिये.

श्री दुर्गालाल विजय-- उपाध्यक्ष महोदय, समय सीमा का ध्यान है. मैं जल्दी ही अपनी बात को समाप्त करूंगा. उपाध्यक्ष महोदय, महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे 4-5 गांव बड़ोदा क्षेत्र के अंदर चकबंदी हुई थी लगभग 30 साल हो गये लेकिन चकबंदी के अनुसार उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ. मैंने पिछले समय में विधानसभा में प्रश्न किया था तो यह आश्वासन दिया गया था कि यह चकबंदी 3 माह के अंदर निरस्त कर दी जायेगी.लेकिन वो आज तक निरस्त नहीं हुई है. मंत्री जी से निवेदन है कि इस विषय पर गंभीरता से ध्यान देकर के चकबंदी निरस्त करें तो किसानो में जो आपसी विवाद है उसका समाधान हो जायेगा.

उपाध्यक्ष महोदय, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि श्योपुर जिले मे वनवासियों की भूमि पर अन्य प्रांतों के लोगों ने आकर के कब्जा जमाना प्रारंभ कर दिया है . प्रलोभन दबाव में कई प्रकार से वो सहरिया आदिवासी की जमीन पर निरंतर काबिज होते जा रहे हैं. श्योपुर जिले के कराहल तहसील में यह बात बहुत अधिक है, मंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस मामले को

गंभीरता से लेकर के ऐसे अन्य प्रांतों से आये हुये लोग जिन्होंने जबरिया कब्जे कर लिये हैं उनको बेदखल करके वनवासियों की भूमि संरक्षित कराई जाये.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अंतिम बात माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता की तरफ ध्यानाकर्षित कराना चाहता हूं. जो शासकीय पट्टेदार हैं उनको जिन शर्तों पर पट्टा दिया जाता है उन शर्तों के अनुरूप उनको भूमि स्वामी तो कर दिया जाता है लेकिन भूमि स्वामी के अधिकार उनको प्राप्त नहीं होते हैं. खसरा और खतोनी के अंदर यह टीप लगा दी जाती है विक्रय से वर्चित जिसके कारण से किसानों को ऋण लेने में भूमि को बंधक रखने में खेती के कृषि यंत्र खरीदने की दृष्टि से कोई बैंक ऋण देने को तैयार नहीं होती है, कहा यह भी जाता है कि कलेक्टर से अनुमति प्राप्त करें, कलेक्टर अनुमति देते नहीं है, लोग चक्कर काट काटकर परेशान होते हैं. अगर कोई किसान किसी भी कारण से जमीन उसके पास कम है उसके 6 लड़के हैं मेहनत करके ज्यादा बढ़ा सकते हैं, दूसरे स्थान पर उबड़ खाबड़ जमीन लेकर के रकवे को बढ़ाना चाहते हैं और उस परिवार को वहां पर रखना चाहते हैं तो कलेक्टर की अनुमति की आवश्यकता है. मैं यह निवेदन करना चाहता हूं , गांव में झगड़ा हो जाता है, विवाद हो जाता है, गांव छोड़कर के लोग जाते हैं तो यह शासकीय पट्टे वाला जो मामला है, मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 165 से अलग करना चाहिये इसके बारे मे विचार करके इसमें एक आदेश जारी करना चाहिये जिससे किसानों को आने वाली इस कठिनाई का निवारण हो सके. उपाध्यक्ष जी आपने समय दिया उसके लिये धन्यवाद.

उपाध्यक्ष महोदय -- **आज भोजनावकाश नहीं होगा. माननीय सदस्यों के लिये भोजन की व्यवस्था सदन की लॉबी में की गई है. माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि अपनी सुविधानुसार भोजन ग्रहण करने का कष्ट करें.**

अब, मैं जिन भी माननीय सदस्यों के नाम पुकारूंगा वे कृपया 5-5 मिनिट में अपनी बात को समाप्त करेंगे, पहले दो वक्ताओं को ज्यादा समय दिया गया है. माननीय अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था है कि 5-5 मिनिट समय सबको दें, आपसे अनुरोध है कि सदन की कार्यवाही चलाने में निर्धारित समय सीमा में बोलने का कष्ट करें.

श्री रामनिवास रावत (विजयपुर) -- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय राजस्व मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत मांग संख्या 8, 9 35 और 28 का विरोध करता हूं तथा कटौती प्रस्तावों का समर्थन करता हूं.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्व विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग है, अगर यह विभाग ठीक और ईमानदारी से काम करने लगे तो मैं समझता हूं कि प्रदेश में 50 प्रतिशत तक अपराधों में कमी आ सकती है. जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि प्रत्येक ग्राम पंचायत को पटवारी हल्का इकाई माना जायेगा, और मान भी रहे हैं लेकिन आपने पटवारियों की भर्ती नहीं की, पटवारियों के पद रिक्त पड़े हैं. इसी प्रकार मुख्यमंत्री जी ने तहसीले बनाने की तो घोषणायें कर दीं लेकिन नायब तहसीलदार और तहसीलदारों के पद रिक्त पड़े हुये हैं जिससे किसानों को भारी परेशानी आ रही है.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले राजस्व रिकार्ड मेन्युअल रूप से संधारित होता था पटवारी इसको हस्तलिखित कॉपी में भरते थे, उसके बाद कम्प्यूटर का युग आया और कम्प्यूटर में संधारित होने लगा जिस व्यक्ति ने बैठकर के वह कम्प्यूटर में संधारित किया और करवाया गया ऐसे मेरे जिले के अलावा प्रदेश में कई ऐसे किसान हैं जो राजस्व अभिलेख में पहले जो था उनकी पहले से जमीनें भूमि स्वामी स्वत्व के रूप में अभिलेख में दर्ज है वह भूमि स्वामी हैं लेकिन कम्प्यूटर वाले अभिलेख में वह भूमि शासकीय दर्ज हो गई है ऐसे लाखों किसान हैं, मेरे विधानसभा क्षेत्र की वीरपुर तहसील में तो 25 प्रतिशत ऐसे किसान हैं. पोहरी विधानसभा के माननीय सदस्य ने प्रश्न

लगाया था वहां पर भी यह समस्या किसानों के साथ में है तो ऐसे किसान जिनके भूमि स्वामी स्वत्व की जमीन होते हुये भी कम्प्यूटर अभिलेख में शासकीय दर्ज हो गई है उनकी न तो KCC बन रही है न ऋण मिल रहा है और जब वह खसरे में राजस्व प्रलेख में सुधार के लिये आवेदन देते हैं, प्रक्रिया चलाते हैं तो 10-10, 20-20 साल पहले की कहीं से नकल लाकर के जिले से कहीं दूसरी तहसील से लाकर के किसान प्रस्तुत करते हैं उसके बाद भी 20-20 हजार रूपये 25-25 हजार रूपये तहसीलदार, आईआई और पटवारी मांगते हैं और वह निरस्त कर देते हैं, किसान परेशान हो रहा है. मंत्रीजी आपमें इच्छा शक्ति है, दम है मेरे वीरपुर तहसील को विशेष रूप से दिखला लें जिससे किसान अपनी सुविधा से वंचित न हो और राजस्व में दुरूस्तीकरण के जो आवेदन दिये हैं उनको ठीक करायें.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश के प्रत्येक गांव में जैसा कि हमारे वरिष्ठ साथी महेन्द्र सिंह जी कालूखेड़ा जी कह रहे थे, मैं भी चाहता हूं कि आप एक आदेश जारी करें, हर गांव के लिये आवश्कता है. आप और हम जन प्रतिनिधि हैं सभी लोग इस समस्या से पीड़ित हैं और भुगतते भी हैं. जब किस गांव में शासकीय भवन मंजूर किया जाता है चाहे वह स्वास्थ्य विभाग का भवन हो चाहे स्कूल विभाग का भवन हो चाहे ग्राम पंचायत का हो, खेल मेदान का मामला हो उसके लिये भूमि निश्चित नहीं है. हम यह चाहते हैं कि इस तरह के सभी प्रकरणों को ठीक करने के लिये आप एक विशेष अभियान चलायें और अभी भी जो शासकीय भूमि है उसे सुरक्षित करके राजस्व प्रलेख में दर्ज करवायें और सभी जगह एक परिसर स्थापित करें तो यह दिक्कत नहीं आयेगी.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने तो देखा है आपने भी कई बार देखा होगा कि प्राथमिक शाला भवन की बिल्डिंग यहां बनी हुई है और अतिरिक्त कक्ष किसी अन्य जगह जाकर के बन रहा है और तीसरा अतिरिक्त कक्ष किसी तीसरी जगह पर जाकर के बन रहा है तो इन चीजों को आप ठीक करायें.

उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश में कई गांव ऐसे बसे हुये हैं जहां पर वो बसे हैं वो जमीन आबादी में घोषित नहीं है और बेचारे परेशान होते हैं और शासन की कई योजनाओं का वे लाभ नहीं ले पाते हैं, प्रदेश में ऐसे गांव का परीक्षण कराया जाये जिस स्थान पर बसे हैं ऐसे कितने ग्राम हैं जिनकी भूमि आबादी में घोषित नहीं है उन्हें आप आबादी में घोषित करायें.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जनसंख्या निरंतर बढ़ती जा रही है कृषि की जमीन कम होती जा रही है, संख्या के अनुपात में कम हो रही है. मंत्री जी को सुझाव है कि जिन जिन नदियों ने बीहड़ बनाये हैं, चंबल नदी में जो बीहड़ बना है उस बीहड़ का समतलीकरण करवाकर के किसानों के जितने भी शिक्षित युवा बेरोजगार लड़के हैं और जो भूमिहीन हैं उनको प्राथमिकता देकर के उनको आप जमीन के पट्टे दे दें, आपको समतलीकरण कराने की भी आवश्यकता नहीं है वे स्वयं उस जमीन को समतल कर लेंगे . राजस्व विभाग में कई क्षेत्र ऐसे हैं हमारे माननीय श्योपुर वाले सदस्य भी जानते हैं कि हमारे जिले में कई किसान ऐसे हैं जिन्हें भूदान बोर्ड ने पट्टे दिये राजस्व विभाग ने पट्टे दिये पता नहीं राजस्व रिकार्ड में क्या हेरा फेरी हुई कि वो भूमि वन विभाग के पास में है, वन विभाग कहते हैं कि जिन लोगों ने 25-25 साल खेती की, जमीन जोती उन जमीनों को वन विभाग छुड़ाकर के उन्हें अतिक्रामक दर्जा देकर के वन विभाग कार्यवाही करता है . कम से कम इस चीज को दिखवायें और संयुक्त सीमांकन राजस्व और वन विभाग के पूर्व से ही आदेश हैं, अगर वह वन भूमि के हो गये हैं तो ऐसे लोगों को कहीं अन्यत्र पट्टे दिलाये जायें. नक्शाविहीन ग्राम, प्रदेश में आज भी कई ग्राम ऐसे हैं जो नक्शाविहीन हैं जहां सीमांकन नहीं हो पाता है और रोज विवाद होते हैं ऐसे नक्शाविहीन ग्रामों के जल्दी से जल्दी नक्शा तैयार करायें.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लोक सेवा गारंटी में आपने सीमांकन लिया है, बंटवारा लिया है, नामांतरण लिया है, कई चीजें ली हैं लेकिन आप इनको रिव्यू करायें जिस जिले में आप दौरा

करते हैं आप देखें कितने लोगों ने सीमांकन के आवेदन दिये, कितने लोगों ने चालान दिये . मेरे पास चालान लेकर के ऐसे ऐसे लोग आते हैं जिनको जमा किये हुये 2-2 साल हो गये हैं लेकिन सीमांकन नहीं हो रहे हैं. अभी अधिकारियों को चिंता नहीं है लोक सेवा गारंटी का पूर्णतया पालन नहीं हो रहा है. इसी तरह से बंटवारे भी नहीं हो रहे हैं, और मजरों-टोलों को राजस्व ग्राम में घोषित करने की बात आई गई है..

उपाध्यक्ष महोदय, मजरे-टोलों को राजस्व ग्राम घोषित करने की बात आयी. मैं चाहता हूं कि जन प्रतिनिधियों से भी आप प्रस्ताव ले लें. उनका परीक्षण करा लें. परीक्षण के बाद यदि साध्य पाये जाते हैं तो उन्हें राजस्व ग्राम घोषित कर दें.

उपाध्यक्ष महोदय, आरबीसी के संबंध में कहना चाहूंगा. प्रदेश में बिजली के करंट से मरने वालों की संख्या मंगायेंगे तो मैं समझता हूं कि हर साल 5-10 हजार मरने वालों की संख्या होगी. मैंने एक विधानसभा प्रश्न में देखा था कि अकेले डबरा तहसील में 400 लोग एक साल में मरे थे. यह बड़ी दुर्भाग्य पूर्ण स्थिति है कि ऐसे परिवारों को हम कहीं से आर्थिक सहायता नहीं दे पाते. इसमें आर्थिक सहायता देने की कृपा करेंगे.

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहूंगा कि भूमियों पर जो भू-माफिया कब्जा कर रहा है. भू-माफिया कब्जा करके उसे आवास के रुप में बेच देता है. इस पर सख्ती से रोक लगायें. यह सख्ती से रोक तब लगेगी जब ऐसे भू-माफियाओं की जमीन को जो आरटीआई कार्यकर्ता निकलवाते हैं, उनको प्रकाशित करते हैं, उनकी शिकायत करते हैं. उनको सुरक्षा प्रदान की जाये. मैं इंदौर का एक वाकया बताना चाहूंगा. इंदौर के खजराना ग्राम की भूमि सर्वे क्र.328/23, 331/23,332/36,336/1 लक्ष्मण नगर गृह निर्माण सोसायटी मर्यादित ग्रुप हाऊसिंग सोसायटी ने जो उसके पास कृषि की जमीन थी, उसने ग्रुप हाऊसिंग के नाम से सोसायटी बनायी और सदस्यों को देने की बात की. जब वह आरटीआई एक्टिविस्ट पत्रकार राजेश गुप्ता ने इस मामले को निकाला, प्रकाशित की तो उसे

जान से मारने की धमकी दी जा रही है और उसको धौंस दी जा रही है कि'तुम आगे बढ़े तो तुम्हें जान से मार दिया जायेगा.' ऐसे लोगों को सुरक्षा देने का काम करेंगे तो कृपा होगी.

उपाध्यक्ष महोदय, ओले-पाले की बात 139 में आपने ग्राह्य की है. मैं समझता हूं कि अगर सत्ता पक्ष चर्चा आने देगा तो पूरी बात वहां पर उठायेंगे. माननीय मंत्रीजी मैंने जो सुझाव दिये उन पर जरुर कार्रवाई करेंगे, मैं ऐसी अपेक्षा रखता हूं.धन्यवाद.

उपाध्यक्ष महोदय-- आपके महत्वपूर्ण सुझाव थे. मंत्रीजी भी गंभीरता से उनको नोट कर रहे थे.

श्री गोविन्द सिंह पटेल(गाडरवारा)-- उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्व विभाग की मांगों का समर्थन करते हुए कटौती प्रस्ताव का विरोध करता हूं.

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्व विभाग एक वृहत विभाग है. भूमियों का संधारण, संचालन एवं उनकी सीमाओं की सुरक्षा करना, उनका पूरा अद्यतन रिकार्ड सुरक्षित रखना राजस्व विभाग का कार्य है. इसका अमला भी बड़ा है. गांव-गांव उसकी इकाई है. कलेक्टर से लेकर कोटवार तक उसकी इकाई है. हर जगह पूरी भूमियों की व्यवस्था उसका नापतौल, उसकी सीमाओं की सुरक्षा, उसका अद्यतन रिकार्ड अब तो कम्प्यूटराईज़ रिकार्ड भी हो गये हैं.

उपाध्यक्ष महोदय, प्राकृतिक आपदायें जैसे बाढ़, ओला पाला या किसी रोग से फसलों को नुकसान होता है या जनहानि, धनहानि जो भी होती है उसमें किसानों को राहत राशि देने का जिम्मा भी राजस्व विभाग का होता है. माननीय मुख्यमंत्रीजी और माननीय राजस्व मंत्रीजी द्वारा राजस्व विभाग में जो त्रुटियां थी उनमें सुधार कर उसमें अच्छे कार्य किये जा रहे हैं. मेरे कल के प्रश्न में यह बात आयी है कि गांव से 2-2,3-3 किलोमीटर दूर 500-500 की आबादी के जो मजरे-टोले थे वह उस गांव के अधीनस्थ टोले या खेड़े उपेक्षित माने जाते थे. उनकी व्यवस्था नहीं होती थी. चाहे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क हो या मुख्यमंत्री ग्राम सड़क हो उनसे वह इसलिए नहीं जुड़ पा रहे थे कि

उनकी अपनी कोई स्थानीय इकाई नहीं थी. प्रधानमंत्री सड़क या मुख्यमंत्री सड़क या अप्रोच सड़क उस गांव को बनती है जिसका खुद का अस्तित्व हो लेकिन अस्तित्व न होने के कारण वह मजरे-टोले उपेक्षित थे और वहां के निवासी उपेक्षा की जिन्दगी जी रहे थे. उनमें विकास के काम भी नहीं हो पा रहे थे. लेकिन पिछले समय सरकार ने उन मजरो-टोलों को राजस्व ग्राम में बदलने का निर्णय लिया वह बहुत सराहनीय कदम है.

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने मंत्रीजी से गांवों की जानकारी ली थी. जबलपुर और भोपाल संभाग के 163 गांव के जो मजरे-टोले हैं उनका परिवर्तन राजस्व ग्राम में किया गया है. अब उनमें सड़कें भी बनेंगी. उऩमें शिक्षा की सुविधाएं भी पहुंचेंगी और विकास कार्य वहां पर होंगे. फीडर सेपरेशन की लाईन भी गांव तक पहुंचायी जाती थी लेकिन मजरे-टोलों में फीडर सेपरेशन की लाईन का काम नहीं हो पा रहा था लेकिन अब राजस्व ग्राम बनने के बाद वहां पर बिजली की सुविधा भी मिलेगी. सरकार का यह सराहनीय कदम है.इसके लिए मैं मुख्यमंत्रीजी और राजस्व मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं.

उपाध्यक्ष महोदय, पहले प्राकृतिक आपदा आती थी और उसमें जो फसल का नुकसान चाहे बाढ़ से, चाहे ओला-पाला से या किसी भी किस्म की प्राकृतिक आपदा से होता था तो बहुत न्यूनतम राहत राशि मिलती थी. आरबीसी 6(4) अंग्रेजों के जमाने का कानून है. उसके मुताबिक प्रति एकड़ 200-500 रुपये मिल गये तो लोग चेक लेने भी नहीं जाते थे. इतनी कम राशि में किसानों का फायदा नहीं होता था. लेकिन जबसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयी और माननीय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री बने उन्होने अधिकारियों से बात की कि धारा 6(4) क्या है? आरबीसी की धारा 6(4) बनाता कौन है. इसमें परिवर्तन सरकार करती है तो हमारे मुख्यमंत्रीजी ने एक साहसिक कदम उठाया और कहा कि हम सरकार में हैं हम इसमें परिवर्तन करेंगे. उस परिवर्तन के बाद आज जो प्राकृतिक आपदा आती है उसमें सरकार किसानों को पर्याप्त मदद देती है. मैं उदाहरण

के रुप में बता देना चाहता हूं कि पहले प्राकृतिक आपदा आने पर असिंचित जमीन में मुश्किल से 1500 रुपये मिलते थे लेकिन आज 8500 रुपये मिलते है. सिंचित जमीन में 3000 रुपये हेक्टेयर मिलते थे लेकिन अब 11000 हजार रुपये हेक्टेयर मिलते हैं. सब्जी फल आदि में उस समय मुश्किल से 12 हजार रुपये हेक्टेयर तक नुकसान मिलता था लेकिन आज 25 हजार रुपये हेक्टेयर का मुआवजा मिलता है. प्राकृतिक आपदा आने पर पान-वरेजा फसल का पूरा नुकसान हो जाता है उसमें मुश्किल से 15 हजार रुपया हेक्टेयर मिलते थे लेकिन अब 30 हजार रुपया हेक्टेयर तक नुकसान मिलता है.

उपाध्यक्ष महोदय, प्राकृतिक आपदा आने पर बैल-गाय चाहे नदी में बह जाये या किसी पेड़ के गिरने से या आग से जलने पर उनकी मृत्यु हो जाये तो पहले मुश्किल से 1500 रुपया मिलते थे लेकिन आज बैल-गाय के नुकसान पर 7500 रुपये तक मिलते हैं. यदि प्राकृतिक आपदा से भैंस की क्षति हो जाये तो उसमें पहले 3 हजार रुपये मिलते थे, अब 10 हजार रुपये तक मिलते हैं. बकरी में पहले 400 रुपये मिलते थे, अब उसमें भी 800 रुपये तक मिलते. मुर्गा-मुर्गी तक में पहले 40 रुपये मिलते थे, अब 80 रुपये तक मिलते हैं. किसी दुर्घटना में जन हानि हो जाये. बाढ़ में बह जाये, पेड़ गिर जाये या आकाशीय बिजली से किसी व्यक्ति की मौत हो जाये तो पहले उसमें उसको 50 हजार रुपये मिलते थे, अब डेढ़ लाख रुपये तक का मुआवजा दिया जाता है.

समय 1.19 बजे सभापति महोदय (श्री रामनिवास रावत) पीठासीन हुए.

सभापति महोदय, मकान की क्षति हो जाये. बाढ़ से, आग से जल जाये तो मुश्किल से 4 हजार रुपये मिलते थे, लेकिन अब 27 हजार रुपये तक सरकार दे रही है. पहले तहसील को इकाई माना जाता था. ओला-पाला का नुकसान पूरी तहसील में नहीं होता है. कहीं आधे खेत में हो जाता है और आधे खेत में नुकसान नहीं होता है लेकिन अब प्राकृतिक आपदा में किसान के खेत को इकाई

बना दिया है. यदि किसान के एक खेत में भी नुकसान है तो उसमें भी फसल का मुआवजा दिया जायेगा.

सभापति महोदय, खसरा आदि की नकलें कम्प्यूटरीकृत कर दी गई है. अब वह कम्प्यूटरीकृत नकलें किसानों को मिलती हैं. पहले पटवारियों के पास चक्कर लगाते थे लेकिन नकलें नहीं मिल पाती थी लेकिन अब कम्प्यूटरीकृत नकलें मिलने लगी हैं. ऐसे ही नामांतरण, बंटवारा आदि की भी समय सीमा तय कर दी गई है.

सभापति महोदय - आप सीधे सुझाव दे दें.

श्री गोविन्द सिंह पटेल - सभापति महोदय, राजस्व विभाग भी कृषि क्षेत्र से संबंधित है और ज्यादा लोगों का उससे वास्ता रहता है तो उसमें थोड़ी चर्चा करूंगा. सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि जैसे प्राकृतिक कोई ओला, पाला की आपदा आई, इस साल थोड़ी विसंगति भी आई है क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर ओले पाले का नुकसान हुआ है. पूरे प्रदेश में 48 जिले प्रभावित हैं. 10-10 बार कहीं कहीं ओले गिरे हैं तो मेरा कहना है कि जो सर्वे होता है, वहां जो सर्वे टीम जाती है तो जितना परसेंट नुकसान होता है 20, 25, 30, 50, 70 परसेंट जो भी नुकसान हो तो वह तुरन्त स्पाट पर जाकर पंचनामा के तौर पर हर किसान का लिखे. एक पावती उस किसान को भी दें कि इनका नुकसान 25 परसेंट है क्योंकि वे पेंसिल से लिख लेते हैं..

सभापति महोदय - कृपया समाप्त करें.

श्री गोविन्द सिंह पटेल - सभापति महोदय, सिर्फ एक मिनट. उसकी पावती भी दें. ई-पेमेंट की व्यवस्था के बारे में चर्चा करना चाहता हूं. ई-पेमेंट एक अच्छी बात मानते हैं लेकिन मैंने उसमें पाया है कि उसमें भी खामियां हैं. पहले चैक के द्वारा वितरण होता था और गांव में जांकर विधायक या जनप्रतिनिधि चैक बांट देते थे. लेकिन कोई गलत चैक नहीं ले पाता था. ई-पेमेंट में दिक्कत आई है, अब चाहे वह व्यवस्था वित्त विभाग की हो, चाहे राजस्व विभाग की हो, उसमें सुधार की

आवश्यकता है. अभी मेरे क्षेत्र में बात आई, बहुत बड़े पैमाने पर वहां पेमेंट हुआ. इसलिए जो रोजगार सहायक कम्प्यूटर के द्वारा ई-पेमेंट की व्यवस्था की गई तो जो किसान थे, 2-4 जगह ऐसी समस्या आई कि उन रोजगार सहायकों ने वास्तविक किसानों के नाम पर न होकर रोजगार गांरटी योजना के खातों में पेमेंट हो गया, भले ही उस पेमेंट को दोबारा ठीक किया गया. लेकिन ऐसी उसमें दिक्कत हो जाती है तो मेरा कहना है कि वह पूरानी चैक वाली व्यवस्था ही अच्छी है. चैक वाली व्यवस्था में गांव में जाकर चैक बंटते हैं. मैं माननीय राजस्व मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि राजस्व विभाग में बहुत बड़े परिवर्तन किये गये, आपने बोलने का जो समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद.

श्री निशंक कुमार जैन (बासौदा)- सभापति महोदय, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और आपके माध्यम से मंत्री जी से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि जिस तरह से आपने मजरे टोलों को राजस्व ग्राम में तब्दील किया है, विदिशा जिले में 58 मजरे टोले राजस्व ग्राम में परिवर्तित करने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है. मेरा आपसे अनुरोध है कि उन 58 मजरे टोलों को भी यदि आप सम्मिलित कर लेंगे तो विदिशा जिले के किसानों पर उन मजरे टोले के निवासियों पर बड़ी महती कृपा होगी क्योंकि इससे उनकी जो आधारभूत सुविधाएं हैं वह हम पूरी कर सकेंगे. दूसरा, पूरे मध्यप्रदेश में फर्जी रजिस्ट्री का खेल बड़े पैमाने पर चल रहा है और इसकी मूल जड़ है यदि पटवारी से रिपोर्ट लेना अनिवार्य कर दें तो मैं समझता हूं कि कोई भी फर्जी रजिस्ट्री नहीं हो सकती. मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि हम नियम में संशोधन करें क्योंकि यदि मेरी 4 बीघा जमीन है. मैंने दूसरी किताब बनावाई और वापस रजिस्ट्री कर दी. एक जमीन तीन-तीन बार बिक रही है. तीनों लोग आपस में लड़ रहे हैं, जगह-जगह झगड़े फसाद

हो रहे हैं. लोग थाने कचहरियों में जाकर परेशान हैं. यदि पटवारी का सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दें तो मैं समझता हूं कि इन अनावश्यक विवादों से हम बच सकेंगे.

साथ ही मध्यप्रदेश में जितने तहसीलदार और नायब तहसीलदार के पद रिक्त हैं सभी जगह हैं, विदिशा जिले में भी हैं. यदि वे पद शीघ्र भरा जाएंगे तो मैं समझता हूं कि ग्रामीणों को किसान भाइयों को न्याय मिलने में ज्यादा सुविधा होगी. साथ ही साथ एक बात और मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी आपने सरकार ने एक्सचेंज के पॉवर कलेक्टर से लेकर शासन में निहित कर लिये हैं. निश्चित रूप से किसी एक कलेक्टर से गलती हो सकती है. किसी एक अधिकारी से गलती हो सकती है, उसके फलस्वरूप पूरे अधिकार जो कलेक्टर के पास एक्सचेंज के थे, वे आपने वापस ले लिये हैं. अब यदि किसी किसान की जमीन सड़क में जा रही है. किसी की डेम में जा रही है, किसी का पट्टा अनुपयोगी है और वह पट्टा एक्सचेंज के लिए कलेक्टर को आवेदन देना चाहता है तो वह पॉवर कलेक्टर पर नहीं हैं. आप सख्त कानून के साथ कुछ बंदिशों के साथ यदि आप कलेक्टर को वापस अधिकार देंगे तो जो किसान कलेक्टर, कमिश्नर और शासन के चक्कर लगता घूम रहा है वह समय-सीमा पर उसका कार्य पूरा कर सकेगा क्योंकि कलेक्टर के पास पहले भी बहुत सख्त अधिकार थे, सख्त कानून के तहत एक्सचेंज होता था. मगर एक कलेक्टर की गलती से पूरे प्रदेश के किसान परेशान हो रहे हैं. कई जगह सड़कों का काम नहीं हो पा रहा है. अब जो नया भू-अधिग्रहण कानून है, उसमें किसान की सहमति लेना आवश्यक है. 4 गुना आपको मुआवजा देना पड़ेगा. लेकिन जैसा मैंने कहा यदि आप ऐसा करेंगे तो मैं समझता हूं कि ज्यादा बेहतर होगा.

सभापति महोदय, मध्यप्रदेश सरकार ने सिटीजन चार्टर लागू कर रखा है कि इतने दिन में नामांतरण, इतने दिन बंटवारा, और जो भी राजस्व के मामले होंगे, वे समय-सीमा पर निपटेंगे मगर वास्तविक स्थिति इसके विपरीत है. कोई भी काम समय-सीमा में नहीं हो पा रहा है. इसके

पीछे कहीं न कहीं हमारा सिस्टम दोषी है. क्योंकि नायब तहसीलदार और तहसीलदार, एसडीएम इनके ऊपर प्रोटोकाल की भी जिम्मेदारी है. इनके ऊपर लॉ एंड आर्डर की भी जिम्मेदारी है, हम माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहेंगे कि जिस तरह जिला मुख्यालय पर प्रोटोकाल ऑफिसर की व्यवस्था होती है, उसी तरह सब-डिवीजनल मुख्यालय पर एक प्रोटोकाल ऑफिसर और एक लॉ एंड ऑफिसर की नियुक्ति की व्यवस्था करें जिससे कि तहसील का और सब-डिवीजन का काम समय-सीमा में पूरा हो सके. सभापति महोदय, एक बात और आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि तहसीलदारों पर सभी आरोप लगाते हैं जरा भी गलती हो हम भी आरोप लगाते हैं, मगर हमें कहीं न कहीं यह भी देखना पडेगा कि तहसीलों में कितने पद रिक्त हैं? उन पदों की पूर्ति के लिए कहीं किसी शिक्षक को अटैच कर रखा है, कहीं किसी को अचैट कर रखा है. इधर शिक्षा का कार्य प्रभावित हो रहा है, उधर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं और यदि तहसील के आसपास ही एक राजस्व कालोनी का भी निर्माण किया जाय जिससे कि सभी लोग एक ही जगह रहने लगेंगे. सभापति महोदय, आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद.

श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर (मांधाता) - सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 8, 9, 35 और 58 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं. राजस्व विभाग किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण विभाग है और जो आरबीसी एक्ट में फसलों को जो नुकसान अतिवृष्टि से, अनावृष्टि से, ओले से पाले से होता था, पहले आरबीसी एक्ट में जो मुआवजे की राशि थी वह ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर थी. जब से मध्यप्रदेश में श्री शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार बनी है. एक खेत पर देखने के लिए नुकसान, वास्तविक रूप से नुकसान हुआ, आरबीसी एक्ट को दिखवाया और उनका लगा कि यह राशि

बिल्कुल नहीं के बराबर है, जो राशि मिलती थी वह 50 रुपए, 100-200 रुपए मिलती थी. अब उस आरबीसी एक्ट में परिवर्तन करके किसान की फसल का जो नुकसान होता है, उसमें पर्याप्त राशि देने का प्रावधान किया गया है. इसके लिए मैं सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं. दो चीज और रही है कि एक लगान जो अंग्रेजों के जमाने की है उस लगान में भी परिवर्तन होना चाहिए. दूसरा, मेरा निवेदन है कि अनावारी की पद्धति, वह भी बहुत पुरानी पद्धति है, उसमें बदलाव के आदेश दिये गये थे, शायद वे बदलाव के आदेश हो गये होंगे और अनावारी पद्धति नये हिसाब से होना चाहिए ताकि किसान को वास्तविक रूप से उसका लाभ भी मिल सके. इसका भी निराकरण जल्दी से जल्दी हो, अनावारी पद्धति के आदेश तो हुए थे.लेकिन वह शायद निर्ण की स्थिति में आ गए होंगे, उसमें भी उसका प्रावधान किया जाना चाहिए, ताकि किसानों को उसका वास्तविक रूप से लाभ मिल सके. सभापति महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि राजस्व विभाग में जहां अमूल चूल परिवर्तन तो मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है और हमारे राजस्व मंत्री जी भी लगातार आप सब देख रहे होंगे कि प्रश्नोत्तर काल में जिस प्रकार से वह कार्यवाही कर रहे हैं, वह सराहनीय हैं, पर मैं यह चाहता हूं कि कुछ चीजें ऐसी हैं, राजस्व विभाग में जैसे अविवादित नामांतरण और फौती नामांतरण. फौती नामांतरण 25-25 साल पहले बाप मर गया, उसका फौती नामांतरण हुआ नहीं और इसलिए एक समय सीमा तय होना चाहिए. मैंने तो पटवारियों को कई बार कहा है कि तुम्हारे हलके में कोई मर जाए तो उसको 13 रोज के अंदर उसके यहां चले जाओ तो पटवारी आया और उसके प्रति संवेदना भी हो जाएगी और आप वहां से सारा काम करके ले आओ तो मेरा कहना है कि फौती नामांतरण और अविवादित नामांतरण की समय सीमा बहुत कम होना चाहिए और इसे समय सीमा में बांधने की आवश्यकता है. ज्यादा से ज्यादा 30 दिन की सीमा होना चाहिए और अगर यह काम हो गया तो किसानों का बहुत बड़ा फायदा होगा. मान्यवर सभापति महोदय, मेरा इसमें एक और निवेदन है कि आरबीसी एक्ट में हमने सब

फसलों का किया, पर कपास और हमारे निमाड़ का कपास है, बैतूल में कपास पैदा होता है, उसको आरबीसी एक्ट में जो फसल को नुकसान होता है, उसका उसमें प्रावधान नहीं किया गया है. इसलिए कपास को भी आरबीसी एक्ट में जो फसल का नुकसान होता है, उसका भी प्रावधान उसमें किया जाना चाहिए. पूरे मध्यप्रदेश में पटवारियों के खिलाफ बात आई और पटवारियों ने कई जगह गड़बड़ियां करीं, जिसका वास्तविक रूप से नुकसान हुआ, उसको छोड़ दिया और जो पटवारी से सेटिंग कर लेता है, कभी कभी घर बैठकर ही उसका काम पटवारी करके उसको मूल्यांकन की राशि उसे मिल जाती है, जबकि वास्तव में उसकी फसल का नुकसान ही नहीं हुआ है. मैं इसमें एक सुझाव देना चाहता हूं कि मंत्री जी भगवान करे कि ऐसी स्थिति न आए, पर जब ऐसी स्थिति आए, पटवारी मूल्यांकन करने खेत में जाए, गांव के लोग भी साथ में जाते हैं, पंचनामा बनाए और उसे रसीद दे दें कि तुम्हारी फसल का नुकसान हुआ है और मैं इतना लिख रहा हूं. यदि उसके पास वह रसीद रहेगी तो बाद में वह अदला बदली नहीं कर सकता, नहीं तो सेटिंग हुई, तहसील या टप्पा कार्यालय में हो जाती है, इसलिए उसको रसीद दी जानी चाहिए और तत्काल दो रोज के अंदर उस पटवारी हलके की फसल बर्बाद हुई है तो उसमें एक काम और कर दें तो मामला और ज्यादा ठीक हो जाएगा. ग्राम सभा बुलाकर नाम वहां पुकारे जाएं कि इन इन किसानों की फसल बर्बाद हुई है, क्योंकि गांव में एक दूसरे के विरोधी रहते हैं, अगर किसी की फसल का नुकसान नहीं हुआ तो वह कहेगा कि तेरी तो फसल का नुकसान हुआ ही नहीं. एक हफ्ते के अंदर यह प्रक्रिया हो जाएगी, तो यह सारी शिकायतें जो आती हैं राजस्व विभाग में और जो मूल्यांकन नहीं कराया, जिसका नुकसान हुआ है, उसको वास्तविक लाभ नहीं मिलता है तो यह सारी समस्याओं का हल हो सकता है.

श्री रामनिवास रावत—माननीय मंत्री जी यह अच्छा सुझाव है, नोट कर लें.

श्री रामपाल सिंह—जी सभापति महोदय.

श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर—सभापति महोदय, मेरा एक और सुझाव है, सीमांकन और नप्ती पहले जरीब से नप्ती होती थी, लेकिन अब राजस्व विभाग से आदेश आ गए हैं वह बंद कर दी गई और अब मशीनों से सीमांकन होगा. अब मशीनें हैं नहीं और इसीलिए मेरे पुनासा तहसील में 185 गावं हैं, अब 2-2 साल, 4-4 साल नंबर नहीं आएगा, सीमांकन के लिए इसलिए मशीनों की तत्काल हर तहसीलों में जहां आर.आई. सर्किल हैं, एक आर.आई. सर्किल में सीमांकन मशीनों की व्यवस्था की जाए और हमारे यहां तो तत्काल 2-3 मशीनों के आदेश करें ताकि सीमांकन की राशि ज्यादा तेज गति से हो सके.

सभापति महोदय—कृपया दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें.

श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर—सभापति महोदय, राजस्व विभाग का मामला है. मेरा इसमें एक और निवेदन है कि हमारे भोले भाले आदिवासी, गरीब, किसान जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं. यह कभी पैसे लेने के लिए अपनी जमीन गिरवी रख देते हैं. रजिस्टर्ड इकरार नामा उनसे करा लिया जाता है और उनसे कभी कभी तो पावर आफ अटार्नी तक लिखा ली जाती है और वह पैसे समय सीमा में वापिस नहीं करता तो इकरारनामा या लिखा पढ़ी सीधे रजिस्ट्रार के यहां जाकर डायरेक्ट वह रजिस्ट्री करवा लेते हैं और किसान को पता ही नहीं रहता है और जब बाद में किसान को पता लगता है कि उसकी जमीन चली गई है और नामांतरण भी हो गया है और उसे पता नहीं, इसलिए मेरा इसमें एक सुझाव है और इसे सख्ती से लागू किया जाना चाहिए ताकि दलाली भी खत्म जाएगी, इसके लिए रजिस्ट्री के समय किसान ही रजिस्ट्री कराने जाए, भले ही वह पावर आफ अटार्नी हो या इकरारनामा हो, चाहे गिरवी रखी है, इस पर सख्ती से पाबंदी लगाई जाए. बहुत किसान आते हैं, जो बेचारे रोते हैं और कहते हैं कि हम क्या करें इसमें बताओ. इस पर भी मेरा सुझाव है कि इसमें भी थोड़ी सख्ती की जाए. एक सुझाव मेरा और भी है कि जहां जहां पटवारी हलके हैं, उनका मुख्यालय है, वहां पटवारी आवास बनाएं ताकि जो उनकी शिकायत रहती है, वह

खत्म हो जाएगी. इसके साथ मेरे विधानसभा क्षेत्र में किल्लोद है, जो इन्दिरा सागर के डूब क्षेत्र से बचा हुआ है, वहां एक टप्पा कार्यालय होना चाहिए. वहां के डूब क्षेत्र के लोग 50 किलोमीटर दूर तक जाते हैं, टप्पा कार्यालय विधिवत होना चाहिए और वहां नायब तहसीलदार का न्यायालय चले. मैं माननी मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इसमें तत्काल आदेश दे दें. मेरे यहां एस.डी.एम. न्यायालय हो गया, लेकिन उनके निवास के लिए एफ टाइप भवन नहीं है. वहां यह भवन बनाने की कृपा करें. सभापति महोदय, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं भोपाल शहर के अंदर ही हुजूर तहसील है, उस तहसील में एक हथाईखेड़ा एक पटवारी हलका है, जो 15 नंबर का है. वहां पर एक आर.आई. सरदार सवर्णजीत सिंह है, जिसके खिलाफ अनरेक प्रकरण चले हैं. वह सजा याफ्ता है, कहीं जाता नहीं है और जाकर सजायाफ्ता आदमी वहां वापिस आ जाए और फिर से आर.आई. बन जाए, उसने एक किसान को जिसके पास हुजूर में पटवारी हलके में साढ़ आठ एकड़ निजी जमीन है. पहले लिखा कि जमीन बेच दी, जब किसान ने कहा कि यह मेरी खेती की जमीन है, पता नहीं वह आर.आई. वन विभाग के लोगों को ले आया और यह कह दिया कि यह सरकारी जमीन है और सरकारी जमीन में अब वृक्षारोपण करेंगे और गड्ढे खुदवाना उसने चालू कर दिए, बड़े दुख की बात है कि जो सीताराम चौकसे वहां थे, जिनकी निजी जमीन थी, जब वह रोकने के लिए गए कि यह तो मेरी निजी जमीन है, आर.आई. बोला तुम्हारी एक नहीं सुनेंगे, तुमने हमारा सुना नहीं, हमने तुमसे पैसा मांग, तुमने दिया. इसलिए अब यह जमीन सरकारी है और उसने गड्ढे खुदवाना चालू कर दिए, वहां की डिप्टी रेन्जर बघेल भी चल गया और उस सदम में सभापति महोदय सीताराम चौकसे की 20 तारीख को हर्ट अटैक आने से मृत्यु हो गई है. यह मैं इसलिए कह रहां कि वह मेरे क्षे्त्र के कार्यकर्ताओं के रिश्तेदार हैं. मैं खुद वहां देखने गया और मैं चाहता हूं कि उस पटवारी के खिलाफ तत्काल सख्त कार्यवाही करते हुए उसे हटा देना चाहिए और सस्पेंड कर देना चाहिए.

सभापति महोदय—कृपया यह सब आप मंत्री जी को लिखकर दे दें.

श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर—उसकी मौत हो गई, सारे रिकार्ड जमीन के उसे पास हैं. वहां के जो एस.डी.एम. हैं उन्होंने बुलाकर माफी मांगी कि गलती से उसने गलत कर दिया है, यह आपकी निजी जमीन है. मैं राजस्व मंत्री जी से मांग करता हूं कि ऐसे आर.आई. या कोई तहसीलदार हों, उनको तत्काल जब अपने बजट भाषण में जवाब देंगे, मुझे विश्वास है कि आप उन्हें हटाएं. सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए अवसर दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद.

श्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया (बमोरी)—सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 8,9,35,58 पर आए कटौती प्रस्तावों का समर्थन करता हूं. राजस्व विभाग बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 10 वर्षों की सरकार ने इस विभाग को अछूता कर दिया है, लेकिन अब पहली बार हमें यह लगा है कि कोई कर्मठ मंत्री इस विभाग को देखने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने रखा है. मैं उनसे बहुत अपेक्षा करता हूं. जैसा हमारे पूर्व सदस्यों ने तकरीबन सभी बातें रखी हैं. मैं माननीय मंत्री जी को स्मरण कराना चाहता हूं कि पूर्व की सरकार ने अविवादित और फौती नामांतरण के लिए ग्राम सभाओं को अधिकार दिया था. सन् 2000 में ग्राम सभाओं को पूर्ण अधिकार था कि वह फौती नामांतरण और अविवादित नामांतरण वह स्वयं कर सकते हैं.मगर सन 2013 में इस सरकार ने उस अधिकार को वापिस लेकर पुनः तहसीलदारों को उस अधिकार को दे दिया और आज नतीजा यह है कि सैकड़ों हजारों की तादाद में फौती नामान्तरण वर्षों से लंबित पड़े हुए हैं. मैं माननीय राजस्व मंत्री जी को निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी बमोरी विधान सभा पिछले वर्ष ही कायम हुई है जिसमें बमोरी तहसील आपने प्रारंभ की है. आज तहसीलदार से लेकर जिले के पटवारी तक कोई भी उस ब्लाक की तहसील में नहीं बैठता है जबकि उनको मुख्यालय पर उपस्थित होना चाहिए. मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि ये निर्देश प्रसारित करें कि सभी अधिकारी मुख्यालय पर मौजूद रहें जिससे किसानों को अनिवार्य रूप से वे उपलब्ध हो सकें. हमारे जिले में अभूतपूर्व ओलावृष्टि हुई और उसके साथ ही अतिवृष्टि भी जबरदस्त हुई . जिसमें धना और चने की

फसल पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुई और किसान भूखे मरने की स्थिति में आ गए. आपने ओले का पैसा तो दिया किन्तु RBC के तहत जो अतिवृष्टि का पैसा होता है , धना और चने की फसल जो रोग से नष्ट हुई है जिसकी बीमा राशि आप काटते हैं वह पैसा किसानों को आज तक उपलब्ध नहीं हो पाया है. मैं आपसे यह मांग करना चाहता हूं कि आप अतिवृष्टि का भी पैसा उन किसानों का जिनका सर्वे हो चुका है उन तक पहुंचाने की कृपा करें. मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि मेरी विधान सभा में ओलावृष्टि के तहत जो सर्वे हुआ उसमे अनियमितताएं पायी गयी हैं और छः पटवारी और एक नायब तहसीलदार को कलेक्टर ने ससपेंड किया. मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि अनियमितताओं के कारण जिन पटवारी और नायब तहसीलदार को ससपेंड किया गया उनके कारण जिन किसानों के साथ जो अन्याय हुआ , जिनके नाम काटे गए , क्या उनके नामों पर पुनः विचार करने के लिए आप स्वीकार करेंगे. उनका सर्वे करायेंगे और उनको मुआवजे का भुगतान किस तरह किया जाएगा. आज पेमेन्ट में जो विसंगति आई है उसका मुख्य कारण ई-पेमेन्ट रहा है. चूंकि हमारी तैयारी नहीं थी और हमने बिना तैयारी के ई-पेमेन्ट सिस्टम लागु किया जिसके कारण आज किसान दर दर की ठोकरे खा रहे हैं. गुना जिले को 64 करोड़ का मुआवजा प्राप्त हुआ . मगर मुझे आश्चर्य है कि जहां एक ओर किसान दर दर की ठोकरे खा रहा है. और कलेक्टर ने 64 करोड़ रूपया बांटने के बाद एक करोड़ रूपये का सरेण्डर भी कर दिया. ये बहुत ही हास्यास्पद बात है. माननीय प्रभारी मंत्री जी जब योजना समिति में आए थे , मैं भी वहां उपस्थित था. मैने मंत्री जी को निवेदन किया और तकरीबन जिले के सभी विधायक, चाहे सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, सबने निवेदन किया और एक जांच कमेटी एडिशनल कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित की गई. उस कमेटी ने आज तक अपना कार्य प्रारंभ नहीं किया है. कोई मीटिंग नहीं बुलायी है और प्रभारी मंत्री ने भी यह स्वीकार किया था कि ओले का मुआवजा जो वितरण हुआ है उसमें अनियमितताएँ हुई हैं , मैं राजस्व मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं ,मंत्री जी ने कहा कि अगर 2-4 करोड़ रूपये की

और आवश्यकता है तो कलेक्टर को निर्देशित करें कि वह एडिशनल ग्रान्ट के लिए राज्य शासन को लिखे और वह राशि किसानों के प्राप्त हो सके. यही मैं आपसे निवेदन करन चाहता हूं. मननीय राजस्व मंत्री जी को मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी विधान सभा पूर्ण रूप से ग्रामीण विधानसभा है. उसमें एक एक पटवारी के पास 8-8,10-10 हल्के हैं आप कृपा करके किसी तरह भी , जैसा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ,माननीय शिवराज सिंह जी ने जब कहा था कि हम एक एक पंचायत में एक एक पटवारी नियुक्त करेंगे. हमारा निवेदन है कि वह जो संकल्प लिया था उसको पूर्ण करें. माननीय सभापति जी आपने जो बोलने का समय दिया उसके लिए धन्वाद.

श्री रामलल्लू वैश्य (सिंगरौली)-माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 8,9,35,58 के समर्थन में भाग ले रहा हूं. मैं सबसे पहले माननीय मख्यमंत्री जी और प्रदेश के राजस्व मंत्री जी को बधाई देता हूं. उन्होंन प्रदेश में आम जनता के हितों पर तमाम छोटे छोटे स्थानों में तहसीलें बनाई, राजस्व सर्किलें स्थापित हुईं और पंचायत स्तर पर पटवारी हल्कों का भी निर्धारण हुआ. प्रदेश में किसानों के हित में RBC और भू राजस्व संहिता में भी समय को देखते हुए काफी संशोधन हुए हैं. जिससे किसानों के हित में नये कदन उठाए हैं. अभी नई बीमा योजना आई है. मैं समझता हूं कि इससे भी किसानों को काफी राहत मिलेगी और आने वाले समय में उनको उत्पादन में भी बहुत राहत मिलेगी. प्रदेश सरकार ने बहुत कुछ किया है. मैं अपने क्षेत्र के बारे में आग्रह करूंगा कि सिंगरौली जिले में कोल माईन्स विद्युत परियोजनाएं स्थापित हैं. मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वहां के लोगो को उचित मुआवजा, निर्वाह भत्ता और अवसर के लिए बैठक हो और उनको न्याय मिल सके. प्रदेश सरकार ने राजस्व निरीक्षक एवं पटवारियों के आवास के लिए जो नियम बनाया है- कार्यालय सह आवास. इसके लिए मैं बधाई देता हूं कि, कम से कम किसानों को वहां हल्के में ही रह कर ,यदि वो निवास बन जाते हैं तो तो निश्चित रूप से किसानों को दूर नहीं जाना पड़ेगा. नहीं तो वे तहसील मुख्यालय में निवास बना लेते हैं और किसान भटकते रहते हैं. इसलिए यह जो

निर्णय लिया गया है इसके लिए मैं बधाई देता हूं. एक आग्रह करूंगा कि लंबे चौड़े आबादी के जो गांव हैं इनका टोले मजरे का पृथक राजस्व ग्राम बनाये जाने का पिछले दो तीन सालों से प्रकरण क्षेत्रों में विचाराधीन है. मैं चाहूंगा कि उनको पृथक राजस्व ग्राम बनाया जाय. ताकि समय से किसानों को उसका लाभ मिल सके. एक बात मेरे मन मैं यह आई कि जो नगरीय क्षेत्र हैं , क्योंकि राजस्व ग्राम . विधान सभा लोकसभा के आधार पर मतदाता सूचियां बनती हैं और वार्ड बने हुए हैं. कोई वार्ड एक गांव से दूसरे गांव में आता है तो नगरनिगम के चुनाव में तो मतदाता सूची में नाम जुड़ जाते हैं किन्तु वह वार्ड के हिसाब से ये यदि गांव राज्सव बना दिए जाएं , क्योंकि उनकी आबादी भी चार हजार, पांच हजार जनसंख्या की होती है. तो नगरीय क्षेत्रों में भी यदि यह चिन्हांकन हो जाता तो उससे लोगों को एक सहुलीयत होती ऐसा मेरा मत है. राजस्व ग्राम वार्ड को भी बनाया जाय चूंकि गांव के जैसे टोले मंजरे बन रहे हैं उसी तरह वार्ड को भी चिन्हांकित कर दिया जाए और बना दिया जाय तो बहुत अच्छा होगा. मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि राजस्व वन भूमि के सीमांकन काफी दिनो से लंबित है जिससे किसानों का हित जुड़ा हुआ है. इस पर किसी रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर की नियुक्ति कनरे की बात आई थी. मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वन और राजस्व भूमि के लिए डिप्टी कलेक्टर की नियुक्ति की जाय ताकि उसका कार्य हो सके. सिंगरौली जिले में मैं आग्रह करना चाहूंगा कि बन्दोबस्त सन 1921 और 1922 में हुआ था जहां कि जिन भूमियों का किस्म जंगल लिखा हुआ है और वहां आज तहसील,कलेक्टरेट बना हुआ है. ऐसे भूमि का आज भी खसरे का अवलोकन करेंगे तो कहते हैं कि फारेस्ट लिखा हुआ है, जंगल. ऐसी भूमियों की नोईयत को बदलने के लिए नये सिरे से कलेक्टरों को दिशा निर्देश जारी हों और वास्तव में स्थल के आधार पर जिस नोईयत भूमि हो वह अभिलेखों में अंकित हों. ऐसा अभियान चलाया जाय, इतना ही कहते हुए माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं. हमारे जिला सिंगरौली में दो तहसील माड़ा और सरई बना हुआ है वहां पर तहसील कार्यालय के भवन के लिए बजट प्रावधान

हो इतना कहते हुए, माननीय मंत्री जी को बधाई देते हुए , अपनी वाणी को विराम देता हूं. बहुत बहुत धन्यवाद.

श्री जितू पटवारी-- माननीय सभापति महोदय,मैं आपके ध्यान में एक बात लाना चाहता हूँ , सरकार जिस तरीके से जो भी छोटा मोटा आंदोलन होता है उसको लाठीचार्ज करने से तो कोई चूक करती नहीं है. आज एनएसयूआई के 4-5 हजार लोग थे,वहां पर लाठीचार्ज कर..(व्यवधान)

श्री शंकरलाल तिवारी—किस नियम के अधीन यह चर्चा हो रही है. (व्यवधान)

सभापति महोदय—आपकी बात आ गई,आप बैठ जाएं(व्यवधान) प्वाइंट आफ इन्फार्मेशन के तहत उन्होंने बात कह दी, आ गई बात. आप भी बैठ जाएं. (व्यवधान)

श्री शंकरलाल तिवारी—प्वाइंट आफ इन्फार्मेशन है क्या पहले वे पढ़ तो लें (व्यवधान)

वन मंत्री(डॉ. गौरीशंकर शेजवार)—सभापति महोदय, प्वाइंट आफ इन्फार्मेशन में कोई बहुत बड़ी घटना घटी हो तो एक बार जरुर उसमें बताया जा सकता है. आपने किसी को चोट का हवाला नहीं दिया(व्यवधान)

सभापति महोदय—माननीय मंत्री जी, आप वरिष्ठ हैं (व्यवधान)

श्री जितू पटवारी-- 6 लोग बेड पर हैं, 3 बेहोश हो गए हैं, 1250 हास्पीटल में भर्ती कराया गया है (व्यवधान)

सभापति महोदय-- अब कृपया बैठ जाएं. आपकी बात आ गई.(व्यवधान)यह जो बोल रहे हैं अब नहीं लिखा जाएगा.

श्री जितू पटवारी—(xxx)

श्री शंकरलाल तिवारी(xxx)

सभापति महोदय—आप भी बैठ जाएं.यह बात भी जो आ रही है उसको भी निकाल दिया जाए.

(XXX) आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया.

श्री रामप्यारे कुलस्ते(निवास)—माननीय सभापति महोदय, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों के लिए जो काम किये हैं और राजस्व जमीन पर जो किया किया है निश्चित रुप से हमारे पूर्व वक्ताओं ने जितना उल्लेख किया है, मैं समझता हूँ कि सरकार की तारीफ में वह भी कम है. माननीय सभापति महोदय, मैं पुनर्वास से संबंधित कुछ मेरे जिले की वर्तमान समस्या है उसमें मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ. अभी चुटका परमाणु विद्युत गृह, अभी चुटका नाम गांव में प्रस्तावित है. एक बार पहले बरगी बांध के निर्माण से आसपास के गांवों का विस्थापन हुआ.वर्तमान समय पर पुन: उन्हीं विस्थापित गांवों को लगभग चुटका, टाटीघाट, कुण्डा, पाठा ऐसे लगभग 8-10 गांव प्रभावित हो रहे हैं. किसानों की यह शंका है, मध्यप्रदेश की सरकार पुनर्वास नीति को मैं समझता हूँ जितना अच्छे तरीके से करना चाहती है और पिछले समय में जो पुनर्वास के तहत् सरकार ने काम किये तो उससे लगता है कि कहीं कोई आंदोलन, कहीं कोई ऐसी अप्रिय स्थिति प्रदेश में नहीं बनी. फिर भी मेरा आग्रह है कि निश्चित रुप से इस विस्थापन में लोगों को अपनी जमीन छोड़ना पड़ती है, अपने लोग छूटते हैं, घरद्वार छूटता है और ऐसी स्थिति में लोगों की जो शंकाएँ होती है, विस्थापन के बाद हम कहां जाकर के रहेंगे, हमारे कौन लोग होंगे, चूंकि यह एक मानव स्वभाव है कि इन्सान जिस जमीन पर जन्म लेता है, जहां आसपड़ौस के लोगों के साथ, अपने परिवार, अपने भाई बंधुओं के साथ में रहता है, उसका जो लगाव है इतनी आसानी से नहीं छूटता है और ऐसी परिस्थिति में जब विस्थापन के बाद हम उनको जो भी उनका मुआवजा है, जो भी उनकी पुनर्वास नीति के तहत् योजनाएँ हैं वह हम सब देकर के भी उनको विस्थापित कर दें और ऐसा छोड़ दें तो ऐसी स्थिति में भी कई तरह की अप्रिय घटनाएँ घटती हैं. मैं बरगी बांध के पुनर्वास के संबंध में कहना चाहूंगा कि वहां के जो विस्थापित लोग थे , आज भी जंगलों

की तराई में जाकर रहते हैं और जहां जिस गांव में जाकर के अपना घरद्वार बनाये है, सभापति महोदय, मैं आपको और सदन को यह बताना चाहूंगा कि अगर कहीं कोई अप्रिय घटना जब उनके साथ में होती है, कोई अच्छे संस्कार, पवित्र संस्कार वे करते हैं तो वह परिवार अकेला होता है. गांव के लोग उसको परदेसी मानते हैं, ऐसा आज भी हमारे गांव की परम्परा सी बनी है और इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस पुनर्वास नीति में कहीं कोई सरकारी लैण्ड जमीन देकर के उन विस्थापित लोगों को पुनर्स्थापित करने का अगर सरकार प्रयास करती है, काम करती है तो मैं समझता हूँ कि यह बड़ी मेहरबानी होगी, यह मेरा एक सुझाव है इसलिए जितने भी वहां के चुटका परमाणु विद्युत गृह से प्रभावित होने वाले लोग हैं, एक तो उनकी पुनर्वास नीति क्या होगी, उनके मुआवजे का निर्धारण किस तरीके से होगा, अभी वर्तमान समय में लोगों को जो शंका कुशंका है उसको लेकर के रोज अभी रैलिया निरन्तर निकाली जा रही हैं. मेरा आग्रह था इसको माननीय मंत्री जी जब अपना वक्तव्य दें तो उस समय में हमारी क्या नीति होगी, क्या हम पुनर्वास नीति, जमीन अधिग्रहण नीति किस तरह की होगी, अगर यह हम स्पष्ट कर देंगे तो निश्चित रुप से जो लोगों में एक भय का वातावरण बना हुआ है तो वह स्थिति क्लीयर होगी और मैं समझता हूँ कि उद्योग धण्धे, फैक्ट्रियां, परमाणु विद्युत गृह को स्थापित करने में लोगों का हमको अच्छा सहयोग मिल पायेगा. अंत में मैं विभाग की मांगों का समर्थन करता हुए माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे जो समय दिया, उसके लिए धन्यवाद.

श्री जयवर्द्धन सिंह(राघौगढ़)—माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 8,9,35 और 58 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ. माननीय सभापति महोदय, पिछले एक साल में जो नुकसान, प्राकृतिक आपदा, ओलावृष्टि से हुआ है उसके बारे में प्रत्येक विधायक ने बात की है और अनेक किसानों को मुआवजा भी मिला है.माननीय सभापति महोदय, मगर अब भी ऐसे हजारों किसान हैं और ऐसे किसान मैं मानता हूँ प्रत्येक जिले में हैं, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में है, प्रत्येक तहसील में हैं, जिनके खेतों पर ओलावृष्टि हुई थी मगर अभी तक उनको मुआवजा नहीं मिला है. महेन्द्र सिंह जी ने

भी इस बात उल्लेख किया था कि गुना जिले में 64 करोड़ रुपये की राशि मिली थी जिसमें अभी भी1 करोड़ 43 लाख की जो राशि है वह किसानों को नहीं मिली है और हमने खुद कम से कम गुना जिले के 2 हजार आवेदन कलेक्टर साहब को दिये थे, जहां हमने एक एक किसान का नाम लिख के उनको सबमिट किया था मगर दु:ख की बात यह है कि कलेक्टर साहब ने न तो मुख्यमंत्री की बात मानी, न जो हमारे प्रभारी मंत्री हैं, गोपाल भार्गव जी की भी बात नहीं मानी, मगर मुझे पूरा विश्वास है कि अगर रामपाल सिंह जी एक बार उनको सख्त तौर से कह देंगे तो आपकी बात वह अवश्य मान सकते हैं तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि इसको आप थोड़ा ठीक तौर से देखें तो तो ऐसे जो गरीब कम से कम 2 हजार किसान हैं उनको अभी भी मुआवजा मिल सकता है. हां, प्रशासन यह बात कहता है कि अब तो सोयाबीन की बोवनी हो गई अब कैसे मुआवजा मिलेगा,अब कैसे सर्वे होगा.

मानननीय सभापति महोदय, मैं आपको इसमें रिकमंड करना चाहता हूं कि प्रत्येक पटवारी के पास प्रत्येक हलके के बोवनी के रिकार्ड होते हैं और साथ ही मंडी में भी रिकार्ड होता है कि किसान ने इस बार कितनी फसल बेची है अगर उस रिकार्ड को हम कंपेयर करें तो उसमें भी हमको अंतर दिखाई दे सकता है कि हाँ इस किसान को इतना नुकसान हुआ था और उस तौर पर भी हम मुआवजा वितरण कर सकते हैं उससे किसानों को काफी लाभ मिल सकता है . माननीय सभापति महोदय, ओलावृष्टि के बाद जब किसानों के खेतों का सर्वे हुआ था और जिन गांवों में मुआवजा मिला है वहाँ पर जो रिकार्ड थे उसमें पटवारी के हस्ताक्षर थे, सेक्रेटरी के हस्ताक्षर थे, रोजगार सहायक के हस्ताक्षर थे और जिन गांवों में ओले गिरे हैं और जहाँ मुआवजा नहीं मिला है उन रिकाड्र्स में सिर्फ पटवारी के हस्ताक्षर हैं और जिन जमीनों का सर्वे हुआ है उसका रिकार्ड उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, तो जिन गांवों में ऐसा हुआ है उन गांवों के एक-एक खेत का रिकार्ड पब्लिक होना चाहिए. माननीय सभापति महोदय, उसके साथ-साथ अगर आज सबसे बड़ी जो कसर रही है, सर्वे और ओलावृष्टि के मुआवजे के वितरण में, उसका कारण हमारे पूरे प्रदेश में तहसीलदार और पटवारी की कमी होना है , उस

पर आपको खास ध्यान देना चाहिए. सर्वे के समय मैंने माननीय मंत्री जी से निवेदन भी किया था कि हमारे मधुसूदनगढ़ तहसील में तहसीलदारों की कमी थी और उन्होंने वहाँ पर उसके बाद तहसीलदार भिजवाया भी था और मैं आपसे मांग करना चाहता हूं कि ऐसे स्थान जहाँ पर एक पटवारी पांच-पांच हलके देख रहा है तो वहाँ पर भी हमको खास ध्यान देना चाहिए और एक-एक हलके पर एक-एक पटवारी होना चाहिए . उसके साथ-साथ पहले जो नक्शा,खसरा की नकल होती है वह प्रत्येक हलके पर मिलती थी. किन्तु आज आपने पूरा सिस्टम कम्प्यूटराईज कर दिया है तो वह तहसील पर मिलती है, सेंट्रेलाईज हो गई. मगर आपके लोक सेवा गारंटी के अंतर्गत उसमें उस नकल को प्राप्त करने में काफी दिन लगते हैं और किसानों को काफी समस्या आती है. मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आपके पास अगले पांच साल हैं तो आप इस सिस्टम को थोड़ा और कम्प्यूटराईज करें,टैक्नालॉजी को शामिल करें ताकि कम-से-कम एक-एक हलके पर कम्प्यूटर रहे जिस पर यह नकल मिल सके. उससे आपके लोक सेवा गारंटी को और बल मिलेगा. बाकी आजकल जो लोकसेवा गारंटी है उसमें हमको कोई गारंटी मिल नहीं रही है. न पटवारी सुनता है, न तहसीलदार सुनता है तो कहीं न कहीं इस लोकसेवा गारंटी के जो नियम हैं इसके पालन करने के निर्देश मिलना चाहिए. मेरे पूर्व के वक्ताओं ने भी यह बात कही थी कि ऐसे अनेक मजरे हैं, जिनमें कम से कम 100-200 घर हैं और उनको अभी भी राजस्व ग्राम में परिवर्तित नहीं किया गया है तो वह भी करना बहुत आवश्यक है और चूंकि आपने 139 की भी चर्चा स्वीकृत कर ली है तो ओलावृष्टि से संबंधित शेष बिंदु मैं बाद में कहूंगा . आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए धन्यवाद.

श्री कुंवर सिंह टेकाम(धौहनी)-- माननीय सभापति महोदय, राजस्व विभाग से संबंधित सभी मांगों का मैं समर्थन करता हूं और कटौती प्रस्ताव का विरोध करते हुए अपनी बात रख रहा हूं. राजस्व विभाग जमीन से जुड़ा हुआ विभाग है और आम जनता से सीधे उसका सरोकार है और इस संबंध में जो अभी कम्प्यूटरीकरण हुआ है, वह एक सराहनीय काम हुआ है. इतने बड़े प्रदेश में राजस्व विभाग के खसरा,खतौनी और नक्शे का कम्प्यूटरीकरण करना एक बहुत चैलेंजिंग काम था

जो इस सरकार ने किया है इसके लिए माननीय मुख्यमंत्रीजी को , माननीय राजस्व मंत्री जी को हम बधाई देते हैं, शुभकामनायें देते हैं कि यह बहुत बढ़िया काम उन्होंने किया है. पहले यह मैनुअली होता था उसमें बहुत सारे एनक्रोचमेंट होते थे , कम्प्यूटरीकरण होने से यह बंद हुआ है लेकिन उसमें अभी भी कई त्रुटियाँ हैं उसको सुधार करने की आवश्यकता है . कहीं नाम गड़बड़ है तो कहीं उनका रकबा गड़बड़ है इसलिए इसको एक समयसीमा में कार्ययोजना बनाकर निर्देशित किया जाये कि इनको अद्यतन किया जाये. इसके अलावा नामांतरण और बंटवारे का काम अभी भी लंबित है और इसको भी यथाशीघ्र समयसीमा में आप निर्देशित करे कि नामांतरण का काम सही समय पर करे. बंटवारे के काम में बहुत समय लगता है उसको भी समयसीमा में बांधने का प्रयत्न करें जिससे उसका भी काम हो जाए क्योंकि इसके कारण मुख्यमंत्री आवास योजना का ऋण लेने में बड़ी असुविधा हो रही है इसलिए इसके लिए भी व्यवस्था करें.इसके बाद पुनर्वास की बात आती है हमारे यहाँ जेपी पावर प्लान्ट, डीबी पावर प्लान्ट, आरएन पावर प्लान्ट तीन पावर प्लान्ट लग रहे हैं और जो भू-अधिग्रहण अधिनियम है, उसमें बहुत सारी विसंगतियाँ हैं , उसको ठीक करने की आवश्यकता है उनको सही ढंग से अभी तक मुआवजा नहीं मिल पा रहा है उनको उसमें रोजगार की व्यवस्था है , जो 50 प्रतिशत आपने स्थानीय लोगों को रोजगार देने की बात कही है,विस्थापितों के घर में एक सदस्य को कंपलसरी नौकरी की बात कही है वह नहीं मिल पा रही है और यदि नौकरी देते भी हैं तो उसको आंध्रप्रदेश भेज रहे हैं और तनख्वाह मात्र 5 हजार रुपये दे रहे हैं . 5 हजार रुपये में वह आंध्रप्रदेश कैसे जाएगा. आप उसको मजदूर कैटेगरी में भर्ती कर रहे हैं इसलिए जब मजदूर का ही काम लेना है तो उसको वहीं स्थानीय स्तर पर रखकर काम लें इसके अलावा जो वहाँ पर विस्थापन हुआ है उसके पुनर्वास के काम का कोई नामोनिशान नहीं है. जबकि उऩको पुनर्वास नीति का पालन करना चाहिए .मैं चाहूंगा कि राजस्व मंत्री जी यहाँ से टीम भेजकर के समय-समय पर उनका आंकलन करे कि सही में पुनर्वास नीति का पालन हो रहा है या नहीं उनको वहाँ पर

सुविधा मिल रही है या नहीं. उनको वहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोड कनेक्टिविटी , पीने के पानी की सुविधा मिल रही है या नहीं. इसको देखा जाना चाहिए. मैंने इस विषय में कई बार पत्राचार भी किया है. प्रश्न भी लगाये हैं और आज मंत्री जी का भी ध्यानाकर्षित कर रहा हूं कि जिस प्रकार से औद्योगिकीकरण बढ़ रहा है उसके अनुसार पुनर्वास नीति पर सख्त कदम उठाये जाने की आवश्यकता है . पर्यावरण प्रदूषण में हमारा सिंगरौली जिला पूरे देश में नौवें स्थान पर पहुंच गया है वहाँ पर पर्यावरण बहुत खराब हुआ है.हमारे यहाँ पर सिंगरौली में जो विस्थापन हुआ उसके बाद वहाँ बाद पेड़ लगाये जाने थे लेकिन वह पेड़ सागर, छतरपुर में लगाये जा रहे हैं मेरा कहना है कि जिस एरिया में फैक्टरी लग रही है उसी एरिया में पेड़ लगाये जाने की व्यवस्था हो. इन्हीं शब्दों के साथ आपने समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद.

श्रीमती शीला त्यागी(मनगवां)-- माननीय सभापति महोदय, मैं कटौती प्रस्तावों का समर्थन करती हूं साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुसार गरीब,किसान, मजदूर एवं एसटीएससी को खाली जमीन में व जहाँ पर वह निवासरत् हैं वहीं पर उनको पट्टे प्रदान किया जाये यह मेरा सुझाव है और साथ ही चरनोई भूमि का पट्टा व उन्हें बसाहट के लिए कालोनी के विकास के लिए बजट में कटौती का प्रावधान भी किया जाना चाहिए . माननीय सभापति महोदय, इसके पहले भी कई सदस्यों ने इस बात को यहाँ रखा है और आपके संज्ञान में यह बात लाई है. साथ ही मेरा मंत्री जी से कहना है कि शहरी व कस्बे क्षेत्र की भू राजस्व की जमीनों को सरहंगों और भूमाफिया से मुक्त कराकर गरीबों को, एससीएसटी वर्ग के बीपीएल कार्डधारी हैं , उनको आवंटित करके उन्हें बसाहट की व्यवस्था की जाये. उत्तरप्रदेश में जिस तरह से हमारी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने अपने कार्यकाल में ग्रामीण अंचल की खाली राजस्व भूमि पर महामाया आवास योजना के अंतर्गत कालोनी विकसित करके दी है अगर विश्वास न हो तो उसे देखा जा सकता है और शहरी क्षेत्रों के लिए शासकीय राजस्व व नजूल की जो जमीन थीं वहाँ पर कांशीराम साहब ने ...

सभापति महोदय--- आप मध्यप्रदेश की बात करें यह उत्तरप्रदेश नहीं है.

श्रीमती शीला त्यागी-- सभापति महोदय, मैं उदाहरण के तौर पर बात कर रही हूं मैं माननीय सभापति महोदय जी से यही गुजारिश करती हूं और माननीय मंत्री जी से आग्रह करती हूँ कि जिस प्रकार से बहन कुमारी मायावती जी ने कांशीराम शहरी आवास योजना द्वारा लाभ दिया है, ऐसा ही हमारे राजस्व मंत्री जी अपने बजट में कटौती का प्रस्ताव करे और माननीय सभापति महोदय, मेरा आखरी सुझाव है कि जो भू अधिग्रहण अधिनियम 2013 है उसके तहत स्वभूमि अधिकारी और राजस्व राशि का लाभ उनको नहीं दिया जाता है, ऐसे वह लोग हैं जो किसी तालाब, पोखरी या जो नेश्नल हाई वे के किनारे बसे होते हैं, जब उनको वहाँ से हटाया जाता है तो उनके लिए ऐसा कोई बजट में प्रस्ताव नहीं है कि वह जो पीढ़ी दर पीढ़ी 60-70 वर्षों से अपने पुरखों के द्वारा बनाए घर पर रह रहे हैं उनको तो वहाँ से खाली करवा दिया जाता है. लेकिन उनको स्थायी रूप से किसी शासकीय भूमि पर कोई प्लाट या कोई ऐसी बसाहट की व्यवस्था नहीं की जाती है. मंत्री जी से मेरी गुजारिश है कि आप इस तरह का भी कोई प्रस्ताव लाएँ जिससे कि जो गरीब किसान, मजदूर, हैं उनको भी आबादी के रूप में एससी, एसटी, को जो विस्थापित कर रहे हैं उनको राजस्व का लाभ नहीं मिल पाता है, उनको देने का प्रस्ताव करें. मेरा यही सुझाव है.

सभापति महोदय-- कृपया समाप्त करें.

श्रीमती शीला त्यागी-- सभापति जी, मैं एक मिनिट में अपनी बात समाप्त करूँगी और साथ ही साथ मंत्री जी से यह भी गुजारिश कर रही हूँ कि हमारे विधान सभा क्षेत्र में, जैसा कि राजस्व विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग है और इस विभाग के द्वारा हमारे किसान, मजदूरों का ही नहीं बल्कि सरकार का भी बहुत भला होता है. यह सरकार का बहुत ही लाभ देने वाला यह विभाग है तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जितने भी यहाँ पर बैठे हुए लोग हैं वे सब जानते हैं कि राजस्व विभाग के द्वारा जो हमारे लोगों को जो उचित सुविधाएँ मिलती हैं उनका सही लाभ मिले. जो

प्राकृतिक आपदा होती है और जो आगजनी की घटनाएँ होती हैं, जो हमारे किसान मजदूर भाई होते हैं उनकी फसल खलिहान में रखी हुई जब जल कर खाक हो जाती है तो जो राजस्व के अधिकारी, कर्मचारी होते हैं, जो पटवारी, सेक्रेटरी, होते हैं, उसका सही सर्वे नहीं करते हैं और जो वह राजस्व राशि देते हैं, जैसे मान लीजिए कोई हमारा किसान भाई सौ एकड़ का काश्तकार है उसकी पूरी फसल जलकर खाक हो जाती है तो उसको डेढ़ हजार रुपये का जब चेक उसके हाथ में मिलता है और जब उसकी बूढ़ी माँ उसको देखती है तो वह उनके लिए जले पर नमक छिड़कने जैसा होता है. मेरी आप से गुजारिश है कि कृपया भविष्य में अधिकारी कर्मचारियों द्वारा इस तरह न किया जाए. सभापति जी, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद.

श्री दिनेश राय(सिवनी)-- माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 8, 9, 35 एवं 58 का समर्थन करता हूँ और माननीय मंत्री जी से अपने क्षेत्र की समस्याएँ के संबंध में कुछ कहना चाहता हूँ.

सभापति महोदय-- समस्याएँ और सुझाव दोनों ही बता दें.

श्री दिनेश राय-- सभापति महोदय, दोनों ही चीजें मान लीजिए. प्रथम बार जीता हूँ तो कुछ बोलूँ तो उसको, निवेदन में मान लिया करो. सभापति जी, हमारे क्षेत्र में अतिवृष्टि ओलावृष्टि की राशि प्रदान की गई है. 180 गाँवों को मुआवजा दिया गया है और 150 गाँव छूट गए हैं. उसकी गलती की सजा आपने हमारे क्षेत्र के तहसीलदार को दे दी है, सस्पेंड कर दिया किन्तु उसकी सजा हमारे किसानों को क्यों. 150 गाँव का प्रावधान आप करें, उनको मुआवजा दें. अभी कल ही मैं मुख्यमंत्री जी से भी मिला, देखते हैं, समझते हैं, तो आप देखेंगे, समझेंगे, तब तक हमारा किसान जाएगा कहाँ. अतः मेरा निवेदन है कि आप जब भी भाषण दें तो हमारे जिले के लिए, 150 गाँव तो मेरी विधान सभा सिवनी प्रॉपर में हैं, उसकी तीन विधान सभा और हैं, तो पता नहीं 11 करोड़ की तो मांग अभी वहाँ के कलेक्टर महोदय ने दिया है उसका प्रावधान जरूर रखें. किसानों के हित में

ऐसा काम करेंगे, मैं माननीय महोदय से ऐसी उम्मीद करता हूँ. मेरे यहाँ जनता नगर है, शहर से लगा हुआ है, पाँच सौ झोपड़पट्टी दसों साल से है वहाँ आए दिन उन झोपड़पट्टी को तोड़ने के लिए वहाँ पर कहा जाता है. जबकि मुख्यमंत्री जी की घोषणा भी है, कहा भी गया है कि जो लोग जहाँ रह रहे हैं उनको हम नहीं हटाएँगे. अतः निवेदन है कि उस क्षेत्र में ऐसा कोई काम न हो जिससे उन गरीबों को वहाँ से हटाया जाए.

सभापति जी, कभी कभी हम देखते हैं कि राजस्व विभाग द्वारा गरीबी रेखा के कार्ड जब बनवाने आते हैं, अधिकारियों पर इतना लोड होता है कि उस कार्ड का वह सूक्ष्मता से निरीक्षण नहीं करते, पटवारी रिपोर्ट नहीं देता है, वह वहीं बैठकर उसका निरस्त कर देगा या पास कर देगा. जिसने दे ले दिया उसका पास और जो गरीब नहीं दे पा रहा है, भोला भंडारी, उसको बाहर भगा दिया. चालू, चलता आदमी, का काम हो जाता है. मेरा निवेदन है कि सबके साथ बराबर न्याय हो ऐसी उम्मीद करता हूँ.

श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर-- चलता आदमी की क्या व्याख्या है.

श्री दिनेश राय-- चलता मतलब चालू-चपत, जैसे आप लोग बहुत बोल रहे हैं हम लोग सीधी सीधी बात कर रहे हैं. सभापति जी, पटवारी जरूर हलका में रहे ऐसी मैं मंत्री जी से उम्मीद करता हूँ और जिनको हमारे क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में हटा रहे हैं उनका जरूर पुनर्वास करें. जैसे अभी बहन बोल रही थीं कि खलिहान में रखी फसल जल जाती है, इसी प्रकार किसी गरीब का मकान, दीवार, कुँआ, कोई भी, गिरता है तो उसका मुआवजा वास्तव में ऊँट के मुँह में जीरे के समान दिया जाता है, उस मुआवजे की राशि बढ़ाएँ, वास्तव में उसको कुछ मिल सके, लाखों का नुकसान होता है, हजार, डेढ़ हजार देकर आपका मुआवजा मिलता है, मंत्री जी, मेरा निवेदन है कि इतना तो मिले कि उसका लेंटर टूटे तो वह कम से कम खपरा तो डाल सके, ऐसा कुछ प्रावधान करें. सभापति जी, लखनादौन में एडीएम की घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की थी उसको तत्काल वहाँ पर बिठा दें, ऐसा मैं

निवेदन करता हूँ और संभाग की भी मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा हुई थी. मेरा आप से निवेदन है कि कृपया इसमें भी वित्तीय प्रावधान करें. सभापति जी, आपने बोलने का मौका दिया इसके लिए धन्यवाद.

सभापति महोदय-- धन्यवाद, माननीय सदस्य.

श्री सुखेन्द्र सिंह(मऊगंज)-- माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. सभापति जी, मैं यह समझता हूँ कि राजस्व विभाग हमारे आम जनमानस के लिए सबसे महत्वपूर्ण विभाग है क्योंकि हर चीज का उत्पादन होता है लेकिन जमीन का उत्पादन नहीं हो रहा है. जो भी प्रकृति है उसी पर व्यवस्था करनी है इसलिए माननीय मंत्रीजी को यह बहुत बड़ी चुनौती है. सभापति जी, मैं जिस विभाग पर बोल रहा हूँ उसमें नाप-जोख का जो मामला आता है इसमें किसान बहुत परेशान होते हैं. एक जमीन कम से कम दस बार नापी जाती है और वही घटती और बढ़ती रहती है. माननीय मंत्री जी, इसमें मेरा विशेष सुझाव यह है कि इस पर आप जरूर विचार करें कि जो भी नाप-जोख का मामला है, एक बार आवेदन लगे वह हर पटवारी और आरआई सही नाप करें, किसानों को एक ही बार उसमें प्रयास करना पड़े और जब सही नाप हो जाएगी तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है. उसमें हर तरह का नुकसान.....

सभापति महोदय-- अब आप अपने क्षेत्र की बात कह दें और सुझाव दे दें.

श्री सुखेन्द्र सिंह-- सभापति जी, हमारे क्षेत्र में तो बहुत बड़ी समस्याएँ हैं. हमने एक विधान सभा प्रश्न भी लगाया था माननीय मंत्री जी ने मुझे फोन किया था इसके लिए उनको धन्यवाद. हमारे यहाँ रीवा रियासत के समय कुछ व्यापारियों को हनुमना नगर में पट्टा दिया गया था लेकिन कतिपय कारणों से वह निरस्त कर दिया गया. जिसके कारण उसको बेचने में या कहीं भी कोई और कब्जा कर लेता है जिससे उनको परेशानी उठानी पड़ती है तो मेरा मंत्री जरी से विशेष अनुरोध है

कि उस पट्टे को पुनः बहाल कर दिया जाए, इसलिए कि वह रीवा रियासत 1947, उस समय का पट्टा है और बहुत सारी बातें हैं लेकिन मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ. धन्यवाद.

श्री इन्दर सिंह परमार(कालापीपल)-- माननीय सभापति महोदय, राजस्व विभाग जो एक प्रकार से अव्यवस्था का शिकार था उसको मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री और माननीय राजस्व मंत्री जी ने सुधारने में काफी प्रगति की है. हर क्षेत्र को सुधारने का प्रयास किया है. चाहे आरबीसी में संशोधन का विषय हो, राजस्व अधिकारियों के कार्यालय और निवास की योजना हो, कम्प्यूयटराइज्ड रिकार्ड की योजना हो या मजरे टोलों को राजस्व गाँव घोषित करने का विषय हो परन्तु फिर भी मध्यप्रदेश में राजस्व विभाग में और सुधार की आवश्यकता है. मैं कुछ सुझाव मंत्री जी के सामने रख रहा हूँ हमारे यहाँ पर नामांतरण प्रक्रिया जो है, जब कोई जमीन का क्रय विक्रय करता है और जो नामांतरण की प्रक्रिया है वह तहसीलदार के द्वारा इस आधार पर निरस्त कर दिए जाते हैं कि यह भूमि सिंचित है या नहीं है. जब राजस्व रिकार्ड से ही जो खसरे की नकल लेकर के उसके आधार पर पंजीयन होता है उसके बाद में भी जो तहसीलदार होता है, कई बार जब उसको कुछ उसका व्यक्तिगत लाभ नहीं होता है तो ऐसे प्रकरणों को, जबकि अविवादित नामांतरणों को तत्काल उनका नामांतरण कर देना चाहिए. लेकिन वह सिंचित और असिंचित का बहाना लेकर के और वैसे प्रकरणों का नामांतरण निरस्त कर देते हैं इसलिए श्रीमान् मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि इस ओर ध्यान देकर के सिंचित और असिंचित देखने का काम जब राजस्व रिकार्ड से ही पंजीयन कार्यालय में जाता है . जब राजस्व रिकार्ड से ही पंजीयन कार्यालय में जाता है तो यह पंजीयन कार्यालय का काम है कि वह उसे देखे, इसमें सुधार करने की जरुरत है.

माननीय सभापति महोदय, हमारे यहां बहुत सारे सार्वजनिक रास्ते हैं उन पर बहुत अतिक्रमण है और अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया बहुत धीमी है. यह काम राजस्व विभाग को करना होता है लेकिन लंबे समय तक संबंधित एजेंसियां व संबंधित विभाग राजस्व विभाग को लिखते

रहते हैं लेकिन उसके बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाये जाते हैं. मेरे क्षेत्र कालापीपल में दो स्थान ऐसे हैं जहां पर एमपीआरडीसी के द्वारा पोलायकला में रोड का निर्माण हो रहा है वहां अतिक्रमण है. राजस्व विभाग के द्वारा पीडब्ल्यूडी को जो जमीन एक्वायर करके दी गई थी उस जमीन का अभी तक अतिक्रमण नहीं हटा है इसलिये रोड का काम वहां पर रुका हुआ है. इसी प्रकार से एक गांव अरनियाखुर्द है यहां से प्रधानमंत्री सड़क निकली हुई है, प्रधानमंत्री सड़क का काम बाकी जगह चल रहा है लेकिन ग्राम की आबादी का जो एरिया है वहां लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है. प्रधानमंत्री रोड की एजेंसी ने राजस्व विभाग को बार-बार निवेदन किया है लेकिन आज तक भी अतिक्रमण नहीं हटा है और सड़क का काम अधूरा पड़ा है. इसके अलावा वैसे भी जो सार्वजनिक रास्ते हैं वहां पर अतिक्रमण के कारण रास्ते रुके हुए हैं. मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि ऐसे प्रकरणों का निराकरण समयावधि में करने का कष्ट करें.

सभापति महोदय, कालापीपल विधान सभा क्षेत्र सुजालपुर अनुभाग में आता है. मैं मंत्रीजी से निवेदन करता हूँ कि सुजालपुर एसडीएम कोर्ट की लिंक कोर्ट कालापीपल में शीघ्र प्रारंभ करें. कालापीपल बड़ी तहसील है वहां पर लिंक कोर्ट की आवश्यकता है. माननीय मुख्यमंत्रीजी की हमारे यहां पोलायकला और अवंतिपुर बड़ोदिया दो तहसीलों की घोषणा है यह 3-4 साल से पेंडिंग है. मुख्यमंत्रीजी की घोषणा है मंत्रीजी से निवेदन है कि इसे जल्दी से जल्दी अस्तित्व में लायें. इसी प्रकार कालापीपल तहसील में खोखराकला और नांदनी में एक टप्पा कार्यालय खोला जाये. हमारे यहां कुछ गौ-शालायें चल रही हैं इनको भूमि आवंटित करने के लिये सरकार ने नियमों में काफी सुधार किया है परन्तु उसके बाद भी कई गौ-शालायें ऐसी हैं जिनको राजस्व विभाग के द्वारा जो आवंटन तत्काल हो जाना चाहिये वह नहीं हुआ है. पोलायकला और रामपुरा कांकरेया की दो गौ-शालाओं के आवंटन का काम रुका हुआ है. मंत्रीजी इसकी प्रक्रिया और सरल करने की कृपा करें. आपने समय दिया इसके लिये धन्यवाद.

सभापति महोदय—मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करुंगा कि दो-दो मिनट में अपनी सीधी बात समाप्त करें.

श्री जसवंत सिंह हाड़ा (शुजालपुर)—सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 8, 9, 35 और 58 के समर्थन में और कटौती प्रस्ताव के विरोध में अपनी बात सीधे-सीधे रखना चाहता हूँ.

सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्रीजी और राजस्व मंत्रीजी को मैं हृदय से साधुवाद इसलिये देता हूँ क्योंकि उन्होंने राजस्व में आमूलचूल परिवर्तन करके किसानों के हित में काम किये हैं. आज ओला, पाला, तुषार व प्राकृतिक आपदा से जो नुकसान हुआ है इस नुकसान के बारे में हमारे प्रदेश का पूरा अमला मुख्यमंत्रीजी के नेतृत्व में दिल्ली गया था उस समय तत्कालीन जो सरकार थी उनको यह बात बतायी कि 2400 करोड़ का नुकसान हुआ है इस नुकसान के बदले में 500 करोड़ रुपये हमें प्राप्त हुआ था और मध्यप्रदेश सरकार ने 2100 करोड़ रुपये किसानों को दिया. उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री जी को गुना में बैठना पड़ा. जयवर्द्धनजी कह रहे थे कि इतने गांव छूट गये हैं, अगर यह थोड़ा भी प्रयास करके मुख्यमंत्रीजी को हेल्प कर देते और मनमोहन सिंह जी को थोड़ा कह देते कि इस मध्यप्रदेश पर विशेष कृपा बरत दो क्योंकि जब वे इस सदन के मुख्यमंत्री थे तब मध्यप्रदेश के अटलबिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री सड़क...(व्यवधान) माननीय जयवर्द्धन जी को बैठा दें क्योंकि वे 14 दिन बाद उठकर आये हैं. (व्यवधान). सभापति महोदय, मैं पटवारियों के संबंध में कहना चाहता हूँ कि उनके आवास की व्यवस्था, उनके कार्यालय की व्यवस्था बेहतर तरीके से कर सकें इसके लिये आपने बजट का प्रावधान कर दिया. पहले बजट में प्रावधान किया था कि तहसील के पटवारी तहसील में नहीं रहेंगे, अनुरोध करना चाहता हूँ कि यह जिले की सीमा है अब जिले छोटे हो गये हैं नये नये जिले बनते जा रहे हैं जैसे अन्य विभागों में जिले से बाहर या प्रदेश स्तर का प्रावधान है वैसा पर करें क्योंकि इनका हस्तक्षेप ज्यादा बढ़ गया है काम में दिक्कत आ रही है, माननीय मंत्रीजी इस पर ध्यान दें. (व्यवधान)

सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी को साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने राजस्व की 15 सेवायें लोक सेवा गारंटी में शामिल कीं इनमें एक सेवा और जोड़ दें. हमारे पूर्व मुख्यमंत्रीजी ने बंदोबस्त की जो व्यवस्था की थी उसे इसमें जोड़ दें. कई जमीनों में आज यह स्थिति है कि जमीन किसी के पास है और नाम किसी और का है इससे लोग परेशान हैं. इसके लिये कलेक्टर को राइट दे दें.(व्यवधान).

श्री रामेश्वर शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, मेरी एक प्रार्थना है वर्ष 1947 के विभाजित सिंधी परिवार जो मध्यप्रदेश के भोपाल टीकमगढ़ और इंदौर तमाम जिलों में रहते हैं, उनके पट्टे आज दिनांक तक नहीं बने हैं। माननीय राजस्व मंत्री जी से निवेदन है कि (व्यवधान)

सभापति महोदय:- आपका नाम नहीं है, आप बैठ जायें, आप लिखकर दे दें।

श्री रामेशवर शर्मा :- माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है कि वर्ष 1947 में आये हुए सिंधी परिवार (व्यवधान)

सभापति महोदय :- माननीय सदस्य सहयोजन करें, अब आपकी बात रिकार्ड में आ गयी है , आप बैठ जाईये। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर शर्मा :- मैं वर्ष 1947 का दर्द बता रहा हूं और वर्ष 1947 का दर्द बड़ा है और सुनना भी चाहिये। उसका समाधान भी होना चाहिये। वर्ष 1947 के जो परिवार आये हैं उनके साथ न्याय कब होगा। (व्यवधान) सभापति महोदय, मेरी एक और प्रार्थना है कि भोपाल में संत हृदयराम नगर उसमें भी मर्जर भूमि का बड़ा झगड़ा है, वहां पर लगभग 30-40, 50-50 साल से परिवार रह रहे हैं, उनको भी मालिकाना हक मिलना चाहिये, क्योंकि वह परिवार आज दिनांक तक बिल्डिंग नहीं बना सकते, अपने परिवार का भ्रमण, पोषण नहीं कर सकते, दुकान नहीं बना सकते, तो हमारी कोई ऐसी पालिसी बने की जिससे उनका भी समाधान हो सके, आपने को बोलने का समय दिया उसके लिये धन्यवाद।

श्री जीतू पटवारी :- रामेश्वर जी आपने बता दिया कि हम भोपाल में रह कर दादागिरी से नहीं बोल सकते।

श्री रामेश्वर शर्मा :- नहीं जीतू भाई आपसे सीख गये आप भी दादागिरी बहुत करते हो।

सभापति महोदय:- मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि आप सहयोग करें। विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 23 के अनुसार शुक्रवार की बैठक के अंतिम ढ़ाई घंटे गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के सम्पादन के लिये नियत है,परन्तु आज कार्य सूची में उल्लेखित बजट मांगों पर चर्चा पूर्ण होने के उपरांत अशासकीय कार्य लिया जायेगा। मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत है।

देखिये आज अशासकीय कार्य भी लिया जाना है, एक एक मिनिट में अपनी बात करें,और सदस्यों की ज्यादा लंबी बातें हैं वह माननीय मंत्री जी को लिखकर दे दें। माननीय मंत्री जी सक्षम हैं कार्यवाही करेंगे।

श्री जसवंत सिंह हाड़ा:- माननीय सभापति महोदय, मैं एक तो ये जो इतना बढ़िया लोगों के आने जाने रस्ते की सुविधा सरकार ने दी है और तत्काल कोई विवाद नहीं बढ़े इसलिये अंतरिम आदेश दे देते हैं। सभापति महोदय जी, जो अंतरिम आदेश तहसीलदार देते हैं अगर वे आज वर्तमान में आज उनका बंदोबस्त अधिकारी राजस्व ग्वालियर सुनता है। अगर उनका पूर्व की तरह कलेक्टर और कमिश्नर सुनने लगें तो आज जो किसान भटक रहे हैं ग्वालियर की गलियों में, उनको सुविधा हो सके। एक बात और कहना चाहता हूं कि एक सरकार ने किसान अपनी जमीन का उन्नयन कर सके, तो वे भूमिगत पाईप लाईन खोद कर ले जाते हैं तो पड़ोस के लोग खोदने नहीं देते हैं, उसमें प्रावधान है। गांव के पट्टे वाला मैं निवेदन कर रहा था कि गांव में जो पट्टे दिये जाते हैं। इन जिनींग फैक्ट्री और सरकारी औद्योगिक क्षेत्र के लिये जो भूमि देते हैं वे बंद होने के बाद कालोनी कट जाती

हैंऔर छोटे छोटे पट्टे वाले वो वर्षों तक हस्तांतरित नहीं होते हैं। उनके स्वामित्व का ध्यान रखना चाहिये था, बस मैं इतना कहना चाहता हूं।

श्री बरवीर सिंह दंडोतिया:- सभापति महोदय जी मैं अपने क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं जैसे नामांतरण,सीमांकन, बटवारे, भूखंड अधिकार पुस्तकों का, आवास परियोजनाओं का वितरण ये सभी कार्य समय सीमा के अंदर पूर्ण हो जाने चाहिये। मेरे क्षेत्र में कई प्रकार की समस्याएं है, इनके निराकरण हेतु निर्देश जारी करें। मेरी प्रार्थना सिर्फ इतनी है कि मेरी पूरी विधान सभा में ओला पीडि़त किसानों को एक रूपया भी नहीं मिला है। वहां पर बहुजन समाज पार्टी मिली है इसलिये एक रूपया भी नहीं मिला है इसलिये कलेक्टर या तहसीलदार से दिखवा लें मेरी विधान सभा में एक पैसा भी किसानों को नहीं मिला है, वहां पानी से बहुत क्षति हुई है , मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता कि वहां पानी से और ओलों से लोगों को जो नुकसान हुआ है उनको भी मुआवजा दिया जाए।

श्री आर.डी.प्रजापति :- माननीय सभापति, मैं मांग 8, 9, 35 और 58 का समर्थन करता हूं और कटौती प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो हमारे सरकारके मुखिया हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों के लिये जो योजनाएं चलायी उन्होंने किसानों के लिये जो योजनाएं चलायी आज तक किसी भी सरकार ने ऐसी योजनाएं नहीं चलायी, वे किसान के बेटे हैं और सभापति महोदय मैंने इसके पहले कभी राजस्व विभाग के मंत्री ऐसे नहीं देखे हैं जो तुरन्त निर्णय लेते हैं, इसलिये मुझे आशा है कि वह मेरे क्षेत्र चन्द्रा विधान सभा है वह मध्यप्रदेश नहीं पूरे भारत वर्ष का पिछड़ा इलाका है, जहां आज भी सड़के नहीं हैं लोग पैदल जाते हैं, सभापति महादय, मेरे क्षेत्र में राजस्व की जो समस्या है , वह तीन प्रकार की समस्या है। हमारे यहां किसान किसानी करते हैं, बोते हैं उनको खाद बीज सब मिलता है, लेकिन नील गायों की संख्या इतनी है कि वह बीस से

पच्चीस हमार के बीच में है। अगर एक नील गाय 24 घण्टे में 50 किलो भोजन लेती है तो आठ माह के अंदर 32 लाख क्विंटल ये फसल जा जाती है। सभापति महोदय, कई लोग बोलते हैं वहां के अधिकारी बोलते हैं कि क्या वह चारा नहीं चरेगी,मैंने कहा कि चारा कैसे चरेगीं आपको किसी हलवायी की दुकान में छोड़ दिया जाये और कह दिया जाए आप ज्वार की रोटी खाओगे और रबड़ी मलाई खाओगे और वह तो केवल फली खाती हैं और माननीय सभापति महोदय, उससे करीब चार पांच साल के अन्दर मैंने किसानों को लेकर के कई बार ज्ञापन दिये और मेरा निवेदन है कि सबसे बड़ी समस्या है, करीब 15 हजार आवेदन पड़े हैं.लेकिन आज तक उनको राजस्व विभाग की कंडिका 4.6 के अनुसार कोई मुआवजा नहीं दिया गया. माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि उन प्रकरणों की जांच कराकर मुआवजा दिया जाए. दूसरा मेरे यहां ओला और अतिवर्षा के कारण बहुत सी फसल नष्य हो गई है. किसानों को मुआवजा तो मिला है उन किसानों को मुआवजा दिया गया है जिन्होंने कोई खेती बोयी ही नहीं है हमने कहा कि ठीक है जिनको दे दिया तो दे दिया लेकिन जिनकी खेती बोयी गयी है वह बी-1 की नकल के अनुसार मंत्री जी जांच कराएंगे तो उनको भी मुआवजा मिल जाएगा. एक और बड़ी समस्या गाय वाली है मेरे यहां करीब 10-12 हजार आवारा पशु हैं और गौशाला के लिये कम से कम चरनोई की 500 एकड़ जमीन है लेकिन उस जमीन को लोग अवैध कब्जा किये हैं. मेरा निवेदन है कि बछ्ड़ सर्किल की जो जमीन है उस जमीन को गौशाला को दिया जाए चूंकि आवारा पशु हमारी सरकार गाय,गरीब और महिलाओं की रक्षा के लिये दृढ़ संकल्पित है इसलिये गाय की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है. एक और मेरा निवेदन है कि हमारे यहां जो तहसीलदार हैं 7 तहसीलों में एक तहसीलदार है औरवह तहसीलार आर.एन.त्रिपाठी जो बहुत बड़ा भ्रष्ट आदमी है जो पूरे एस.डी.एम. को और तहसील को अकेले चलाता है उसको तत्काल वहां से हटाने की कृपा करें. मेरे यहां राजस्व विभाग और वन विभाग की जमीन में बहुत बड़ा घपला है वन विभाग के कहते हैं मेरी जमीन और राजस्व विभाग वाले कहते हैं

मेरी जमीन है और हजारों एकड़ जमीन जो आज से दो-तीन सौ साल से लोग जोतते आ रहे हैं और वन विभाग के अधिकारी उनको बेदखल करते हैं तो उस समय कहां गया था वन विभाग कहां गया था राजस्व विभाग तो मेरा निवेदन है कि वन विभाग की जो भूमि है जो किसान जोत रहे हैं उसको राजस्व विभाग में दे दी जाए और राजस्व विभाग की जो जमीन है वह उसे दी जाए. मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि मेरे क्षेत्र की जो भी समस्याएं हैं विशेषकर ओला,पाला,अतिवृष्टि का किसानों को मुआवजा दिलवाया जाए और उच्च स्तरीय जांच कराकर उनको मुआवजा दिलाने की कृपा करें. बहुत-बहुत धन्यवाद.

श्री रणजीतसिंह गुणवान(आष्टा) – माननीय सभापति महोदय, मैं केवल अपने ही क्षेत्र की बात रखूंगा क्योंकि और भी भाईयों को बोलना है. मैं अपने क्षेत्र की बात आपके माध्यम से मंत्री जी के समक्ष रखूंगा कि कुछ जमीन ऐसे बिलडरों ने हमारे क्षेत्र में 10 हजार एकड़ गरीब लोगों की हड़प ली है वह जमीन ऐसी है कि सरकार ने पट्टा उनको दिया था न जाने कैसे हड़पकर अपने नाम से करवा ली है तो कलेक्टर को आप अधिकृत करें और उस जमीन को उन गरीबों को वापस दिलवाएं. मेरे क्षेत्र सिद्धिगंज में आपने टप्पा तहसील की घोषणा कर दी और वहां हो भी गया लेकिन वहां तहसीलदार नहीं है वहां एक नायब तहसीलदार की नियुक्ति की जाए और एक सुझाव मेरा यह भी है कि जमीन का बटवारा और जमीन का नामांतरण का परिवार वालों के लिये थोड़ा सरलीकरण किया जाय. पिता पुत्र,भाई भाई,पति पत्नि, परिवार में एक दूसरे के नाम से जमीन कराता है तो ऐसा सरलीकरण होना चाहिये कि जिससे एक एप्लीकेशन पर जमीन उनके नाम से हो जाए कोई झंझट उसमें न रहे और उसकी रजिस्ट्री न हो केवल नाम से हो जाए ऐसी व्यवस्था हो. ऐसा पूरे प्रदेश में व्यथा है इसको सुधारा जाए. दूसरी बात यह कि मवेशी मर जाते हैं कोई करंट से कोई जहरीले कीड़े काटने से कोई फसल ऐसी खा लेते हैं उससे मर जाते हैं इससे किसानों का नुकसान होता है मेरे यहां 4 भैंसें मर गईं 80-80 हजार की भैंस उनको कुछ मुआवजा नहीं मिला वह गरीब

लोग केवल दूध का धंधा करते थे. मेरा सुझाव है कि उनको भी मुआवजा मिले. तो जानवर की मृत्यु पर उसके पोस्टमार्टम के बाद सरकार उसको मुआवजा दे. अभी जो बात पटवारी की सभी साथियों ने कही. पटवारी काम करता है किन्तु वह निडर होकर काम करता है. वह किसी अधिकारी का डर नहीं रखता है न तहसीलदार का,न एस.डी.ओ. का न कलेक्टर का न ऊपर सचिव या कमिश्नर किसी का डर नहीं रखता है. वह चाहे तो कलेक्टर को भी घुमा दे. पटवारी की ऐसी कलम है. इसका सुधार किया जाए. काश्तकार इतने परेशान हैं कि वह कई चक्कर लगाता है और वह बहुत परेशान हो जाता है. यह व्यवस्था भी की जाए. सरकार ने काश्तकारों के लिये काफी किया है. मुआवजे के लिये आर.बी.सी. में ऐसी व्यवस्था की कि सरकार ने बहुत से काश्तकारों को मुआवजा दिया है. धन्यवाद.

श्री सचिन यादव(कसरावद) – माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिये आपको धन्यवाद देना चाहता हूं. मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान मेरे विधान सभा क्षेत्र कसरावद में जो महेश्वर जल विद्युत परियोजना है उसके जो विस्थापित हैं और उसका जो पुनर्वास है इस ओर दिलाना चाहता हूं. हमारे क्षेत्र में कई सारे गांव महेश्वर जल विद्युत परियोजना के कारण प्रभावित हुए हैं और देखने में यह आया है जब भी हम क्षेत्र के दौरे पर जाते हैं तो जो पुनर्वास हुआ है उन पुनर्वास थानों पर जो एस.कुमार्स कंपनी है जो उस बांध का निर्माण कर रही है उसको पुनर्वास करने की जिम्मेदारी दी गई है लेकिन पुनर्वास स्थलों पर मूलभूत सुविधाओं का अभाव है. वहां अगर बिजली के खंभे हैं तो उन पर तार नहीं हैं. वहां पेयजल के लिये कोई व्यवस्था नहीं है. वहां रोडों की स्थिति बहुत खराब है. कई सारे गांवों का पुनर्वास हो गया है और कई सारे गांव अभी बाकी हैं जिनको मुआवजा

(2.48 बजे) सभापति महोदय (श्री मानवेन्द्र सिंह) पीठासीन हुए.

अभी तक नहीं मिल पाया है. कुछ गांवों में यह स्थिति है कि थेत का मुआवजा तो मिल गया है लेकिन उनके घर का उनके बाड़े का मुआवजा आज तक नहीं मिला है. यह बहुत गंभीर समस्या है और यह काफी लंबे समय से चल रही है. हालात यह है कि जिन गांवों का पुनर्वास नहीं हो पाया है. जिन गांवों के लोगों को मुआवजा नहीं मिल पाया है वह एक निम्न स्तर की जिंदगी जीने के लिये विवश हो रहे हैं. बड़ी ही विकट स्थिति में वे अपना जीवन यापन कर रहे हैं. उनको मुआवजा नहीं मिला है इसलिये जो पुनर्वास स्थल सरकार ने चिह्नित किये हैं उन पर जाकर नये मकान या वहां जाकर पुनर्वास नहीं कर सकते और जहां पर वह रह रहे हैं वह जगह वह मकान इतनी बुरी हालत में हैं जहां चाहकर भी वे उन मकानों को ठीक नहीं कर सकते हैं क्योंकि उन मकानों का पुनर्वास होना है तो इस तरह की विकट परिस्थितियां हमारे क्षेत्र के लोगों की है. माननीय सभापति महोदय,हालात यह हैं कि एस.कुमार कम्पनी जिनकी वित्तीय स्थिति इतनी दयनीय है वह किसी से छिपा नहीं है हालात यह हैं कि पिछले साल भर से एस.कुमार कम्पनी अपने कर्मचारियों को वेतन तक नहीं दे पा रही है. अगर हम उस कम्पनी से यह अपेक्षा करें कि जाकर के लोगों का पुनर्वास करें, जो काम बाकी हैं, उनको पूरा करें तो मैं समझता हूं कि यह सोचना उचित नहीं है. इस समस्या का जल्द से जल्द हल निकाला जाये एस.कुमार की वित्तीय स्थिति किसी से छिपी नहीं है और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में भी कम्पनी अच्छी स्थिति में नहीं होगी और जो पुनर्वास स्थल हैं तथा जो मुआवजा है वह बांट सके. पुनर्वास स्थलों पर एक हमारा गांव है वहां पर एक किसान के खेत में जो मोटर लगी है उस मोटर से टेंकरों के द्वारा जल का वितरण किया जाता है, पुनर्वास स्थल पर, लेकिन उसको उस किसान ने अपने जितना वह सक्षम था उसने प्रयास किया और गांवों के लोगों की जलापूर्ति की, लेकिन उसको भी पिछले चार-पांच महीने से एस.कुमार कम्पनी ने उन्हें किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया मैंने इस संदर्भ में इसी सत्र में एक प्रश्न भी उठाया था 2 जुलाई 2014 प्रश्न क्रमांक 1057 में आपने भी उसमें जवाब दिया था और आपने यह स्वीकार किया

था कि कई सारे जो गांव हैं उन गांवों का पुनर्वास नहीं हो पाया है और उनका मुआवजा भी नहीं मिल पाया है. मेरे क्षेत्र में भी पटवारियों की कमी है जितनी जल्दी हो सके, पटवारियों की नियुक्तियां की जायें और जो पटवारी पदस्थ हैं ज्यादातर पटवारी हेड-क्वाटर में, तथा हल्के पर नहीं रहते हैं सारे के सारे शहरों में तथा जिला मुख्यालयों पर रहते हैं उनके लिये एक ऐसा आदेश पारित किया जाये जिसमें पंचायतों में जाकर के पटवारी वहां पर रहें आपने समय दिया धन्यवाद.

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह)—माननीय सभापति महोदय, माननीय सभी सदस्यों का धन्यवाद करते हुए इसमें लगभग 23 माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये हैं माननीय अटल जी की पंक्तियों से मैं शुरू करूंगा—

बाधाएं आती हैं आयें,

गिरे प्रलय की घोर घटायें,

पांव ने नीचे अंगारे,

सिर पर बरसे अधि ज्वालें,

निज हाथों में हंसते-हंसते,

आग लगाकर जलना होगा,

कदम मिलाकर चलना होगा,

कदम मिलाकर चलना होगा.

श्री राजेन्द्र मेश्राम—माननीय सभापति महोदय माननीय मंत्री जी से एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि पटवारियों के ट्रांसफर जिले के बाहर कर लें, ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है.

श्री रामपाल सिंह—माननीय सभापति महोदय, मध्यप्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह जी किसान पुत्र हैं तथा किसानों के दर्द को समझते हैं. उन सब किसानों के दर्द को उन्होंने समझा. माननीय सभापति महोदय,जिस दिन ओले गिर रहे थे, मैं खुद बेगमगंज सिलवानी में ओला

पीड़ित इलाके में देर रात को फोन गया, सुबह उन्होंने तुरंत कैबिनेट बुलाई, सब अफसरों को वहां बुलाया भोपाल के अंदर और जब ओले गिर रहे थे, तो उनको इतनी चिन्ता थी उन्होंने पूरी कैबिनेट बुलाकर कहा कि पूरा बजट एक तरफ रख दिया जाये और किसानों के हित में जो भी राशि की जरूरत होगी, मध्यप्रदेश के किसानों में कमी नहीं आने दूंगा, किसानों की आंखों में आंसू नहीं देखूंगा, ऐसे साहसिक निर्णय करने वाले मुख्यमंत्री जी, जो वास्तव में किसान पुत्र हैं और उन्होंने किसानों के दर्द को समझा है और किसानों के हित में मध्यप्रदेश में जो ऐतिहासिक निर्णय हुए, जो राशि बांटी गई है आपको बता सकता हूं. मैं भी आज राजस्व मंत्री की हैसियत से इस विधान सभा में हूं और किसान पुत्र मैं भी हूं, ट्रैक्टर चलाया है, कितनी कठिनाई से किसान कार्य करते हैं, मैं जानता हूं.

श्री मुकेश नायक--माननीय सभापति महोदय, वास्तव में बहुत बड़े किसान हैं और पिछले 3 वर्षों में इतने बड़े किसान हो गये हैं कि मध्यप्रदेश में बहुत कम किसान इनकी बराबरी के बचे हैं.

श्री रामनिवास रावत--पिछले 3 वर्षों में बड़े कैसे हुए, अब यह नहीं कहना.

श्री रामपाल सिंह--बड़े किसान थे और रहेंगे मुकेश नायक जी.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया--किसान छोटा हो, या बड़ा हो, किसान किसान होता है.

श्री रामपाल सिंह--माननीय सभापति जी, हमारे साथी कह रहे हैं, तो यह तो ईश्वर की कृपा है. माननीय नायक जी बड़े किसान तहसील उदयपुरा के अंदर रहे. चालीसों एकड़ जमीन सीलिंग में भी निकली, आप देख लें रिकार्ड उठाकर और हैं और आगे भी रहेंगे.

उसका मुआवजा भी, रिकार्ड उठाकर देख सकते हो.

श्री मुकेश नायक--अरे भई, आप अपने मुंह से कहो, यह अच्छा नहीं लगता, हम लोगों को कहने दो.

श्री रामपाल सिंह--आप जो कह रहे हो न, आपने छेड़ा. आप देख लें रिकार्ड उठाकर सीलिंग तुम्हारी सरकार थी कितनी जमीन निकाली, यह प्रमाण हो सकता है. आपकी सरकार थी माननीय दिग्विजय सिंह जी जब....

सभापति महोदय--मंत्री जी, आप विषय पर आयें.

श्रीमती ऊषा चौधरी--माननीय मंत्री जी, बड़े किसानों को ही मुआवजा मिला है, छोटे किसानों को नहीं मिला, गरीब किसानों को मुआवजा नहीं मिला.

सभापति महोदय--आप सब लोग बैठें (व्यवधान).

श्री रामपाल सिंह--बीच में यह रोका टोकी होगी, तो हिसाब-किताब बराबर होगा.

सभापति महोदय--चलिये, आप विषय पर आ जायें (व्यवधान) आप सब लोग चलिये बैठिये.

श्री रामेश्वर शर्मा--माननीय सभापति महोदय, अगर राजस्व मंत्री जी को बोलने नहीं दिया जायेगा, यह तो वैसे ही है जैसे ओले गिर रहे हों, वैसे चारों तरफ से गिर रहे हैं.

श्री रामपाल सिंह--माननीय सभापति जी, मैं निवेदन कर रहा था कि किसानों के लिये जो दर्द है, उसको समझा है मध्यप्रदेश की सरकार ने और जो निर्णय लिये और जो राशि दी है, अभी तक इतनी राशि मध्यप्रदेश में नहीं बांटी गई, आप देख सकते हैं उतनी राशि माननीय मुख्यमंत्री जी और हमने जिलों में बांटी है. माननीय सभापति जी, विषय लंबा है और माननीय 22 सदस्यों ने सुझाव दिये हैं. कई सदस्य रह गये हैं, उनके सुझाव पहले आते, तो आपका भी जवाब तैयार करके मैं रखता, लेकिन यह बीच में बोले, माननीय नायक जी पहले मंत्री रहे विधायक भी रहे किसी दिन चर्चा होगी, तो आपका क्या है आपको हम बतायेंगे हम चर्चा करेंगे. सभापति महोदय, कल माननीय गोविन्द सिंह जी को देख कर मुझे मन में आ रहा था कि यह एक व्यक्ति जो हमारे सामने बैठे हुए हैं काफी वर्षों तक वह विधायक रहे भिण्ड के, भिण्ड जिले से वह नेतृत्व करते हैं. मेरे मन में

प्रश्न आ रहे थे कि इनके मंत्री रहते हुए भी इनकी सरकार में किसी ने सुना नहीं. वह कह रहे थे पटवारी कम हैं पटवारी पर्याप्त हैं उन्होंने हमें सुझाव दिया, यह हमारी पुस्तक का अध्ययन कर रहे थे सभापति महोदय, मुझे ताज्जुब हुआ कि इतने लोकप्रिय मुख्यमंत्री, उनका फोटो हाथ में रखे हुए थे माननीय गोविन्द सिंह इस पुस्तक को पढ़ रहे थे फिर मैंने भी ढुंढवाई, मेरे पास नहीं थी, तो इसको पढ़ा और इतना अध्ययन कर रहे हैं, इतनी लोकप्रियता है हमारे मुख्यमंत्री जी की कि यह ज्ञानवर्धन आपके वरिष्ठ साथी कर रहे हैं. मैं पूछता था उनसे कह रहा था कि उनकी सरकार में क्यों सुझाव नहीं दिये ? राजा महाराजाओं के खिलाफ जो जमीन के मामले चल रहे थे वर्षों तक, वर्षों तक आप मिनिस्टर रहे, क्यों नहीं किये लेकिन आज इस पवित्र सदन में माननीय सभापति महोदय, मैं घोषणा कर रहा हूं कि राज्य स्तरीय आयोग का गठन किया जायेगा (मेजों की थपथपाहट) और यह जितनी जमीनें जो गरीबों की जमीनें हैं, उन गरीबों को मिले, लेकिन इस तरह मध्यप्रदेश के अंदर, मध्यप्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में हम काम करके बतायेंगे, परिणाम देंगे. मैंने कल आग्रह किया था कि आप रूकिये, मैं जवाब दूंगा, लेकिन वह आज नहीं आये, सीट खाली है, कल ही मैंने टोका था, मुझे आशन्का थी क्योंकि विपक्ष में सुनने की क्षमता कम रह गई है. सच का सामना करने में डरते हैं, चले जाते हैं, जब जवाब हम लोग देते हैं. लेकिन कालूखेड़ा जी बैठे हैं, मैं उनका धन्यवाद करुंगा, उऩ्होंने अनुभव का लाभ दिया. मुझे यहां पर सुझाव दिये. दो सुझाव आपने दिये हैं, निश्चित रुप से हम लोग अमल करने का प्रयास करेंगे. माफिया के खिलाफ आप हमें अगर साथ देने का वादा करें, तो हम उनको सही कर देंगे. माफिया को सही करेंगे. माफिया क्या प्रदेश की धरती से डकैत साफ कर दिये. तो ये माफिया कहां लगते हैं. आप हमें साथ दीजिये. सभापति महोदय, ये सदस्यों के जो नाम हैं, माननीय गोविन्द सिंह जी, आपका भी नाम है. सर्वश्री कालूखेड़ा, दुर्गालाल विजय, रामनिवास रावत, गोविन्द सिंह पटेल, निशंक कुमार जैन,

लोकेन्द्र सिंह तोमर जी, आपका भी जवाब सुन लो, आप अगर फोन पर भी बताते तो हम कार्यवाही करते. आपने जो एक तथ्य बताया, हम उस पर कार्यवाही करेंगे.

श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर -- धन्यवाद मंत्री जी.

श्री रामपाल सिंह --सभापति महोदय, सर्वश्री महेन्द्र सिसौदिया , रामलल्लू वैश्य, राम प्यार कुलस्ते, जयवर्द्धन सिंह अभी हैं नहीं, आपको जवाब देंगे. कुंवर सिंह जी, श्रीमती शीला त्यागी, सर्वश्री दिनेश राय, सुखेन्द्र सिंह, इन्दर सिंह परमार, जसवंत सिंह और दो लोग साथ में बोल रहे थे, शर्मा जी जा चुके हैं, भोपाल का मामला रखा था विस्थापितों का. बलवीर सिंह डण्डौतिया, प्रजापति जी, रणजीत सिंह गुणवान जी एवं सचिन यादव जी. सभापति महोदय, यहां जो विचार मंथन हुए हैं. मंथन से अमृत निकलता है. आज इस पवित्र सदन में जो आपने सुझाव दिये हैं, कुछ शिकायतें भी दी हैं, निश्चित रुप से मैं भी अपना जो कर्तव्य मुख्यमंत्री जी ने दिया है, किसान पुत्र हैं. किसानों को हम लोग हमारे मध्यप्रदेश में भगवान के रुप में देखते हैं और उनकी सेवा में अगर कुछ अच्छा कर सकें यह अपने जीवन में इससे बड़ी कोई सेवा नहीं होगी. किसानों के लिये यह भाषण सुन रहे हैं, हम भी 10 साल विपक्ष में बैठे हैं. भाषण अच्छे आ जाते हैं, लेकिन कार्यवाही नहीं होती. आज पवित्र सदन में सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं कि शिकायत भी दें, साथ में सुझाव भी दें. मुझे अच्छा लगा जब वरिष्ष सदस्य महेन्द्र सिंह जी बोल रहे हैं. उन्होंने शिकायत भी दी है और सुझाव भी दिया है. निश्चित रुप से उन सुझावों पर हम मध्यप्रदेश में कार्यवाही करेंगे. किसानों के हित में जो ऋण मध्यप्रदेश की सरकार ने लिये हैं, उनको अभी मैं बताऊंगा. विस्तार से मैं आपको जानकारी दूंगा. तो आप भी इस बात को प्रत्यक्ष को कोई प्रमाण की जरुरत नहीं है. जो राशि बांटी, हमने व्यवस्थाएं कीं. जब हम दौरे पर गये हमारे चार विधायक बैठे हैं नरसिंहपुर जिले के. वहां कुछ पटवारियों की शिकायत मिली. कहा गया कि वह तो पेंसिल से लिखते हैं. मैंने कहा कि पेंसिल से क्यों

3.03 बजे **{ उपाध्यक्ष महोदय (डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.}**

लिखते हैं. वह कहने लगे कि पुराने राज से कच्ची पेंसिल से लिखते हैं. फिर हम मिटा देते हैं. वहीं मैंने आदेश दिया कि पक्की कलम से लिखो. गांव के अंदर से पंचनामा लेकर आइये. यह निर्देश हमने मध्यप्रदेश के अन्दर राजस्व विभाग के अधिकारियों को दिये. हमने कहा कि आप पंचनामा बनवाइये. राजस्व विभाग पर विश्वास नहीं है. कृषि, पंचायत भी जोड़ लीजिये. टीम बनाकर गांव का सर्वे करिये. किसी भी गांव का एक भी केस ऊपर नीचे नहीं होगा. मै बताना चाहता हूं कि हमने ग्रामवार अलग सूचियां बनाईं. हमने कहा कि गांव में दो टीमें जायेंगी राजस्व एवं कृषि विभाग की. और वह पूरी सूची बनायेंगी. पूरे किसानों का एक केस बनेगा गांव का. पूरे गांव के लोगों को जानकारी होनी चाहिये, जन प्रतिनिधियों को भी जानकारी होनी चाहिये. गांव वाले जब सूची आयेगी, तहसीलदार, फिर कलेक्टर के पास आयेगी और कलेक्टर जैसी यहां राशि मांगेंगे, तो तुरन्त हमने यहां से राशि जारी की. आप रिकार्ड उठाकर देख सकते हैं. जितनी मांग की, उतनी राशि दी. मध्यप्रदेश में राशि की कमी नहीं आने दी. लेकिन एक तरफ ओले में हमारे मुखिया, हमारे मंत्री गण, विधायक गण पूरे प्रदेश में किसान के दुख में साथ में घूम रहे थे. लेकिन कुछ हमारे साथी थे, वह हमारी चिंता ही नहीं कर रहे थे. हमारे विपक्ष के साथियों का भी कर्तव्य बनता है, आपकी सरकार थी दिल्ली में . अभी पूर्व मुख्यमंत्री जी बैठे थे, अगर वे एकाध दिन दिल्ली में बैठ जाते, तो मध्यप्रदेश के किसानों का बहुत बड़ा हित हो जाता. लेकिन अब बैठ रहे हैं, अपन कहते हैं न कि शादी हुई पिछले साल अब बैठ रहे हैं,यह कोई तरीका है. भाई तुरन्त हो, किसी कारण में, तो उसमें महत्व होना चाहिये. लेकिन उन्होंने सहयोग नहीं किया, इसके बाद भी मध्यप्रदेश की खजाने से हमने राशि दी. अभी मैं पूरे आंकड़े इस पवित्र सदन के सामने प्रस्तुत करूंगा. उपाध्यक्ष महोदय, दो चीजों में तुलना करना बहुत जरूरी है. पुराने 10 साल की तुलना नये 10 साल से अगर आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो हमारे विपक्ष के साथी निश्चित रूप से स्वीकार

करेंगे क्योंकि जनता ने आपको काफी आशा और विश्वास के साथ में इस पवित्र सदन में चुनकर के भेजा है. लेकिन आप सही बात की तारीफ करें और गलत नीति का विरोध करें , यहां हो यह रहा है कि प्रदेश की अच्छी योजनाओं का भी विरोध हो रहा है. यदि आप सच्चाई को स्वीकार करेंगे तो आप स्वयं इस बात को स्वीकार करेंगे कि बहुत अच्छे काम मध्यप्रदेश की सरकार के द्वारा किये जा रहे हैं.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश में किसान के ऊपर कब आपदा आ जायेगी इस बात को कभी भरोसा नहीं रहता है. किसान का जीवन बहुत कठिन जीवन होता है. सब लोगों का तो कुछ न कुछ समय रहता है लेकिन किसान तो दिन रात खेती में लगा रहता है.24 घंटे लगा रहता है , रात में अगर बिजली चमकती है तो खेत में चले जाते हैं जहरीले जानवरों की चिंता नहीं करते . किसान बड़े कष्ट में काम करता है. लेकिन वर्ष 2004 के पूर्व की स्थिति को हम देखें तो तत्कालीन कांग्रेस की सरकार में जो राहत दी जाती थी वह वर्ष 2002 के पूर्व रूपये 1000 थी, हमारी सरकार ने रूपये 1000 से बढ़ाकर के इस राशि को रूपये 25000 किया है. वर्ष 2004 के पूर्व आप अधिकतम राशि रूपये 10000 तक की देते थे हमारी सरकार ने सत्ता सम्हालते ही उस राशि को बढ़ाकर के रूपये 25000 तक कर दिया. आंकड़े इस बात के गवाह हैं. आप लोग जोड़ घटाना अच्छी तरह से जानते है, विद्वान हैं, आप देख सकते हैं.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाला तुषार के बारे में हम लोग तो लड़े हमारे मुख्यमंत्री जी को स्वयं उपवास पर बैठना पड़ा . आजादी के बाद इतने वर्षो बाद भी पाला तुषार की पहचान नहीं कर पाये, पहचानेंगे भी कैसे , क्योंकि पाला और तुषार को आपने प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में नहीं रखा . लेकिन मध्यप्रदेश की सरकार ने इसको माना और कहा कि कीट, पतंगे, जंगली जानवर भी यदि फसलों का नुकसान करेंगे तो उस पर भी किसान को राहत के रूप में राशि का आवंटन किया जायेगा. यह मध्यप्रदेश की सरकार का साहसिक निर्णय है, इस निर्णय का आपको स्वागत

करना चाहिये था आपने नहीं किया. अतिवृष्टि के बारे में हम कहना चाहते हैं कि प्रदेश में 9 लाख 25 हजार हेक्टेयर रकवे में 8 लाख 27 हजार किसान प्रभावित हुये, और उन किसानों को हमने 262 करोड़ की सहायता राशि प्रदान की है. जबकि केन्द्र सरकार से इसके लिये राज्य सरकार को राशि नहीं मिली थी लेकिन मध्यप्रदेश के खजाने से इस राशि का आवंटन किया गया है और 2014 में जो अतिवृष्टि हुई वह राशि भी हमने किसानों को बांटी 29 लाख हेक्टेयर के लिये 31 लाख 86 हजार प्रभावित लोगों को 2131 करोड़ की राशि प्रदेश की सरकार ने बांटी . केन्द्र सरकार से हमने राशि की मांग की थी 5 हजार 963 करोड़ की लेकिन केन्द्र की सरकार ने प्रदेश सरकार का जो हिस्सा था वह हिस्सा ही नहीं दिय 420 करोड़ की राशि दे दी, कितनी कम राशि दी, आप स्वयं जोड़ घटा सकते हैं, और उस समय कांग्रेस के भाईय़ों को किसानों की मदद करनी थी आपने नहीं की.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिये बहुत राशि मध्यप्रदेश की सरकार ने दी है, किसानों को राहत देते हुये प्रदेश सरकार ने चालू वर्ष का लगान माफ कर दिया है. मध्यप्रदेश सरकार ने जो काम किसानों के लिये किये हैं वह कांग्रेस की सरकार ने कभी नहीं किये. प्रदेश सरकार ने सस्ता अनाज देने का काम किया, बेटियों की शादी तक करवाने के लिये मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने घोषणा की है कि ओला पीड़ित किसानों की बेटियों की शादी के लिये भी मध्यप्रदेश सरकार की तरफ से पैसा दिया जायेगा. इसकी प्रशंसा करने में भी आपको कष्ट हो रहा है.

उपाध्यक्ष महोदय-- संसदीय कार्य मंत्री जी आपका उत्साह नहीं बढ़ा रहे हैं.आपके निकटतम पड़ोसी है.

श्री रामपाल सिंह -- मंत्री जी का विषय आ रहा है तो उस पर उनका ध्यान है इसलिये वे हमारी तरफ कम ध्यान रख रहे है.

श्री बाला बच्चन-- उपाध्यक्ष महोदय, इस विषय के बाद में संसदीय कार्य मंत्री जी की विभागों पर चर्चा होना है इसलिये उनका ध्यान वहां पर है.

श्री रामपाल सिंह -- माननीय उपाध्यक्ष महोदय उत्तराखंड में यदि कोई दर्दनाक दुर्घटना होती है तो मध्यप्रदेश की संवेदनशील सरकार उत्तराखंड मे अधिकारियों के अमले को भेजती है , जान बचाने का भी काम सरकार करती है कि जाईये हेलीकाप्टर से और जान बचाकर के लाईये. प्रदेश के मुख्यमंत्री जी लोगों के दुख दर्द में शामिल होने के लिये स्वयं उत्तराखंड में जाते हैं, और इस त्रासदी का शिकार हुये 531 मृतक के वारिशों को रूपये 2 लाख प्रति मृतक के मान से कुल राशि 10 करोड़ 62 लाख रूपये की सहायता प्रदेश सरकार के मुखिया आदरणीय शिवराज सिंह चौहान साहब देते हैं.हमारे विधायक-सांसदों ने मजरें-टोलों का विषय रखा. आपकी भी सरकार रही. आपने उन मजरे-टोलों पर कोई विचार नहीं किया जिससे वहां के लोगों को सुविधा मिलती. उपाध्यक्ष महोदय, 200 से 500 की आबादी के कई गांव हैं लेकिन उसकी चिन्ता आपने नहीं की. उसकी चिन्ता भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे माननीय मुख्यमंत्रीजी ने की है. हम उनको गांव का दर्जा दे रहे हैं. तैयारी पूरी कर ली गई. उनको पूरी सुविधाएं दे देंगे. 42 जिलों के 647 मजरे-टोले चिन्हित हो गये. प्रत्येक को हम राजस्व ग्राम बना रहे हैं.अभिलेख तैयार हो चुके हैं.उपाध्यक्ष महोदय, 550 गांवों के अधिकार अभिलेख बनाये जायेंगे. शेष 97 गांवों के अधिकार अभिलेख अगले वर्ष तक हम पूरा दे देंगे. किसानों के हित में यह ऐतिहासिक निर्णय सरकार कर रही है.

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने और भी सुझाव दिये हैं, उन पर विचार करेंगे. कई गांव रह गये हैं. जो 200 की आबादी और 2 किलोमीटर का मापदंड बना है उसमें भी हम करेंगे.

उपाध्यक्ष महोदय, तहसील स्थित अभिलेखागारों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है. बंदोबस्त अभिलेखों का डिजीटाईलेशन का कार्य कर लिया गया है. प्रदेश के 5 जिले भोपाल,सीहोर,होशंगाबाद,जबलपुर एवं सिवनी की सभी तहसीलों के अभिलेखागार और बंदोबस्त

के पुराने रिकार्ड का कम्प्यूटरीकरण कर लिया गया है. और पूरी सुविधा घर बैठे तहसील मुख्यालय और जिला मुख्यालय पर किसानों को जाना नहीं पड़ेगा. कम्प्यूटराईज्ड नकल किसानों को प्रदाय की जा रही है. जो कि राजस्व विभाग की महत्वपूर्ण उपलब्धि है. अब किसानों को राजस्व कार्यालय के चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा. किसानों को सीधी सुविधा मिलेगी. खेत के खसरों के साथ नक्शों की कम्प्यूटराईज्ड नकल भी तहसील के डाटा सेंटरों से दी जायेगी. यह साहसिक निर्णय सरकार ने और राजस्व विभाग ने किसानों के हित में लिया है.

उपाध्यक्ष महोदय, इंटरनेट कियोस्क के माध्यम से कम्प्यूटरीकृत डिजीटल हस्ताक्षरित नकलों के प्रदाय के संबंध में हमारे माननीय सदस्य ने कहा था. यह सुविधा भी उनको मिलेगी. कहीं भी खसरों की नकलें निकाल सकते हैं, उन्हें कहीं चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा. भू-अभिलेखों का भी कम्प्यूटरीकरण कर दिया गया है. एक अभियान चलाकर 3 करोड़ 76 लाख खसरें एवं बी-1 की प्रतियां निःशुल्क प्रदेश में वितरित की है. यह आंकड़े आपके सामने रख रहा हूं.

उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश की 342 तहसीलों में कम्प्यूटर, लेज़र प्रिंटर, स्केनर, यूपीएस आदि समस्त सुविधाएं उपलब्ध करायी गई है. शेष तहसीलों में यह सुविधा शीघ्र उपलब्ध करायी जायेगी इससे किसानों को पूरी सुविधाओं का लाभ मिलेगा.

उपाध्यक्ष महोदय, टोटल स्टेशन मशीनें आपकी पुरानी जरिबें हम बंद करा देंगे. ये टोटल स्टेशन मशीनें चलेंगी. उपाध्यक्ष महोदय, सब कहते थे कि 15 जून को बारिश हो गई सीमांकन बंद हो गया अब दीवाली बाद होगा लेकिन टोटल स्टेशन मशीनों से नपती,सीमांकन का कार्य बारह महीने कराया जायेगा. किसान जायेंगे उनका काम हो जायेगा. इसमें भी पारदर्शिता रहेगी. एक जगह पूरा बता देंगे. आपके समय में जरिब डाल देते थे इधर सरका दो, उधर सरका दो. अभी उर्जा मंत्रीजी नहीं हैं. मैं उनसे निवेदन करता कि अगर बिजली की सुविधा देते तो हम रात में किसान की जमीन का सीमांकन करवा सकते थे.

उपाध्यक्ष महोदय-- मंत्रीजी, आप कितना समय लेंगे?

श्री रामपाल सिंह-- उपाध्यक्ष महोदय, 22-23 सदस्यों ने अपनी बात कही है. मैं एक एक का जवाब दूंगा.

श्री लालसिंह आर्य-- मंत्रीजी लगातार गुगली फैंक रहे हैं.

डॉ गौरीशंकर शेजवार-- मंत्रीजी के हौंसले तो देखिये कि वह रात में सीमांकन करवाने के लिए तैयार है. आज तक किसी मंत्री की इतनी हिम्मत नहीं हुई. आपको तारीफ करना चाहिए.

उपाध्यक्ष महोदय-- आप वन मंत्री हैं उसके बाद भी वे हिम्मत कर रहे हैं. वन का राजा कौन होता है यह तो आप जानते ही हैं.

श्री रामपाल सिंह-- डॉक्टर साहब, राजस्व और वन का भी संयुक्त रुप से सर्वे करवा सकते हैं.

उपाध्यक्ष महोदय - वन का राजा कौन होता है, यह तो आप जानते ही हैं.

श्री रामपाल सिंह - डॉक्टर साहब मिलकर जंगल का भी संयुक्त करवा सकते हैं. संयुक्त सर्वे दल राजस्व और वन का बना सकते हैं. उपाध्यक्ष महोदय, राजस्व निरीक्षक पटवारी कार्यालय से, उनके आवास की भी हम व्यवस्था कर रहे हैं.

उपाध्यक्ष महोदय - आप मुख्य-मुख्य बातों का उल्लेख कर दें.

श्री रामपाल सिंह - जी उपाध्यक्ष महोदय, कार्यालय भवनों की व्यवस्था करना है तो उनको सुविधा भी देना पड़ती है. आपने जैसा सुझाव दिया कि उनको मोबाईल दें, पटवारियों की जमीनों का पुराना रिकॉर्ड देखें तो उसका भी परीक्षण करा सकते हैं, उसे सख्ती के साथ करेंगे. माननीय श्री कालूखेड़ा जी ने जो सुझाव दिये, मुझे भी सुझाव अच्छे लगे. व्यवस्था सुधारने के लिए हम सब लोग जिम्मेदार हैं. हम सबकी जवाबदारी है. उद्योगों की स्थापना में भी हम देरी नहीं कर रहे हैं क्योंकि मध्यप्रदेश में ज्यादा लोग आएं और उसमें भी उनको हम सुविधाएं दे रहे हैं. वृद्धाश्रम, बेटियों के

छात्रावास, कामकाजी बहनों के लिए छात्रावास, खेलकूद गतिविधियों के लिए, कौशल विकास के लिए और शैक्षणिक संस्थाओं के लिए रियायती दर पर भूमि आवंटन की व्यवस्था राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 4 (1) हमने कर दी है. यह व्यवस्था हमने तुरन्त बदली है. निजी पूंजीनिवेश के मामलों में सरकारी भूमि के आवंटन के लिए नीति हमने बना दी है. अभी तक पाइप लाईन कोई कंपनी डालती थी, कोई नियम ही मध्यप्रदेश में नहीं था. इसके लिए हमने भूमिगत पाइप लाईन एवं डक्ट अधिनियम, 2012 बनाकर केबल भी डालेंगे, पाइप भी डालेंगे, उसके लिए हमने राशि निश्चित कर दी है और कलेक्टर गाइड लाईन के हिसाब से उसकी राशि 15 प्रतिशत की है. 15 प्रतिशत के बराबर अगर किसानों की जमीन खोद रहे हैं, खराब कर रहे हैं तो उसके लिए पैसा दो, यह आपने नीति नहीं बनाई थी. इतने वर्षों तक यह आपको ध्यान में ही नहीं आया कि पाइप भी बिछते हैं, केबल भी डलती है, किसान इससे कष्ट में रहते हैं. ऐसे साहसिक निर्णय मध्यप्रदेश में हो रहे हैं. स्थायी पट्टे आपके राज में बहुत थे. एक बार तो एजेण्डा चला था, बहुत झगड़े हुए थे, हम भी जांच करने गये थे, विधानसभा से 7 विधायकों की टीम गई थी. इतने पट्टे दे दिये कि रास्ते के ही पट्टे दे दिये. कई पट्टों का नवीनीकरण 20-20 साल के लिए नहीं हो रहा था. लेकिन उसके लिए भी मध्यप्रदेश शासन ने स्थायी पट्टे पर लगाई गई शर्तों का यदि उल्लंघन भी हुआ है तो निश्चित सीमा तक उल्लंघन को माफ करते हुए दण्ड राशि लेकर उन मामलों को समाप्त करने का निर्णय लिया है और उनका भी हम नवीनीकरण करेंगे ताकि उनको भी सुविधा हो, सरकार को भी सुविधा हो, ऐसे साहसिक निर्णय राजस्व विभाग के माध्यम से आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय हो रहे हैं. लंबित प्रकरणों की जहां तक बात है, इसके लिए भी मध्यप्रदेश में राजस्व विभाग का अभियान चला रहे हैं. नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, ऐसे प्रकरणों के निराकरण हेतु विशेष अभियान राजस्व विभाग का मध्यप्रदेश में चलाएंगे और उसके लिए माननीय विधायकों को भी सूचना देंगे, उस अभियान में आप कहीं न कहीं अपनी उपस्थिति देंगे और कोई कमियां है उनको बताएंगे. उक्त अभियान के

दौरान बी-वन का वाचन एवं कृषकों को उनके भू-अभिलेखों की प्रतियों का भी वितरण किया जाएगा. ऐसे कई काम हैं. अब आप कहते हैं कि कुछ काम नहीं हो रहा है.

उपाध्यक्ष महोदय, लोक सेवा गारंटी योजना में सबसे ज्यादा 15 योजनाएं दे दी हैं. आने वाले समय में और ऐसी व्यवस्था हो जाएगी कि कहीं किसान भाइयों को मध्यप्रदेश में चक्कर नहीं काटना पड़ेगा. वहां जाएंगे और तुरन्त नकलें निकलेंगी. इन 15 योजनाओं को पढ़ूंगा तो देर लगेगी. लेकिन ये 15 योजनाएं हैं और इनमें कुल 1428270 प्रकरणों का निराकरण हो चुका है और जहां गड़बड़ी हुई है तो संबंधित अधिकारियों से राशि भी जमा करवाई जाती है, इस कानून की सराहना पूरे देश में हो रही है. ऐसा मध्यप्रदेश में काम हो रहा है. पदों की पूर्ति है, तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, पटवारी इन सब के पदों की पूर्ति भी जल्दी की जाएगी. वाहन व्यवस्था से लेकर भवन ये सब सुविधाएं भी अमले को उपलबध करवाई जाएंगी. चौकीदारों तक की चिन्ता सरकार कर रही है. कोटवार पंचायत,माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलवाई ,कोटवार भी टोपी लगा कर नमस्कार कर रहे हैं. पूरे गांव गांव में डटे हुए वो हमारे CID हैं. वो हमको सबकी पूरी रिपोर्ट देते हैं , क्या कर रहे है,सब खबरे हमारे पास आती है ..

उपाध्यक्ष महोदय—हमारे इलाकें में उनको नीलकंठ भी कहा जाता है, नीला ड्रेस रहता है ना.

श्री रामपाल सिंह – उपाध्यक्ष जी, भूमि अर्जन की जो बात है . पहले पुनर्वास नीति बनाई इसमें मुख्यमंत्री जी ने राशि बढ़वाई थी. अब भूमि अर्जन, पुनर्वासन,पुनर्विस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 लागु हो गया है. पुनर्वास पैकेज अधिनियम अनुसार अब मध्यप्रदेश के अंदर लागु किए जाएँगे और आदरणीय कुलस्ते जी आप भी चिन्ता न करें. समझा दें लोगों को कि नये नियम से उनको राशि बढ़ा कर दी जाएगी. मध्यप्रदेश के किसानों पर आपेक जैसे जबरदस्ती नही बांटा जाएगा, किसान को संतुष्ट करके ही जमीन ली जाएगी. माननीय शर्माजी

आप हैं इसलिए बता देता हूं. प्रदेश के विस्थापित सिन्धी परिवारों के आवंटन में आ रही कठिनाईयों के निराकरण के लिए पुनर्वास नीति बनाने की घोषणा की गई है. इस घोषणा में प्रदेश के जिला कलेक्टरों से सुझाव मांगे हैं. उनको हम तुरन्त करेंगे ये मुख्यमंत्री जी के भी निर्देश हैं. शीघ्र उसका हम निराकरण करेंगे और भोपाल का जो आपका मर्जर वाला चलता है उसके लिए उच्च स्तरीय आयोग की घोषणा यहां की गई है.

उपाध्यक्ष महोदय— आपकी बात सुन्दरलाल तिवारी जी नहीं सुन रहे हैं , सिंधियों का मामला वे भी उठाते रहे हैं. (व्यवधान)

श्री शंकरलाल तिवारी—उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी से एक निवेदन करना चाहता हूं अभी मुख्यमंत्री जी जब सतना गए थे तो सतना के सिन्धी केम्प के पट्टों के मामले में उनसे चर्चा की गई थी और ये पूरे प्रदेश का मसला तो है ही पर सतना सिन्धी केम्प में कुछ पट्टे तो बन गए हैं पर उसके बावजूद भी आज तीन तीन पीढ़ियां हो गईं उनके पट्टे नहीं बने हैं ,मंत्री जी ने कहा है , मैं चाहूंगा कि यह समय सीमा में करा देंगे तो बड़ी कृपा होगी. तीन पीढ़ियां हो गई हैं.

श्री रामपाल सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, निश्चित रूपे से माननीय तिवारी जी और शर्मा जी ने और माननीय सदस्यो ने जो सुझाव दिए हैं , आपके जिले का मामला है उसमें भी राशि बटी है और भी जो सुझाव दिए हैं उन पर हम कार्यवाही कहेंगे. लेकिन यह भी जरूरी है कि अच्छे कामों की तारीफ आपको करनी सीखना चाहिए. विपक्ष में हैं आप. सच को सही कहना चाहिए. उपाध्यक्ष महोदय, मध्यप्रदेश में अगर पटवारियों की भर्ती , सीधे ऑन लाईन भर्ती पटवारियों की की. इसमें दो पुरस्कार 2012-13 में मिले. पटवारी की सीधी भर्ती में पारदर्शिता आपनाई और दूसरे देशों से ये पुरस्कार हमको मिले हैं. इसकी तारीफ होनी चाहिए. कृषि कर्मण पुरस्कार, रिकार्ड बिजली में सुधार ये सब चीजें आपके ध्यान में है. उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं एक एक माननीय सदस्य के उत्तर आए हैं मेरे पास अब उनको सुनना ही पड़ेगा.

उपाध्यक्ष महोदय—माननीय चिकित्सा मंत्री जी बड़े बैचेन हैं उनका भी विभाग आना है.

श्री जसवंत सिंह हाड़ा—उपाध्यक्ष महोदय, मेरे यहां पर काठना मंडी जलाशय है 2013 से उसका काम प्रारंभ हो चुका है. मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं ,भू अधिग्रहण जो लागु हुआ है. उनको भी जो डिफरेन्स की राशि है वह दी जाएगी क्या?

उपाध्यक्ष महोदय—आपकी बात संज्ञान में ले ली है. आपकी बात कार्यवाही में आ गई है.

श्री रामपाल सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिए वह अमूल्य सुझाव हैं और निश्चित रूप से मैं भी अच्छे परिणाम देख पाया तो अच्छे प्रयास करूंगा.

उपाध्यक्ष महोदय—उधर से भी अच्छे सुझाव आए हैं. दोनों तरफ से आए हैं.

श्री रामपाल सिंह—आए हैं. अच्छा काम मध्यप्रदेश के किसानों के हित में होगा और सबके सहयोग से होगा. मैं इस सदन के माध्यम से मैं आश्वस्त कराता हूं कि हम लोग यहां आए हैं और निश्चित रूप से किसानों के हित में प्रदेश के हित में जो काम करने की जवाबदारी हमको मिली है, उसे हम पूरी तरह से निभाएंगे और भी कई सुझाव हैं, यह बंगला, बगीचा वाला है, सिलिंग एक्ट का मामला भी पीछे से आया था. ऐसे कई मामले थे, लेकिन समयाभाव के कारण माननीय सदस्यों को उनके विषय में एक एक का जवाब नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन जानकारी मेरे पास है. आज मैं पूरे सदन को धन्यवाद करते हुए कि उन्होंने अपने अमूल्य सुझाव उन्होंने मुझे दिए हैं और उन सुझावों के माध्यम से मैं अच्छा काम करूंगा. मैं सभी से निवेदन करूंगा कि राजस्व विभाग की अनुदान मांगों पर पूरा सहयोग करें और इसे अच्छे ढंग से पारित करें, ताकि हम आप लोगों की भावनाओं के अनुसार अच्छे ढंग से काम करके अच्छे परिणाम दे सकें. धन्यवाद.

श्री कमल मर्सकोले—उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने जो अपने क्षेत्र की समस्या बताई थी.

उपाध्यक्ष महोदय—अब गाड़ी प्लेटफार्म से छूट गई है. बैठिये

अब मैं पहले कटौती प्रस्तावों पर मत लूंगा.

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 8, 9, 35 एवं 58 पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव स्वीकृत किए जाएं.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए

अब, मैं, मांगों पर मत लूंगा.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त लेखानुदान में दी गई धनराशि को सम्मिलित करते हुये राज्यपाल महोदय को –

अनुदान संख्या - 8	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन के लिए एक हजार दो सौ पैंसठ करोड़, चार लाख, अठहत्तर हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 9	राजस्व विभाग से संबंधित व्यय के लिए अड़सठ करोड़, अड़तीस लाख, तैंतालीस हजार रुपये,
अनुदान संख्या - 35	पुनर्वास के लिए बहत्तर लाख, सात हजार रूपये, तथा
अनुदान संख्या - 58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय के लिए तीन हजार पॉंच सौ उनहत्तर करोड़, चौवन लाख, निन्यानवे हजार रूपये

तक की राशि दी जाय.

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

अनुदानों की मांग के बारे में प्रस्ताव

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्रा) :अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त लेखानुदान में दी गई धनराशि को सम्मिलित करते हुये राज्यपाल महोदय को–

अनुदान संख्या - 19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए चार हजार एक सौ दस करोड़, इक्कीस लाख, पचासी हजार रुपये,
अनुदान संख्या - 28	राज्य विधान मण्डल के लिए सड़सठ करोड छियासठ लाख, तैतालीस हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 38	आयुष के लिए चार सौ अस्सी करोड़, इक्यानवे लाख, छियालीस हजार रुपये,
अनुदान संख्या - 72	भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास के लिए नब्बे करोड़, चौसठ लाख, अठारह हजार रूपये, तथा
अनुदान संख्या - 73	चिकित्सा शिक्षा के लिए पॉच सौ अड़तीस करोड़, छब्बीस लाख, सत्रह हजार रूपये.

तक की राशि दी जाय.

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

उपाध्यक्ष महोदय – अब, इन मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होंगे. कटौती प्रस्तावों की सूची पृथकत: वितरित की जा चुकी है. प्रस्तावक सदस्य का नाम पुकारे जाने पर जो माननीय सदस्य हाथ उठाकर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु सहमति देंगे, उनके ही कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए माने जायेंगे.

मांग संख्या – 19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण क्रमांक
श्री रामनिवास रावत	2
सुश्री हिना लिखीराम कांवरे	3
श्री बाला बच्चन	4
कुंवर विक्रम सिंह	6
श्री रजनीश हरवंश सिंह	7
श्री हर्ष यादव	9
श्री जयवर्द्धन सिंह	10
श्री रामपाल सिंह	11
श्री शैलेन्द्र पटेल	12
श्री उमंग सिंघार	13
श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर	15
श्रीमती झूमा सोलंकी	16
श्री आरिफ अकील	18
श्रीमती शीला त्यागी	19
श्री कमलेश्वर पटेल	20
श्री सुखेन्द्र सिंह (बना)	21

मांग संख्या – 28	राज्य विधान मंडल
श्री रामनिवास रावत	1
श्री आरिफ अकील	2

मांग संख्या – 38	आयुष क्रमांक
श्री सचिन यादव	1
श्री आरिफ अकील	2
श्री रामनिवास रावत	4
श्री हर्ष यादव	5
श्री फुन्देलाल सिंह मार्को	6
डॉ. रामकिशोर दोगने	7

मांग संख्या – 72	भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास
श्री बाला बच्चन	1
श्री आरिफ अकील	2

मांग संख्या – 73	चिकित्सा शिक्षा
श्री रामनिवास रावत	2
श्री जयवर्द्धन सिंह	3
श्री गिरीश भण्डारी	4
श्री आरिफ अकील	5

उपस्थित सदस्यों के कटौरी प्रस्ताव प्रस्तुत हुए.

अब मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारम्भ होगी.

उपाध्यक्ष महोदय—लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री की अनुदान मांग संख्या 19,28,38,72, एवं 73 पर चर्चा हेतु कार्यमंत्रण समिति ने दो घंटे का समय निर्धारित किया है. तद्नुसार दलीय स्थिति के आधार पर निम्नानुसार समय आवंटित किया गया है-

भारतीय जनता पार्टी	1 घंटा 26 मिनट
इंडियन नेशनल कांग्रेस	28 मिनट
बहुजन समाज पार्टी	4 मिनट
निर्दलीय	2 मिनट

श्री बाला बच्चन(राजपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 19,28,38 72 एवं 73 का विरोध करता हूँ और कटौती प्रस्तावों का समर्थना करता हूँ. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने वित्त मंत्री जी का बजट भाषण पढ़ा है जिसमें लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से संबंधित योजनाओं के लिए जो बजट दिया है उसको भी मैंने पढ़ा है और यह जितनी अनुदान मांगें रखी गयी हैं. इन अनुदान मांगों के प्रशासकीय प्रतिवेदनों को भी मैंने पढ़ा है और पढ़ने के बाद नतीजे पर पहुंचा हूँ उसको मैं अपनी बात में बयां करुंगा. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम तो मैं माननीय मंत्री जी जो लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से स्वास्थ्य सेवाओं के लिए इस बार के वित्तीय वर्ष में जो पिछले वित्तीय वर्ष के बजट से 55 प्रतिशत अधिक बजट आपने स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित जो रखा है इसके लिए मैं आपका स्वागत भी करता हूँ और आपको मैं धन्यवाद भी देता हूँ कि आपने इस बार 4828 करोड़ रुपये का जो बजट प्रोवीजन जो किया है वाकई मैं समझता हूँ कि यह जिनके आपने रखा है और यह प्रदेश अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक अगर यह बजट खर्च होता है तो मैं समझता हूँ कि स्वास्थ्य सेवाओं की जो हम सब उम्मीद करते हैं वह बेहतर हम सब के लिए उसके परिणाम अगर आयेंगे तो यह निश्चित ही प्रदेश के हित में होगा लेकिन जो जहां दिक्कतें होती हैं उस ओर में सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ. लोक

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी ससंदीय कार्य मंत्री भी हैं और जिस तरह से वे हाउस को कंट्रोल करते हैं वैसे ही मैंने पिछली बार भी इस बात को बोला था कि सदन का ध्यान हम अपोनेंट को कंट्रोल करने में आप लगे रहते हैं बजाय हमको कंट्रोल करने के सरकारी तंत्र को और अपने विभाग के तंत्र अगर आप कंट्रोल करेंगे तो बेहतर परिणाम प्रदेश के हित में हो सकते हैं.

संसदीय कार्य मंत्री(डॉ. नरोत्तम मिश्रा)—आपको कभी कंट्रोल नहीं कर सकता, कैसी बात करते हैं , आपको कौन कंट्रोल कर पाया (हंसी)

उपाध्यक्ष महोदय—आपके प्रति सदभाव रखते हैं.

श्री बाला बच्चन-- 8 जुलाई का वाक्या जो हुआ था वह मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ. माननीय मंत्री जी, आपने प्रदेश की समस्त स्वास्थ्य संस्थाओं के लिए औषधि है, उपकरण हैं, सामग्री है, इसके उपार्जन के लिए और उसमें किस तरह अच्छा प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य हो, गुणवत्ता हो और उसके बाद दक्षता हो ,इन सभी के साथ-साथ पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भी आपने मध्यप्रदेश पब्लिक हैल्थ सर्विसेस कारपोरेशन का गठन किया है . यह कारपोरेशन के गठन के बावजूद भी मुझे नहीं लगता है कि आपके विभाग में जो अनियमिततायें हो रही हैं ,जो भ्रष्टाचार हो रहा वह कम होगा. इसके साथ ही इस कारपोरेशन के गठन के बाद भी समयसीमा में जो बजट आपका खर्च होना चाहिए वह नहीं हो पा रहा है और इसके कारण हमारे प्रदेश की स्वास्थ्य सेवायें आज भी चरमराई हुई हैं, मैं उस ओर आपका ध्यानाकर्षित कराना चाहता हूं. मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी पिछले महीने में आपके विभाग ने ग्लोबल बजट के नाम से 100 करोड़ का बजट जारी किया है औऱ 15 जिले के सीएमएचओ औऱ सिविल सर्जनों को 15 दिन का समय 100 करोड़ रुपये का बजट खर्च करने का था और उस बजट को खर्च करने में क्या-क्या अनियमिततायें हुई हैं उस ओर मैं आपका ध्यानाकर्षित कराना चाहूंगा. उस बजट को 3 दिन में खर्च कर दिया और 5 दिन में 100 करोड़ रुपये का भुगतान भी कर दिया. मैं कहना चाहता हूं कि 5 रुपये की आयोडीन

टेस्टिंग किट को आपके विभाग ने 1500 रुपये में खरीदा है.इतना बड़ा भ्रष्टाचार, इतनी बड़ी अनियमितता मध्यप्रदेश में हुई,मुझे लगता है कि देश में जो बड़े बड़े स्कैम जो भ्रष्टाचार से संबंधित हो रहे, उन सबका भी यह रिकार्ड तोड़ता है. मुझे नहीं लगता है कि सदन के सदस्य चाहे वह सत्ता पक्ष के हों, या विपक्ष के हों, उनकी जानकारी में यह बात है. बात भ्रष्टाचार की यहीं पर नहीं रुकती है 100 करोड़ रुपये का बजट अभी पुनः जारी करने का आपके तंत्र ने कार्यक्रम बनाया है और अपने चुनिंदा और पसंदीदा लोगों के माध्यम से इस बजट को फिर से खर्च करना है. उपाध्यक्ष महोदय, बात यही समाप्त नहीं होती है. एनआरएचएम के अंतर्गत प्रदेश की जो स्वास्थ्य संबंधित आपने कर्मचारियों की भर्ती की है ,उसमें भी काफी अनियमिततायें हुई हैं और एनआरएचएम के अंतर्गत होने वाले आयुष के जो चिकित्सक हैं उनकी भर्तियों को क्यों निरस्त करना पड़ा? 722 चिकित्सकों की भर्ती को अभी शासन को निरस्त करना पड़ा है . माननीय शेजवार जी आप भी पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं अगर मैं कहीं गलत हूं तो आप बीच में खड़े होकर टोक सकते हैं और उस पर हम डिबेट या डिस्कशन कर सकते हैं लेकिन प्रदेश के हित में अगर कोई कॉन्क्लूजन आता है तो मेरे हिसाब से वह होना चाहिए. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 35 करोड़ रुपये के लैपटॉप विभाग ने कैसे खरीदे, वह लैपटॉप काम के लायक नहीं है और अपात्रों को वह दे दिये गये हैं .बात लैपटॉप तक नहीं समाप्त होती है. आपके विभाग ने डेढ़ साल पहले 352 एंबुलेंस खरीदी थी, एंबुलेंस के नाम से. मंत्री जी , मुझे पता नहीं आपकी जानकारी में यह सब है या नहीं है क्योंकि आप इतना बड़ा काम देखते हैं, इतने बड़े ओहदे का संचालन करते हैं, संसदीय कार्यमंत्री इत्यादि भी देखते हैं.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा--- मेरी जानकारी में है , मैं जवाब भी दूंगा.

श्री बाला बच्चन--- 352 एंबलेंस आपने खरीदी , क्या जरूरत थी खरीदने की.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया--- बच्चनजी जब मंत्री जी जवाब दें तब तक बैठना. आप चले जाते हैं , बात कहकर चले जाते हो.

श्री बाला बच्चन--- मैं जरूर बैठूंगा ,मैं रणछोड़ नहीं हूं. उपाध्यक्ष महोदय, 352 एंबुलेंस खरीदी औऱ डेढ़ साल तक वह भोपाल के एक स्थान पर रखी गई. उन एंबुलेंस की मशीनें खराब हो गई, टायर खराब हुए, बैटरियाँ खराब हुई, एंबुलेंस के नाम से 352 एंबुलेंस खऱीदी थीं और डेढ़ साल तक उनको एक स्थान पर रखने के बाद फिर एंबुलेंस के नाम से करोड़ों रुपये का बजट निकाला गया और करोड़ों रुपये उस पर खर्च कर दिये गये और उसके बाद लास्ट में 108 सेवा के नाम वह एंबुलेंस बिना निविदा के दे दी गई है. सरकारी साधनों की कोई प्रक्रियाएँ होती हैं उसका कोई पालन नहीं किया गया है. मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि इस तरह से आपके विभाग में अनियमितताएँ की जा रही हैं. बात यहीं समाप्त नहीं होती है, अगर आप यह सौ सौ करोड़ रुपये का जो बजट दे रहे हैं आपके पास नियमित सीएमएचओज़ नहीं हैं, आप इंचार्ज सीएमचएचओ से यह बजट खर्च करवाते हों और टारगेट देते हों कि यह 15 दिन में 1 महीने में सौ करोड़ का बजट खर्च करना है. इंचार्ज सीएमएचओ किस तरह से स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर इस बजट को खर्च करेंगे और स्वास्थ्य सेवाओं को किस तरह से ठीक ढंग से नियंत्रित कर लोगों को राहत दिला पाएँगे, तो आप सबसे पहले यह जो आपके इंचार्ज सीएमएचओज हैं, आपको इतना टाइम होगा, आपकी सरकार को लगभग 10 वर्ष हो गए हैं उसके बावजूद भी अभी तक आप नियमित सीएमएचओ क्यों नहीं दे पा रहे हैं. इस ओर भी आप ध्यान दें. आप और आपकी सरकार हमेशा बड़ा दंभ भर करके बोलते हैं कि हमारी सरकार में जाँच मुफ्त में हो रही है और दवाइयाँ मुफ्त में दे रही है. मैं इसका भी खुलासा करना चाहता हूँ ब्लड प्रेशर से संबंधित, शुगर से संबंधित और पेट की जो बड़ी बीमारियाँ हैं, अस्पताल में उनसे संबंधित दवाइयाँ नहीं मिलती हैं और इसके लिए मरीजों को बाहर से दवाइयाँ खरीदना पड़ती हैं. न मुफ्त में जाँच होती है न दवाइयाँ मिलती हैं यह स्वास्थ्य विभाग की स्थिति है. बात यहीं समाप्त नहीं होती है पिछले कईं दिनों से प्रदेश में डेंगू तेजी से फैल रहा है.....

वन मंत्री (डॉ.गौरीशंकर शेजवार)-- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे तो हम कुछ भी कह सकते हैं कि ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं. डायबिटीज की दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं. अब असत्य कथन आप कर रहे हैं और मंत्री जी, विभाग और मुख्यमंत्री, हम लोग सब इस बात के लिए कह रहे हैं कि दवाइयाँ बराबर मिल रही हैं. आपके पास इसका क्या प्रमाण है... (व्यवधान)...मेरी विनम्र प्रार्थना है कि जब हम सरकार के ऊपर मंत्री के ऊपर आरोप लगाएँ तो कम से कम प्रमाण प्रस्तुत करें कि दवाइयाँ ऐसे नहीं मिल रही हैं.

उपाध्यक्ष महोदय-- उनके ऊपर यह व्यक्तिगत आरोप नहीं हैं.

डॉ.गौरीशंकर शेजवार-- व्यक्तिगत हैं. पूरी सरकार पर आरोप है, हम कह रहे हैं कि दवाइयाँ मिल रही हैं और यह हमने सुनिश्चित किया है. वहाँ बराबर दवाइयों की लिस्ट टंगी हुई है. हम केवल इस बात को रोकना चाहते हैं कि डॉक्टर लोग जो बाहर की दवाइयाँ लिखते थे उनके बजाय अस्पताल की दवाइयों का उपयोग करें.

उपाध्यक्ष महोदय-- आप उनका अधिकार छीन रहे हैं....

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया-- डिबेट तो बाला भाई ने ही मांगी थी.

3.42 बजे

{अध्यक्ष महोदय (डॉ.सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए}

श्री बाला बच्चन-- माननीय शेजवार जी, हम जब मंत्री थे तब भी तो आप ऐसे ही बोलते थे. उस समय क्या प्रमाण लेकर आते थे. हमारे बोलने के बाद अगर कहीं ऐसा लगता है कि हमारी बात प्रमाणित नहीं है तो हम उसको प्रमाणित करेंगे.

डॉ.गौरीशंकर शेजवार-- बच्चन जी, आपने मंत्रीजी को बार बार कहा है कि यह विभाग है और यह विभाग है, आपके पास भी शैडो मंत्रिमंडल में कितने विभाग हैं आप बता दीजिए और आपके पास क्या स्वास्थ्य विभाग है.

श्री बाला बच्चन-- मैं तो स्वास्थ्य विभाग का पूर्व मंत्री रहा हूँ...(व्यवधान)..

डॉ.गौरीशंकर शेजवार-- पूर्व मंत्रियों की गिनती नहीं हो रही है ऐसे तो मैं पता नहीं कितने पूर्व मंत्री रहा हूँ...(व्यवधान)..मैं तो शैडो केबिनेट की बात कर रहा हूँ...(व्यवधान)..शैडो केबिनेट में आप स्वास्थ्य के मंत्री हैं क्या..(व्यवधान)..

श्री बाला बच्चन-- उसमें हम ऑल राउंडर हैं.

श्री यशपाल सिंह-- डॉक्टर साहब, वहाँ भी गुटीय राजनीति के शिकार हो गए...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय-- आप तो अपनी बात जारी रखें.

श्री बाला बच्चन -- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक आरोग्य योजना स्थापित की थी, अच्छे उद्देश्य के साथ में आपके विभाग ने और आपने आरोग्य योजना की जो शुरुआत की थी कि मध्यप्रदेश के जितने ग्राम हैं उन ग्रामों में किस तरह से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ वहाँ तक पहुँच सके. लेकिन उसके असफल होने से आपकी जो दूसरी भी जो सेवाएँ हैं वह भी प्रभावित हुई हैं. आप इस ओर ध्यान दें और मैंने जितनी बातें जो अभी माननीय मंत्री जी, जो बोली हैं दवा खरीदी में पारदर्शिता का अभाव है. जो दवा आप खरीदते हों वह मुझे मालूम है कि जो दवाइयाँ ज्यादा या प्रचुर मात्रा में हैं उनकी ही बार बार खरीदी बताई जाती है और अपनी पसंदीदा कंपनियों को और फर्मों को किस तरह से फायदा पहुँचाना चाहिए यह आपका विभाग कर रहा है. मैं डेंगू की बात कर रहा था जिस समय मुझे डॉक्टर साहब ने जो टोका था, डेंगू पूरे प्रदेश में तेजी से फैल रहा है. सरकार को इस ओर ध्यान देना पड़ेगा और अगर सरकार समय रहते ध्यान नहीं देती है और डेंगू को कंट्रोल नहीं कर पाती है तो आज भोपाल में काफी लोग प्रभावित हो चुके हैं और कुछ लोगों की मौत भी हो चुकी है और पूरे प्रदेश में तेजी से डेंगू फैलता जा रहा है. अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी मलेरिया से संबंधित अमानक स्तर की जो दवाइयाँ वितरित की जाती हैं उस बात को उठाया है.

लेकिन मेरी वह बात उस समय भ्रष्टाचार का शिकार हो गई और नहीं मानी गई है और जो सेंपल पहले प्रदायकर्त्ताओं के फेल हुए थे, विभाग ने पुनः उन लोगों को ठेके दिए और उनसे दवाइयां जो खरीदी हैं तो माननीय मंत्री जी इस ओर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा. यह मेरा आप से आग्रह है.बहुत सारे अस्पतालों में एक्स-रे मशीनें और सोनोग्राफी मशीनें हैं और पैरा मेडिकल सुविधायें भी उपलब्ध हैं लेकिन पदों की पूर्ति न हो पाने के कारण उनका संचालन ठीक ढंग से नहीं हो रहा है. मंत्रीजी इस और भी आप ध्यान दें. शहरों के अस्पताल तक तो ठीक है लेकिन ग्रामों में और एकदम पहाड़ी अंचलों के जो अस्पताल हैं वहां के मरीज आज भी निजी अस्पतालों के ऊपर निर्भर हैं. पूरे प्रदेश में विशेषज्ञों की बहुत कमी है और जो अस्पतालों में पदस्थ हैं भी तो उनका ध्यान प्रायवेट अस्पताल या निजी क्लिनिकों की ओर होता है. ग्रामीण और पहाड़ी अंचल के अस्पताल के विशेषज्ञों को देखना चमत्कार से कम नहीं है वहां न चिकित्सक होते हैं न विशेषज्ञ होते हैं.

अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी को कहना चाहता हूँ कि प्रचार-प्रसार के नाम से बहुत मात्रा में स्टेशनरी छपवाई जाती है लेकिन आये दिन हम बाजारों में होटलों पर देखते हैं वह स्टेशनरी पोहे, कचोरी, भजिये परोसने के काम में आती है. दुकानदार रद्दी में यह स्टेशनरी खरीद लेते हैं. यह स्टेशनरी जिस मकसद से छपवाई जाती है उस काम में नहीं आती है. मैंने खुद ने यह पाया है.

अध्यक्ष महोदय, फर्जी नाम और पते वाली कंपनियों और उनकी फर्मों से दवाई लेने की बात मैंने कही है. नियर एक्सपाइरी डेट की दवायें भी विभाग खरीदता है इससे बाद में बड़ी मात्रा में दवाइयों का नुकसान होता है. ग्रामीण क्षेत्र के अस्पतालों में नर्सेस और डाक्टरों की कमी है. बहुत सारे पैरा मेडिकल और नर्सिंग महाविद्यालय खुले हैं लेकिन उसके बावजूद भी पदों की बहुत कमी है यह स्वास्थ्य सेवाओं को प्रभावित करते हैं. इन पदों को भी जल्दी से भरें ताकि स्वास्थ्य सेवायें अच्छे से मिल सकें.

अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में एनआरएचएम के माध्यम से एनजीओ के द्वारा जो राशि दी जाती है यह राशि सत्ता से जुड़े लोगों को फायदा पहुंचाने के लिये दी जाती है इस आधी राशि का भी यदि प्रदेश में उपयोग होता है तो मानव विकास सूचकांक प्रदेश का जो गिरता जा रहा है वह बेहतर हो सकता है, अव्वल हो सकता है. आज भी मातृ मृत्युदर और शिशु मृत्युदर में हमारा प्रदेश देश में अग्रणी है. संस्थागत प्रसव में फर्जी आंकड़े दिखाकर संस्थागत प्रसव के लक्ष्य की प्राप्ति की बात की जाती है. जो संस्थागत प्रसव हो सकते हैं वे नहीं होते हैं अगर यह होने लगें तो बच्चों की और प्रसव करने वाली मां दोनों की जान बच सकती है और जो हमारा प्रदेश देश में मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्युदर में अग्रणी है उसमें भी गिरावट आ सकती है.

अध्यक्ष महोदय, अस्पतालों में साफ-सफाई की किसकी जिम्मेदारी है ? अभी कुछ दिन पहले हमारे दो विधायकों ने डिण्डोरी के सिविल सर्जन से बात की थी कि अस्पताल में साफ-सफाई क्यों नहीं कराते हैं तो वहां के सिविल सर्जन ने यह जवाब दिया था कि यह मेरी जिम्मेदारी नहीं है. साफ-सफाई की जिम्मेदारी भी तय करना पड़ेगी. एक बात और कहना चाहता हूं कि 400 करोड़ रुपये के सिविल कंस्ट्रक्शन के जो ठेके हुए थे आज तक उनका काम शुरु नहीं किया गया है. 2016 में उज्जैन में सिंहस्थ मेला होना है यहां भी बड़ी अस्पताल के टेंडर छह माह पहले हो चुके हैं लेकिन अभी तक वहां पर अस्पताल का काम शुरु नहीं हुआ है. प्रदेश में लगने वाले सब सेंटर, प्रायमरी सेंटर, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की बात करें और भी जो बड़े अस्पताल हैं जहां मुख्यमंत्रीजी की घोषणा है उनमें बहुत सारे स्थान ऐसे हैं जहां अभी तक टेंडर नहीं हुए हैं, काम शुरु नहीं हुआ है. मैंने मेरे वक्तव्य के माध्यम से कुछ बातें याद दिलायी हैं मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इन पदों की पूर्ति करेंगे और बेहतर स्वास्थ्य सुविधायें देंगे. माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से भोपाल गैस त्रासदी एवं पुर्नवास विभाग से संबंधित बात करना चाहता हूं। इस विभाग से संबंधित जो अस्पताल है, वहां पर कर्मचारियों की व्यवस्था भी अभी नहीं है, अच्छे चिकित्सक और विशेषज्ञ जो

होने चाहिये वो आज भी नहीं है। वहां पर जो अच्छे वाले उपकरण जो दिये गये हैं। उन उपकरणों को चलाने के लिये प्रक्षिशित स्टाफ भी नहीं है। इसकी भी पूर्ति आपका विभाग करेगा तो बेहतर होगी और जो इसका जो अस्पताल है उसको सुस्सजित करें और वहां पर अच्छे डाक्टर वहां पर पदस्थ करें। अध्यक्ष महोदय, मैं चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित भी बात करना चाहता हूं, विगत 10 वर्षों में मध्यप्रदेश में बहुत सारे पैरा मेडिकल कालेज और नरसिंग कालेज खुले हैं उसके बाद भी हम पदों की पूर्ति नहीं कर पायें है। अनेक पैरामेडिकल कालेज ऐसे हैं जिनके निरीक्षण प्रतिवेदन की अनदेखी कर उनको मान्यता दी गयी है और जो मापदण्ड फुलफिल करना चाहिये वो मापदण्ड फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, व्यापम घोटाले के लिये चिकित्सा विभाग भी उतना ही जिम्मेदार है जितना की और भी विभाग और सरकार जिम्मेदार है। इस और भी माननीय मंत्री जी आपको ध्यान देना पड़ेगा। मैंने राज्य सरकार का जो बजट देखा है कहीं पर भी पैरा मेडिकल कालेज के उन्नयन के लिये कोई भी बजट प्रावीजन में मैंने नहीं देखा है कि पैरा मेडिकल कालेजों का आप उन्नयन कर रहे हो न ही क्षेत्रीय पैरा मेडिकल संस्थान जिसके लिये भारत सरकार ने जो राशि दी है, उसको स्थापित करने का भी कहीं पर भी संकल्प माननीय मंत्री जी नहीं है इसलिये मैं समझता हूं कि आप उसकी पूर्ति करेंगे। चिकित्सा महाविद्यालयों से संबंधित चिकित्सा महाविद्यालयों में भी दवाईयों एवं डाक्टरों की भी कमी है। उसकी भी आप पूर्ति करेंगे। प्रमुख बिंदु एक और है आयुष से संबंधित वो मैं रखना चाहता हूं। कि विगत 10 वर्षों भारत सरकार की मंशा ओर स्वीकृति के अनुसार आयुष चिकित्सकों की जो पूर्ति होना चाहिये, वह अभी नहीं की गये है। मैं समझता हूं कि इसके इसके लिये कोई वित्तीय भार भी राज्य सरकार पर नहीं पड़ना है। यह क्यों नहीं की गयी है यह आप और आपका विभाग इस बारे में जाने, और जो आयुष चिकित्सक है वा अपने मुख्यालयों पर नहीं रहते हैं। कृपया करके वह अपने मुख्यालयों पर रहेंगे तो स्वास्थ्य सुविधाएं और बेहतर होगी। प्रदेश में भारत सरकार द्वारा आयुष विभाग के आवंटित पूरी धनराशि

पूरी खर्च नहीं हो पाती है। वह पूरी राशि समय सीमा में खर्च हो जिससे कि स्वास्थ्य विभाग ठीक रहे। प्रदेश के जिला चिकित्सालयों में आयुष विभाग की स्थापना नहीं है। अगर आयुष विभाग होगा तो एक ही केंपस में मनचाहि पदस्थी से मरीजों को इलाज कराने के लिये इस ही केंपस में सारी पदस्थियों में डाक्टर दवाई और गोलियां उपलब्ध हो सकते हैं। इसलिये हमारे प्रदेश के जो जिला चिकित्सालय हैं वह पर आयुष विभाग की स्थापना होना चाहिये और चिकित्सा महाविद्यालयों में आयुष की स्थापना होना चाहिये। मैरे पास जो कन्क्लूजन जो था जिस तरह से मैंने बजट और प्रतिवेदन को पढ़ा है और फील्ड में मैं देखता हूं, मुझे जरूर आपके माध्यम से मंत्री जी से विभाग से इस बात की अपेक्षा है कि मैंने जो आपसे सुझाव दिये हैं आप उस पर अपल करेंगे और प्रदेश स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करायेंगे।

श्री नरोत्तम मिश्रा :- बाला भाई आप तो ठीक है कि शेडो केबिनेट में स्वास्थ्य मंत्री नहीं है। परन्तु शेडो केबिनेट में कौन स्वास्थ्य मंत्री है यह तो बता दें।

श्री यशपाल सिंह सिसौदिया:- माननीय बाला बच्चन जी आप सब कुछ बोल देंगे तो आपका शेडो केबिनेट में स्वास्थ्य मंत्री कौन है।

श्री बाला बच्चन:- वह मेरे बाद बोलेंगे।

श्री नरोत्तम मिश्रा:- आप नाम तो बताओं की मंत्री कौन है। हमारे पास भी कटिंग है नाम तो बताओ।

श्री यशपाल सिंह सिसौदिया:- एक तो आप हमें सूची दे दीजिये कि आपकी केबिनेट में कौन कौन है हमको मालूम तो पड़ेगा।

श्री शैलेन्द्र जैन(सागर) - माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 19,28,38,72,73 का समर्थन करता हूं और कटौती प्रस्तावों का विरोध करता हूं. माननीय अध्यक्ष महोदय, भारतीय दर्शन में और भारतीय संस्कृति में हमने सभी के स्वस्थ और सभी के स्वस्थ और सभी के सुखी होने की कल्पना की है. उनके सुखी होने की हमारी अवधारणा है इसलिये हमने हमेशा इस बात को

माना है कि " सर्वे भवंतु सुखिना सर्वे संतु निरामया,सर्वे भद्राणि पश्यंतु मां कश्चिद दुख भागभवेत " सभी लोग स्वस्थ हों सभी लोग सुखी हों यह हमारी कल्पना है. चूंकि मध्यप्रदेश को स्वर्णिम मध्यप्रदेश बनाना है उसके प्रति हमारा संकल्प है इसके लिये हमेशा जैसे कहते हैं कि " ए हेल्दी माइंड लिव इन ए हेल्दी बाडी " तो स्वस्थ और स्वस्थ शरीर दोनों को हमारे मध्यप्रदेश को आवश्यक्ता है. इसी कल्पना को साकार करने का हमारी सरकार ने इस बजट में प्रावधान किया है संकल्प किया है उसको पूरा करने के लिये हम आगे बढ़ रहे हैं. मैं सोच रहा था स्वास्थ्य विभाग में विगत वर्षों में हमारी सरकार ने इतने नये प्रयोग किये हैं इतनी योजनाएं बनाईं हैं कि मैं सोच रहा था कि कहां से शुरू करूं. कहते हैं कि " कहां से इत्तदा कीजे बड़ी मुश्किल है दरवेशों, कहानी उम्र भर की है और मजमा रात भर का है " अनेक योजनाएं हैं अनेक प्रयोग हमारी सरकार ने किये है. मैं उस योजना से मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूं जो न केवल मेरे दिल के सबके दिल के नजदीक है जब मैं अपने क्षेत्र में जाता हूं प्रदेश भर में जाता हूं मैं पाता हूं सरकार की ऐसी योजना जिसकी हर व्यक्ति के मुंह से प्रशंसा के भाव निकलते हैं वह है हमारी संजीवनी 108 एंबुलेंस. इसके पहले हमारे यहां जो बेकवर्ड लोग हैं गरीब हैं मजदूर हैं उनके स्वास्थ्य के लिये किसी भी सरकार ने चिंता नहीं की बल्कि यह देखा गया कि लंबे समय तक हमारे समाज में जो सोशल सिक्योरिटी फैक्टर है वह सोशन सिक्योरिटी फैक्टर लगभग मिसिंग था लेकिन 108 के माध्यम से हमने सोशल सिक्योरिटी को स्टेबलिश करने का जो संकल्प लिया था उसकी पूर्ति करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं और मुझे बहुत खुशी है और इसके बहुत सकारात्मक परिणाम आए हैं. 10 से 15 मिनट के अंदर आपके काल करने के बाद आपके दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं उसके अंदर सारी सुविधाएं हैं सारे इक्यूपमेंट्स हैं. और अगर किसी चीज की कमी लगती है तो मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं हमारी जो एंबुलेंस हैं उसमें स्किल्ड स्टाफ की कमी है. अगर जो स्टाफ उसमें विद्यमान रहता है वह स्टाफ अगर स्किल्ड होगा तो जो इमरजेंसी आती है उस इमरजेंसी को आन द वे हम हेंडल कर सकते हैं. एक विषय और ध्यान में आता है हमारा विधान सभा क्षेत्र सागर है वहां पर कार्डिक एंबुलेंस की नितांत आवश्यक्ता है. कुछ कार्डिक एंबुलेंस मेरे ख्याल से प्रचलन में हैं लेकिन सागर में इस तरह की कार्डिक एंबुलेंस जिसमें वेंटिलेटर और अन्य जीवनदायी उपकरण लगे होने चाहिये इस तरह की कार्डिक एंबुलेंस की नितांत आवश्यक्ता है. मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहूगा कि इस तरह की कार्डिक एंबुलेंस उपलब्ध कराएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा. मैं सरकार वल्पभ भाई पटेल निशुल्क औषधि वितरण योजना की, कितने परिवार ऐसे होते थे हमारे समाज में जो पर्याप्त दवाईयों के अभाव में काल-कवलित हो जाते थे. कई परिवार दवाईयां अफोर्ड नहीं कर सकते थे उनकी एप्रोच नहीं थी. इस तरह की जो हमारी सरकार ने योजना बनाई है उस योजना के माध्यम से निश्चित ही जो हमारा मजदूर तबका है जो इकोनोमिकली वीकर्स सेक्शन है उस सेक्शन को हमने दवाईयां उपलब्ध कराने की जो यह महती योजना है उसकी मैं भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं.

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो आंकड़े मेरे पास हैं उनके हिसाब से लगभग 4 लाख रोगियों को प्रतिदिन 72 लाख रूपये निशुल्क दवाईयों के रूप में वितरित कर रहे हैं. इस तरह की योजनाओं के अभाव में कितने लोग वर्षों से आशा भरी निगाह से देख रहे थे इसलिये कहते हैं कि—

कब की पत्थर हो चुकी थी मुन्तिजर आंखें मगर,

छूके जब देखा तो मेरे हाथ गीले हो गये.

कोई योजना आयी तो लोगों के मन में खुशी का भाव है. मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना चालू की है उसकी भी प्रशंसा करना चाहता हूं. कितने हमारे बेकवर्ड क्लास के लोग थे, जिनके बच्चों में जन्मजात इस तरह की बीमारियां आ जाती थीं, किसी का वाल्व खराब था, कहीं पर कोई हार्ट एलीमेन्ट था तो हार्ट संबंधी इलाज इतना महंगा होता था कि वह इलाज नहीं करा सकते थे तो वह पूरे जीवन-पर्यंत अपनी बीमारी को लेकर साथ में चलते थे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो इस तरह की योजना की है इसमें हजारों ऑपरेशन हो चुके हैं मैं इसके लिये उनको धन्यवाद करना चाहता हूं. यह सारी योजनाएं जो सदन में रख रहा हूं यह सारी योजनाएं हमारी सरकार के द्वारा शुरू की गई हैं. दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना वह परिवार जो गरीबी रेखा ने नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवार हैं मध्यप्रदेश के वाशिंदा हैं ऐसे तमाम लोगों को 30 हजार रूपये तक औषधियां तथा इलाज सरकार ने करने का निश्चय किया है. मैं एक और योजना का उल्लेख करना चाहता हूं कैशलेस डिलेवरी यह भी योजना हमारी सरकार ने शुरू की है इस योजना के तहत जननी को घर से लाने से लेकर पूरा का पूरा प्रसव इसमें ऑपरेशन की आवश्यकता होगी तो ऑपरेशन उसके संबंध में उसको डाइट प्रोटीन की आवश्यकता होती है तथा तमाम वेक्सीनेशन करके जननी और बच्चे को घर तक पहुंचाने के लिये एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ रहा है इस तरह की अभिनव योजना शुरू की है मैं उनका सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं. मैं इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं वर्ष 2003-04 में मैं जब बजट को देख रहा था प्लान बजट में 331

करोड़ रूपये नॉन प्लान बजट में 631 करोड़ रूपये यह स्थिति होती थी, लेकिन हमारी सरकार ने वर्ष 2014-15 में लगभग 4 हजार 828 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है माननीय बाला बच्चन जी 55 प्रतिशत की ऐतिहासिक बढ़ोतरी है इसके लिये निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जो बधाई देना चाहता हूं.

माननीय अध्यक्ष महोदय, सागर में वर्षों से हमारी मांग चली आ रही थी मेडिकल कॉलेज की माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी पीड़ा को समझा तथा हमारे सपनों को पूरा करने की दिशा में काम किया और सागर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो गई है, लेकिन सागर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना होने के बाद भी अभी भी हमारी बहुत सारी सुविधाएं सागर को मिलनी चाहिये मेडिकल कॉलेज के माध्यम से उनसे हम निश्चित रूप से महरूम हैं मैं उल्लेख करना चाहता हूं एक केज्युअल्टी मेडिकल ऑफिसर हमारे पास इस ऑफिसर की कमी है जिसकी वजह से हमारे जितने भी विभाग हैं उन विभागों में जो तारतम्य होना चाहिये और जो फंक्शनल होना चाहिये विभाग वह विभाग फंक्शनल नहीं हो पाये हैं मैं मंत्री जी का ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं. हमारे यहां पर रेडियोलॉजिस्ट एक्सरे मशीन है उसके जो सप्लायर हैं उसके बीच में कहीं कोई विवाद हो पाने की वजह से चार साल से वहां पर पड़ी हुई है उस पर काम शुरू नहीं कर पा रहे हैं. मैं बात करना चाहता हूं हमारे सेन्टर्ल ऑक्सीजन सिस्टम की हमारे यहां मेडिकल कॉलेज में सेन्टर्ल ऑक्सीजन सिस्टम अभी तक शुरू नहीं हो पाया है उसकी मेडिकल कॉलेज में नितान्त आवश्यकता है. मेडिकल कालेज की एक नितान्त आवश्यकता है 700 बैडेड हास्पिटल की, हमारा 700 बिस्तर वाला अस्पताल कब बनकर तैयार होगा ? इस बात की भी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं. इस संबंध में भी मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं हालांकि मंत्री जी हैं नहीं.

अध्यक्ष महोदय--राज्यमंत्री जी बैठे हैं उनके.

श्री शैलेन्द्र जैन--क्षमा करियेगा. कहते हैं कि "कोई नहीं जानत है जग में कपि, संकटमोचन नाम तिहारो" आपके सामने सागर का संकट पूरा का पूरा सचित्र आपके ध्यान में है आप इस दिशा में निश्चित रूप से काम करेंगे, तो सागर की समस्याओं का समाधान हो सकेगा. माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी बात चल रही थी साफ सफाई की प्रायवेटाइजेशन के हम खिलाफ नहीं हैं. साफ सफाई का प्रायवेटाइजेशन हुआ, साफ सफाई कुछ बेहतर हुई हैं, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, जो काम सुरक्षा संबंधी है और सुरक्षा में जो हमारी सुरक्षा एजेन्सियां काम कर रही हैं, वह सुरक्ष एजेन्सियां ठीक ढंग से काम नहीं कर रही हैं, मैं आपके माध्यम से विरोध करना चाहता हूं कि राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल के माध्यम से सुरक्षा का काम किया जायेगा तो वह बेहतर होगा. अन्त में अपनी 4 पंक्तियां कहकर बात समाप्त करूंगा. हमने जितने भी प्रयोग किये हैं, हमने जितना भी काम शुरू किया है हैल्थ सेक्टर में, वह मैं मानता हूं कि अभी भी नाकाफी है, लेकिन हमें संतोष इस बात का है कि हमने एक अच्छी दिशा में ठीक ढंग से काम शुरू किया है. कहते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर सौ बार फिसलती है, मन का साहस रगों में ढांढस भरता है, गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना नहीं अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद.

अध्यक्ष महोदय-- मुकेश नायक, 5 मिनट में अपनी बात समाप्त करें

श्री मुकेश नायक (पवई)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे पता था कि मुझे 5 मिनट ही बोलना है. मैं चूंकि 5 मिनट में बहुत ज्यादा अनुदान मांगों पर कोई बातचीत नहीं हो सकती है, इसलिये आपके माध्यम से मध्यप्रदेश के स्वास्थ्य विभाग को मैं कुछ सुझाव जरूर देना चाहूंगा, बाकी जो बातें हैं, तो हमारे सम्मानीय बाला बच्चन जी ने सदन में की हैं. मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि बुंदेलखंड एक ऐसा क्षेत्र है जो देश का सबसे गरीब इलाका है और ज्यादातर

यहां के जो हमारे पेशेन्ट हैं वह नागपुर जाते हैं अपना इलाज कराने के लिये मुझे लगता है कि हमें इस पर विचार करना चाहिये और मध्यप्रदेश को इतना सक्षम होना चाहिये कि अपने मध्यप्रदेश के जो लोग हैं, कम से कम उनके लिये हम ऐसी सुविधायें दे सकें कि दूसरे राज्यों में वे इलाज कराने के लिये नहीं जायें. मैं जैसे स्कूल शिक्षा विभाग में हमने एक माडल स्कूल्स बनाये हैं, अगर इस तरह से हम 2-2, 3-3 जिलों के बीच में अगर माडल हास्पिटल बना सकें और उसमें थोड़ी सी सुविधायें दे सकें, जिसमें थोड़ी सी सुपर स्पेशलिटी की , थोड़ा सा डायग्नोसिस सेंटर की, पैथालॉजी की तो मुझे लगता है कि यह जो दूसरे राज्यों में हमारे यहां के मरीज जाते हैं, यह शोषण से बचेंगे और जो अत्यधिक खर्च इन्हें उठाना पड़ता है, इससे भी बचेंगे. मैं मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि किसी भी हास्पिटल के लिये एक जो न्यूनतम आवश्यकता होती है, उसमें एक डायग्नोसिस सेंटर बहुत ही आवश्यक होता है. आज मध्यप्रदेश में डाक्टर जाना नहीं चाहते रिमोट एरिया में छोटे जिलों में नहीं जाना चाहते, धीरे-धीरे उनकी संख्या धीरे-धीरे हम लोग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डायग्नोसिस सेंटर जब तक नहीं होगा, तो हम मरीजों का इलाज क्या करेंगे ? सोनोग्राफी है तो रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, रेडियोलॉजिस्ट है तो सोनोग्राफी मशीन खराब पड़ी हुई है, जिलों में डिजिटल एक्स रे की सुविधायें नहीं हैं, कलर डॉप्लर की सुविधायें नहीं हैं, एन्जियोस्कोपी की सुविधा नहीं है और छोटी-छोटी वह बुनियादी सुविधायें नहीं हैं, जो कि एक न्यूनतम इलाज के लिये एक मरीज के लिये बहुत आवश्यक होती हैं और ऐसी इन सुविधाओं के अभाव में मरीज का क्या इलाज हो सकता होगा, यह सम्मानित सदस्य चाहे पक्ष के हों, चाहे विपक्ष के हों, वह सहज रूप में इसकी कल्पना कर सकते हैं. दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि बिना पैथालॉजी के आप किस तरह से निश्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मरीज को देखिये मलेरिया या शुगर इसकी जानकारी तो साधारण हमारे ऑटोएनालाइजर और साधार सी पैथालॉजी दे सकती है, लेकिन अभी डेंगू का सीजन है, कभी-कभी नये-नये बैक्टीरिया आ गये हैं और दूसरी समस्यायें हैं मरीजों को और हमारी

लिपिड प्रोफाइल की और रक्त के पूरे परीक्षण की व्यवस्थाएं जिला अस्पतालों में नहीं हैं. बहुत मुश्किल होता है डाक्टरों के लिये बिना पैथॉलॉजी के किसी भी निष्कर्ष पर जाना, उनका इलाज करना और उन्हें अच्छा करना. इसलिये मेरा दूसरा सुझाव है कि पथालॉजी का अरेंजमेंट आप करें. सबसे ज्यादा इस पूरे प्रसंग की सबसे ज्यादा जो विषादजनक स्थिति है, वह यह है कि मेडिकल कॉलेजस में पैथॉलॉजी नहीं है. आप कल्पना करें कि भोपाल के मेडिकल कॉलेज में एमआरआई नहीं है, सीटी स्केन नहीं है, इंडॉस्कॉपी के लिये चार महीने की डेट लगी होती है. सोनोग्राफी के लिये 20 दिन की डेट लगी होती है. डिजिटल एक्सरे के लिये कहा जाता है कि आप 10 दिन बाद आओ. साहब जिसकी किडनी में अगर पत्थरी है और अगर उसको पीड़ा होती है और डॉक्टर यह कहे कि आपकी सोनोग्राफी नहीं हो सकती, आप 10 दिन बाद आओ, तो इस त्रासदी की आप कल्पना कर सकें, जो इस पीड़ा से गुजरता है, वही समझता है कि यह कितनी कठिनाई की बात है और कितनी दुर्व्यवस्था से हमारे पेशेंट्स को गुजरना पड़ता है. एमआरआई मध्यप्रदेश के मेग्जीमम मेडिकल कॉलेजेस में नहीं है. सीटी स्केन नहीं है. क्या इलाज होता होगा, पैथॉलॉजी नहीं है. इसलिये मैं मंत्री जी को सलाह देना चाहता हूं कि अगर रेडक्रॉस के साथ आप समन्वय बना लें, तो हम बहुत अच्छी किस्म की पैथॉलॉजी, रेडक्रॉस को आप आउटसोर्स कर दें, तो मध्यप्रदेश के पूरे मेडिकल कॉलेजेस में हम यह बहुत उच्च स्तर की सुविधायें आपको देने के लिये हम तैयार हैं. फेकल्टी की बात है डॉक्टर्स की. आप बताइये कि नरसिंहपुर जिले में एमडी डॉक्टर नहीं है. केवल दो पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर हैं. एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं और एक गायक्नॉलॉजिस्ट हैं, इसके लिये एमडी डॉकटर तक नहीं हैं. अब उस जिले में सरकारीअस्पतालों की क्या हालत होगी, आप कल्पना करो. आप नेफरोलॉजिस्ट तो छोड़ो, यूरोलॉजिस्ट छोड़ो, आप न्यूरोसर्जन छोड़ो, न्यूरो फिजिशियन छोड़ों, यह तो सुपर स्पेशिलस्ट डॉक्टर हैं, आप हृदय रोग विशेषज्ञ छोड़ो, लेकिन जिस जिले में सरकारी अस्पताल में एमडी डॉक्टर नहीं हैं, वहां कितनी

मुश्किल जाती होगी लोगों को अपना इलाज कराने के लिये. कितनी परेशानी जाती होगी, इस पीड़ा का आप अनुभव करें और जल्दी से जल्दी कम से कम हर जिले में एक बड़े डॉक्टर की पोस्टिंग करें. इस व्यवस्था को आप सुनिश्चित करने की कृपा करें. अच्छी पैथॉलॉजी जिला अस्पतालों में बनायें आप. कम से कम डिजिटल एक्सरे मशीन, और सोनोग्राफी की सुविधा रखें. मैं नहीं कहता कि आप बताइये कि भोपाल के छोटे छोटे अस्पताल यहां सीटी स्केन रख करके मद्रास से रिपोर्टिंग करा रहे हैं. एक टेक्नशियन भर रखे हैं, क्या जिला अस्पताल में हम ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकते, क्यों सीटी स्केन नहीं हो सकता. सोनोग्राफी जिलों में हो सकती है. केवल आप यहां एक सेंटर बना लीजिये, दो रेडियोलॉजिस्ट बैठाल दीजिये. वहां प्रोप रखेगा टेक्निशनय और टर्मीनल पर यहां डिसप्ले हो जायेगा और यहां से रिपोर्टिंग हो सकती है. लेकिन जब हम इस पीड़ा को समझेंगे, जब हम इस विजन को एप्लाई करेंगे, जब स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधाओं को ग्रास रुट पर ले जाने की बात करेंगे, तब यह बहुत बड़े संकल्प के द्वारा मध्यप्रदेश में संभव है. समय की कमी है. मुझे उम्मीद है कि स्वास्थ्य मंत्री जी को मैंने जो सुझाव दिये हैं, यह जरुर इस पर ध्यान देंगे और मध्यप्रदेश में इनफ्रॉस्ट्रक्चर के लेविल पर, फेकल्टी के लेविल पर , डायग्नोस्टिक सेंटर के लेविल पर और पैथॉलॉजी के लेविल पर जिस दुर्व्यवस्था से मध्यप्रदेश का स्वास्थ्य विभाग सफर कर रहा है, इससे मुक्ति मिलेगी. आपने बोलने का समय दिया, इसके लिये आपको धन्यवाद.

श्री राजेन्द्र मेश्राम (देवसर) -- अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद आपने जो मुझे बोलने का मौका दिया. मैं पहली बार देवसर विधान सभा का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं और आपका संरक्षण चाहता हूं. मानव का सर्वश्रेष्ठ धन उसका स्वस्थ और निरोग शरीर होता है. ..

अध्यक्ष महोदय -- कृपया संक्षेप में अपनी बात कहें. क्षेत्र की समस्याएं बता दें.

श्री राजेन्द्र मेश्राम -- अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन करते हुए क्षेत्र की समस्याएं बताऊंगा. मैं याद दिलाते हुए निवेदन करना चाहता हूं अपने विपक्ष के उन मित्रों को. मैं पहली बार आया, तो प्रतिपक्ष के नेता और हमारे पक्ष के नेताओं ने हमें प्रबोधन दिया. लेकिन हमने देखा कि प्रबोधन कार्यक्रम में हिस्सा जरूर लेते हैं लेकिन वह स्वत: उसका आत्मचिंतन नहीं करते, यह चिंता का विषय है. इस सदन के माध्यम से हम पूरे प्रदेश और देश में अच्छा संदेश देते हैं. 10 वर्ष पूर्व का इतिहास में हमारे विपक्ष के साथियों को ध्यान दिलाना चाहता हूं जब मध्यप्रदेश पूरे देश में बीमारू राज्य के नाम से जाना जाता था. और जब इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुखिया के रूप में बच्चों के मामा, विकास पुरूष आदरणीय शिवराज सिंह चौहान को जब इस प्रदेश का नेतृत्व सौंपने का मोका मिला आज उसका परिणान सामने दिख रहा है. आज प्रदेश विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा है.

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं आज चिकित्सा के क्षेत्र की बात हो रही है, विभिन्न क्षेत्रों में प्रदेश में उपलब्धियां प्राप्त की हैं. आज हम चिकित्सा में बोलने के लिये खडे हुये हैं, इसलिये मैं मांग संख्या 19, 28, 38, 72 और 73 का समर्थन करता हूं तथा कटौती प्रस्तावों का विरोध करता हूं. मैं अपने ऊर्जावान, विद्वान और डॉयनमिक स्वास्थ्य मंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इतने सरल और सहज व्यक्ति है आपने प्रदेश के मुखिया के साथ मिलकर के जो स्वास्थ्य विभाग की कल्याणकारी योजनाओं को अपने दिल के करीब छूकर जो समावेश किया है जनकल्याणकारी योजनाओं का.

अध्यक्ष महोदय-- कृपया क्षेत्र की समस्या पर बोलना चाहें तो बोल लें और 2 मिनिट में समाप्त करेंगे.

श्री राजेन्द्र मेश्राम-- चूंकि समय का अभाव है कुछ निवेदन क्षेत्र का और चिकित्सा विभाग का करना चाहूंगा. माननीय अध्यक्ष महोदय, मूल रूप से मैं फार्मासिस्ट था इसके पहले मुख्य

भैषेजक कौल इंडिया की सिस्टर कंसर्न हास्पीटल एनसीएल में मैं कार्यरत था , उस पद का त्याग करके मैं आज आपके बीच में सदन में बोलने के लिये खडा हुआ हूं. मेरी पीड़ा फार्मासिस्ट बंदुओं की भी है. फार्मासिस्ट चिकित्सक और मरीज के बीच की बहुत उत्कृष्ठ कड़ी होती है. मैं मंत्री जी ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं कि जब भी आप बोलने के लिये खड़े हो फार्मासिस्ट की पीड़ा को जरूर समझें. आपके यहां अग्रवाल वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया गया है लेकिन फार्मासिस्टों को उसका लाभ नहीं मिला है. मेरी माननीय मंत्री जी से करबद्ध प्रार्थना है कि जब भी आप बोलें इस विषय को जरूर रखें. मैं जिस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं. वह चारों राज्यों की सीमा पर खड़ा है इसलिये मेरा निवेदन है कि आपने इस बार इस बजट में जो 4 चिकित्सा महाविद्यालयों का समायोजन किया है, मंत्री जी से निवेदन है कि एक चिकित्सा महाविद्यालय सिंगरौली में खोलने हेतु बजट में समायोजन किया जाये. क्योंकि वह ऊर्जाधानी और कोलये की खदानो के नाम से प्रदेश में विख्यात है. मैं अपनी विधानसभा क्षेत्र के लिये निवेदन करना चाहता हूं कि दुरांचल में जहां आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है लंगाडोल वहां पर बहुत दूर शव विच्छेदन करने के लिये जाना पड़ता है, पोस्टमार्टम के लिये वहां पर हाउस नहीं है वहां पर हास्पीटल भी नहीं है इसलिये लंगाडोल में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाये और रजमिलान बहुत ज्यादा संख्या का क्षेत्र है , रजमिलान में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाये और बिंदूल में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की कृपा करें साथ ही ग्राम पढ़री में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की कृपा करें. समय का अभाव है अंत में, स्वास्थ्य मंत्री जी को पुन: अनुरोध करना चाहता हूं कि मैने जो अपने क्षेत्र की , अपने फार्मासिस्ट बंधुओं की और चिकित्सा महाविद्यालय के लिये जो निवेदन किया है जरूर आप मेरी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे. और माननीय अध्यक्ष महोदय आपने मुझे बोलने के लिये मौका दिया. मैं आपका आभारी हूं, बहुत बहुत धन्यवाद.

श्री जीतू पटवारी (राउ) -- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समय सीमा में रहकर के अपनी बात को समाप्त करने की कोशिश करूंगा. देश में आजादी के बाद 65 साल गुजर चुके हैं..(डॉ गौरीशंकर शेजवार की तरफ ईशारा करते हुये) डॉक्टर साहब मैं गलत बोलूं तो टोक देना क्योंकि मैं स्वास्थ्य से संबंधित व्यक्ति नहीं हूं.

माननीय अध्यक्ष महोदय, देश को आजाद हुये 65 वर्ष हो गये है और मध्यप्रदेश में सबसे ज्यादा मातृत्व शिशु दर मृत्यु सबसे ज्यादा है. माताओं की मृत्यु दर सबसे ज्यादा है.माताओं की मृत्युदर बढ़ी है. सबसे ज्यादा कुपोषण मध्यप्रदेश में है. अध्यक्ष महोदय, इस तरफ खड़े होकर सिर्फ कोसने या बुराई करने या सरकार की कमियां गिनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग से संदर्भित बातें कुछ अच्छी नहीं लगती और करना भी नहीं चाहिए. यह विषय मानवीय संवेदनाओं से जुड़ा है.

अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्र में एक परिवार का एक व्यक्ति यदि बीमार होता है विशेषकर अनुसूचित जाति, जनजाति का व्यक्ति होता है. जो गरीब वर्ग का व्यक्ति होता है. अध्यक्ष महोदय, 100 में से 2 या 3 व्यक्ति इलाज के अभाव में आज भी मर जाते हैं. इस बात मंत्रीजी मुझसे बेहतर जानते होंगे. मेरी बात को अपनी भावनाओं से जोड़ने की कोशिश करना कि मध्यम वर्गीय खासकर नौकरीपेशा व्यक्ति होते हैं, जो 10 हजार से 15 हजार रुपये कमाने वाला होता है यदि उसके परिवार में एक भी हार्ट का मरीज हो गया, जिसके इलाज के लिए, आपरेशन के लिए, हार्ट सर्जरी के लिए दो-ढ़ाई लाख रुपये लगना है, वह पूरा परिवार 2 साल तक कर्ज से पीड़ित रहता है. इन भावनाओं को भी आप और हमको समझना चाहिए.

अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्रीजी के स्वेच्छानुदान से इलाज के लिए राशि दी जाती है. मुख्यमंत्रीजी के स्वेच्छानुदान से राशि दी जाती है वहां फाईल बनती है लेकिन आम आदमी तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाता. वे फिर सदस्यों के पास आते होंगे. जब तक वह इमरजेंसी में आता है 100 में से 20 लोग मर जाते हैं. अगर मैं गलत कह रहा हूं तो इसको आप कोड भी करना. मेरा अनुरोध है

कि इसमें एक ऐसी निधि बने जो प्रभावित व्यक्ति को तुरंत ट्रांसफर हो जिससे ऑन द स्पॉट उसका इलाज होना है तो वह निधि काम आ सके.

अध्यक्ष महोदय, भोपाल,इंदौर,ग्वालियर,जबलपुर, उज्जैन के बड़े अस्पताल सरकार द्वारा संचालित होते हैं. अभी मंत्रीजी चले गये, उन्होंने इंदौर एमवाय अस्पताल का दौरा किया था. आपने भी कई बार किया है. मरीज नीचे पड़े हैं. इलाज के लिए तीन-तीन दिन तक उनका नंबर नहीं आता. मैं गलत कह रहा हूं तो मंत्रीजी अपने जवाब में कोड़ करना. हर जगह यही स्थिति है. (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से मध्यप्रदेश में खासकर स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार की बात है उसको शायद मंत्रीजी भी कबूल करते होंगे, वह भी समझते होंगे. कुछ सालों पहले जिस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ था और छापे ड़ले थे और उसके बाद उस कमिश्नर की पत्नी ने टीवी पर अपने बयान में कहा था कि यह पैसे हमें ही नहीं रखना पड़ते हैं, ऊपर भी एक महीने के एक करोड़ रुपये पहुंचाने पड़ते हैं. इससे प्रतीत होता है कि स्वास्थ्य विभाग में जिस तरीके का भ्रष्टाचार है वह किसी से छुपा हुआ नहीं है. मेरा आपसे अनुरोध है कि उस भ्रष्टाचार को कैसे कम करें.

डॉ नरोत्तम मिश्रा-- जितू भाई, अपने को असत्य बयानी नहीं करना है. किसी भी अधिकारी ने, हालांकि वह मेरे पहले की बात होगी, ऐसा कभी नहीं कहा है ऊपर तक भेजना पड़ता है. आप टीवी पर बयान का उल्लेख कर रहे हैं. टीवी चैनल का उल्लेख नहीं करें. अगर आपके पास प्रमाण हो तो यहां पर कहो. टीवी चैनल का नाम लो या सीडी रखो. हम जवाब देंगे.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया-- कहो तो तथ्यात्मक कहो. और अधिकारी भी नाम लो जिसने कहा है.

डॉ गौरीशंकर शेजवार-- अध्यक्ष महोदय, इंदौर के जितने भी नेता हैं चाहे वह किसी भी पार्टी के हों. शाम को एमवाय अस्पताल में पंचायत करते हैं. जब तक इन नेताओं की पंचायत बंद नहीं होगी, तब तक एमवाय नहीं सुधर सकता. (हंसी)

अध्यक्ष महोदय - श्री रामेश्वर शर्मा..

श्री जीतू पटवारी - मेरा हो गया क्या अध्यक्ष महोदय?

अध्यक्ष महोदय - हां, आपको हो गया. 7-8 मिनट हो गये हैं.

श्री जीतू पटवारी - अध्यक्ष महोदय, क्लाईमेक्स तो अभी आया है.

अध्यक्ष महोदय - क्लाईमेक्स की जरूरत नहीं है, आपकी सारी बातें आ गईं. बहुत सदस्य हैं. कृपा करके सहयोग करें.

श्री जीतू पटवारी - अध्यक्ष महोदय, आपके आदेशों को पालन करता हूं, एक सेकण्ड दे दें, आपको बुरा भी नहीं लगेगा, अच्छा लगेगा.

अध्यक्ष महोदय - 15 सेकण्ड.

श्री जीतू पटवारी - अध्यक्ष जी, जो भी बात आसंदी से बोलते हैं, मैं उनका इतना सम्मान करता हूं कि उनकी बातें माने बगैर रहता ही नहीं, इसलिए उन्होंने मुझे कहा है कि ये सारी सरकार की कमियां बताने की आवश्यकता नहीं, बैठ जाओ तो मैं बैठ रहा हूं.

श्री रामेश्वर शर्मा (हुजूर) - अध्यक्ष महोदय, मैं खड़ा हुआ था दो-तीन मिनट तो मेरे यहीं चले गये. अध्यक्ष महोदय, मैं केवल यह प्रार्थना करना चाहता था कि कांग्रेस के अनेक मित्रों ने, जो पहले मंत्री भी रहे हैं, उन्होंने भी तारीफ की है कि अस्पतालों में सफाई नहीं होती थी, माननीय श्री बाला बच्चन जी उस समय स्वास्थ्य मंत्री थे, तब हमीदिया में कितनी सफाई होती थी? और आपको मालूम है कि तब हम पार्षद थे और उस समय युवा मोर्चे ने सफाई अभियान लिया था, एक दिन हमीदिया अस्पताल की सफाई अभियान में 7 ट्रक वहां से कचड़ा निकला था, जिसका उल्लेख सारे समाचार

पत्रों ने उस समय किया था. मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि हम राजनीति में एक-दूसरे को केवल कोसने का काम न करें, बल्कि राजनीति में और समाज के सुधार में या स्वास्थ्य के सुधार में बहुद्देशीय बात करें तो ज्यादा अच्छा होगा. उस समय इनके बजट का तुलनात्मक अध्ययन किया जाय तो वर्ष 2003 में जो इनका बजट था, वह 631 करोड़ रुपए का था और अगर आज हम बात करें तो आज का बजट 4828 करोड़ रुपए का बजट मध्यप्रदेश सरकार ने दिया है, जो आप में ऐतिहासिक है. हम विचार कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं. अभी 108 सुविधा की बात हुई. मध्यप्रदेश में 108 का बड़ा रोल है. 108 जब सड़कों पर दौड़ती है तो लोगों को लगता है कि हमारे जीवन को नया जन्म मिल रहा है. जब एक्सीडेंट होकर लोग घायल पड़े रहते हैं, 108 पहुंचती है और उनको उठाकर तुरन्त अस्पताल ले जाते हैं. तत्काल वह औपचारिक उसमें चिकित्सा करती है, जब स्वास्थ्य होकर व्यक्ति निकलता है तो मध्यप्रदेश की सरकार और श्री शिवराज सिंह चौहान जी को भी धन्यवाद देते हैं, नरोत्तम जी को भी धन्यवाद देते हैं, जैन साहब को भी धन्यवाद देते हैं. 108 का बड़ा रोल यहां भी है.

श्री निशंक कुमार जैन - यह 108 भारत सरकार की है.

श्री रामेश्वर शर्मा - जैन साहब आपको भी जरूरत पड़ी थी 108 की, गंजबासौदा में याद करो. आपके फोन पर गंजबासौदा में 108 गई और वहां पर लोगों को सुविधाएं दीं.

श्री निशंक कुमार जैन - मुझे जरूरत नहीं पड़ी, बिल्कुल आप याद करिए, हमें जरूरत नहीं पड़ी. आपको सिंरोज से भोपाल आने के लिए जरूरत पड़ी होगी. मुझे कोई जरूरत नहीं पड़ी.

श्री रामेश्वर शर्मा - तब दिग्विजय सिंह की चलती थी, गाडियों में डिलीवरी हो जाती थी, ऐसी सड़कें थीं. आपको पता है? दिग्विजय सिंह का शासन, तब आपने सिंरोंज की सड़कें देखी थीं? अगर किसी गाड़ी में कोई माता बहन गर्भवती बैठी होती थी तो 22 कि.मी. की यात्रा में इतने दचके और सड़क इतनी खराब होती थी कि उसी गाड़ी में डिलीवरी हो जाती थी.(XX). हमने मध्यप्रदेश

का यह (XX) दिन देखा है. इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि 108 का यहां भी बड़ा रोल है. हमारे संसदीय कार्यमंत्री का कक्ष भी 108 है. वहां हमको 108 जीवन दान दे रही है और यहां लोकतंत्र और संसदीय गरिमा को जिंदा रखने के लिए यहां भी 108 के रूप में संसदीय कार्यमंत्री सक्रिय हैं, जिससे हमारी संसदीय ज्ञान परम्परा, हमारे लोकतंत्र की ज्ञान परम्परा, हमारे संसदीय जीवन को भी यहां पर नया दान मिलता है..

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया - रामेश्वर जी, वे 1008 भी हैं.

श्री रामेश्वर शर्मा - संसदीय पीठाधिश्वर भी कह सकते हैं.

अध्यक्ष महोदय - कृपया अपनी बात जारी रखें.

श्री रामेश्वर शर्मा- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए आपसे प्रार्थना कर रहा था , मैं , यह भी निवेदन करना चाहता हूं, अनेक मित्रों ने अनेक बातें कहीं . क्या दिग्विजय सिंह जी के राज में दवा फ्री मिलती थी, एक भी दवा का नाम बताओ.

श्री बाला बच्चन—माननीय शर्मा जी आप जब भी अपनी बात कहते हैं कितनी बार दिग्विजय सिंह जी का नाम लेते हैं..

अध्यक्ष महोदय- कृपया आप बैठ जाएं.

श्री रामेश्वर शर्मा- आपको दिग्विजय सिंह के नाम पर क्यों परेशानी हो रही है. अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि मध्यप्रदेश में अब अगर हम जाएंगे तो हमको दवाएं फ्री मिलती हैं ,चिकित्सा के लिए गाड़ी फ्री मिलती है और तो और जो मरीज जाता है उसको भोजन भी फ्री मिलता है. यह मध्यप्रदेश के इतिहास में अद्वितीय कार्य है. हमने गरीबों के लिए, जिन परिवारों की किलकारियं बंद हो गई थी ,जिनके बच्चों को बाल हृदय रोग के कारण मौत हो जाती थी, हमने उनके लिए प्रापर व्यवस्था की. आज हजारो गरीबों के आँगन में बच्चों की किलकारी है,. वो माता पिता इस मध्यप्रदेश की सरकार को दुआएँ देते हैं. इसलिए मैं कहता हूं कि आप चाहे जितना इस

सरकार के लिए बुरा सोचो लेकिन गरीब जनता की दुआएं और आशिर्वाद है तब तक इस सरकार का बाल बांका नहीं हो सकता. क्योंकि इतने गरीबों का हित इस सरकार ने किया और इसलिए अध्यक्ष महोदय, मै आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं , अरे सरदार वल्लभ भाई पटेल तो आपके केम्प के आदमी हुआ करते थे. लेकिन उन्होंने अगर हिन्दुस्तान का एकीकरण किया, एकता अखंडता रखी तो मध्यप्रदेश के शिवराज सिंह जी ने भी तय किया कि जिस सरदार वल्लभ भाई पटेल के कारण हिन्दुस्तान एक हुआ है उनके नाम से हम दवाओं को निःशुल्क वितरण करेंगे. जिससे हिन्दुस्तान और मध्यप्रदेश का आदमी स्वस्थ् हो और वह देश के बारे में विचार करे. हमने देश के महापुरूषों को भी इसमें याद किया. हमने दीनदयाल चलित चिकित्सलय भी यहां पर चलाए. हमने गरीबों के उत्थान पर अनेक योजनाओं पर भागीदारी की है. पहले आपने जगह जगह प्रायवेट कॉलेजों की अनुमति दे दी. अगर स्वास्थ शिक्षाओं के बारे में आपको विचार था तो आपको इस बारे में विचार करना चाहिए था कि प्रत्येक जिला केन्द्र पर मेडिकल कालेज खुलना चाहिए. मैं हमरी सरकार को धन्यवाद देता हूं कि वह इस ओर कदम उठा रही है और हर साल में 2-2,3-3 मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने के लिए सरकार कटिबद्ध है. हम दिल्ली सरकार से भी लगातार इस बारे में निवेदन कर रहे हैं. अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक और प्रार्थना करना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्रों में हम विकास की चाहे जितनी अवधारणा सुनिश्चित कर लें. सड़क चाहे जितनी अच्छी दे दें. लेकिन आदमी को अगर स्वास्थ की सुविधाएं नहीं मिलेगी तो सड़को की तारीफ होना बंद हो जाएगा. लेकिन हमारी सरकार ने इस ओर ध्यान दिया है और वह लगातार इस ओर प्रयत्न कर रही है. आप चाहे जिला चिकित्सलय को देखो , हम जगह जगह उसकी भी तैयारी कर रहे हैं. मेरे विधान सभा क्षेत्र में तीन सरकारी अस्पताल हैं. वहां निरन्तर प्रगति हो रही है. छोटी मोटी कमी है तो हम मंत्री महोदय से कहते हैं. ऐसे हर दिल अजीज मंत्री नहीं देखे. अगर सड़क चलते फोन करो तो नरोत्तम जी फोन उठाते हैं और हम कहते हैं कि साहब ये सुविधा की जरूरत है तो चिकित्सा मंत्री जी कहते

हैं कि कल से ये सुविधा तुम्हारे यहां चालु हो जाएगी . ये मध्यप्रदेश के इतिहास में नई बात है. मैं आपसे एक और प्रार्थना करना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में होशागाबाद बायपास से लेकर विदिशा बाय पास तक एक सड़क का निर्माण हुआ है. यह जो बाय पास बना है उस पर लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं. उस 11 किलो मीटर की दूरी पर न तो सरकार अस्पताल है न प्रायवेट अस्पताल है. अगर वहां कोई नवीन प्राथमिक चिकित्सालय खुल जाए तो अचानक हमारे जो भाई बहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं उनको उसका लाभ मिल सकता है. उनको जीवनदान मिल सकता है, और में प्रार्थना करूंगा कि मध्यप्रदेश सरकार इस ओर सोचेगी. संसदीय कार्य में भी लगातार विधायकों को सुविधा दी है. आपने कम्प्युटर,लैपटाप खरीदने की सुविधा दी है. आपने वाहन खरीदने की सुविधा दी है. आवास खरीदने की सुविधा दी है और जिस तरह से आपने संसदीय ज्ञान को मध्यप्रदेश में युवाओं के बीच में विस्तार के लिए आपने युवा संसद का जो निर्माण किया है , जगह जगह शिक्षा के क्षेत्र में भी जो आपने युवाओं को ज्ञान , हमारी संविधान की ज्ञान परम्परा को सब तक पहुंचाने का काम किया है. मैं इसके लिए नरोत्तम जी को बधाई देता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, जैन साहब को भी बधाई देता हूं और उम्मीद है कि मध्यप्रदेश का यह विधानभवन, मध्यप्रदेश के ज्ञान को, विचार को और संविधान की रक्षा करते हुए अपने धर्म का पालन करेगा. मैं मध्यप्रदेश के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं. अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद.

अध्यक्ष महोदय—मैं अब सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि वह दो दो मिनट में अपनी बात समाप्त करेंगे.

चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी (मेहगांव)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी मांगें एक मिनट में ही रखकर समाप्त कर दूंगा. मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री डॉ.नरोत्तम मिश्रा जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि प्रत्येक गरीब परिवार, हर गरीब व्यक्ति को आज अस्पतालों में दवाईयां मुहैया हैं. मैं 1999 से 2003 में नगरपालिका अध्यक्ष हुआ करता था. मैं

जानता हूं कि उस समय क्या स्थिति थी. स्थिति यह हुआ करती थी कि जो प्रभावशाली लोग थे, वह अपने लिए या अपने चहेतों के लिए एल.पी. का पर्चा किसी भी सिविल सर्जन या सी.एच.एम.ओ. से लिखवा लेते थे और गरीब को बाजार से दवाईयां खरीदना पड़ती थीं. गरीब निश्चित रूप से सदैव उस समय कटता रहा. गरीब गड़से के नीचे आता रहा, कुटी की तरह कटता रहा. यह हमारी सरकार बनी. माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी बने और उसके उपरांत यह योजनाएं लागू हुईं. इसमें प्रत्येग गरीब परिवार को हर तरह की दवाईयां, जिसमें जेनरिक दवाई जो सबसे सस्ती और सबसे सुलभ होती हैं, उनका आदेश किया गया कि उन्हीं दवाईयों को डाक्टर्स लिखेंगे जो जेनरिक दवाईयां होंगी. अन्यथा पूर्व में डाक्टरों की यह नियति बन गई थी, उनकी मंशा बनी रहती थी कि मंहगी से मंहगी कंपनियों की दवाइयां लिखते थे, जिसमें उनको बहुत ज्यादा कमीशन मिलता था. इस गलत प्रवृत्ति पर रोक लगाई गई और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी जो दिखने में आप स्वयं देख रहे होंगे की पूर्ण स्वस्थ हैं, बहुत सुंदर हैं, मैं जीतने के उपरांत जब 21 साल बाद भोपाल आया और चार इमली गया. यह मैं प्रवृत्ति बता रहा हूं, जब स्वयं कुछ हम कार्य करते हैं तो उससे दूसरों को प्रेरित करते हैं. मैंने पता किया, मैं जब 1990 में यहां हुआ करता था, तो चार इमली जाता था, तो गिनती के कुछ लोग वहां भ्रमण करते थे, इवनिंग वाक करते थे. इस बार जब मैं 21 साल बाद आया तो इतना तगड़ा उसमें परिवर्तन हुआ मैंने देखा कि सैंकड़ों लोग इवनिंग वाक करते दिखें. मैं स्वस्थ रहने की परंपरा बता रहा हूं कि कैसे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने डाली. मैंने वहां लोगों से पूछा तो बताया गया कि जब से डा.नरोत्तम मिश्रा जी चार इमली में रहने आए हैं, तो वह निरंतर वहां घूमते हैं और उनसे प्रेरणा लेकर सैकड़ों लोग वहां घूमने लगे. एक मिनट और लूंगा. गांधी जी भी इसी प्रवृत्ति के थे, वह कोई चीज कराना चाहते थे तो स्वंय पहले करते थे. कुछ मांगे अपने क्षेत्र की बताना चाहता हूं.

अध्यक्ष महोदय—नहीं अब नहीं. आपको पहले ही मांगें पढ़ना था. आपने एक मिनट का कहा और आपको बोलते हुए 4 मिनट हो गए हैं. अब आप लिखकर दे दीजिए.

चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी—अध्यक्ष जी, मैं एक मिनट में पढ़ दूंगा. मेहगांव नगर पंचायत में जो अस्पताल है, उसमें एक्स-रे मशीन नहीं है, सोनोग्राफी मशीन नहीं है. मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरह की मशीन रौन में, मेहगांव में और अमायन में इन्फ्रा स्ट्रक्चर बना हुआ है, अस्पताल बना हुआ है, लेकिन डाक्टर्स नहीं हैं. अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि वह बहुत इंटीरियर इलाका है अमायन का और वह संघ क्षेत्र रहा है, वहां आचार्य गिरिराज जी, वहां अटल बिहारी वाजपेयी जी उस क्षेत्र में बरसों रहे हैं तो वहां के लोगों को प्राथमिकता के आधार पर वहां के अस्पताल में सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाएं. आपके आदेश का पालन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं. धन्यवाद.

<u>श्री गिरीश भण्डारी(नरसिंहगढ़)--</u> माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके आदेश का पालन करते हुए माननीय मंत्री जी को अपने क्षेत्र के बारे में कुछ कमी और कुछ समस्याओं के बारे में मैं अवगत कराना चाहता हूँ. मेरे विधानसभा क्षेत्र नरसिंहगढ़ जिसकी आबादी 30 हजार के लगभग है और जिसके आसपास लगे हुए करीब 100 गांव हैं वहां पर हमारा एक सिविल अस्पताल है जिसमें सिर्फ दो डाक्टरों की नियुक्ति है और तकरीबन रोज हजार से डेढ़ हजार मरीज वहां पर इलाज के लिए आते हैं लेकिन वहां आये दिन डाक्टरों की कमी के कारण वहां पर डाक्टरों से विवाद होता रहता है उसके कारण जो डाक्टर वहां पर इलाज कर रहे हैं वे लोग भी ठीक से मरीजों को देख नहीं पाते. मेरा मंत्री जी से यह निवेदन है कि बहुत बड़ा क्षेत्र है उसके लिए वहां पर तत्काल दो तीन डाक्टरों की व्यवस्था की जाए ताकि वहां पर विवादों से बचा जा सके. दूसरा मेरे नरसिंहगढ़ विधानसभा क्षेत्र में तीन ऐसे बड़े कस्बे हैं बौड़ा, तलेन और कुरावर जिनके आसपास भी करीब 100-100 गांव उन कस्बों से लगे हुए हैं वहां पर भी उन तीनों कस्बों में जो प्राथमिक

स्वास्थ्य केन्द्र है उनमें सिर्फ एक एक डाक्टर की नियुक्ति है जिसके कारण कभी अगर वे डाक्टर छुट्टी पर चले जाते हैं तो वह अस्पताल नर्सों के भरोसे चलता है जिसके कारण वहां के लोगों को प्रायवेट गाड़ियां हजार रुपये और दो हजार रुपये में कर के उनको दूर शहरों में अस्पतालों में ले जाना पड़ता है उसमें काफी उनको समय और पैसे की परेशानी होती है.

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे नरसिंहगढ़ विधानसभआ क्षेत्र का एक कुरावर कस्बा जो अभी नगर पंचायत की श्रेणी में आने वाला है और हाई वे एनएच-12 पर हमारा वह कस्बा है. उस कस्बे से लगी हुई उस हाइवे पर आये दिन दुर्घटनाएँ होती रहती हैं और उस अस्पताल में एक्सीडेंट वाले मरीजों के इलाज की कोई सुविधा न होने के कारण एक्सीडेंट वाले मरीज को कोई इलाज नहीं मिल पाता है इसलिए मेरा निवेदन है कि चूंकि वह हाई वे का सेंटर है इसलिए वहां ट्रामा सेंटर स्थापित किया जाए ताकि जो एक्सीडेंटल मरीज हैं उनको सही इलाज और उनको जीवनदान मिल सके.

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक बौड़ा कस्बा है वहां पर जो डाक्टरों के लिए क्वार्टर बनाये गये हैं वह उस अस्पताल से, कस्बे से करीब आधा किलोमीटर दूर बना है और उनको बने हुए करीब 2-3 साल हो गए हैं आज तक वहां कोई डाक्टर शिफ्ट नहीं हो पाया है और उसका कारण भी है कि वह क्वार्टर आधा किलोमीटर जंगल में बने हुए हैं और मुझे लगता है कि दस बीस साल तक कोई डाक्टर वहां शिफ्ट नहीं होना है और ऐसी हालत में वे क्वार्टर जर्जर हालत में पहुंच चुके हैं और दस बीस सालों में यह हालत हो जाएगी कि वे क्वार्टर गिर जाएंगे. मेरा स्वास्थ्य मंत्री जी से यह निवेदन है कि कम से कम जब यह क्वार्टर बनाये जाएं तो उस दृष्टि से बनाये जाएं कि अगर कोई मरीज को जरुरत पड़े तो उस डाक्टर को आकस्मिक रुप से बुलाकर उस मरीज को सुविधा दे सके.आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद.

श्री हेमंत विजय खण्डेलवाल(बैतूल)-- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 19, 28 का समर्थन करता हूँ एवं कटौती प्रस्ताव का विरोध करता हूँ. माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे स्वास्थ्य विभाग ने जो 55 प्रतिशत का वजट पिछले साल से बढ़ाया. जो दीनदयाल उपचार योजना में 60 लाख परिवारों के कार्ड बनवाये एवं सुविधा दी. हमारी राज्य बीमारी की योजना, जननी सुरक्षा जैसी योजना,हमारी सरकार ने नि:शुल्क दवाई और नि:शुल्क पैथालॉजी जैसी योजनाओं के लिए मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा. 108 एम्बूलेंस के कारण आज मरीज की मृत्यु रास्ते में नहीं होती बल्कि अस्पताल लाने की व्यवस्था की. इन चीजों के लिए मैं सरकार और माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा लेकिन पूरे देश में डाक्टरों की कमी है और आज प्रदेश भी लगातार कोशिश कर रहा है कि डाक्टरों की कमी को पूरा किया जाए. मेरा माननीय मंत्री जी को सुझाव है कि कुछ ऐसे कारण हैं जिससे हम प्रदेश में डाक्टरों को नहीं रोक पा रहे. हमें डाक्टरों के लिए दूसरे राज्यों की तरह अलग वेतनमान बनाया जाना चाहिए. हमें डाक्टरों की समयबद्ध पदोन्नति भी दी जानी चाहिए. कई बार पैथालॉजी वाले डाक्टर को पदोन्नति पांच साल में मिल जाती है और आई सर्जन को 30 साल में भी पदोन्नति नहीं मिलती और इ इस कारण डाक्टरों का उत्साह सरकारी नौकरी की तरफ नहीं रहता. हमें पीएचसी और ब्लाक स्तर और फिर जिला स्तर पर समयबद्ध तरीके से डॉक्टरों की नियुक्ति करना चाहिए ताकि जूनियर डॉक्टर नीचे रहे और सीनियरिटी आते-आते वह जिला मुख्यालय रहे . माननीय अध्यक्ष महोदय, उनके स्थानांतरण भी हम 15 औऱ 20 साल नहीं करते और 20-20 साल तक डॉक्टर एक जगह पर जमे रहते हैं अपना नर्सिंग होम डाल लेते हैं और फिर गरीब मरीजों पर ध्यान नहीं देते और जब आप उनका स्थानांतरण करने का प्रयास करते हैं तो वह इतने मजबूत हो जाते हैं कि नौकरी छोड़ने की धमकी दे देते हैं इसलिए समयबद्ध उनका स्थानांतरण होना चाहिए. माननीय अध्यक्ष महोदय, हमीदिया अस्पताल में हमारे आदिवासी जिले से तमाम पेशेन्ट रिफर किये जाते हैं. आदिवासी के लिए तो

भोपाल ही बहुत बड़ी बात होती है जब वह हमीदिया आते हैं तो उनको इलाज के लिए भटकना पड़ता है उनके लिए अलग कक्ष की और एक पीआरओ की व्यवस्था कराई जाए ताकि हम विधायक लोग उससे अपने क्षेत्र के मरीज के बारे में जान सकें. माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार को बताना चाहूंगा कि राज्य बीमारी का इलाज तो सरकार करवा देती है. लेकिन मध्यम वगर्गर्भार्भोज इलाज नहीं करवा पाता , प्राइवेट नर्सिंगहोम के चार्जेस इतने ज्यादा हैं कि वह किसी भी एपीएल परिवार को कुछ ही मिनटों में बीपीएल परिवार में परिवर्तित कर देते हैं. आज प्राइवेट नर्सिंगहोमों के कारण जो उनकी प्राइवेट जमीनें हैं, जो उनके भवन हैं और जो उनके महंगे इक्विपमेंट हैं उसका सारा चार्ज भी वह हमारे मध्यम वर्ग से वसूलते हैं आज मध्यम वर्ग अगर आक्रोशित है और निराश है तो महंगे इलाज के कारण है. मेरा आपके माध्यम से सरकार को अनुरोध है कि सरकारी अस्पताल और प्राइवेट अस्पताल के बीच में भी एक सरकारी तंत्र को खड़ा किया जा सकता है अगर सरकार चाहे तो मेरे बैतूल जिले में 15 एकड़ की जमीन है सरकार अपनी जमीन पर एनआरएचएम के माध्यम से या सरकार के माध्यम से भवन बना दे और सेमी गवर्नमेंट या पीपीपी मॉडल पर अगर उसे रन करे तो यह तंत्र लोकप्रिय हो सकता है. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि इसमें इलाज फ्री भी न हो और महंगा भी न हो और सरकार जो राज्य बीमारी और मुख्यमंत्री सहायता के इलाज कराती है वह भी इसके माध्यम से करा ले इसमें आत्मा तो प्राइवेट की हो और इस पर नियंत्रण सरकार का हो. अध्यक्ष महोदय, मेरा बैतूल जिला नागपुर से लगा हुआ है . वहाँ 5 हजार से ऊपर डॉक्टर हैं अगर हम वहाँ पर सुपर स्पेसलिस्ट और स्पेसलिस्ट डॉक्टरों से बात करें तो वह हफ्ते में एक दिन घंटे के हिसाब से अपनी सेवायें इस तरह के हास्पिटल को दे सकते हैं. मेरी वहाँ के कई बड़े-बड़े डॉक्टरों से बात हुई है वह इसके लिए तैयार हैं. बैतूल जिले में अगर इस तरह का मॉडल बनाकर आप शुरु करते हैं तो उसकी पूरी गारंटी मैं लेने को तैयार हूं और इस तरह का मॉडल बाद में पूरे प्रदेश में लागू किया जा सकता है . अब मैं अपने जिले

पर आ जाऊँ , मैंने पूरी की पूरी डॉक्टरों की मांग आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी को दे दी है , उसकी कमी को पूरा करे. हमारे यहाँ एक 100 बेडेड अस्पताल है उसकी बिल्डिंग जल्दी बनाये .हमारे यहाँ पट्टन में, हमारे यहाँ आठनेर में और भौंरा में सात-सात साल से हमारे भवन अधूरे पड़े हैं . इन्हें जल्दी पूरा करें. आपने मुझे बोलने का समय दिया मैंने सिर्फ नीतिगत बात की. अगर कभी आप और समय देंगे तो और भी मैं इस विषय में कह सकता हूं. पुनः आपको धन्यवाद और उम्मीद करता हूं कि आदरणीय नरोत्तम जी और सरकार मेरे इस सुझाव पर विचार करेंगे और अगर इस मॉडल को हम सफल बनाएंगे तो सरकार का भी नाम होगा और गरीबों का भी काम होगा. धन्यवाद.

श्री गोवर्धन उपाध्याय(सिरोंज)--- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले आपको ह्रदय से आभारी हूं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके सामने पहली बार मुझे मौका मिला है इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद.मैं लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग जो अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण है इस पर बोलना चाहता हूं. जो भी समस्या मेरे क्षेत्र की हैं,माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि उनका जनहित में निराकरण करने का कष्ट करें. मेरे विधानसभा सिरोंज में और लटेरी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 1 है जिसमें 4 डॉक्टरों की पोस्टिंग होना है.एक ही डॉक्टर है, एक डॉक्टर होने के कारण बहुत परेशानी आती है. पैरामेडिकल स्टाफ की भी कमी है और साथ साथ नर्स भी बहुत कम हैं. मैं आप से निवेदन करना चाहता हूँ कि दूरदराज की तहसील है और 20 बिस्तर का हॉस्पिटल है. ऐसी स्थिति में कुछ तो साधन होना चाहिए. दूसरी बात यह है कि वहाँ जब भी कोई डिलीवरी आती है तो भोपाल आना पड़ता है, जो कि 120 किलोमीटर है, या तो बच्चा बीच में ही पैदा हो जाता है या कईं ऐसे केसेस भी देखने को मिले जिनके एबॉर्शन हो जाते हैं, तो मैं यह चाहता हूँ कि मेहरबानी करके आप वहाँ कुछ मेटरनिटी की व्यवस्था करें. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सिरोंज में राजीव गाँधी चिकित्सालय 100 बिस्तरों का अस्पताल है, 1984-85 में बना था, आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, मैं आप से निवेदन करना चाहता हूँ कि वहाँ पर सिर्फ 4

डॉक्टर्स हैं और चारों डॉक्टर्स शहर में रहते हैं. वहाँ के जो क्वार्टर्स हैं उनमें अन्य विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, रह रहे हैं, मेरी आप से गुजारिश है कि कम से कम उनको आप, जो बाहर के विभाग के कर्मचारी, अधिकारी, जो उसमें इनक्रोचमेंट करके बैठे हैं उनको निकालें. सिरोंज शहर से 6 किलोमीटर दूर अस्पताल है, आने जाने में लगभग सौ, सवा सौ रुपये लग जाता है, गरीब लोग जाते हैं, और वहाँ पर डॉक्टर नहीं मिलता है तो परेशानी का सामना करना पड़ता है. आदरणीय मंत्री जी, न वहाँ पर लेब काम कर रही है, न वहाँ एक्स-रे मशीन काम कर रही है, इस तरह से काफी दिक्कत है. वैसे 100 बिस्तरों के अस्पताल में कम से कम, जैसे स्वास्थ्य विभाग के मापदंड होते हैं उसके अनुरूप साधन देना आवश्यक हैं. अगर आप यह साधन देते हैं तो मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि आपका यश काफी दूर दूर तक फैल जाएगा और लोगों को मदद मिलेगी. मैं मंत्रीजी को एक सुझाव देना चाहता हूँ कि मैंने गैरशासकीय संस्थाओं द्वारा बच्चों की नेत्र ज्योति का सर्वेक्षण करवाया, अभी किसी ने भी नेत्र ज्योति के बारे में चर्चा नहीं की. मैं आपके सामने यह प्रस्ताव रखता हूँ कि बच्चों में नेत्र परीक्षण होना भविष्य के लिए, बच्चों के हित के लिए, बहुत आवश्यक है. अभी हमने 2399 बच्चों का नेत्र परीक्षण कराया जिसमें 141 बच्चे दृष्टि-दोष से पीड़ित पाए गए. जिन्हें संस्था के माध्यम से हमने निःशुल्क चश्मे दिए. इसी तरह हमने मदरसे स्कूलों में 1159 बच्चों की जाँच कराई, उसमें से 90 बच्चों में दृष्टि-दोष पाया गया. उनको भी चश्मे दिए. उक्त चर्चा से ज्ञात होता है कि अंधत्व निवारण के लिए किए जा रहे प्रयासों में और भी तेजी की आवश्यकता है. आप कैट्रेक्ट फ्री झोन करिए. आप एरिया डिसाइड करिए. काफी एनजीओ हैं, जो अंधत्व निवारण में काफी मदद भी कर रहे हैं. अगर आप उनको प्रोत्साहित करेंगे तो वह और दिल खोलकर आपकी मदद करेंगे. गैर सरकारी संस्थाएँ जो अंधत्व निवारण के लिए बेहतरीन काम कर रही हैं, जो सक्षम हैं, उस ओर आपको ध्यान देना चाहिए. सरकार की तरफ से प्रोत्साहन के लिए उनके लिए श्रेष्ठ कार्य करने वाली संस्था को पुरस्कृत करन चाहिए. इस योजना की दिशा में वे मील

के पत्थर साबित होंगे. ऐसी संस्थाएँ जो इस दिशा में प्रयासरत हैं उसे सरकार की तरफ से विशेष सहायता देना चाहिए. शासकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर विजन टेक्नीशियन की आप पोस्टिंग करें. जिससे कि लोगों को दूर भटकना न पड़े, उनका सिलेक्शन हो जाए और आने वाले समय में जहाँ पर भी कैंप्स लगते हैं या अस्पताल में जो सुविधा होती है, वहाँ इलाज कराएँ. मैंने आप से समस्याओं के बारे में कहा है कृपया जनहित में आप उन पर निर्णय लेंगे. धन्यवाद.

श्री दुर्गालाल विजय(श्योपुर)-- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मध्यप्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे स्वास्थ्य और संसदीय कार्य मंत्री माननीय नरोत्तम जी मिश्रा को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और क्षेत्र की जनता की ओर से भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने मध्यप्रदेश के साथ साथ श्योपुर जिला चिकित्सालय का उन्नयन और उसकी व्यवस्था ठीक करने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया. अध्यक्ष महोदय, बहुत सारी योजनाएँ संचालित की हैं और उनका उल्लेख अभी हो चुका है. मैं तो अपने वनवासी क्षेत्र जहां पर सहरिया जनजाति के लोग बहुत अधिक संख्या में रहते हैं उस स्थान पर दीनदयाल चलित अस्पताल के रुप में जो योजना प्रारंभ की थी इस योजना से 1 करोड़ से अधिक लोगों को लाभान्वित किया गया है. इससे श्योपुर जिले में भी आदिवासी बंधुओं को इससे लाभ मिला है. 108 योजना, बाल हृदय योजना, नि:शुल्क दवा वितरण योजना, जननी सुरक्षा योजना, जननी एक्सप्रेस, राज्य बीमारी सहायता, दीनदयाल चलित अस्पताल, नि:शुल्क जांच योजना व कैंसर चिकित्सा सुविधा में जो सुधार किया है उसके लिये मैं माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूँ. जबलपुर में एकमात्र शासकीय चिकित्सालय है वहां पर कैंसर की चिकित्सा की जो व्यवस्था की है उससे बहुत सारे मरीज लाभान्वित हुए हैं. 380 प्रकार की दवाइयां वितरित की जा रही हैं लेकिन बहुत महंगी दवाइयां जो कैंसर के काम आ रही हैं, डायबिटीज के काम में आती हैं अथवा सर्जरी के काम में आती हैं जिनकी खुराक 5-5 हजार रुपये की है इस प्रकार की दवाइयां देने का काम भी सरकार की ओर से किया

गया है, इसके लिये मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ. जांचों का जो प्रबंध किया गया है वह भी ऐतिहासिक काम है बहुत सारी ऐसी जांचें जिनमें बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता था आज वे सब जांचें निशुल्क हो रही हैं.

अध्यक्ष महोदय, श्योपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत मानपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता है. मैंने इसके लिये माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन किया है विभाग भी इससे परिचित है. मानपुर का स्वास्थ्य केन्द्र अति आवश्यक है 40-45 गांवों के बीच 40-50 किलोमीटर के बीच स्वास्थ्य की कोई सुविधा नहीं है. जिला चिकित्सालय में आईसीयू वार्ड की नितांत आवश्यकता है इस वार्ड की स्थापना के लिये भी मंत्रीजी निर्देशित करेंगे तो श्योपुर जिला चिकित्सालय और ठीक हो जायेगा. मंत्रीजी ने डिजीटल एक्स-रे मशीन खरीदने के लिये निर्देश जारी कर दिये हैं जल्दी ही यह मशीन खरीदकर लगा दी जायेगी तो इसका लाभ मरीजों को मिलने लगेगा.

अध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्य में आपने लेपटॉप, गृह ऋण, ब्याज अनुदान, वाहन ऋण देने के फैसले किये हैं. संसदीय कार्य के मामले में सभी सदस्य जो चाहते हैं वह हो जाये यही मैं निवेदन करना चाहता हूं. अध्यक्ष जी उसमें आप, उपाध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष सभी लोग शामिल हैं, वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए इसको बढ़ाया जाना आवश्यक है.धन्यवाद.

श्रीमती झूमा सोलंकी (भीकनगांव)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी दो मांगें और पांच सुझाव हैं.

अध्यक्ष महोदय, मेरा क्षेत्र ट्रायबल विधान सभा है वहां पर दो पीएचसी हैं दोनों ही जगह डॉक्टरों और स्टाफ की कमी है, झिरन्या में एक नया अस्पताल बनकर तैयार है किन्तु वह अभी शुरु नहीं हुआ है वहां लाइट फिटिंग और फर्नीचर की कमी है, पुरानी बिल्डिंग जर्जर हालत में है उसमें पानी टपकता है और बारिश शुरु हो गई है इसलिये नया अस्पताल जल्दी से जल्दी शुरु हो.

मिनी पीएचसी काल्दा, सिवना, कोटबेड़ा इस प्रकार पांच जगह हैं वहां पर वार्ड बॉय भी नहीं है बिल्डिंग तो बहुत अच्छी बनी है किन्तु स्टाफ की कमी से जनता को कोई फायदा नहीं मिल पा रहा है.

अध्यक्ष महोदय, साथ ही मेरे जो सुझाव हैं चिकित्सा विभाग में डॉक्टरों की कमी स्टाफ की कमी तो पूरी की जा सकती है किन्तु रुझान प्रायवेट की ओर ज्यादा जा रहा है सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर लोग नहीं जा रहे हैं. इस पर मैं दो सुझाव देना चाहती हूँ एक तो चिकित्सा विभाग का मेडिकल केडर बनाया जाये जिस तरह से आईएएस और आईपीएस का अलग होता है. डॉक्टरों के मान-सम्मान की भी बात देखना चाहिये उनका एक अलग केडर हो ताकि वे अपना विभाग अलग से चला सकें. डॉक्टरों पर भारी दबाव होता है. सुरक्षा की भी आवश्यकता है जिला अस्पताल में अभी दो दिन पहले ही एक डॉक्टर पर हमला हुआ है वे गंभीर रुप से घायल हुए उन्हें इंदौर रेफर किया गया. इसी तरह से सीएमएनएचओ में कार्यरत डॉ. कमल जाधव के ऊपर भी हमला हुआ और हमला भी इस तरह से कि केरोसिन डाल दिया गया था मात्र माचिस लगाने की जरुरत थी, उन्हें बचा लिया गया. इस तरह के हमले होते आ रहे हैं, नर्सें और स्टाफ पर भी इस तरह से हमले होते हैं उन्हें प्रोटेक्शन दिया जाये. नीति जरुर बनी है पर उसका पालन नहीं होता है इसलिये कर्मचारियों के ऊपर भी ध्यान देने की आवश्यकता है. आपने बोलने का समय इसके लिये धन्यवाद.

अध्यक्ष महोदय:- आज की कार्य सूची में दर्ज कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की जाये, मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत है।

श्रीमती झूमा सोलंकी:- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सुझाव और जरूरी है कि हम लघु उद्योगों को बढ़ावा दे रहे हैं। किन्तु उनसे जो उपकरण खरीदे जातें हैं तो वह दोयम दर्जे के होते हैं। उनकी गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाये यह मेरा एक सुझाव है।

श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर (मांधाता):- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री के 10 वषे के कार्यकाल में और हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी के कार्यकाल में मध्यप्रदेश के निवासियों का जो स्वास्थ्य के प्रति रूझान रहा है वह सबके बीच में है। ऐसी योजनाएं मध्यप्रदेश सरकार ने लागू की है। यह विचार भी नहीं किया जा सकता था। सुदूर अंचलों में जहां जननी सुरक्षा योजना की गाड़ी जाती है और जच्चा और बच्चा अस्पताल से सुरक्षित वापस आ जाता है। ऐसी अनेक योजनाएं जो इसमें आगू की गयी है। आम आदमी को उससे सहूलूलियत मिली है। इसलिये मैं प्रदेश के मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को बहुत बहुत बधाई देता हूं । एक और योजना है जिसमें मेरा एक सुझाव है, ये जो राज्य बीमारी सहायता योजना यह बहुत अच्छी योजना है। यह योजना गरीब लोगों के लिये जिसका गरीबी रेखा का कार्ड बना हुआ है एक रूपये से लगाकर के 2 लाख रूपये तक का ईलाज उनका होता है। लोग पहले चिन्तित हो जाते थे, यह पहले इंदौर स्तर तक था, इसको स्वीकृति के लिये एक लाख कलेक्टर को दिये जाते थे, दो लाख तक कमिश्नर को अधिकार दिये जाते थे। पर ईलाज इंदौर तक होता था। अब पूरे मध्यप्रदेश का ईलाज हमीदिया अस्पताल तक हो गया गया है। अब सारे मरीज यहां आयें और वे मरीज यहां आयेंगे और वह ईलाज कैसे होगा और ठीक वैसे के वैसा ही मुख्यमंत्री बाल हृदय ईलाज योजना इसका भी वही कर दिया है, और मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से चाहता हूं कि योजना बहुत अच्छी है और इसके लिये मध्यप्रदेश में जहां जहां मेडिकल कालेज है, जैसे एमवाय मेडिकल कालेज है, जबलपुर, ग्वालियर जहां जहां मेडिकल कालेज हों, जो पूर्व में प्रथा चली आ रही थी , ताकि वहां आम लोगों को सहुलियत मिलेगी, इंदौर उज्जैन संभाग के लोग वहां पर जाकर के ईलाज करा सकते हैं। इसलिये मैं माननी स्वास्थ्य मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि पुरानी व्यवस्था को पुन: लागू करेंगे। तो आम आदमी जो बीमारी से ग्रस्त है उसका ईलाज वहां पर हो जायेगा। बाल हृदय योजना में भी, जहां दीन दयाल अंत्योदय योजना लागू की गयी है तो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी मेरा आपसे निवेदन है कि जो ये योजनाएं पूववर्तित थी

उसको आप लागू करें। मेरे विधान सभा क्षेत्र की दो मांगे हैं। एक मांग तो ऐसी है कि 2016 में सिंहस्थ आने वाला है। ओंकारेश्वर में पीएससी है, पर इतने श्रद्धालु और यात्री वहां आयेंगे,जितने ओंकारेश्वर आते हैं उसमें से 80 प्रतिशत श्रद्धालु ओंकारेश्वर भी आयेंगे।

ओंकारेश्वर की सिंहस्थ की कार्ययोजना में भी 30 बिस्तर हास्पिटल जोड़ा गया है उसे स्वीकृत करें वह भवन 2016 तक बन जाए ओंकारेश्वर जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है वहां 30 बिस्तर वाले अस्पताल के भवन की यहां घोषणा करें. दूसरा मेरा यह निवेदन है कि पुनासा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है पर वहां 30 बिस्तर का अस्पताल सवा करोड़ का अस्पताल भवन बनकर तैयार हो गया है स्वास्थ्य मंत्री जी आप पुनासा का पी.एच.सी. का उन्नयन कर उसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अगर घोषित कर देंगे. भवन बना है सिर्फ स्टाफ की आवश्यक्ता होगी जिससे वहां के लोगों को सुविधा होगी. आपने मुझे बोलने का अवसर दिया धन्यवाद.

अध्यक्ष महोदय – सात-सात सदस्य दोनों ओर से हो गये हैं यदि माननीय सदस्य सहमति दें तो वे अपने लिखित में सुझाव मंत्री जी को दे दें और वे उन्हें अपने भाषण में शामिल कर लेंगे. (..व्यवधान..) ठीक है दो-दो मिनट में अपने क्षेत्र की समस्या रख दें.

श्री सुखेंद्र सिंह (मऊगंज) – माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सीधे अपने जिले से बात शुरू करना चाहता हूं. जैसे कि हमारे यहां संजय गांधी अस्पताल है.एस.एस.मेडिकल कालेज है. पहले एस.एस.मेडिकल कालेज,ग्वालियर,भोपाल,उज्जैन,इन्दौर इस श्रेणी में आता था लेकिन पता नहीं क्या कारण है कि आज उसकी स्थिति बहुत खराब है. रीवा से मलेरिया के पेशेंट रेफर होकर इलाहाबाद जबलपुर जाएं यह हमारे जिले के लिये (XX) बात है. मेरे क्षेत्र में दो पी.एच.सी. अस्पताल हैं जिसमें 1-1,2-2 डाक्टर हैं जो संकट का विषय है और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहां ट्रायवल एरिया है पिपराही जहां से हनुमना की दूरी लगभग 50 कि.मी. पड़ती है. वहां लगभग 25-30 हजार आदिवासी रहते हैं. उनको हनुमना आने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है. मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि वहां एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोला जाए जिससे आदिवासियों को विशेष सुविधा उपलब्ध हो धन्यवाद.

श्री निशंक जैन(बासौदा) – माननीय अध्यक्ष महोदय, गंजबासौदा में माननीय डाक्टर शंकरदयाल जी शर्मा आए और उन्होंने 60 बिस्तर के अस्पताल को 100 बिस्तर में उन्नयन के लिये तात्कालिक मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया मंच पर और तात्कालिक मुख्यमंत्री जी ने उनके अनुरोध को मानकर 100 बिस्तर के अस्पताल की घोषणा की परंतु बड़े दुर्भाग्य की बात है 2006 में मध्यप्रदेश सरकार बोल रही है कि हमने 100 बिस्तर कर दिया. 2011 में बोल रही है कि 100 बिस्तर कर दिया मगर अस्पताल की हालत यह है कि 15 फर्स्ट क्लास डाक्टरों में से मात्र 5 पोस्टेड हैं. बाकी का पता नहीं है और जो एक एम.डी. है उसकी तो रात ही शाम को हो जाती है और यहां से उनको भगाया गया था छेड़छाड़ के मामले को लेकर. जब प्रमुख सचिव गंजबासौदा दौरे पर गये उनके पास भी शिकायत आई पर उस डाक्टर को नहीं हटाया गया. मेरा अनुरोध है कि कोई दुर्घटना न घटे घटना न घटे उस डाक्टर को बदलकर भोपाल में या कहीं और कर दीजिये. बी.पी.एल. और ए.पी.एल., बी.पी.एल. वालों की चिकित्सा के लिये सी.एम.एच.ओ. के माध्यम से भोपाल आना पड़ता है क्या ऐसा हो सकताहै कि कलेक्टर की अध्यक्षता में उधर ही कमेटी बना दी जाए और उसमें जिले के पूरे विधायक हो और जो भी बी.पी.एल. कार्ड धारी हों और जिनको किसी तरह की स्वास्थ्य संबंधी सहायता चाहिये हो तो उसी समय उनका निराकरण हो जाए जिससे समय रहते उनको चिकित्सा सुविधा मिल सके और उनको चक्कर लगाना बंद हो सके.साथ ही साथ इस समय जो सबसे बड़ी समस्या है ए.पी.एल वाले सफेद राशन कार्ड लिये घूमते हैं यदि उनको बीमारी है उनके लिये कुछ राशि फिक्स कर ली जाये 10 हजार या 20 हजार रूपये की राशि की मदद का ए.पी.एल.वालों को भी प्रावधान हो जाये. एक सुझाव मैं और मंत्री जी को देना चाहता हूं कि जितने प्रशासनिक पद हैं बी.एम.ओ., सी.एम.एच.ओ. आपके डायरेक्टेड में तमाम डायरेक्टर तथा अस्सिटेन्ट सब लोग डॉक्टर हैं काम करते हैं डॉक्टरी का शुरूआत की उन्होंने एम.बी.बी.एस करके और काम कर रहे हैं प्रशासनिक, यदि आप इन सबको वहां से निकालकर डॉक्टर के रूप में

पदस्थ कर देंगे उनकी जगहों पर प्रशासनिक पदों पर दूसरे लोगों को लगा देंगे तो जो हमारी डॉक्टरों की कमी है हो सकता है कि हम उनको आंशिक रूप से पूरा कर सकें. मेरे विधान सभा क्षेत्र में गमाखर पी.एच.सी., तेऊंदा में 70 हजार जनसंख्या की आबादी की आपकी पी.ए.सी की जिम्मेदारी है, वहां पर लेडी डॉक्टर नहीं है, ग्यारसपुर में लेडी डॉक्टर नहीं है मेरा आपसे अनुरोध है कि जहां पर भी जिन डॉक्टरों की कमी है उन्हें पूर्ण किया जाये मैं आपसे मिला तो आपने कहा कि डॉक्टरों की कमी नहीं है, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि कलेक्टर की अध्यक्षता में जिले में कोई एक कमेटी बना दी जाये और जिले के जो भी डॉक्टर हों उस जिले में जो भी सरकारी अस्पताल में काम करना चाहते हों उनको शासन की सेवा शर्तों के अनुरूप संविदा पर उनको नियुक्ति दी जायेगी तो हो सकता है कि यह समस्या दूर हो सके. आपसे तथा आपके अधिकारियों से अनुरोध किया कि हमारे अस्पतालों में सभी पदों की पूर्ति की जाये एक तरफ तो हम संवेदनशीलता की बात करते हैं और दूसरी तरफ होता जाता कुछ भी नहीं है तो मेरा निवेदन है कि जो रिक्त पद हैं उनकी पूर्ति करें नहीं तो गांधीवादी तरीका अपनाने के लिये हमें भी भूख हड़ताल करनी पड़ेगी इसलिये मेरा निवेदन है कि आप अपने भाषण में इस बात की घोषणा अवश्य करें. एक और सुझाव है कि आशा कार्यकर्ता हमारे ग्रामीण क्षेत्र के स्वास्थ्य की रीढ़ है उनकी आप कहीं न कहीं एज्युकेशन फिक्स कर देंगे मिनिमम यदि 12 कक्षा पास होंगी तो उनको आशा कार्यकर्ता बनाएंगे तो आप निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्रों का भला करेंगे. आपने समय दिया धन्यवाद.

डॉ.योगेन्द्र निर्मल (वारासिवनी)—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह देश और प्रदेश महामारियों का रहा है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि 10 वर्षों में इन सब चीजों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार तथा माननीय मंत्री जी के प्रयासों से काफी सुधार मध्यप्रदेश की चिकित्सा में हुआ है. मैं कहना चाहता हूं कि आज आप देख लें कि यह चर्चा में नहीं आया कि स्नेकवेनम जैसे इंजेक्शन,

एन्टीरेबीज जैसे इंजेक्शन आज हमारे अस्पतालों में उपलब्ध हैं मैं चर्चा करना चाहता हूं कि आज आप देखें.

अध्यक्ष महोदय—आपने सभी समस्याएं उनको लिखकर के दे दीं.

डॉ. योगेन्द्र निर्मल—अध्यक्ष महोदय,जी हां. जिला चिकित्सालयों में केन्सर के लिये कीमोथेरेपी हो रही है, दवाईयां मिल रही हैं यह बहुत बड़ी उपलब्धि है. आयुष के मामले में--

अध्यक्ष महोदय—कृपया आप समाप्त करें. आपने मंत्री जी को लिखकर दे दिया है.

श्रीमती सरस्वती सिंह(चितरंगी)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूं कि मेरे चितरंगी विधान सभा में जो हॉस्पीटल है उसमें एक डॉक्टर है जो कि वहां पर सात डॉक्टरों का स्थान है आज उक्त हॉस्पीटल एक डॉक्टर के सहारे चल रहा है. वहां पर कम से कम 30 बिस्तरों वाला अस्पताल है, उसको 50 सीटर किया जाये. वहां पर जो एम्बलेंस हैं 15-16 साल के पुराने हो गये हैं वहां पर एक नया एम्बूलेन्स भिजवाने की कृपा की जाये. हमारे चितरंगी का जो हॉस्पीटल है कोई मशीन नहीं है, चाहे एक्सरे की मशीन हो, या सोनोग्राफी की मशीन हो वहां पर कोई भी मशीन की व्यवस्था नहीं करायी गई है उसकी भी व्यवस्था करायी जाये. वहां पर मरीजों को भरपूर पानी नहीं मिलता है वहां पानी की समस्या है इसकी जल्दी से व्यवस्था करायी जाये. आपने समय दिया धन्यवाद.

श्रीमती ऊषा चौधरी (रैगांव)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सीधे अपने क्षेत्र की और जिले की समस्या पर बोलना चाहती हूं. मेरे सतना जिले में कैंसर पीड़ित के मरीज बांबे या नागपुर या जबलपुर रेफर होते हैं, गरीब तबके के लोगों को बड़ी दिक्कतें उठानी पड़ती हैं. सतना जिले में बिड़ला हास्पिटल है, जिसका माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैंसर रिसर्च सेंटर का उद्घाटन भी किया था, मैं चाहती हूं कि बी.पी.एल. कार्डधारियं का जो इलाज है, बिड़ला हास्पिटल में हो, उसे सरकार टाई अप करे, ताकि वह गरीब लोग जो बाहर नहीं जा पाते हैं और दवाइयों के अभाव में उनकी डैथ हो

जाती है, इसलिये उनका इलाज बिड़ला हास्पिटल में हो. हड्डी रोग विशेषज्ञ सतना जिले में नहीं है, क्योंकि लोग जबलपुर, नागपुर जाते हैं और वहां से अपना इलाज कराते हैं, आपरेशन कराते हैं. माननीय अध्यक्ष महोदय, कोठी और रैगांव में कोठी नगर पंचायत में हास्पिटल में डाक्टर 2 हैं, वह भी कभी जाते हैं, कभी नहीं जाते हैं. रैगांव में उपस्वास्थ्य केन्द्र अगर खोल दिया जाये, तो वहां के कम से कम 50 गांव के लोग स्वास्थ्य का लाभ ले सकेगे. मैं एक बात और कहना चाहती हूं कि जिन माताओं के शिशु होने के बाद उनका आपरेशन हो जाता है, एक-दो बच्चों में आपरेशन करा लिया जाता है, उसके बाद भी कई औरतों के बच्चे पैदा हो गये हैं और उन बच्चों की देखरेख सरकार को करन चाहिये, इसका भी प्रावधान होना चाहिये. माननीय अध्यक्ष महोदय, इस समय बरसात का मौसम है और गांवों में जहरीले कीड़े-मकोड़े ज्यादा निकलते हैं और यदि वह जहरीले कीड़े-मकोड़े किसी व्यक्ति को काट लेते हैं, वहां पर सड़कें और उप स्वास्थ्य केन्द्र का अभाव होने के कारण जिला हास्पिटल में लाते-लाते वह काफी ज्यादा सीरियस हो जाते हैं, इसलिये मैं चाहती हूं कि दवाइयां उपस्वास्थ्य केन्द्रों में उपलब्ध कराई जायें. माननननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये धन्यवाद.

श्री वैल सिंह भूरिया (सरदारपुर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 19, 28, 38,72 और 73 का समर्थन करता हूं और कटौती प्रस्ताव का मैं विरोध करता हूं. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मेरी एक पंक्ति के साथ में मेरी बात को शुरूवात करता हूं जान है तो जहान है, चेहरा रहा तो लाखों छापे बंधायेंगे. माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2013-14 में 6 हजार, 925 हितग्राहियों को लाभान्वित कर 65 हजार, 18 करोड़ रूपये व्यय किये गये वर्ष 13-14 के लिये 70 करोड़ रूपये का बजट स्वीकृत किया गया है राज्य बीमारी सहायता योजना के अंतर्गत माननीय अध्यक्ष महोदय, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी और माननीय हमारे लाड़ले स्वास्थ्य मंत्री, माननीय नरोत्तम जी भाई साहब को मैं बहुत-बहुत बधाई दूंगा और धन्यवाद दूंगा.

अध्यक्ष महोदय--आप कृपया, सीधे अपने क्षेत्र की बात रखें.

श्री वैल सिंह भूरिया--माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं मेरे क्षेत्र की समस्यायें बता रहा हूं. माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा क्षेत्र जो है धार और झाबुआ के बीच में आता है, बीच में से इंदौर अहमदाबाद रोड गुजरता है. माननीय अध्यक्ष महोदय, 65 से 70 किलो मीटर दूर तक कोई इलाज की व्यवस्था नहीं है, आये दिन एक्सीडेन्ट होते रहते हैं और बीमारियां कभी-कभी ज्यादा हो जाती हैं, तो वहां पर सरदारपुर विधान सभा में एक सिविल हास्पिटल खोल दिया जाये और इसके साथ ही अभी 6 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी जब हमको हेलीकाप्टर से ला रहे थे, तब माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्होंने जो बताया था, नरोत्तम जी भाई साहब भी इस बात की ओर ध्यान रखेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि सरदारपुर तहसील में एक मेडिकल कालेज खोल दिया जाये, माननीय मुख्मंत्री जी ने हमको हेलीकाप्टर में ही घोषणा कर दी है और आश्वासन दे दिया है, मैं और कुछ समस्यायें बताना चाह रहा हूं. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रिंगनौद में खोला जाये और तिरला में भी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाये, राजोद एक बहुत बड़ी ग्राम पंचायत है, उसमें माननीय अध्यक्ष महोदय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाये, भीलखेड़ी नयापुरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाये और दत्ती गांव में भी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाये. अध्यक्ष महोदय, मैं वहां की एक बहुत बड़ी समस्या बता रहा हूं कि यह 108 वाहन जो है, यह एक वाहन है सरदारपुर थाने में. वहां पर वह कभी जाता है, कभी जाता नहीं है. बड़ी अव्यवस्था है, इसको ठीक करें और कम से कम दो 108 वाहन थाने पर रहें. मैं मंत्री जी का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि सरदारपुर तहसील में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है, वहां पर एक शव वाहन देने की कृपा करें, ताकि वहां पर डेड बॉडी को क्षेत्र में ले जाने में आसानी होगी. एक समस्या और बताना चाहता हूं. यह पंडित दीन दयाल उपचार योजना के अंतर्गत चलित अस्पताल वाहन जो है, वह सरदारपुर विधान सभा में बंद कर दिये गये हैं. जल्दी से जल्दी 3 से 4 चलित अस्पताल वाहन

चालू किये जायें, जिससे गरीब आदिवासी भाइयों को बहुत बहुत लाभ मिलेगा. आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिये बहुत बहुत धन्यवाद. मैं पुनः मंत्री जी एवं मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं. जय हिन्द.

अध्यक्ष महोदय -- दो माननीय सदस्यों के नाम बाद में भेजे गये हैं, मेरा अनुरोध है कि अपने क्षेत्र की समस्याएं बता दें और संक्षेप में अपनी बात करें.

श्रीमती शीला त्यागी (मनगवां) -- अध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 19,38 एवं 73 के संबंध में अपनी बात रखना चाहती हूं और यह कहना चाहती हूं कि हमारी मनगवां विधान सभा एक ऐतिहासि कसीट है और दो नेशनल हाइवे वहां से गुजरते हैं. इलाहाबाद और बनारस एक हमारी धार्मिक आस्था के केन्द्र बिन्दु हैं और कई राज्यों के तीर्थ यात्री इन मार्गों से गुजरते हैं. मेरा मनगवां विधान सभा क्षेत्र जो है, उसका मुख्यालय बीच में पड़ता है. वहां पर कोई भी अगर सड़क दुर्घटनाएं होती हैं और जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है, वह बहुत ही छोटा होने के कारण, सड़कों में जाम लगने के कारण जो यात्रीगण आते हैं और जो वहां आस पास के ढाई-तीन सौ गांव के लोग जिला मुख्यालय जिनका रोज आना जाना होता है, वहां पर सिविल अस्पताल न होने की वजह से अगर वह घायल हो जाते हैं, तो जिला अस्पताल ले जाते वक्त वह असमय ही काल के गाल में समा जाते हैं. मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि वहां पर सिविल अस्पताल बनाया जाय और सर्व सुविधायुक्त बनाया जाय.

अध्यक्ष महोदय -- कृपया संक्षेप में बोलें.

श्रीमती शीला त्यागी -- अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात कहना चाहूंगी. वैसे भी मुझे हमेशा अंत में समय दिया जाता है.

अध्यक्ष महोदय -- आपने बाद में नाम दिया है.

श्रीमती शीला त्यागी -- अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्र के शासकीय अस्पतालों में कहीं डॉक्टर नहीं हैं और पोस्टिंग भी नहीं है. अगर जो हैं भी तो वह गांव होने के कारण वहां नहीं जाते हैं. सरकार के द्वारा जो 108 वाहन चालाया गया है, उसके माध्यम से ग्रामीण अंचल से जो मरीज आते हैं, उनको सिविल एवं जिला अस्पताल में पहुंचा तो दिया जाता है, लेकिन ग्रामीण होने के नाते, उनके कपड़े गंदे होने के नाते, जो जिला अस्पताल में सरकारी डॉक्टर होते हैं, उनको अटेंड नहीं करते हैं. इस वजह से उनकी स्थिति बड़ी गंभीर हो जाती है. हमारी सरकार ने ममता अभियान, आस्था अभियान, कायाकल्प योजना स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा कार्य योजनायें तय की गई हैं, लेकिन हालत का आलम यह है कि (xxx)

अध्यक्ष महोदय -- इसको कार्यवाही से निकाल दें.

श्रीमती शीला त्यागी -- अर्थात् भोपाल से जब योजना चलती है, तो रीवा मनगवां पहुंचते पहुंचते शून्य हो जाती है या दिशा बदल जाती है. मैं उदाहरण के बतौर रीवा जिले के भ्रष्ट आलम को आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करती हूं और कार्यवाही की उम्मीद करती हूं. एन.आर.जी.एच. योजना में रीवा के संयुक्त संचालक ने फर्जी नियुक्तियां की हैं, जिसमें नर्सों की रोस्टिंग की गई हैं, इसके बाद विरोध होने पर इन्हें पद से तो हटा दिया गया है, किन्तु जो वेतन लाखों रुपये बांटा गया, उसका कहीं अता पता नहीं है. अध्यक्ष महोदय, इस अधिकारी का आगे का क्या आलम होगा, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है.

अध्यक्ष महोदय -- कृपया समाप्त करें.

श्रीमती शीला त्यागी -- अध्यक्ष महोदय, मुझे अपनी बात इतनी स्पीड से इसलिये कहनी पड़ी शायद लोगों को समझ में नहीं आई होगी, क्योंकि मुझे समय बहुत कम मिला. अगली बार मुझे कृपया लास्ट में बोलने का मौका न दिया जाय, कम से कम 5 मिनट बोलने का मौका देंगे. आपने बोलने के लिये समय दिया, धन्यवाद.

अध्यक्ष महोदय -- जल्दी दे देंगे, लेकिन आपका जल्दी नाम आ जाय.

(xxx) आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया.

श्री सुरेन्द्र सिंह बघेल(कुक्षी) -- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अपनी बात को माननीय मंत्री जी तक पहुंचाना चाहता हूं स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा उपयोगी होता है. स्कूली बच्चों के लिये स्वास्थ्य केंप शासन को आयोजित करना चाहिये ताकि छोटी छोटी जांच स्कूलों में ही हो जाये, जैसे ब्लड ग्रुप उनको पता चल जाये स्वास्थ्य विभाग उनके कार्ड बना दे यह मेरा सुझाव है. दूसरा सुझाव भारत सरकार के कर्मचारी और पूर्व संसद सदस्य के लिये CGHS (सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम) कार्ड ईश्यू होता है जो बड़े बड़े शहरों में बड़े अस्पतालों में चलता है. पर मध्यप्रदेश के किसी भी अस्पताल में वह स्वीकार नहीं है मंत्री जी से अनुरोध है कि भारत सरकार के अधिकारियों से बात करके CGHS (सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम) कार्य यहां पर भी उपयोग में लायें. तीसरा सुझाव मेरा यह है कि स्वास्थ्य विभाग के पास में जो इन्फ्रास्ट्रक्चर है उसमें डॉक्टरों की तो कमी है साथ साथ वहां पर नर्स , कम्पाउन्डर और साफ सफाई रखने वाले कर्मचारियों की कमी है, तो मेरा अनुरोध है कि स्वास्थ्य केन्द्र में भी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को आवश्यकता के अनुसार रखे जाने के आदेश शासन प्रदान करे. ग्राम तलोड़ी मेरा निवास क्षेत्र है जहां पर मैं रहता हूं वहां पर सरकार ने बहुत पैसा खर्च किया है, स्वास्थ्य केन्द्र वहां पर बना हुआ है डॉक्टर भी है परंतु उपकरण वहां पर नहीं है . जिसके कारण वह स्वास्थ्य केन्द्र प्रारंभ नहीं हो पा रहा है. तो मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह स्वास्थ्य केन्द्र भी जल्दी प्रारंभ कर दिया जाये. अंतिम बात मैं कहना चाहता हूं आदिवासी क्षेत्र है दही वहां 80 प्रतिशत जनसंख्या आदिवासियों की है वहां पर महिला डॉक्टर नहीं है, वहां पर महिला डॉक्टर की नियुक्ति की जाये जिससे लोगों को परेशानी न हो, मेरे क्षेत्र में शव वाहन नहीं है,शव वाहन उपलब्ध करा दें, जो एम्बूलेंस है शासन के निर्देश हैं कि मुफ्त सेवा है लेकिन एम्बूलेंस वाले मरीज को लाते-ले जाते हैं तो उसमें डीजल मरीज को ही भरवाना पड़ता है. तो वह पैसा मरीजों से नहीं लिया जाये. अध्यक्ष जी आपने मुझे अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया, बहुत बहुत धन्यवाद.

श्री रामनिवास रावत(विजयपुर) -- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने क्षेत्र की मात्र एक मांग करना चाहता हूं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र विजयपुर में रघुनाथपुर एक ऐसा गांव है जिससे लगी हुई आबादी लगभग 60 हजार की है. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की दूरी 50 से 60 किलोमीटर की है, दोनो तरफ तो अनुरोध है कि वहां पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की कृपा करें, अगर बजट भाषण में आज ही इसकी घोषणा कर देंगे तो बड़ी कृपा होगी, अध्यक्ष जी आपने समय दिया उसके लिये धन्यवाद.

श्री दिलीप सिंह परिहार(नीमच) -- माननीय अध्यक्ष महोदय, नीमच में 3 करोड़ 75 लाख की लागत से ट्रामा सेन्टर खोलने के लिये दिये उसके लिये धन्यवाद लेकिन उसमें स्टाफ आदि की पद स्थापनी की जाये. सांवन और भादवा माता में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का गठन करें, चिताखेडा में आपने जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोला है उसके लिये भी स्टाफ की व्यवस्था की जाये, नीमच शहरी क्षेत्र है उसमे भी शहरी स्वास्थ्य मिशन के तहत नीमच सिटी और बघाना में खोला जाये. जहां प्रथम और द्वितीय श्रेणी के डॉक्टरों और नर्सों की कमी है उसे पूरा किया जाये. रतलाम में मंत्री जी ने मेडिकल कॉलेज खोला, तो नीमच जिले में भी मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा करें. नरोत्तम जी आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं नरों में उत्तम हैं तो हमारे यहां उत्तम काम कर दें, नीमच जिला राजस्थान से लगा हुआ है. वहां पर भी स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध करायेंगे जो मैंने समस्यायें बताई हैं उनका निधान शीघ्र करेंगे. वहां पर एम्बूलेंस की भी आवश्यकता है, एम्बूलेंस देने की कृपा करें. अध्यक्ष महोदय आपने जो समय दिया उसके लिये बहुत बहुत धन्यवाद.

श्री मनोज पटेल (देपालपुर)-- माननीय मंत्री जी मेरे यहां 2012 में तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र हार्डिया जी ने गोतमपुरा नगर पंचायत के आसपास 50-60 गांव का क्षेत्र है वहां पर समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की घोषणा करके आये थे, मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उसकी फाइल कहीं पेंडिंग है और निवेदन है कि आज के भाषण में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की घोषणा करेंगे.

श्री बलवीर सिंह दण्डौतिया (दिमनी) -- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से एक निवेदन करना चाहता हूं.

अध्यक्ष महोदय--अब नहीं. मंत्री जी.

श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया -- अध्यक्ष महोदय, बोल नहीं सकता तो कम से कम मंत्री जी को अपनी दरख्वास्त तो दे सकता हूं. समय कम है तो कम से कम मंत्री जी को पेपर तो दे सकता हूं कि नहीं.

अध्यक्ष महोदय-- आप मंत्री जी को पेपर दे दीजिये. मंत्री जी आप पहले दण्डौतिया के पेपर ले लें .

श्री विश्वास सारंग -- अध्यक्ष महोदय, यह तो अभी पेपर देने के लिये आ गये.

अध्यक्ष महोदय-- हां ठीक है . हो सकता है कि मंत्री जी कुछ कृपा कर दें.

(सदस्य श्री बलवीर सिंह दण्डौतिया द्वारा मा.स्वास्थ्य मंत्री को संबंधित पेपर दिये)

अध्यक्ष महोदय-- माननीय मंत्रीजी, आपका विभाग बड़ा है. यदि 20-25 मिनट में समाप्त कर सकेंगे तो उचित होगा.

डॉ नरोत्तम मिश्रा-- अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करुंगा कि मेरे पास 6 विभाग हैं. अगर आप 10-10 मिनट भी देंगे तो एक 60 मिनट (एक घंटा) होगा.

अध्यक्ष महोदय-- नहीं, एक घंटा नहीं देंगे.

डॉ नरोत्तम मिश्रा-- अध्यक्ष महोदय, परमात्मा और पार्टी की कृपा से और माननीय मुख्यमंत्रीजी और आपके सहयोग से इस लायक हुआ हूं. माननीय विधायकों ने कुछ मांग रखी है. मैं आज सबको कुछ न कुछ देने की स्थिति में हूं.

श्री मनोज पटेल-- फिर तो मंत्रीजी को एक घंटा नहीं डेढ़ घंटा दीजिए.(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय-- मंत्रीजी, आप जितने संक्षेप में कर सकें. (व्यवधान)

श्री दिलीप सिंह परिहार-- अध्यक्ष महोदय, समय दीजिए. देने वाला दाता होता है.

अध्यक्ष महोदय-- क्या आप इटारसी से देना शुरु करेंगे ?(हंसी)

डॉ नरोत्तम मिश्रा-- मैं अध्यक्षजी, उपाध्यक्षजी और सबके लिए कहूंगा.

श्री रामनिवास रावत-- अध्यक्षजी, यदि माननीय मंत्रीजी का भाषण सोमवार को हो जाये तो कृपा होगी.

अध्यक्ष महोदय-- नहीं नहीं. माननीय मंत्रीजी आप कृपा करके 6 बजे तक अपना भाषण समाप्त कर दें.

डॉ नरोत्तम मिश्रा-- 30 ही मिनट हुए ना. 30 तो माननीय विधायकों के नाम हैं. एक मिनट भी यदि एक विधायक के लिए दिया तो 30 मिनट वैसे ही हो जायेंगे. (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय-- कृपया अब मंत्रीजी को समय दें. आपने सबकी उम्मीदें बड़ा दी.

श्री विश्वास सारंग-- अध्यक्ष महोदय, हमारा सुझाव है कि माननीय मंत्रीजी को पूरे समय बोलने दिया जाये.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया-- माननीय मंत्रीजी जो जो घोषणाएं करना हैं, कर दीजिए. हम आपकी मांगे सर्वानुमति से पास कर देते हैं.

डॉ नरोत्तम मिश्रा-- अध्यक्षजी, मेरा विभाग ऐसा विभाग जहां वास्तव में पीड़ित मानवता की सेवा करते हैं. पीड़ित मानवता की सेवा करना हम सभी का फर्ज भी है और कर्त्तव्य भी है. मुझे

माननीय मुख्यमंत्रीजी के द्वारा यह सौभाग्य मिला है इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं.मैं उनका इसलिए भी आभार व्यक्त करता हूं कि आप इस बार का बजट देखेंगे तो इस बार के बजट में 4828.98 करोड़ रुपये की राशि व्यय करने की अनुमति लेने के लिए खड़ा हुआ हूं, जो पिछले साल से 55 प्रतिशत ज्यादा है. यह अपने आप में एक रिकार्ड और इतिहास है.(मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय, जितनी सारी योजनाएं बनी हैं उन सबके लिए राशि का आवंटन भी इसमें किया गया. सरकार ने सबकी फिक्र की है. सरकार को स्वास्थ्य की फिक्र है. इस बात का पूरे प्रदेश और देश में जिक्र है. (डॉ गोविन्द सिंह की ओर) डॉक्टर साहब हम स्वास्थ्य पर सिर्फ चर्चा नहीं करते, खर्चा भी करते हैं. यह बताने की कोशिश कर रहा हूं.

अध्यक्ष महोदय, आज जो बजट है उसके लिए मैंने आपसे अनुमति लेने और माननीय सदस्यों से प्रार्थना करने के लिए खड़ा हुआ हूं. हमारे प्रदेश में 'संपूर्ण स्वास्थ्य, सबके लिये' का अभिनव प्रयोग शुरु किया. यह प्रयोग मूल रुप से स्वास्थ्य सेवाओं के विकेन्द्रीकरण की अवधारणा को लेकर है. अगर हमने मंत्रालय में या संचालनालय में बैठकर स्वास्थ्य विभाग को चलाया तो मैं समझता हूं कि हम समाज के अंतिम व्यक्ति तक कभी पहुंच ही नहीं सकते. आप भी जानते हैं और इस बात को स्वीकार करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं कि मध्यप्रदेश में डॉक्टरों की कमी है. अत्यधिक कमी है. हम लगातार उसको भरने की कोशिश भी कर रहे हैं. लेकिन उनकी कमी के बावजूद भी हम आम जनता को स्वास्थ्य सेवाओं को कैसे मुहैया करायें यह हमारी पहली प्राथमिकता है. इसलिए हमने प्रदेश में 48946 ग्राम आरोग्य केन्द्र बनाये. जो अपने आप में रिकार्ड है. इन 48 हजार ग्राम आरोग्य केन्द्रों के लिए हमने स्वास्थ्य समितियों का निर्माण किया. इस प्रदेश में 47959 स्वास्थ्य समितियां कार्यरत् हैं. हमने गांव को इकाई माना, उसको आधार मानकर हमने स्वास्थ्य सेवाएं खड़ी करने की कोशिश की है. हमने प्रदेश में 5 हजार सेक्टर अधिकारी बनाये. हर 10-12 गांव पर एक सेक्टर अधिकारी है. इन सेक्टर अधिकारियों को सप्ताह में दो दिन इन गांवों में

जाने की व्यवस्था की. सिर्फ बोलने से व्यवस्था नहीं होती. हर सप्ताह 8 हजार रुपये उनको गाड़ी के अलाऊंस, ऐसा नहीं है वह गाड़ी खराब है या नहीं है. वे जिला अधिकारी या प्रशासन की ओर मुंह ताकते रहें. उनको यह व्यवस्था दी गई है कि आप जायें. 334 सीवीएमओ बनाए और 600 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी हैं, वे कार्यक्रम अधिकारी इनके सुपरविजन में हैं, यह पूरी की पूरी संरचना की है. हम यहीं नहीं थमे हैं, हमने इस प्रदेश में 56000 आशा, 14000 एएनएम और लगभग 17000 स्वास्थ्य अधिकारियों के रूप में कुल 87000 मैदानी कार्यकर्ता की नियुक्ति थी, इनको कॉमन यूजर ग्रुप से जोड़ा है. एक कॉमन नम्बर दिया है, जो आपस में कनेक्टिविटी के आधार पर सूचनाओं का आदान-प्रदान पूरा का पूरा करें और बीमारी का प्रभावी नियंत्रण इस प्रदेश में करें. उसका परिणाम अध्यक्ष महोदय आपने भी देखा होगा. इससे पहले गांवों में महामारी फैल गई, बरसात आने के साथ ही हैजा फैल गया, इस तरह की शिकायत आती थी कि पूरा का पूरा गांव चपेट में आ गया. लेकिन आज हमको इस तरह की शिकायतें धीरे-धीरे कम होती चली जा रही हैं. उसका परिणाम है कि आज हम पूरे प्रदेश में बड़ी सुचारू रूप से इन समितियों के माध्यम से संचालन कर रहे हैं. हर समिति को 10000 रुपए हम भेजते हैं. ऐसे 47 करोड़ 94 लाख रुपए की राशि हम वितरित कर चुके हैं और जैसे ही यह राशि खत्म होती है, वैसे ही इन गांवों की जो स्वास्थ्य समितियां हैं, तत्काल इनको दूसरी राशि भेज देते हैं और अच्छा यह है कि इनकी नियमित बैठकें भी हो रही हैं.

"शस्यश्यामलाम् प्रांत हमारा,
स्वर्णिम इसे बनाना है,
जो माता दे जीवन,
उस जीवन को हमें बचाना है. "

अध्यक्ष महोदय, इस भाव के साथ मैं प्रवेश कर रहा हूं शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर की ओर जिसका बाला बच्चन जी ने ध्यान आकर्षित किया था. अध्यक्ष महोदय, वास्तव में मातृ मृत्यु दर हमारी ज्यादा है. शिशु मृत्यु दर है. लेकिन अगर पिछले 2-3 साल का ट्रेक रिकॉर्ड देखेंगे तो केन्द्र सरकार ने भी, उस वक्त आपकी सरकार थी, हमारे प्रयासों की सराहना की थी. मैं आगे उस पर भी आऊंगा कि हमने क्या-क्या प्रयास किये थे और सर्वाधिक इसको हम नीचे लाए हैं. यह कहना बिल्कुल ठीक नहीं है कि हम देश के अंदर ज्यादा हैं.

अध्यक्ष महोदय, मौत कोई भी हो, दुखद होती है और खासकर मां की मौत! मेरा व्यक्तिगत मानना है कि मां परमात्मा का दूसरा रूप होती है और किसी बच्चे की अगर मां चली जाय तो मैं समझता हूं कि उसके जीवन में अंधेरा आ जाता है. मां, महात्मा और परमात्मा, इन तीन का मनुष्य के जीवन में बड़ा महत्व है. किसी शायर ने कहा है कि -

"बहुत रोते हैं लेकिन दामन नम नहीं होता,
इन आंसुओं के बरसने का कोई मौसम नहीं होता,
और मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूं,
मेरी मां की दुआओं का खजाना कम नहीं होता." (मेजों की थपथपाहट)..

अध्यक्ष महोदय, मां के बारे में हम जितना बखान करें, उतना कम होता है. इसलिए पूरी ताकत सरकार की हमने मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को रोकने में लगाई है. मैं आगे इनको बताऊंगा कि एसएनसीयू से लेकर, वैसे एसएनसीयू आपने देखे होंगे, जो हमने ब्लॉक स्तर तक बनाए हैं और हमें इस बात को कहते हुए फक्र भी है और गर्व भी है कि हिन्दुस्तान के बहुत अच्छे एसएनसीयू में से मध्यप्रदेश के एसएनसीयू हैं. मैं बहुत ध्यान से सम्मानीत सदस्यों की बात सुन रहा था. परन्तु इसकी आलोचना करता हुआ कोई भी नहीं मिला होगा. उसका कारण यह था कि नीचे का जो सर्किट है, ग्राम इकाई तक हम गये, जहां हमारी आशा, एएनएम, ये जो जांच करती हैं, और

माता को गर्भ धारण करने के साथ ही जांच के दायरे में वह आ जाती है, उसको आयरन की गोली देना है या उसको अन्य कौन-कौन सी दवाइयां देना है, यह हम उसी समय से प्रारंभ कर देते हैं. मदर एंड चाइल्ड ट्रेकिंग सिस्टम मध्यप्रदेश में इसके लिए बनाया है. प्रारंभ से हम इसको इसी आधार पर ले लेते हैं. अध्यक्ष महोदय, जच्चा को घर से लाना,अस्पताल में रखना, डिलेवरी होने के बाद घर तक छोड़ना. सारी जांचे निःशुल्क. सारा भोजन निःशुल्क , लाना ले जाना निःशुल्क .अभी कई सदस्यों ने कहा कि अस्पतालों में भीड़ लगी हुई है ,पलंग नहीं मिल रहे हैं. सच है, लेकिन इससे एक बात तो अध्यक्ष महोदय साबित हुई कि सरकारी अस्पतालों में अब भीड़ लगने लगी है. अध्यक्ष महोदय, मै इस विधान सभा में 25 साल से हूं, एक दौर था , यहां पर कहते थे कि लोग अपने बच्चों या बड़े बूढ़ो को लेकर सरकारी अस्पतालों में जाते नहीं हैं. यह बड़ा परिवर्तन ,अभी सम्मानित सदस्यों से सुनने के बाद बता रहा हूं. आज अधिकांश सदस्यों ने कहा कि अस्पतालों में पलंग नहीं हैं, हमारे अस्पताल को बड़ा किया जाए. सिविल अस्पताल किया जाए, जिला अस्पताल किया जाए, ये सब इस बात का द्योतक तो है कि आज अस्पताल के अंदर काफी संख्या में लोग आ रहे हैं. अध्यक्ष महोदय, मैं फिर अपनी मां के पास आता हूं और इस सबको ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने मध्यप्रदेश में द्वितीय चरण ममता अभियान का भी प्रारंभ किया. इसमें अभी सिनेतारिका माधुरी दीक्षित भी आई थीं ,आपने भी उसको सुना होगा और उसके लिए हमारे प्रयास हैं कि हमारी मातृ मृत्यु दर जो है उसके लिए एक जन जागरण का वातावरण हम इस प्रदेश में बनाएं. माननीय मुख्यंमंत्री जी ने जैसे बेटी बचाओ अभियान पूरे प्रदेश में संचालित किया था, ऐसा एक कोई अभियान हम प्रदेश के अंदर चलाएं और मातृ मृत्यु दर को घटा कर उसको 100 तक लाने की हम कोशिश में अगले दो तीन वर्ष में हैं और शिशु मृत्यु दर को 25 तक लाने की हम कोशिश करेंगे और बाल मृत्यु दर को 40 तक लाने की हम कोशिश करेंगे. ये हमारी लगातार कोशिश है जिसको हम अंजाम देना चाहते हैं . माननीय अध्यक्ष महोदय, एक गौरवी अभियान हमारी सरकार ने प्रारंभ

किया है. ये गौरवी अभियान, जो पूरे देश में एक समस्या आप सुनते होंगे कि महिला के साथ में छेड़ छाड़ या बलात्कार जैसी अप्रिय घटना घट जाती है और उसके बाद में वह घूमती रहती है,. रिपोर्ट नहीं हो पाती है, रिपोर्ट लिखती है तो डॉक्टरी नहीं हो पाती , ठीक तरह से जो थाने में पूछ ताछ की जानी चाहिए है वह नहीं की जाती. अध्यक्ष महोदय, इस अभियान के तहत हमने तय किया है कि ये सारा सारा जो उसका हेरासमेन्ट होता है ,वह न हो. और उसको घरेलु हिन्सा, सेक्सुअल हिन्सा , सेक्सुअल हेरासमेन्ट, जेण्डर वायलेन्स जैसी जो दिक्कते हैं उन सबको दूर किया जाए और इसके लिए , माननीय अध्यक्ष महोदय , अभी हमारे केन्द्रीय स्वास्थ मंत्री जी भी प्रदेश में अए थे. मंत्री बनने के बाद अगर उन्होंने सबसे पहले किसी प्रदेश का दौरा किया है तो वह मध्यप्रदेश का किया है. और इस मध्यप्रदेश में सिने अभिनेता आमिर खान जो आए थे उन सबकी मौजूदगी में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और माननीय केन्द्रीय मंत्री जी के द्वारा इसका प्रारंभ किया गया और इसको हमने जे.पी..अस्पताल में प्रारंभ किया है. यहा विधिक सहायता परामर्श चिकित्सा सुविधा सारी की सारी रहेंगी और एक नंबर दिया हुआ है जहां से हम सारी की सारी व्यवस्था को करेंगे. माननीय अध्यक्ष महोदय, शिशु मृत्यु दर और बाल मृत्यु दर के बाद में मैं हमारी एक महत्वाकांक्षी योजना की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं.

श्री रामनिवास रावत- मैं एक बात पूछना चाहता हूं, अभिनेताओं को बुलाने की क्या जरूरत पड़ गई, आप खुद ही अभिनेता हो. बहुत अच्छे अभिनेता हो.(व्यवधान)

डॉ.नरोत्तम मिश्रा- छोटा भाई हूं आपका. माननीय अध्यक्ष महोदय, सरदार वल्लभ भाई निःशुल्क औषधि वितरण योजना (व्यवधान) ...

डॉ.शरद जैन - (x x x)

श्री रामनिवास रावत- माननीय अध्यक्ष महोदय, पीछे से सदस्य ने क्या कहा है उसे निकलवा दें. ये मध्यप्रदेश सरकार के राज्य मंत्री हैं.

अध्यक्ष महोदय—वह रिकार्ड में नहीं आएगा.

डॉ.नरोत्तम मिश्रा—अध्यक्ष महोदय, बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है हमारी सरदार वल्लभ भाई निःशुल्क औषधि वितरण योजना....

....

(x x x) आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया.

अध्यक्ष महोदय, मैंने जैसा उस समय आपका ध्यान आकर्षित किया था, उसी तरह से मैं इस पर भी आकर्षित करना चाहता हूं. यह सरदार वल्लभ भाई पटेल योजना बड़ी महत्वाकांक्षी है. इस प्रदेश के अंदर हम 72 लाख रूपए की दवाईयों का रोज वितरण करते हैं. आपको और सभी सम्मानित सदस्यों को यह जानकर बड़ा अचंभा होगा कि 4 लाख लोग सिर्फ स्वास्थ्य विभाग, अभी मैं मेडीकल एजुकेशन में भी निशुल्क, आयुष में भी निशुल्क है, हमारी जो भोपाल गैस के अस्पताल बने हैं, उनमें भी निशुल्क हैं. उनके आंकड़ें बाद में दूंगा. मैं सिर्फ स्वास्थ्य विभाग पर अभी बात कर रहा हूं. 4 लाख लोग रोज निशुल्क दवा लेते हैं. एक करोड़ लोग महीने में और 12 करोड़ लोगों को हमने एक साल में निशुल्क दवाई दी और मुझे यह कहते हुए गर्व है कि एक भी शिकायत मीडिया के माध्यम से या और किसी माध्यम से दवा वितरण की हमारे पास नहीं आई है कि दवा वितरण नहीं हो रही है. माननीय अध्यक्ष महोदय, भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है कहीं भी, मैं उसकी शिकायत नहीं करता, क्योंकि लोगों को यह मालूम नहीं है कि अब 250 तरह की दवा जिला अस्पताल में हम बांटते हैं और 131 तरह की दवा ....

श्री जितू पटवारी—मंत्री जी, आपने जिस तरीके का आंकड़ा दिया कि 12 करोड़ लोगों को आप एक साल में दवाई देते हैं, साढ़े सात करोड़ की प्रदेश की जनसंख्या है, यानि एक आदमी दो

बार दवाई साल में मुफ्त की लेता है, गरीब आदमी को हर समय दवा नहीं मिलती है, माननीय सदस्यों से मंत्री जी पूछ लें कि दवा खरीदी में कितना भ्रष्टाचार हो रहा है.

श्री वेलसिंह भूरिया—अध्यक्ष जी, कांग्रेस राज में तो जच्चा और बच्चा दोनों भगवान भरोसे होते थे.

डॉ.नरोत्तम मिश्रा—अध्यक्ष महोदय, यह पवित्र सदन है और मैं आपके सामने कह रहा हूं कि दवा खरीदी की बात इन्होंने की है, हमने सारी चीजें आनलाइन कर दी है कि किस अस्पताल में कितनी दवा है, मेरा भाई जितू अगर अपने मोबाईल पर बटन दबाकर नेट पर निकालना चाहेगा तो इंदौर की सारी की सारी जानकारी अभी इनके मोबाईल पर आ जाएंगी. हलंत और बिंदी की भी गलती दवा वितरण में होगी और एक गरीब को दवा नहीं मिलेगी तो उस अस्पताल में उस डाक्टर को रहने नहीं दूंगा जितू भाई. इस पवित्र सदन में कह रहा हूं. मैं बहुत सम्मान करता हू आसंदी का भी और सदन का भी.

श्री मनोज पटेल—अध्यक्ष जी, जितू जी ने मेरी सामने ही कई लोगों को मुफ्त दवाईयां दिलवाई हैं.

श्री विश्वास सारंग—मंत्री जी दिक्कत तो यही है कि मुफ्त दवाईयां आप जनता को दे रहे हैं, जनता ठीक हो रही है और प्रतिपक्ष इसके कारण बीमार हो रहा है.

अध्यक्ष महोदय—कृपया हस्तक्षेप न करें.

श्री मुकेश नायक—अध्यक्ष जी, हम सहमत हैं कि 12 करोड़ लोगों का इलाज हुआ है. 7 करोड़ मध्यप्रदेश की आबादी है, 12 करोड़ लोग एक साल में बीमार हो रहे हैं और यह कह रहे हैं कि मध्यप्रदेश को हमने बीमारू राज्य से मुक्त करा दिया है.

डॉ.नरोत्तम मिश्रा—अध्यक्ष जी, मैं यह नहीं कह रहा हूं. जितू भाई ने अभी यह कहा कि एक एक व्यक्ति 3-3, 4-4 बार दवाईयां ले रहा है. यह इसीलिए नायक हैं. आप देखें के साल भर में यह

खुद आधा दर्जन दवाईयां खा जाते होंगे. भले ही एक दर्जन बार गोली खाते हों, पर रोज गोली खाते हैं.

श्री जितू पटवारी—यह मुफ्त की दवाईयां नहीं खाते हैं.

डॉ.नरोत्तम मिश्रा—मुकेश जी आज आप सदन में, आसंदी पर हाथ रखकर कह दें कि यह रोज दवाएं नहीं खाते हैं. कोई न कोई गोली रोज खाते होंगे. मैं भाभी से बात करके अभी बता सकता हूं.

श्री मुकेश नायक—अध्यक्ष महोदय, पवित्र सदन में आपको साक्षी मानकर कहता हूं कि मैं रोज दवाई खाता हूं.

डॉ.नरोत्तम मिश्रा—खाते हैं, तो 12 करोड़ होने में क्या दिक्कत है? मुकेश जी आप गलत बोलते तो मैं भाभी जी से पूछकर आया था कि आप दवा खाते हैं. वह बोल रहे हैं कि दवा खाता हूं.

श्री बाला बच्चन—वह मुफ्त की दवाएं नहीं खाते हैं.

डॉ.नरोत्तम मिश्रा—माननीय अध्यक्ष महोदय, सवाल यह नहीं है, हम बात गरीब की कर रहे हैं. अभी जितू जी ने भी गरीब की ही बात की थी. मुफ्त दवा की अलग बात है, कौन खाता है कौन नहीं खाता है, सवाल यह नहीं है, सवाल यह है कि जो जरूरत मंद है, उसके लिए सरकार कृत संकल्पित है कि नहीं है. अध्यक्ष जी, आप मुझे घूर रहे हैं, जो बीच का समय इन्होंने लिया, वह आप मेरे समय में मत जोड़ देना. मेरा पहला विभाग अभी पूरा नहीं हुआ है. मैं एक बात आपके माध्यम से और बता दूं कि हमारा अलग अलग जगह पर दवा रखने का क्राइटेरिया अलग है. हम जिला स्तर पर 250 तरह की दवाएं रखते हैं.हम जिला अस्पताल पर 250 तरह की दवाई रखते हैं, सिविल अस्पताल में 131 तरह की दवाई रखते हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रो पर 107 की दवाई है, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर 71 तरह की दवाई है, उप स्वास्थ्य केन्द्र पर 24 तरह की दवाइयां हैं, ये इस क्रम में और मैं इस क्रम को कहीं भ्रम पैदा न हो कि उप स्वास्थ्य केन्द्र पर जाकर के वह दवा

मांग लें जो दवा वहां पर उपलब्ध नहीं है. मैं समझता हूँ कि बाला भैय्या ने जो डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की दवाई की उपलब्धता की बात की थी उन दवाओं का,आगे आप सब विधायकों के जवाब दूंगा जो उपस्थित होगे उनके, अनुपस्थित के नहीं. माननीय अध्यक्ष महोदय, इन सब के लिए एक टेलीफोन नम्बर 155343 हमने प्रदेश के अन्दर जारी किया है, यह टोल फ्री नम्बर है, इसको कोई भी व्यक्ति लगाकर के इस पर उसे कोई दिक्कत है तो वो अपनी उस बात की शिकायत कर सकता है. मैं सम्मानित विधायकों से भी निवेदन करुंगा कि वे इस सुविधा का लाभ जरुर लेकर लोगों तक कम से कम इस नम्बर पहुंचाने की कोशिश करें. माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से इस मध्यप्रदेश के अन्दर और हमें यह कहते हुए गर्व है कि हिन्दुस्तान का यह मध्यप्रदेश पहला प्रदेश था जहां नि:शुल्क जांचें हो रही हैं. जिला चिकित्सालय में 45 तरह की जांच, सिविल अस्पताल में 32 तरह की जांच, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में 28 तरह की जांच, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में 16 तरह की जांच और उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर 5 प्रकार की जांच हो रही है और इस जांच का दायरा हम बहुत जल्दी बढ़ाने वाले हैं. पहले इन जांचों के लिए, इन दवाओं के लिए गरीब गहने गिरवी रख देता था. सरकारी अस्पताल में जाने की गरीब की हिम्मत नहीं पड़ती थी लेकिन यह मध्यप्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार है कि आज सम्मानित सदस्य यह कहने को विवश हैं कि अस्पताल में भीड़ लगी हुई है, आपके पास में रखने को जगह नहीं है.

कुंवर विक्रम सिंह —माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला अस्पतालों से मरीजों को जांचों के लिए बाहर क्यों भेजा जाता है?

श्री रामनिवास रावत—एक चीज और स्पष्ट कर दें, जो नि:शुल्क दवा वितरण हो रही है इनमें कितना शेयर गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया का औरि कितना स्टेट का है ?

डॉ. नरोत्तम मिश्रा—जी माननीय अध्यक्ष महोदय, जब सबका जवाब दूंगा तब आपका भी जवाब दूंगा. दोनों बातें कर दूंगा. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें भी थोड़ा विस्तार करना चाहूंगा

कि हमारी जांचों के अन्दर प्रतिदिन इस प्रदेश के अन्दर आज की तारीख में लगभग हम 50 हजार लोगों की जांच कर रहे हैं. प्रतिमाह 15 लाख लोगों की जांच कर रहे हैं और लगभग 1 करोड़ 80 लाख लोगों की नि:शुल्क जांच हम अभी तक कर चुके हैं और इस बात मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ, अभी तक जांचों की शिकायत मीडिया के माध्यम से, सम्मानित सदस्यों के माध्यम से, हमारे पास अखबार के माध्यम से या अन्य माध्यम से प्राप्त नहीं हुई है. यह बात अलग है कि आज मेरे कहने के बाद में कोई ढूंढने लग जाए. मेरी समझ में तो ढूंढता रह जाएगा. हम कमी न रहे इस बात की कोशिश करेंगे. हमारी पूरी कोशिश है लेकिन फिर भी कमी अगर कोई ध्यान में आएगी तो हम उसको दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे. हम मंशा वाचा कर्मणा सुधार लाना चाहते हैं. हम न तो हठवादी हैं, न दुराग्रही हैं, हम पवित्र मन से इस प्रदे्श की सेवा करना चाहते हैं जैसी माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा है. आप जो सुझाव देंगे, अगर वो सुझाव वास्तव में अनुकरणीय हैं तो मैं सर झुका के आपकी बात को मानूंगा और उसका अनुकरण करुंगा. आज बहुत अच्छे सुझाव भी आये हैं . मैं उनपर भी आऊंगा मुकेश भाई, लेकिन मैं पहले अपने विभाग की बात कर लूं, नहीं तो अध्यक्ष जी क्या करेंगे, मुझे बोलने नहीं देंगे. जैसे उनका प्रारम्भ से आज पता नहीं वैसे तो चोली दामन का साथ कहते हैं संसदीय कार्य मंत्री, आज पता नहीं क्या हुआ.(हंसी)

श्री बाला बच्चन—माननीय मंत्री जी, अध्यक्ष महोदय आआज स्पेशन आपके लिए आसंदी पर विराजमान हैं.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा-- मेरे पर यह उनकी कृपा है. मैं लम्बे समय तक उनके साथ विधायक रहा हूँ.

अध्यक्ष महोदय-- उनके लिए नहीं, आपके लिए आया था मैं (हंसी)

श्री बाला बच्चन-- माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा—माननीय अध्यक्ष महोदय, हम आने वाले भविष्य में इस मध्यप्रदेश के 51 जिलों के अन्दर, सभी जिलों के अन्दर डायलासिस की मशीन प्रारम्भ करने जा रहे हैं, यह मैं आपके सामने घोषणा कर रहा हूँ , कोई भी जिला ऐसा नहीं रहेगा .माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके लिए हमने बजट में प्रावधान भी कर दिया है जो हमारे जिले थे पहले से, छिंदवाड़ा, विदिशा इनको भी हम बढ़ा रहे हैं. जहाँ-जहाँ हमारी मशीनें पूर्व के 3 जिलों कम थीं उनको भी हम कर रहे हैं जिससे हमारे किडनी और डायलिसिस के रोगियों को परेशान न होना पड़े. माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसी कि जितू भाई ने और कई सदस्यों ने बात कही थी कि गरीब को परेशान न होना पड़े, वैसे तो इन्दौर, उज्जैन वाले लोगों ने भी कहा था कि राशि स्वीकृत कराने के लिए भोपाल तक आना पड़ता, संभाग तक जाना पड़ता है ,इसको जिला स्तर पर करना चाहिए.मैं भी मानता हूं कि अगर मरीज ज्यादा बीमार है औऱ अगर वह इस प्रक्रिया के अंदर उलझा तो उसको समय पर इलाज नहीं मिल पाएगा. हमारी सरकार ने अनेक योजनायें प्रारंभ की है. राज्य बीमारी सहायता निधि की योजना है. हमारे यहाँ बीपीएल कार्ड वाले जो लोग हैं, उनको 25 हजार रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक की सहायता इन बीमारियों में दी जाती है और यह 1 लाख रुपये तक का अधिकार अभी कलेक्टर को है, 2 लाख रुपये तक का अधिकार कमिश्नर को है. पहले यह 2 लाख तक का अधिकार राज्य सरकार को था लेकिन पिछली बार जब यह बात ध्यान में आई कि राज्य सरकार से जाते-जाते दिक्कत आती है तो हमने 1 लाख तक का अधिकार कलेक्टर को दिया और आज मैं यह घोषणा करता हूं कि आने वाले दिनों में हम यह सारे अधिकार कलेक्टर को ही दे देंगे जिससे कि पीड़ितों को यहाँ पर नहीं आना पड़ेगा और उनको दिक्कत नहीं होगी और अब 2 लाख तक की राशि का अधिकार हम जिला स्तर पर ही दे देंगे. माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य बीमारी सहायता निधि यह अभिनव योजना है, यह मुख्यमंत्री जी के मन से पैदा हुई है.

श्री रामनिवास रावत--- यह कांग्रेस शासनकाल में ही प्रारंभ हो गई थी.आप इसे चला रहे हैं इसलिए आपको धन्यवाद दे रहे हैं.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा--- दीनदयाल अन्त्योदय उपचार योजना आपने शुरु की इसके लिए आपको धन्यवाद.

श्री रामनिवास रावत-- राज्य बीमारी सहायता निधि की बात कर रहे हैं वह हमारे समय की थी.

श्री बाला बच्चन--- कई केसेस आपने हमको दिये थे और उस समय हमने भी उनको पास किये थे.

वनमंत्री(डॉ. गौरीशंकर शेजवार)--- आप जो राज्य बीमारी सहायता निधि की बात कर रहे हैं हो सकता है किसी ने चालू की हो, हमने न की हो लेकिन उसकी क्या स्थिति थी कि आठ-आठ महीने तक तो बैठकें नहीं होती थी और डायरेक्ट्रेट से पैसे सेंक्शन नहीं होते थे और यदि होते भी थे तो दो – चार और ज्यादा से ज्यादा छह होते थे इससे ज्यादा पूरे कार्यकाल में कभी नहीं हुए. लेकिन उसको सक्रिय रूप से, उसमें बजट आवंटन और बजट को हर वर्ष बढ़ाना यह माननीय शिवराज सिंह जी किया है.

श्री बाला बच्चन--- माननीय डॉक्टर साहब, सैकड़ों केसेस हमने किये हैं. मैंने खुद ने किये हैं मैं हैल्थ मिनिस्टर था.

श्री मनोज पटेल-- उन्होंने सैकड़ा ही तो बताया चार- पांच यह सैकड़े में ही तो आता है.

डॉ. गौरीशंकर शेजवार-- अध्यक्ष महोदय, इस पर एक वर्कशॉप हो जाए और आप चेयरपर्सन रहे कि राज्य बीमारी सहायता में वास्तव में इसको आगे बढ़ाने में और लोगों को ज्यादा से ज्यादा इलाज के लिए सुविधा देने में और पैसा देने में कौनसी पार्टी ने ज्यादा काम किया है उस तरफ से बाला बच्चन जी बोलेंगे हमारे तरफ से मंत्री जी बोल लेंगे यदि वह मुझे मौका देंगे तो मैं बोल लूंगा.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा-- डॉ. साहब, आप मेरे बड़े भाई हैं, मैंने आपसे बोलने का मार्गदर्शन लिया है. मैं बाला बच्चन जी को और रावत जी को बताना चाहता हूं कि उनके पूरे कार्यकाल में 350 प्रकरण

स्वीकृत हुए थे. अब साल में 70 हजार प्रकरण स्वीकृत होते हैं . माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं लगातार एक श्रृंखला गिनाना चाहता था जैसे जिसकी कल्पना है, जैसे मैंने इनको टोका कि दीनदयाल उपचार योजना हमारी जो है , यह सारी की सारी योजनायें मुख्यमंत्री जी के मन से, ह्रदय से पैदा हुई हैं, अब जैसे मुख्यमंत्री बाल ह्रदय उपचार योजना, कोई कल्पना कर सकता है? जीरो से पन्द्रह साल का बच्चा, अगर असमय काल कवलित हो जाये. किसी के आंगन में किलकारी न गूंज पाये, किसी का बच्चा मरता है , मैं ऐसा मानता हूं कि जिंदगी में अगर सबसे बड़ा दुख अगर कोई इंसान को होता है .तो वह यह होता है कि बाप के कंधे पर बेटे का जनाजा. इससे बड़ा दुख कुछ नहीं होता है और उस दिशा में काम करके मुख्यमंत्री जी ने "मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना" बनाई और आज हजारों बच्चे ऐसे हैं, हजारों आँगन ऐसे हैं, हजारों माँ ऐसी हैं, जिनकी गोद में बच्चा खेल रहा है और आँगन में किलकारियाँ गूँज रही हैं, यह काम किया है तो शिवराज सिंह चौहान ने किया है. (मेजों की थपथपाहट) और किया है तो मध्यप्रदेश सरकार ने किया है. अध्यक्ष महोदय, एक कहावत है—

दीनहि सबको लखत हैं, दीनहि लखै न कोय, जो रहीम दीनहि लखैं दीनबन्धु सम होंय

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह काम मध्यप्रदेश की सरकार कर रही है और आज जैसा सब माननीय सदस्यों ने कहा था कि यह इलाज अब सीधा का सीधा जिले के अन्दर हो जाए हमने वह किया है. अध्यक्ष महोदय, तीस हजार रुपये तक के उपचार की व्यवस्था तो हर गरीब के लिए, उस कार्ड पर उसकी दवाई की व्यवस्था हो जाती है और उसके बाद जैसे जैसे बड़ी बीमारी उसको होती है, हम उसको इस पर करते हैं. अध्यक्ष जी, मैं जल्दी जल्दी भी कर रहा हूं आपके डर के कारण. एक दूसरी सुविधा की बात की है, उसका उल्लेख आपने भी किया था और वह है 108 सेवा, अध्यक्ष महोदय, मुझे आज यह जानकर पीड़ा भी हुई कि जब 108 की किसी माननीय सदस्य ने आलोचना की. मैं हर अपनी योजना के साथ साथ यह बात बार बार दोहरा रहा हूँ कि हमारी 108 सेवा, 20 मिनिट में, ऐसा कौन व्यक्ति है, जिस तक, फोन लगाने के बाद नहीं पहुँची. किस पीड़ित व्यक्ति तक

नहीं पहुँची उसका उल्लेख करते तो मुझे भी अच्छा लगता और मैं इस सदन से कार्यवाही करता तो मुझे भी अच्छा लगता. यह 108 की सेवा ने क्रांति लाई है और अस्पतालों में जिस भीड़ की चर्चा कर रहे हैं उसमें 108 सेवा का भी योगदान है. आज घर पर लेटा लेटा व्यक्ति फोन करता है और गाड़ी उसके दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जाती है और वह घर पर रात गुजारने से बेहतर अस्पताल में डॉक्टर साहब के पास में जाकर रात गुजारता है. मैं उसका भी जवाब दूंगा, जो आपने कहा कि एंबुलेंस हमने लाकर खड़ी कर ली. एक एक प्वाईंट का जवाब दूँगा. लेकिन मैं इस बात की ओर फिर आपका ध्यानाकर्षित करना चाहता हूँ.

अध्यक्ष महोदय-- माननीय मंत्री जी, समय का ध्यान रखते हुए.

डॉ.नरोत्तम मिश्रा-- अध्यक्ष जी, अभी तो दूसरे पर आया हूँ. स्पीड बढ़ा देता हूँ. अध्यक्ष महोदय, इसकी भी आलोचना अखबार के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, टीव्ही के माध्यम से, आपने अभी तक नहीं सुनी होगी. अगर आप करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा. मैं मानता हूँ कि विपक्ष, स्वस्थ विपक्ष और मजबूत विपक्ष होना चाहिए.

निंदक नियरे राखिए, आँगन कुटी छबाय, बिन पानी, साबुन बिना, निर्मल करे सुहाय.

अध्यक्ष महोदय, मैं उस थीम का आदमी हूँ, उस विचार का आदमी हूँ, इसलिए आप आलोचना करें, लेकिन वास्तव में 108 एंबुलेंस की आलोचना से मुझे पीड़ा हुई इसलिए मैंने अपनी पीड़ा व्यक्त कर दी है और मैंने आपको बताया. अध्यक्ष महोदय, दीनदयाल चलित अस्पताल योजना भी हमारी है. जिसके माध्यम से हम लोगों को सुविधा दे रहे हैं और स्वचलित अस्पतालों का संचालन हमारे प्रदेश के अन्दर हो रहा है. अध्यक्ष महोदय, जो बच्चों की अधोसंरचना के विकास की बात की थी, इस प्रदेश के अंतर्गत हमारे 53 एसएनसीयू (स्पेशल न्यू बॉर्न केयर यूनिट) काम कर रहे हैं. 105 एनबीएसयू, (न्यू बॉर्न स्टेबालायजेशन यूनिट) काम कर रहे हैं. 1213 एनबीसी (न्यू बॉर्न केयर कॉर्नर) काम कर रहे हैं. 315 एनआरसी (पोषण पुनर्वास केन्द्र) काम कर रहे हैं और 1412

प्रसव केन्द्र संचालित हैं. हमारे इस प्रदेश के अन्दर 51 जिला अस्पताल, यह इनके अलावा बता रहा हूँ जो मैं बोल रहा हूँ 51 जिला चिकित्सालय, 63 सिविल अस्पताल, 334 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 1157 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 8764 उप स्वास्थ्य केन्द्र और 48946 ग्राम आरोग्य केन्द्रों के माध्यम से हम इस प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को संचालित कर रहे हैं और इन सबको हम यहाँ पर बैठ कर सुचारु रूप से संचालित करें इसकी भी हम लगातार कोशिश कर रहे हैं. अध्यक्ष महोदय, यह पोषण पुनर्वास केन्द्रों पर और स्पेशल न्यू बॉर्न केयर यूनिट में हमने पिछले 2013-14 में अस्सी हजार से ज्यादा बच्चों की हमने जान बचाई, उनका इलाज किया, उनको स्वस्थ किया और इसमें मैं फिर दोहराना चाहता हूँ कि इसकी भी एक भी शिकायत हमको अभी तक प्राप्त नहीं हुई है. शिकायत अगर प्राप्त हो तो हमको अच्छा लगेगा, हम उसमें सुधार करेंगे. सुधार के लिए सिर्फ शिकायत की मांग कर रहा हूँ कि आपको जो सुझाव देना हो, वह सुझाव जरूर दें, जिससे हम उसको और ठीक कर सकें.क्योंकि हमारा मानना है कि इतने सब सुधारों के बाद भी हम जैसी स्वास्थ्य सेवा चाहते हैं अभी हम वहां पर पहुंच नहीं पा रहे हैं. डॉक्टरों की कमी के साथ-साथ सुधार की अपार संभावनायें स्वास्थ्य विभाग में हैं. मनसा वाचा कर्मणा, डूबकर एक लंबे समय तक काम करेंगे तब जैसी जनता की इच्छा है वैसी स्वास्थ्य सेवायें हम दे पायेंगे. लेकिन इस बात का संतोष है कि हम चल रहे हैं और सुधार की दिशा में चल रहे हैं और वास्तव में मन से चल रहे हैं लेकिन पूरा संतोष इसलिये नहीं है क्योंकि हम जितना चलना चाहते हैं उतना नहीं चल पा रहे हैं.

अध्यक्ष महोदय, जननी सुरक्षा योजना के बारे में बताना चाहूंगा कि जब हमारी सरकार बनी थी तो कुल **22** प्रतिशत डिलेवरी अस्पतालों में होती थीं. आज मध्यप्रदेश में संस्थागत प्रसव **86** प्रतिशत हो गया है जो अपने आप में एक रिकार्ड है. शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर में जो बदलाव आया है उसके पीछे कारण यही है. **108** योजना भी बनी, जननी सुरक्षा योजना की गाड़ियां भी बनीं. दीनदयाल उपचार योजना व अन्य योजनायें इस **86** प्रतिशत का कारण बनी. मुख्यमंत्रीजी के

हृदय से एक योजना निकली थी कि बेटी के जन्म से लेकर उसकी शादी तक की चिन्ता अगर कोई सरकार करे तो यह मध्यप्रदेश की सरकार करे इसलिये संस्थागत प्रसव में रुझान बढ़ा, एक जागरण पैदा हुआ. इस प्रदेश में बेटी अगर अस्पताल में आयेगी और जन्म लेगी तो उसी वक्त उसके नाम से यह सरकार इतने पैसे जमा कर देगी कि जिस दिन बिटिया ब्याह लायक होगी उस दिन एक लाख **18** हजार का चेक बिटिया के हाथ में आ जाता है, अस्पताल के अन्दर हम उसको चेक दे देते हैं. उसके अस्पताल आने पर **1400** रुपये की राशि अलग से देते हैं कि वह भी सौंठ और मेवा के लड्डू खाये उसका भी मुंह मीठा हो जाये. यह चिन्ता सरकार कर रही है.

अध्यक्ष महोदय, आपको जानकर अचम्भा होगा कि इस प्रदेश में लंगर चलता है हिन्दुस्तान में क्या विश्व में कही ऐसा लंगर नहीं चलता होगा जैसा मध्यप्रदेश में स्वास्थ्य विभाग संचालित करता है. **30** हजार जो मरीज भर्ती होते हैं उनको सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और शाम का खाना. **30** हजार लोगों को रोज और अगर इसको महीने के हिसाब से जोड़ेंगे और फिर साल के हिसाब से जोड़ेंगे तो भाई मेरा फिर खड़ा हो जायेगा. लेकिन इतना बड़ा लंगर कहीं चलता हुआ नहीं मिलेगा जैसा लंगर अस्पतालों के अंदर हमारी सरकार इस प्रदेश में चला रही है. मैं फिर इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि कोई गंभीर किस्म की शिकायत इतने बड़े भोजन में आपको भी सुनने को नहीं मिली होगी. छुटपुट तो मिल सकती है क्योंकि भोजन का मामला है.

अध्यक्ष महोदय, हम **18** प्रकार की स्वास्थ्य सेवायें निकाल रहे हैं. जैसे आप लोगों ने भी छोटी-छोटी बातें बतायीं थीं कि कोई व्यक्ति तीन महीने तक पड़ा रहा उसे स्वास्थ्य सेवा के लिये चेक नहीं मिला. राज्य बीमारी सहायता के अन्तर्गत जो प्रकरण आते हैं अब वे कलेक्टरों तक आयेंगे. विकलांग प्रमाण-पत्र जारी करने वाला, दीन दयाल अन्त्योदय उपचार योजना वाला, टीकाकरण के कार्यक्रम से संबंधित योजना, मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना है, वेक्टर जनित रोगों की जांच है, क्षय कार्यक्रम है, अन्धत्व निवारण से संबंधित है, अभी उपाध्याय जी बता रहे थे

कि स्कूलों में बच्चों की जाचें होना चाहिये, कुपोषित बच्चों का पुनर्वास है ऐसी **13** योजनायें हम लोक सेवा गारंटी में शामिल कर रहे हैं. यह हिन्दुस्तान का पहला प्रदेश है जो स्वास्थ्य सेवाओँ की गारंटी मध्यप्रदेश में देगा और कानून के अन्दर हम ला रहे हैं कि अगर लोक सेवा गारंटी के अन्दर निर्धारित दिनों में सरकार इन सुविधाओं को नहीं देगी तो उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्यवाही जो भी वर्णत है तत्काल कानून के दायरे में लाकर की जायेगी. मध्यप्रदेश हिन्दुस्तान का एकमात्र ऐसा राज्य होगा जो स्वयं कानून के हवाले इन सेवाओं को करने वाला है. मैं चाहता था चिकित्सा शिक्षा और दूसरे विभाग ले लूं क्योंकि स्वास्थ्य विभाग में मुख्य बातें मैंने आपसे कह दी हैं.माननीय अध्यक्ष महोदय, चिकित्सा शिक्षा के बारे में कुछ छोटी छोटी बाते ही बताऊंगा । मैं सम्माननीय सदस्यों को यह बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार डाक्टरों की कमी है और मेडिकल एजुकेशन है और हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता मेडिकल कालेजों को खोलने की है।

श्री रामनिवास रावतः- व्यापम वाले डाक्टर और कम होते जा रहे है।

श्री नरोत्तम मित्राः- हम होने नहीं देंगे। व्यापम का फोबिया जो आपको हुआ है। एक भी कम नहीं होने देंगे।

श्री यशपाल सिंह सिसौदिया :- रावत साहब डाक्टर गोली लिखता है, टीडीएस,बीडीएस, आपका व्यापक 24 घण्टे है, सपने में भी।

श्री नरोत्तम मिश्रा :- यह बहुत नुकसान उठा चुके है, व्यापम व्यापम बोलकर, विधान सभा और लोकसभा में। आप कुछ जनहित के मुद्दे भी उठाओ सदन में, इस सदन का उपयोग ठीक ठीक करो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी वर्तमान में सीटों की संख्या 1700 से है। हमारे प्रायवेट कालेज मध्यप्रदेश में आ रहे हैं और हम 2014 से सीट वृद्धि जो है हमारी कोशिश है कि 450 सीटों की वृद्धि इसमें हम करें। हमारे प्रायवेट कालेज भी हैं, और सरकारी कालेज भी हैं। आरकेडीएफ

कालेज भोपाल, माडन मेडिकल कालेज इंदौर और साक्षी मेडिकल कालेज गुना, यह सब कालेज आने के बाद से हमारी संख्या बढ़ जायेगी। इसी तरह से 2015 में भी तीन मेडिकल कालेज सुखसागर जबलपुर, ग्लोबल कालेज जबलपुर, महाराणाप्रताप कालेज ग्वालियर आ जाने से हमारी 2016 में हमारी और सीट संख्या 700 बढ़ेगी । जब तक हमारे महावीर कालेज भोपाल , के वाय कालेज कटनी, प्रखर प्रज्ञासागर इनवी भोपाल, पी नेत्र इन विदिशा, 2016 में सीट वृद्धि और शासकीय मेडिकल कालेजों में वृद्धि के बाद में 400 और सीटों की वद्धि और होने वाली है। जैसा कि इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी शिलान्यास कर भी चुके हैं। विदिशा, रतलाम और शहडोल का और आने वाले दिनों में मैं समझता हूं कि दिवाली तक दतिया और खण्डवा मेडिकल कालेज का भी प्रारंभ कर देंगे। इन सभी रतलाम और अन्य चिकित्सा महाविद्यालयों के निर्माण के लिये बजट में राशि का भी प्रावधान किया है। जैसा कि आप सब को मालूत भी था कि हमारे केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री आये थे, हमारे केन्द्र स्वास्थ्य मंत्री हैं वह एम्स के अन्दर गये हुए थे और एम्स के अन्दर भी हमने 1500 करोड़ रूपये की उनसे घोषणा करायी है। वह अपने आप में बहुत बड़ी घोषणा थी और एक सेन्टर दो तीन प्रदेशों का अब भोपाल बनने जा रहा है। यह एक बड़ी सफलता है, 16 जून को हमारी स्वास्थ्य मंत्री जी आये थे। उन्होंने 150 करोड़ की लागत से रीजनल पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट की स्थाप्ना भोपाल में करने की घोषटा की है। अध्यक्ष महोदय, रीड की हड्डी के उपचार के लिये स्पाईनल इंज्यूरी सेंटर हम जबलपुर में बहुत शीघ्र चालू करने वाले हैं, उसके साथ में हम इसको करेगें। जिस तरह से हम अन्य कालेजों के अन्दर अन्य अस्पतालों की बात की थी वेसे के वेसे, सरदार वल्लभ भाई पटेल योजना के अंतर्गत हम मेडिकल कालेजों में भी निशुल्क भोजन दे रहे हैं, निशुल्क जांच दे रहे हैं, निशुल्क परिवहन व्यवस्था हमने इस प्रदेश के अन्दर की हुई है, सारे के सारे मेडिकल कालेजों में ये पूरा का पूरा कार्यक्रम है। हमारी यह योजना 1 फरवरी, 2013 से लागू है।

अध्यक्ष महोदय:- माननीय मंत्री जी, कृपा करके थोड़ा संक्षेप में कर दें, छोटे छोटे विभाग हैं।

श्री नरोत्तम मित्रा:- माननीय अध्यक्ष जी, छोटे छोटे विभाग नहीं हैं, बड़े काम के विभाग हैं। आम आदमी से जुड़े हैं। गांव, गरीब, किसान से और झुग्गी झोपड़ी के इंसान से जुड़े है।

श्री बाला बच्चन:- माननीय मंत्री जी आप विधायकों की बात पर आप कब जायेंगे। आपने बोला की सभा विधायकों को कुछ न कुछ देने वाला हूं।

श्री नरोत्तम मिश्रा:- बाला भाई आप तो मेरे बड़े भाई हैं, मैं छूट कभी नहीं बोलता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, हम इन तीन माह में बायपास आपरेशन जो हैं जो अभी भोपाल में होते हैं कार्डिक के सरकारी अस्पताल में, अब हम ग्वालियर और इन्दौर में यह बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं. इससे यह दिक्कत हमारी समाप्त हो जाए. एम.सी.आई. की मान्यता हमें सागर में मिल गई है. पंजीकृत होकर वह हमें प्राप्त हो गई है बहुत जल्दी सागर मेडिकल कालेज के सारे ग्रेजुएट निकलने वाले हैं. गामा कैमरा की हम भोपाल में स्थापना करने जा हे हैं गामा कैमरा भोपाल में लगाने वाले हैं. केंसर की जो अंदर तक की जांचें इस प्रदेश की आ जाएंगी और एक बड़ी सफलता हमें केंद्र सरकार से मिली है. केंसर चिकित्सालयों के लिये जबलपुर में केंसर इंस्टीट्यूट हम खोलने वाले हैं और इसके लिये 150 करोड़ की राशि हमें मिल रही है और ग्वालियर और विदिशा में केंसर केयर सेंटर की स्थापना हम बहुत जल्दी करने वाले हैं और 45-45 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान बजट में हो गया है.

मैं आयुष के बारे में कहना चाहता हूं. आयुष विभाग छोटा हो सकता है. मेरे हिसाब से तो छोटा नहीं है लेकिन हमारा भाव आने वाले कल में व्यापक बनाने का है उसका कारण यह है कि अन्य पैथियों में एलोपैथी हो या कोई और तो उसके साईड इफेक्ट आते हैं. हम अगर दर्द की गोली खा लेते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमको डाक्टर दूसरी गोली देता है साथ में कि इसको खाओगे तो एसीडिटी हो जाएगी आपको. माने साईड इफेक्ट के लिये दूसरी गोली भी देता है लेकिन आयुर्वेद एक ऐसी विद्या है जो हमारे इस देश के अंतर आदिकाल से है महर्षि पतंजलि की योगविद्या से पहले

से आयुष था. आज एक मात्र आयुष ऐसा विभाग है कि इसके रिसर्च सेंटरों को हम डेवलप करें तो सारी की सारी पैथी जैसे बाबा रामदेव ने देश के अंदर स्वास्थ्य का जागरण किया महर्षि पतंजलि का किया. अनुलोम,विलोम,कपालभाती और भ्रामरी के द्वारा उन्होंने अपनी विद्या को पूरे देश में फैलाया. सिर्फ नये फ्लेवर में उनने लाकर दिया तो पूरे देश के अंदर एक ऐसा जागरण पैदा हुआ. एक बार ऐसी लौ जगी कि आज हम सबेरे किसी कालोनी में से निकलते चले जाएं तो अनुलोम - विलोम,कपालभाती की फू-फा की ऐसी आवाजें आती हैं जैसे कोई सांप फुंकार रहे हों.

श्री बाला बच्चन – माननीय मंत्री जी को विभाग को बंद करवाकर यह सब शुरू करवाना पड़ेगा.

डॉ.नरोत्तम मिश्रा – आप जैसे दोस्त हैं तो कोई विभाग बंद नहीं करना पड़ेगा पर यह बात सच है मैं उसको अन्यथा नहीं लेता. हम लोग राजनैतिक लोग हैं सभा करते हैं जानते हैं कि कैसे भीड़ आती है.

श्री रामनिवास रावत – यह आयुष का मैटर है.

डॉ.नरोत्तम मिश्रा - मैं रामदेव को कह रहा हूं. अगर बाबा रामदेव जी आ जाएं और वह एलान कर दें. भोपाल में जब वह आए थे कि सबेरे पांच बजे बाबा रामदेव जी लाल परेड ग्राउण्ड पर योग सिखाएंगे. बड़ी संख्या में बहू-बेटियां,सब कांख में पट्टी दाबे पूरा लाल परेड ग्राउण्ड भर गया जगह नहीं मिल रही थी. यह विद्या का संचार होता है. ऐसा जागरण होता है. ऐसा जागरण हम नये फ्लेवर में आयुष में करना चाहते हैं.आज अमेरिका हल्दी को पेटेंट करा रहा है. अमेरिका ग्वारपाठा को पेटेंट करा रहा है. अमेरिका नीम को पेटेंट करा रहा है. नीम को हकीम मेरी दादी भी कहती थी और शायद दादी की दादी भी कहती होगी. हमारे यहां जब मेरा हाथ टूटा था तो मेरी दादी ने सबसे पहले गिलास में दूध में हल्दी घोलकर पिलाई थी. आज अमेरिका करा रहा है लेकिन हमारे यहां यह आयुष की पद्धति आदिकाल से चली आ रही है. हमें नये फ्लेवर में इसे लेना है.

श्री विश्वास सारंग – माननीय अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि किस ऋतु में क्या लेना है एक बार सबको बता दें.

डॉ.नरोत्तम मिश्रा – एक बार माननीय विश्वास जी के कार्यक्रम में मैं गया था. यह बात सच है. आयुष से जुड़ा हुआ, औषधियों से जुड़ा हुआ कार्यक्रम था उस समय आयुष के बारे में कहा था कि उस समय मेरे पास में आयुष विभाग नहीं था, लेकिन मैंने कहा था कि मेरी इच्छा है कि इन औषधियों का प्रचार-प्रसार होना चाहिये और उस समय भी मैंने बाबा रामदेव जी का उल्लेख किया था यह देखें कि कौन सी रूति में कौन सी चीज खायें और कौन सी न खाएं.

श्री रामनिवास रावत—अलग से इसका प्रोग्राम रख लेना.

डॉ.नरोत्तम मिश्रा—इसमें अलग से प्रोग्राम रखने की जरूरत नहीं है .

श्री रामपाल सिंह—माननीय चौधरी चन्द्रभान सिंह जी भी एक जड़ गले में डालते हैं.

डॉ.नरोत्तम मिश्रा—यह जड़ी-बूटि है वह इस जड़ी को बांटते भी हैं. साधु महात्माओं की तरह बांटते हैं उसमें गारंटी भी देते हैं कि आपका ब्लड-प्रेशर नहीं बढ़ेगा और नहीं बढ़ता.

श्री रामेश्वर शर्मा—आपके पास तो गृह के भी पेड़ हैं कांग्रेसियों के गृह भी खराब हैं उनको आप पेड़ भी बता दें. (हंसी)

बाला-बच्चन—डॉ.शेजवार जी आप तो एलोपैथिक डॉक्टर रहे हैं माननीय मंत्री जी जो बयान कर रहे हैं जड़ी-बूटी टांगने से ब्लड-प्रेशर नहीं बढ़ता है आप इससे सहमत हैं.

श्री रामनिवास रावत—डॉ.साहब के वनों से तो आती हैं जड़ी बूटियां.

डॉ.गौरीशंकर शेजवार—अध्यक्ष महोदय, चाहे एलोपैथी हो, आयुर्वेदिक हो, या यूनानी हों, चाहे जो नैसर्गिक अथवा प्राकृतिक हो, यह सब एक-दूसरे के पूरक हैं अब समय कम है तथा बोलने के लिये मैं अधिकृत नहीं हूं. अभी से आप हाथ जोड़ने लगे हैं मैंने चार लाईनें बोली हैं मैंने (हंसी) वास्तव में जितनी भी पैथियां हैं मैं यहां पर उदाहरण के साथ यह सिद्ध कर सकता हूं कि

वह एक दूसरी की पूरक हैं. जहां इमरजेन्सी में एलोपैथी है, वहां दूसरे जो क्रानिक बीमारियां हैं वहां आयुर्वेदिक अपना स्थान रखता है, होम्योपैथिक अपना स्थान रखता है इसमें मुझे विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है. जो बड़े बड़े डॉक्टर एलोपैथी के हैं जो कार्डिया सर्जन हैं वह भी आखिरी में कहते हैं कि आप इस तरीके से प्राणायाम जरूर करें. मैं बोलने के लिये अधिकृत नहीं हूं बाला बच्चन जी ने नाम ले लिया मंत्री जी निश्चित रूप से आयुष के बारे में आज ऐसा वर्णन कर रहे हैं, वह वाकई में प्रशंसनीय है.

श्री विश्वास सारंग—अध्यक्ष जी, रामेश्वर जी ने कहा कि जो गृह रहते हैं उनके पेड़ दे दें पर गृह भी रामेश्वर जी कर्म से ही मिलते-जुलते रहते हैं कर्म ठीक करने पड़ेंगे तभी गृह ठीक होंगे. (हंसी)

डॉ.गौरीशंकर शेजवार—भईया कर्मों पर बात मत करो (हंसी)

एक माननीय सदस्य—अपने हिसाब से कांग्रेस के कर्म ठीक चल रहे हैं उनको मत दो कोई पेड़ (हंसी)

श्री विश्वास सारंग—अध्यक्ष जी एक मिनट के लिये अनुमति दे दें केवल दोहा है उसकी दो लाईने हैं.

डॉ.नरोत्तम मिश्रा—अध्यक्ष महोदय,है तो एक मिनट का रामनिवास जी ने आपत्ति की इसलिये मैं रूक गया था. किसी ऋतु में कौन सी चीज खानी चाहिये घाघ भडरी जी ने कविता के रूप में प्रस्तुत किया है और वह 100 प्रतिशत सफल प्रयोग है. उन्होंने कहा है कि—इस ऋतु में यह चीजे न खाएं अगर खाएंगे तो मरेंगे नहीं पड़ेंगे जरूर, बीमार जरूर होंगे .उन्होंने कहा कि —

चैते गुड़ बैसाखे तेल,

जैठे महुआ आसाढ़े बेल,

सावन दधुआ भादो दही,

क्वार करेला, कार्तिक मही,

अगहन जीरा पूष धना,

माघ मिश्री फाग चना,

इन सबसे जो बचे नहीं

मरे नहीं तो पड़े सहीं.

इन सबका परहेज हमको करना चाहिये.

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक एक प्वाइन्ट बोलकर मैं दोनों विभाग खतम कर दूंगा, एक लाइन मैं अपने उसमें जरूर बोलूंगा जो हमारे गैस त्रासदी के अस्पताल बने हुए हैं हमने इनमें कंप्यूट्राइजेशन ई हास्पिटल सिस्टम भोपाल के हमारे जो बड़े अस्पताल हैं, उन सभी 6 बड़े अस्पतालों के अंदर किया है. मरीज एक जगह आयेगा, वह अपनी बीमारी का इलाज करेगा, हम वहीं पर उसको रजिस्टर्ड कर लेंगे क्या क्या रोग उसका होगा और उसके बाद में वह मरीज अगर चाहता है कि किसी दूसरे अस्पताल में जाये, तो दूसरे अस्पताल में भी जायेगा, वहीं पर वह ट्रेक अपना चालू करने के बाद में वह सारा का सारा इलाज उसको दूसरी जगह भी मिल सकता है, तीसरी जगह भी, चौथी जगह भी, पांचवीं जगह भी और छठवीं जगह भी यह हमारे भोपाल के अस्पतालों का है. माननीय अध्यक्ष महोदय, अब एक लाइन सिर्फ मैं संसदीय कार्य विभाग पर बोलूंगा, विधायकों के जो वाहन ऋण की सीमा थी, वह 8 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दी गई है इसी तरह से हाउस लोन...

श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर--मान्यवर, मेरा एक निवेदन है पिछले बार 5 साल हो गये वह वाहन भी अब खराब हो रहे हैं तो जो अभी दूसरी बार जीतकर आये हैं उनको भी इससे जोड़ लें.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया--माननीय मंत्री जी, आपने 13 वीं विधान सभा में दिया था, 14 वीं पर रोक रखी है.

श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर--उसको भी इसमें जोड़ लें.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया--13 वीं विधान सभा में जिन्होंने वाहन लिये थे, उनको 14 वीं में नहीं दिये, वह सुविधा 14 वीं वालों को नहीं मिल रही है जिन्होंने 13 वीं में ली थी.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा--माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी इसका भी जवाब देता हूं. इसी तरह से गृह ऋण की जो हाउस लोन है...

श्री जसवंत सिंह हाड़ा--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि 10 लाख में कोई सा वाहन आता नहीं विधायक के हिसाब से थोड़ा पुनर्विचार करें और मैं आपसे आसंदी से आपका थोड़ा सा इशारा हो जाये, तो मंत्री जी तो रेडी बैठे हैं.

श्री विश्वास सारंग--अध्यक्ष जी, वैसे हाड़ा जी के लिये एक्टिवा भी ठीक रहेगी.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा--गाड़ी पर भी, हाउस पर भी, कंप्यूटरों पर भी माननीय अध्यक्ष महोदय, अब चूंकि पहले यह नियम था कि एक ही बार कंप्यूटर ले सकता था विधायक, अब चूंकि टैक्नोलॉजी बदल गई है, तो अब वह पुनः ....

श्री रामनिवास रावत--माननीय मंत्री जी, हाउस लोन की आपने बात कही, हाउस लोन कम से कम 20 साल के लिये होता है, तो कम से कम जो व्यक्ति हाउस लेने के बाद निरंतर विधायक रहे, उसके लिये तो आप निरंतर इन्टरेस्ट सबसीडी के लिये व्यवस्था करें.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा--हर बार हाउस कैसे बदलेगा ? कितने मकान में रहेगा ? आदमी तो एक ही में रहेगा.

श्री रामनिवास रावत--नहीं नहीं, हाउस लोन लेने के बाद उसकी किश्तें कम से कम 20 साल तक जायें.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा--हां, यह सुझाव माननीय अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल ठीक है.

श्री रामनिवास रावत--20 साल तक जाती हैं और यह 5 साल की व्यवस्था है और अगर विधायक निरंतर रहे....

डॉ. नरोत्तम मिश्रा--और अगर वह पुनः चुनकर आ जाता है माननीय अध्यक्ष महोदय, तो उसकी किश्तें मैं आपसे सहमत हूं रामनिवास जी और इस बात पर हम जरूर वित्त विभाग से परामर्श करके, इसमें रास्ता निकाल कर आपको देंगे.

श्री रामनिवास रावत--अब तो आप घोषणा कर दो.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा--घोषणा करके मैं बंध जाउंगा न रामनिवास जी, पर मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि यह करायेंगे हम. संसदीय कार्य विभाग वाले हमारे लोग बैठे हैं, मेरी बात नोट कर ली होगी, उस पर कार्यवाही करेंगे.

श्री बाला बच्चन--माननीय मंत्री जी, आपकी वह कंप्यूटर वाली बात पूरी नहीं हो पाई थी अभी, आप जो बोल रहे थे.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा--कंप्यूटर जिन्होंने पहले ले लिया है...

श्री बाला बच्चन--बीच में इन्टरप्शन हुआ था.

डॉ.नरोत्तम मिश्रा--मैं उसको दोबारा बोल देता हूं, आप बैठो तो धरती पुत्र. मैं यह इतना कह रहा था कि यह जो कंप्यूटर एक ही बार लेने की जो सुविधा थी, वह बंधन समाप्त हो गया है, अब इसको हम आगे आप दोबारा लेना चाहें, तो दोबारा भी ले सकते हैं यह प्रावधान 35 हजार रूपये का उसमें हमने किया है.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया--माननीय मंत्री जी, ऐसा आप वाहन में भी करें न. माननीय अध्यक्ष जी, 13 वीं विधान सभा में जिन्होंने वाहन लिये थे और उनका चुकारा कर दिया...

डॉ. नरोत्तम मिश्रा--इसका भी करने के लिये प्रस्ताव हमने डाला है आर्य पुत्र.

श्री विश्वास सारंग--अध्यक्ष जी, हाड़ा जी मुझ पर नाराज हो रहे हैं,उनकी बात पूरी नहीं हो पाई.

अध्यक्ष महोदय--अब कृपा करके उनको बोलने दें.

श्री विश्वास सारंग--प्लीज, एलाऊ कर दीजिये, वह मुझ पर नाराज हो रहे हैं.

अध्यक्ष महोदय--नहीं, उनकी बात आ गई न कि वाहन ऋण बढ़ना चाहिये.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा--माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने सुझाव दिये और शिकायतें की थीं बाला भाई ने भी, मैं अब विधायकों पर आ गया हूं जो मांगें की हैं, उनके ऊपर आ गया हूं और अध्यक्ष महोदय, अधिकतम **5** मिनट लूंगा. इन्होंने न्यूनतम जो डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की दवाई नहीं मिल रही है, ऐसा नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब दे दिया है मैंने आपको. **12** तरह की ब्लड प्रेशर की दवाई और **7** तरह की डायबिटीज दवाई जिला अस्पतालों में उपलब्ध है. इसी तरह से इन्होंने चिकित्सकों की सीमा के बारे में भी बाला बच्चन जी ने कहा था और निर्माण कार्यों के बारे में भी कहा था, यह भी हमने लगभग पूरे कर लिये हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, और **484** निर्माण कार्य और इस साल हम पूरे कर लेंगे. मैं मेन-मेन दे रहा हूं बाला जी, आप क्षमा कर देना जरा मुझे.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया--बाला जी ने प्रारम्भ में माननीय मंत्री जी की प्रशंसा की है , आपको बधाई दी है.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा--हां, धरती पुत्र हैं वह. यह एक बात जरूर मैं जवाब देना चाहता था जिसका, आपको पता नहीं किसने जानकारी दे दी, वह कौन विद्वान है कि **35** करोड़ रूपये के कंप्यूटर या लैपटॉप खरीदे आपने उल्लेख किया था.मेरे भाई कुल 3 करोड़ रुपये के सारे स्वास्थ्य विभाग को मिलाकर कम्प्यूटर खरीदे गये हैं. 35 करोड़ के नहीं खरीदे गये हैं. एक भी खराब नहीं है. सब आज चालू हालत में उपस्थित हैं. आप चाहोगे, तो मैं दिखा दूंगा. सौ प्रतिशत की

किसी ने गलती कर दी है. उसको मेरी ओर से प्रणाम कहना. बहुत अच्छे सुझाव, 108 वाहन वाला भी जवाब देना चाहता हूं, पर मैंने अपने भाषण में कह दिया है आपसे. जितने भी आपने सुझाव दिये थे, मैं उनके सारे जवाब देना चाहता हूं. मेडिकल अस्पताल में दवाइ**यों** की प्रतिपूर्ति की बात जरुर है. अभी हमारे जैसे 1271 आने वाले हैं, वैसे करेंगे और आपने भी जो कहा है, वह भी मैं करने को तैयार ही बैठा हूं. मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर के आंकड़े आ गये हैं, वह अभी बताना नहीं चाहता, लगभग बता दिये हैं. बहुत अच्छे सुझाव मुकेश नायक जी ने दिये. वास्तव में मुकेश भाई आपके जो सुझाव है चाहे वह टेलीरेडिएशन का हो, चाहे डायलिसिस का हो, चाहे टेलिमेडीशन का हो, कई सुझाव तो आपके अनुकरणीय हैं और कई सुझाव हमारे ऐसे हैं कि सिटी स्केन का भी आपने कहा है. एमआरआई का भी कहा है और आपने रेड क्रॉस के साथ में टाइ-अप करने का हो..

डॉ. गौरीशंकर शेजवार -- अध्यक्ष महोदय, जब तक रेडक्रॉस के चेयरमेन हैं, तब तक तो इन्हें झेलना ही पड़ेगा सरकार को.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा -- अध्यक्ष महोदय, झेलना तो विलोपित ही कर दें.

अध्यक्ष महोदय -- इसको विलोपित कर दें.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा -- अध्यक्ष महोदय, उन्होंने रेडक्रॉस के बारे में कहा है. उससे टाइ-अप करने का, निश्चित रुप से मुकेश भाई कोई इस तरह का प्रस्ताव बनकर आता है, तो सरकार उस पर गंभीरता से विचार करेगी. मैं स्वयं भी आपके साथ इन जांचों के बारे में आपने जो सुझाव दिये हैं, उनके बारे में मैं स्वयं भी अपने अधिकारियों के साथ में बीच में भी हमने एक बार आपको फोन लगाया था, तब हमारे आयुक्त महोदय से, पंकज जी से बात हो गयी थी और हम आपके साथ बैठना चाहते हैं, लेकिन उस समय आप चूंकि अपने क्षेत्र में भ्रमण पर थे, इसलिये बैठक नहीं हो पायी. पर हम बहुत जल्दी बैठेंगे. भोपाल के हमीदिया में सीटी स्केन

वास्तव में नहीं है. आपने सोनोग्राफी की प्रतीक्षा सूची की बात कही है. सीटी स्केन भोपाल में उपलब्ध है, हमारे हमीदिया के अंदर गैस राहते के माध्यम से उसको संचालित करते हैं. उसमें गैस राहत का सहयोग लेते हैं. सोनोग्राफी में एक दिन में 90 से 100 मरीज हम अभी देख रहे हैं और अभी कोई प्रतीक्षा सूची हमारे पास लंबित भी नहीं हैं. बाकी आपकी ये सब बातें हैं, मैं उनका जवाब नहीं दे रहा हूं. पर यह वाली बात जो आपने कही है, रेड क्रॉस वाली और एक क्षेत्र वाली जो बात कही है, मैं उसका जरुर करुंगा. भाई शैलेन्द्र जैन ने वहां पर आक्सीजन सिस्टम की और कम्युनिटी मेडिकल, हैं क्या शैलेन्द्र जी. जो नहीं हैं, उनका जवाब नहीं देता हूं. उनको मैं भिजवा दूंगा. हमारे अधिकारी भिजवा देंगे. हेमन्त खण्डेलवाल जी तो बैठे हैं, उन्होंने बताया था पीआरओ सिस्टम के बारे में, हमीदिया और मेडिकल कालेजों के बारे में, उन्होने व्यक्तिगत भी मुझसे कान में भी बात कही है. मैंने अधिकारी को कहा है कि वह इस तरह का कर दें कि उनकी जो इच्छा है, हम उसकी पूर्ति कर सकें. दुर्गालाल विजय जी ने रोगी की जांच की व्यवस्था के लिये कहा है. तो यह व्यवस्था बाकी की जगह पर है और दो बातें जो आपने कही हैं, उसको हम निश्चित रुप से अगले सत्र में पूरा करेंगे.

श्री दुर्गालाल विजय-- मानपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की ...

डॉ. नरोत्तम मिश्रा -- जी हां. मैं फिर वह पढ़ूंगा तो अध्यक्ष जी फिर वह कर देंगे. मेरे पास लिखा हुआ है.

अध्यक्ष महोदय -- आपकी बात आ गयी, उन्होंने भी उसको ध्यान दिया है, लिख लिया है.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा -- अध्यक्ष महोदय, लिखे तो सभी के हैं, मैंने ये खुद ने लिखे हैं और सभी को मैं जवाब देना चाहता हूं कि सभी का हम यह करेंगे. झूमा सोलंकी जी नहीं हैं.

लोकेन्द्र सिंह तोमर जी हैं. लोकेन्द्र सिंह जी, आपकी वह, एक तो वहां पर कुम्भ आने वाला है. वहां अस्पताल बहुत जरुरी है.

श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर -- भवन.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा -- अध्यक्ष महोदय, वहां अस्पताल, हम कुम्भ के पहले कोशिश होगी कि आपको हम वहां अस्पताल चालू करके दें, जिससे आपको वह दिक्कत नहीं होगी. एक लेटरपेड पर जरुर हमें दे दे वह आप.

श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर -- एक पुनासा का था उन्नयन

डॉ. नरोत्तम मिश्रा -- अध्यक्ष महोदय, हां उन्नयन के बारे में भी कहा है, चूंकि वहां भी बहुत सारे तीर्थ यात्री जाते हैं. आपने जिस स्थान का, आपने ओंकारेश्वर का भी उल्लेख किया था. अध्यक्ष महोदय, तीर्थ यात्री जब उज्जैन आता है, कुम्भ में तो स्वाभाविक रुप से दूसरे ज्योतिर्लिंग पर ओंकारेश्वर पर भी बड़ी संख्या में बाहर का आदमी जाता है और इसलिये हम उसको भी प्रारंभ करेंगे.

श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर -- एक पुनासा का उन्नयन करना है. पीएचसी का भवन जो है सामुदायिक भवन वहां बन गया है.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा -- अध्यक्ष महोदय,ठीक है.

श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर -- उसका भी आप बता दीजिये कि कर दिया वह.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा -- अध्यक्ष महोदय, हां कर दिया.

श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर -- धन्यवाद.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा -- अध्यक्ष महोदय, कुंवर सिंह टेकाम विधायक जी आपने भी कहा है. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गिजवार, बिलकुल हम खोल रहे हैं गिजवार में. आपका उप स्वास्थ्य केन्द्र खोल देंगे.

श्री विश्वास सारंग -- अध्यक्ष महोदय, अगली बार जब भी नरोत्तम मिश्रा जी की मांगें आयेंगी, तो मेरा नाम जरुर लिख लीजियेगा. हमारा तो नुकसान हो गया. इसलिये एक मिनट बोलने का मौका दीजिये.

अध्यक्ष महोदय -- क्या आप दूसरों के काम भी नहीं होने देना चाहते हैं.

डॉ नरोत्तम मिश्रा-- अध्यक्ष जी मनोज पटेल मेरे भाई ने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का जिक्र किया था गोतमपुरा में खुलेगा, हम चलकर के उसका शिलान्यास भी करेंगे और पूरा पैसा देंगे.

श्री रामेश्वर शर्मा -- माननीय मंत्री जी 11 मील वाले मामले का क्या हुआ.

डॉ नरोत्तम मिश्रा-- अध्यक्ष महोदय, रामेश्वर शर्मा जी ने 11 मील के बारे में कहा था वास्तव में वो धीरे धीरे उस पर ट्राफिक बहुत बढ़ता जा रहा है और मैं स्वयं भी एक बार उस तरफ से निकला हूं मैं मानता हूं कि वहां पर अस्पताल होना बहुत जरूरी है. हम आने वाले बजट में उसको प्रावधानित करके आपके यहां अस्पताल प्रारंभ कर देंगे.

श्री सचिव यादव-- अध्यक्ष महोदय हमें नहीं मालूम था कि मंत्री जी इतने दयालू और दरियादिल है , हम भी कुछ मांग कर देते मेरे गांव का ही मामला है.

अध्यक्ष महोदय-- अगली बार आप ध्यान रखना.

डॉ नरोत्तम मिश्रा-- सचिन भाई आप मेरे को लिखकर के दे देंना. अध्यक्ष महोदय, जिन विधायकों ने आज यहां पर मांग की है, ज्यादा मांग की है मैं उनकी नहीं कह रहा हूं जैसे रामनिवास रावत जी ने मांग की है 100% रामनिवास भाई आपके यहां पर हम खोलेंगे. मैं सारी पीएचसी तो नहीं खोल सकता पर अध्यक्ष महोदय आपकी और माननीय उपाध्यक्ष जी आपके यहां की, उपाध्यक्ष जी के यहां की भी जानकारी मेरे पास में आ गई है हम इसी वित्तीय अनुपूरक में लेकर के इसको प्रारंभ करेंगे .

अध्यक्ष महोदय-- धन्यवाद आपको. मंत्री जी उपाध्यक्ष जी कुछ बोलना चाह रहे हैं.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय(डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह)-- माननीय अध्यक्ष जी, मान्यवर मंत्री जी बडे उदारमना है और आज प्रसन्नचित भी हैं .लोगों ने बहुत छेड़ा नहीं है इनको. वह और उदार हो जायें और हमारे यहां 30 बिस्तरों के अस्पताल की जो मैंने मांग की है. उसको पूरा करें.

डॉ नरोत्तम मिश्रा-- आ गया, मैंने तो आपका रख लिया है, शायद आपने सुन नहीं पाया.

अध्यक्ष महोदय-- उन्होंने कह दिया था.

उपाध्यक्ष महोदय -- उसमे कहीं कोई तकनीकी त्रुटि है. इसलिये मैं कह रहा हूं. 30 बिस्तरों का आप कर दें.

अध्यक्ष महोदय-- उन्होंने कहा है कि करेंगे पर और सुन लीजिये आप.

(डॉ नरोत्तम मिश्रा के पास में विधायकों की भीड़ देखकर)

डॉ नरोत्तम मिश्रा--मंत्री जी घिर गये हैं, इनको बचाना पडेगा.

अध्यक्ष महोदय-- आप लोग अपने अपने स्थान में जायें.

उपाध्यक्ष महोदय --अध्यक्ष महोदय, मेरा कागज तो गिर गया है, मंत्री जी ढूंढ रहे हैं.

अध्यक्ष महोदय-- पर कहा है उन्होंने.

डॉ नरोत्तम मिश्रा-- आपका कागज मेरे दिल में है,

उपाध्यक्ष महोदय-- मंत्री जी 30 बिस्तरों के अस्पताल की बात कही थी.

डॉ नरोत्तम मिश्रा-- 100% करेंगे.

अध्यक्ष महोदय-- मेरा अनुरोध है कि आप कृपा करके बैठ जायें. माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने अपने स्थानों पर जायें. मंत्री जी से अनुरोध है कि अब यहां पर कोई घोषणा न करें. मंत्री जी, आप तो सबको आश्वस्त कर दें कि कुछ न कुछ काम सब जगह देंगे.

डॉ नरोत्तम मिश्रा-- अध्यक्ष महोदय, कुछ न कुछ सब जगह देंगे जो रह गये हैं . मैं सम्मानित सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि सर्वानुमति से स्वास्थ्य विभाग के बजट को पास करें. सभी को बहुत बहुत धन्यवाद.

श्री विश्वास सारंग -- अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने 2 अस्पतालों की एक अशोका गार्डन और एक करोंद क्षेत्र में पहले ही घोषणा कर दी थी , दो अस्पतालों का प्रपोजल गया और उसमें काम भी लगभग शुरू हो गया है, मैं इसके लिये मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं.

अध्यक्ष महोदय : मैं, पहले कटौती प्रस्तावों पर मत लूंगा.

प्रश्न यह है कि मांग संख्या – 19, 28, 38, 72 एवं 73 पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव स्वीकृत किये जायें.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.

अब, मैं, मांगों पर मत लूंगा.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त लेखानुदान में दी गई धनराशि को सम्मिलित करते हुये राज्यपाल महोदय को –

अनुदान संख्या - 19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए चार हजार एक सौ दस करोड़, इक्कीस लाख, पचासी हजार रुपये,
अनुदान संख्या - 28	राज्य विधान मण्डल के लिए सड़सठ करोड छियासठ लाख, तैतालीस हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 38	आयुष के लिए चार सौ अस्सी करोड़, इक्यानवे लाख, छियालीस हजार रुपये,
अनुदान संख्या 72	भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास के लिए नब्बे करोड़, चौसठ लाख, अठारह हजार रूपये, तथा
अनुदान संख्या 73	चिकित्सा शिक्षा के लिए पॉंच सौ अड़तीस करोड़, छब्बीस लाख, सत्रह हजार रूपये.

तक की राशि दी जाय.

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

अशासकीय संकल्प पर अध्यक्षीय व्यवस्था

अध्यक्ष महोदय-- संबंधित माननीय सदस्यों की सहमति अनुसार आज की कार्यसूची में उल्लेखित अशासकीय संकल्प आगामी शुक्रवार को लिये जायेंगे.

मैं, समझता हूं कि सदन इससे सहमत है.

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई.

विधानसभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 21 जुलाई,2014 के प्रातः 10.30 बजे तक के लिए स्थगित.

सायं 6 बजकर 41 मिनट पर विधानसभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 21 जुलाई, 2014 (30,आषाढ़ शक संवत् 1936) के प्रातः 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

भोपाल

दिनांक 18 जुलाई,2014

भगवानदेव ईसरानी

प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश विधानसभा.